

लोक स्वराज्य की ओर

• सर्वेक्षण • मूल्यांकन • भावी योजनाएं



लोक स्वराज्य की ओर

प्रकाशक

राजस्थान पंचायत राजे संघ
जयपुर

- प्रकाशक
प्रधान मंत्री
राजस्थान व्यवायत राज संघ
पारं स्त्रीम रोड जयपुर
- प्रशासन निधि
२५ अगस्त, १९६६
- अखिल भारतीय व्यायत राज परियद् द्वारा
दिनांक २५ २६ अगस्त को जयपुर में
आयोजित सेन्ट्रोय संगोष्ठी के भवसुर पर
प्रवाहित
- शूल्य
दत दर्पणे
- मुद्रा
नवल प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर
मातृभूमि प्रेस जयपुर



- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- राजस्थान के राज्यपाल
- पश्चाब के राज्यपाल

राष्ट्रपति

राष्ट्रपतिजी को यह जानकर प्रस नहा हुई कि भवित भारतीय पचायत परिपद्, नई दिल्ली के तत्वावधान म राजस्थान पचायत राज सभ, जयपुर द्वारा दक्षीय संगोष्ठी एव सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

इस ध्वंसर पर राष्ट्रपतिजी ग्रन्थ कामनाएँ भेजन हैं।

ह० रा० रामसुद्धारण्यम
अवर सचिव

उपराष्ट्रपति

यह खुशी की बात है कि भाष प्रखित भारतीय पचायत परिपद् नई दहना के तत्वावधान में आगामी २५-२६ अगस्त १९६६ को राजस्थान पचायत राज सभ जयपुर द्वारा एक क्षेत्रीय गोष्ठी एव सम्मेलन का आयोजन करन जा रहे हैं। इस ध्वंसर पर गोष्ठो के विवारणीय विषयों से सम्बद्धित स्मारिका भी प्रकाशित होगी।

म आपक सम्मत तथा स्मारिका वो सकन्ता के लिए हार्दिक गुम कामनाएँ भेजता हूँ।

आपका
आकिरहुसन

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्रीजी आपको धर्मयाद देती है और पचायती राज के विभिन्न पदों पर विचार विमर्श करने के लिए अयपुर मे आप विस क्षेत्रीय समोष्टी का आयोजन कर रहे हैं, उसकी सफलता के लिए आपनी शुभ कामनायें भजती हैं।

ह० एच० बाई० शारदाप्रसाद
(प्रधानमंत्रीजी के उप गूबना सलाहकार)

राजस्थान के राज्यपाल

यह है कि अस्वस्य होने के कारण म कुछ ग्राहिक नहीं लिख सकता। आशा करता हूँ कि गोप्ती समझ होगी और राजस्थान म जा पचायती राज के विषय मे सारे देश म अग्रगत्य रहा है इस काम को आगे बढ़ाने की नयी दिशायें खुलेंगी। निदेश ही आपको अपन अध्यक्ष श्री जयप्रकाशनवारायण से बहुत उपयोगों परामर्श मिलेंगे।

भवदीप
सम्पूर्णनिवास


पंजाब के राज्यपाल

यह बड़े हृष का विषय है कि भारतीय पचायत राज परिषद् देश मे पचायत राज के विभिन्न पदों पर विचार विमर्श करने के लिए एक क्षेत्रीय समोष्टी का आयोजन कर रही है। भारत म पचायत राज अवस्था पुरातनकाल से चली आई है। यद्यपि विदेशी दासतनकाल म इनको निर्जीव यना दिया गया था परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरात पचायतों को सोशल की मुद्रा आधारित के रूप म स्थापित कर दें बुनियादी गणतन्त्र का रूप प्रदान विषय गया।

पंजाब ने राष्ट्र विकास कायाक्रमों मे प्रशसनीय योग दिया है। बतमान समय की मांग है कि देश से मुनाफालोंसे, अनुचित मडार और मिलावट आदि ग्रभि दाये को समाप्त करने की दिग्गज म पचायतें दलपत्री से ऊपर उठकर सरकार पर होप बढ़ायें।

इस क्षेत्रीय समोष्टी की सफलता के लिए मेरी शुभ कामनायें आपके साथ हैं।

घमयोर
राज्यपाल, पंजाब



उलटा पिरामिड सीधा पिरामिड

हमारा सोचत्र बहुत सुन्दरित भाषार पर टिका हुआ है। यह एक ऐसे उलट पिरामिड की तरह है जो सिर के बल सड़ा है। प्रत्येक हमारा काय है चिन को ठीक करना और पिरामिड को फिर सही भाषार पर सड़ा करना। वे बल यह तथ्य कि हर बालिग भारतीय को बोट दन का हक है, शासन पदति के पिरामिड को व्यापक भाषार नहीं देता।

X X X X

समाज के राजनीतिक दावे का ही धार्दय उलटे पिरामिड से नहीं है, मार्यिंद दावे की भी तस्वीर वसी ही बेतुकी है।

X X X X

इसलिए ऐसा हर ध्यकि, जो इस सवाल पर जरा भी गम्भीरता से सोचने को तयार है, स्वीकार करेगा कि सिर के बल सड़े राजनीतिक पिरामिड को उलट कर तब तक सीधा नहीं किया जा सकता, जब तक आर्थिक पिरामिड को भी इसी प्रकार सही हालत में न किया जाय। दूसरे शब्दो में, विना आर्थिक विकेंद्रीकरण के राजनीतिक विकेंद्रीकरण कारार नहीं हो सकता।

—जयप्रनाथनारायण


लोक स्वराज्य की ओर

अनुक्रम

खंड	विषय
१	प्राचीन राज को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
२	प्राचीन राज का भाषण और दर्शन
३	प्राचीन राज की सरचना की पृष्ठभूमि
४	प्राम-सभा
५	प्राचीन राज की वित्त व्यवस्था
६	प्राचीन राज और राजवीय नियंत्रण
७	प्राचीन राज में वियोजित कार्यक्रम
८.	विविध

खट-१

पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि



१ लोकसत्तापरक आर्थिक, राजनीतिक
सम्याचा के उद्भव, विकास और
हास वी प्रक्रियाएँ

—यो पृष्ठीसिंह मेहता

१-८

लोकसत्तापन्क आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं के उद्भव, विकास और हास की प्रक्रियाएं

— श्री पृथ्वीसिंह भेहता

पूर्णतः स्वदासित लोकसत्तापनक आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं वा अस्तित्व और उनकी परम्परा शायद विद्व भ सबसे प्राचीन स्वस्य और परिपुष्ट है म भारत में ही बायं करती रही प्रतीत होती है, पर लोकसत्तात्मक आनुशासनिक संस्थाओं को उद्भव और विकास एवं हास की प्रक्रियाओं को टोलन के लिए भारत में उसके आरम्भिक काल से लेकर अब तक बदलते हुए रूपों का एक विन्देयण यहां प्रस्तुत करना कदाचित अप्रीसङ्गीक न होगा ।

भारतीय कृष्टि का धारात्मिक आरम्भ भारत में जनमूलक सघटन याते धार्यों के विभिन्न समूहों के द्वाकार इस देश की विभिन्न प्राकृतिक प्रादेशिक इकाईयां में अपना-बास प्रहरण के बाद उन्हें पूर्णतः प्रपने २ जन का स्थाई निवास अपना जनपद स्वीकार कर लेन के बाद एवं जनपद भावना से प्रेरित राष्ट्रीय कृष्टि का विकास करन की प्रक्रिया से होता है । यह प्रक्रिया उत्तर दिक्क बान में सम्पन्न हुई । धार्य सोग तथ तक प्रपने आरम्भिक जनमूलक स्वल्प को पाय मुला चुके थे और एक प्रादेशिक भावना परक कृष्टि का विकास करने लगे थे ।

दिन्तु उस कृष्टि के मूल धीज धर्योंकी धार्यों के जनमूलक विद्व जनता के सामाजिक राजनीतिक सघटन में थे, पर उसके स्वरूप वो समझ लेना पहले भावशयक है ।

धार्यों का समाज प्रार्थिक उत्पादन की हृष्टि से भारत में धाकर बसने से पहले ही अपनी पारेट्व अवस्था को सांप पशु पालक और हृष्टि अवस्था तक घूँच लुका था । पारेट्व जोवन की स्मृति उसमें बची थी, तो बहुत ही थुंडी । सामाजिक सम्बंधों की हृष्टि से वह समाज सम्मिश्रण (Promiscuity) और दर्दार्थों को पूरी तरह पार कर प्रारिवारिक रचना की प्रतिष्ठित तक पहुँच लुका था । यह स्थिति समाज को पितृमूलकता का आरम्भ हो लुकना बताती है उसके पहले समाज मातृमूलक था, जन-समाज में हशी

पुरुष सम्बन्ध यमी स्थिर नहीं होते और एक ग्राहेटक या पुनरालक समूहों के स्त्री पुरुष भाषण में सब माई-चहिन समझे जान से स्त्री पुरुष सम्बन्धों के लिए उन्हें दूसरे समूहों से मवी या वाघव सम्बन्ध स्पायित करन पड़ते। स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के लिए ऐसे मित्र जनों के बिना इस काय के लिए निश्चित सदेत स्पसा पर होने वाले उत्सवों में। आदि में ग्रामवार एकत्रित होने और इस प्रकार एक समूह वीं विद्यों पा सारी स तान चस समूहों के पुल्यों के भानज या दोहिन होते और अपन मात्राओं के नाम से हो समाज में गहिनान जाते थे। वन्दिक यायों का समाज दूरी तरह पितमूलक पारिवारिक इकाईयों में स्थित हो पुड़ा या तो भो भ्यो भी स्थिति प्रभाव उसमें चेरो या दासों होने की उपेक्षा बराबरों की सहकारिणी की सहजरी भी, थी। समाज में और सम्पत्ति में जल्दी धरिकार पुरुष के समकक्ष और बराबरी का ही माना जाता था। इसके लिए उम विसी न विसी पुरुष पा याथ्रवर्ती होना प्रनिवाय नहीं था। वह चाहती तब तक विसी पुरुष की धारिता या धार्यिक रूप से परमुचापेक्षणी हुए किना समाज म सम्मानपूर्वक स्वतंत्र जीवन दिता सकती थी।

वदिक समूह का सघटन

यायों के ये आरम्भिक समूह जसा कि ऊपर कहा जा चुका है उन कहलाते जा परिवार के नमून पर बन, विसी वहे पूर्वज या विद्यमान पुरुष के नाम पर प्रसिद्ध हो जाते। जन फिर वही लोगों या दूकहियों में बढ़ होते जो ग्राम बहानी। ग्राम घाद का यूल शब्द जल्द या समुदाय या और ग्राम जहाँ वह गए वह जमीन भी योद्धा ग्राम कहनान लगी। ग्राम का एक चुना दृश्या या वाग्नुगत नता ग्रामणी था। जनों के सम्पाद प्राय युद्धों घादिकों द्वारा घवसरों पर जब होते हो जनकी सेना ग्रामवार धर्षान् जरपवार जमा होती जिससे धीर युद्ध हो सधारम कहा जाने लगा।

ग्राम वीं वरह समूचे जन का भी नता होता जो राजा कहलाता। वह जन या विश का राजा या भूमि का न्यायी नहीं। राज्य जनमूलक होन से जानराज्य कहलाता प्रयत्नि उसमें जन से बाहर के दूसरे विसी व्यक्ति को पोई धरिकार प्राप्त नहीं हो सकता था, जब तक वह घपन मूल जन (प्रभिजन) द्वारा प्रत्यास्थान बर घपने निवास दोनों के जन वीं भजातता ग्रहण न करते। विभिन्न जनों को मिनाकर यायों की राम्यी धावादी धंजना प्रयत्नि मन जातियों की ही थाती।

वैदिक राज्य संस्था

राजनीतिक सघटन राष्ट्र बहसाता जिमका घपना एक दण होता। और राजा उस राष्ट्र का मुख्यसंयोग। राजा का वरण विवाही और यदि वह पिछले राजा का बैटा हो तो उसे पसांद कर राजा बनाने वीं ध्योइति देती। वरण होन पर धर्मियक होता उसमें राजा विश के साप कभी दोहे न करन वीं प्राप्ति। वरता नस राज वीं याती सौंरी जाती और विरोद्ध-पहिनाया जाता। एव पुराहित यह कहकर दिए हुए याय तुम्हें दृष्टि के लिए दोष के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए सौंपा गया। सुम इसके यता घमन और ध्रुव-धारण वरता हो, उसके धर्मियों वीं प्रावित धर्षात् घोपणा करता, जिसे निभाने के लिए उसे प्रवा ए वर्ति या भाग में वा परिवार दिया जाता।

उत्त प्रकार स वरण याय की धारु घट के लिए होना। उर यदि वह उच्चा न निकले धर्षात्

श्रमिकों के समय की हुई प्रतिना को पूरा न करे तो विश्व उसे पदच्युत और निर्बासित भी कर देनी। निर्बासित राजा का कभी बधी नहीं थे किर वरण भा कर देती।

राजा ममित को सहायता ने राज्य करता, जो समूची विश्व को सद्या थी। राज्य को खाग होर समिति के ही हाथ से रहती। समिति के सदस्य वौन जीन होते थीर करे चुने जाने य इसका ठीक पता नहीं है, पर श्रामणी, सूत रमकार और कम्मरीर अर्थात् प्रत्येक गाव के प्रामीण और शिल्पी उसम अवश्य समितित होते थे। ये श्राम समिति के धावार थे। समिति का एक पति या ईशान होता। राजा भी समिति में जाता। राजा का वरण विवाह कुनवरण समिति द्वाय ही होता। राज्य का मान प्रथम् नीति निर्धारित वरना भी समिति का ही काय होता। वसका बढ़ाना म वादवि एव पूरी स्वतन्त्रता या शाति से हीत बता साध युक्तियों और वक्तुत्व कला से सदत्यों द्वे घरने पक्ष मे कवन का यत्न नहीं।

समिति के प्रतिरक्त सभा नाम की एक सद्या भी राष्ट्र से होती जो समिति दे थाग होती। राष्ट्र के मूल्य यामालय वा वाम दीर्घी करती। प्रथम् प्राम या प्रपत्ती सभा होती विसमे न केवल वृद्ध प्रत्युत जबान लोग भी भाग सेत। आवश्यक वायों के बाद प्रामों वी भावाप्राप्ति म विनोद की बातें भी होती और तब वे सभाएँ गोल्डी का वाम देती। गोवा की बर्ची गांडियों म सबसे ग्रधिर होती इसीस उनका नाम गोल्डी पड़ा।

समिति दे सदस्य "राजानो राजहृत अर्थात् राजा बनाव वाले राजा बहावते थे। किसी निम्न राष्ट्र मे राजा न होता और वे ही बिलकर राज्य करते। वह राष्ट्रों को मध बहा जाता वापकि उनम एव पूर्ण के बजाय सब का राज्य होता। उनका एक प्रसिद्ध उनाहरण अनुयुति मे है। महामारत मुद्रा मे ठीक पहले मधुरा प्रदान म यादवों की दो खोरे—धावक और बृद्धिण—रहती थी। यादवों का राजा कम मरुध के राजा जरासाध का दामादा था। जरासाध न मध्यप्रदेश पर माझाज्य म्यापित कर लिया था कस मे उम्मे सहारे के भरोस अपनी प्रजा को पीड़ीत किया। यादवों ने तब अपन पटोसी बृद्धिण धाटवा से सहायता मायी, और बृद्धिणों वे नता वासुदेव हृष्ण न वम को मार ढाला। तब जरासाध का वायो माघका और बृद्धिणों पर उमड़ा। वे लोग ब्रा साध का सामना न कर सके थार मधुरा थोँ इतरका खते गये। वही धावक विद्यान-संघ स्थापित हथा जिसके दो मध मूल्य एव साध चुन जाते। उपरेन एक मध मूल्य था और वासुदेव हृष्ण दूसरा।

उत्तर वैदिक काल

विन्तु जला कि यहा जा चुका है यास भारता राष्ट्रीय कृष्ण का स्वत्व वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल मे स्थिर हुआ और तभी भारतीकृष्ण का अवित्तत उभरना मुँह हुआ।

वायो की राज्यसद्या मे इन युग तक सीतर भोवर बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जनोंके बहने के स्थान जनन्यद कहाने और राज्य शब जन के बजाय थोरे फोरे जनपद का भान भागती है। जनपदों के नाम जनो के नामों से हो पडे थे, जिसे जपे कुछ पञ्चायत, वेदि वल, यग दूरेतन अवनित धीरेप, महि शिवि, मालव, वेकय, गाधार प्रादि। इन्तु नाम वही रहे हुए भी भोतर से उभये राज्यसद्या म चुरवे-हुए के परिवर्तन हो गया। जानराज्य के बजाय अब वे जानपदराज्य बन गये। यद्यपि अब भी उन-उन

नामों के जनपदों में उन्हीं त ही मूल जनों के बशज मुख्यत बसे हुए थे, तो भो सोगों ने धर्व सजाता की परवा करना छोड़ दिया। जो बोई भो व्यक्ति उन राष्ट्रों में से इसी में बस जाय और उसमें भक्ति रखे वह सजात हो या न हो धर्व उनकी प्रजा बन सकता था। जन्मद में भट्ट का विचार उत्तर विदिक काल के प्रन्त में पहले-पहल सुनाई देता है। यामिन ग्रन्थ में उसी भक्ति शाद वा प्रयोग पीछे होता है।

एनरेप ब्राह्मण वे एक सदर्म (द १४) से यह पता मिलता है कि भारत के विभिन्न भागों में दिनिमध्य प्रवार की राष्ट्रसम्पाद स्थापित हो गई थी। उस सदर्म का सार यह है कि पूर्व के धर्षत् मण्डथ आदि जनपदों के राजा घपने को साम्राट कहने वहाँ साम्राज्य बनन की प्रवृत्ति थी। मण्डदेश के राजा राजा कहलाते, वहाँ सामारण राज्य थे। पजाव में मुराष्ट्र और विदर्म तक पथिकतर सम्पराज्य थे। यह बड़े महात्मा की सूचना है। हम देखेंगे कि लगभग ८०० ई० पू० से यह जो प्रवृत्ति प्रकट हुई सो प्राचीन सात के धर्त-सम्भग ५४० ई० तक धर्षत् लगानार डेढ हजार वरस तक बनी रही।

जन और बीढ़ घमों का उदय उन्हीं सभ राज्यों के बातावरण में हुआ और उनके धर्मण सभ टर्ना का ढीवा भी उन्हीं से सासन विधान ने ममून पर बनाया गया।

दूसरे इस में एकेवरवाद की कल्पना एकराजिक समाज के राजनीतिक ढांचे के पाठार पर हो उठना है। सभ राज्यों में किसी एक स्थायी नियामद राजा की प्रावश्यकता नहीं थी। ग्रन्थ विश्व के भी किसी एक स्वयंभू नियता की अनिवार्यताका प्रश्न नहीं उठ सकता था। भारतीय दर्शनास्त्र में साम्य जन और बीढ़-दर्शनों द्वी स्वतंत्र विनियोग वृत्ति इस प्रकार इन सभ राज्यों की ही देन थी।

महाजनपद युग

जनपदों के बाद में बहुत से छोटे जनपदों के ग्रन्थी आर्यिक राजनीतिक समस्याओं के हस्त के लिए स्वेच्छा से मिलजाने या एक जन द्वारा प्रदन होकर भास पास के ऐसे जनों को जीत कर घपने साथ मिला मेने से बह बहे जन पदों की रचनो हुई।

हुड़ से प्राय एक दशादी पहसे ऐसे सोलह महाजन पदों की आठ बोहियों की गिनती प्रसिद्ध हुई—

आर्यिक सघटन और राज्यसंस्था

जनपद राज्य में राज्य भूमि पर निर्भर हो गया था तो भी भूमि राज्य को नहीं हृषको की सम्पत्ति थी। राजा ऐतों की उपन वह आर्यिक भाग या वति से सक्ता थगम और परती भूमि का निपटारा वर सकता और भूमिका सम्पत्ति पर व्यापिकार कर सकता था। इस राजभौम का वह निखी दार्यों के लिए भी उपयोग वर सकता। राजकीय भाग को धामभौम (गांव के मुखिया) या राजकीय महामाल्य बनाते। भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। उसका दाय विभाग दानु और विक्रय हो सकता था। पर गांव का बोई व्यक्ति गांव के बाहर वे इसी व्यक्ति या जमीन दे या विच सकता था कि नहीं सा म्पत्त नहीं है।

बमीदारिया वही थी इस हो भूमियों ये गांव उन्हों के समूद्र थे। प्रत्येक गांव में घनेक

कुल पर्याप्त समुक्त परिवार रहते। ३० से १००० कुलों तक के प्रामा की उल्लेख है। इषि कौना पेशा गिना जाता था। भूतको पर्याप्त भाई के असिको से भी खेती कराई जाती थी। एक व्यक्ति को जमीन पर ५-६ सौ तक सलवाहों के मजदूरी करने पर उल्लेख है। उन भूतको का को जीवन काफी कठिनाई का था। उन्हें नहने की जगह और प्रभाव अपवा मुद्रा के रूप में भूति मिलती। कृषि मध्य विभाग भी हो चला था। उदाहरण के लिए बहुत लोगों का पेशा हल बाहन का हो था।

प्राम के लोग सामूहिक रूप से तिबाई और प्राम सामूहिक कार्यों का प्रबंध करते। प्रामभोजन रोज़-सभा में प्राम का प्रतिनिधि तथा प्राम के सामूहिक जीवन का नता हाता, पर वह मनमानी नहीं नहीं सकता था। प्राम के सभी लोग मिलकर सामूहिक कार्यों पर विचार और निशाय करत। प्राम सभाएँ सभा भवन और पारंपरायानी बनवाती, बोच लगवाती, सड़कों की मरम्मत करवाती तालाब बुदवाती और दूनके बीच बदवानी। उनके निश्चय के प्रतुसार प्राम के युवक बारों बारी मुफ्त मजदूर बरते। प्रामों को उन सभाओं और उनके कार्यों में स्थियों भी सुन कर भाग लती।

शिला अपवास्था की पर्यट उनकि और अविभाग हो गया था। प्रत्येक शिला या अवसाय में सो लोगों का अपना सघटन था जिसे थोड़ों कहते। थोलि शब्द पहले-पहल उत्तर बदिक बाड़मय में मिलता थोर फिर प्राचीन घाल के घन्त तक बराबर इसो-प्रयात् शिलियों के मध्यटित समूह के—प्रथ में बर्ता जाता है। महाजनपद युग के बाड़मय में 'वडडिं' कम्पार चम्पकार चित्रकार भाति भाठारह थोलिया' प्रचलित मुहावरा हो था। एक-एक थोली में हजार तक लिटो होते। प्रत्येक थोलो का एक प्रस्तुत या ज्येष्ठक बुना जाता। प्रत्येक शिला का सवालन और निदान थणि के हाथ में रहता। अच्छे मान की खरोद तथार की दिको उपज और अवकाल का निष्परिण मिनावट की रोकना शिल्य सीखने वाले अनेकामिकों को शिला के नियम, अनेकासियों और भूनकों की भूति नियत करना आदि सब थोलि के हाथ में रहता। ये थोलियों जाते न थे। अविभाग के बड़न और अवसायों के इयान विदोंपों में क्रेदित हाने से यह प्रवति स्वाभाविक थी कि बैठा बाप के धार में जाय, तो भी सना बैसा न होता। थोलि के सोगों के अपन बटों का प्रतिरिक्त दूसरे नवयुवकों के मन्तेवामिक बनन के बहुत दृष्टान्त इस युग के बाड़मय में हैं।

शिला और अवासार के बढ़ने से अनेक नगरियों बढ़ी हो गई थी। नगरियों में अपारियों के सध बन गए थे जो निगम बहवाते। उनके मुखिया थोड़ी कहाना जो प्राय जीवन मर के लिए जुन जाते।

निगम और थोलियों अपन सदस्यों की प्रार्दिक चड्डा का सवालन तो करती ही, वे शोमों के साथ-साथ राज्यसंस्था को सबसे निचलो इकाइयों भी थी। वे अपन सदस्यों के लिए स्वयं नियम बनाती, उन नियमों द्वारा चलाती थोर अवासाय का भी काम करती। प्रामों की सस्था तो बदिक घाल से चली आती थी। बदिक घाल के प्राम 'जन' को दुकड़ियाँ थे, पर वे भीतरा परिवर्तन द्वारा हुएका के समूह बन गये। थोलि और निगम-संस्था भी प्राम संस्था के नमून पर ही बनी।

यों महाजनपद युग में भारत की प्रत्येक बस्ती की प्रवा अपन बाहे के प्रतुसार विस्त्रित समूहों में बद्दा हुई थी। प्रत्येक थोड़ा समूह अपनी भीतरी शामन में पूरी तरह स्वतंत्र था। ये समूह-प्राम थोलि और नियम-दाउन की सबसे प्लेटी स्वतंत्र इकाइयों थे।

प्रत्येक नगर म घनक थे गिया होती। नगरों का विकास इसी युग म हुआ था। इसलिए उनका प्रवाय और दासत इस युग का नई समस्या थी। इस युग में नये सूखा का नाम भी नियम ही था—प्रगते युग में जा कर उसका एक और नाम पूरा खाज लिया गया।

विदिक बाल की राजसंस्था में वैद्योय नासन में योगिणियों का जो पर्याय था वह इस युग में प्रामाण्यों के साथ-साथ श्रेष्ठीमुद्ध्य और निगम अधिकारों का भी था। प्रत्येक भवित्व के कार्य में इस युग में राजा नगरमजानपदा की सलाह लता जा बाद म पौरजानपदा घटलान चले। ऐसा प्रतीत होता है कि विगमजानपदा वा पौरजानपदा विदिक बाल की समिति का नया रूप था—यह वैद्योय दासत में राजा का हाथ बताने वाली सूखा थी।

पूर्व नन्द युग की आर्थिक राजनीतिक सूखा

उत्तर विदिक और महाजनपद युग में श्रेष्ठी निगम आदि जो सूखा एवं वर्षी हृदृष्टि भी उनके लिये इस युग के बाहर मय में जातिवाचक संजाए थी—निकाय समूह था वर्ग। निकाय का ग्रन्थ था शृणवावद ममूह। प्रव्यवस्थित जमघट के ग्रन्थ में निकाय वहा जाता था। निकाय और निकाय दोनों समान मूल भौति थे। वह एक और निगम दोनों प्रार्थित निकाय थे, उनमें विभिन्न कुलों के परानु एक वृत्ति या जावदा वाले सोग हानि था। नगरों के सभ इस युग म पूरा बहनाने लगे और उनकी यह परिभाषा थी कि विभिन्न कुलों की सूखा विभिन्न वित्तिया वाला सभ पूरा होता है (पञ्चाध्यायों ५ ३ ११२ पर काशिका वति)। प्रथम् युग प्रार्थिति सभ में ये निकाय घनक थे लियो और निगमों के प्रतिनिधि हाते थे।

गोतम घर्मसूत्र ११ २१) से पता चलता है कि कांशिया श्रीरामौ कारीगरों के धर्तिरिक्त उपयोग विणियों पुरुषों और दूसीदिवा (एवं या उपार देने वालों) की भी व्येणियाँ थीं। एक जगह रहन वाले वालों की व्येणियों वनना सर्वत था पर विक्षित शर रहने वाले कृपका की भी व्येणिया हाना उत्कृष्ट सामूहिक व्यिधन था सूखक था।

पिछले युग के समान याम थे जिन निगम पूरा आदि निकाय घनना भीतरी नासन स्वयं चलाने प्रति भीतर वे विदिक निपटाने के लिए यापालय का काम करते, पर सबसे बड़ार वे आपस में मिल कर जो समय या संविवृत्यां शर्मनु टहराय करे वह समयधर्म यदि देश के मूल घम और व्यवहार कानून के विकद न हो तो उसे चरिताय करना राजा का कर्तव्य होता। कोई वर्गीय घपन वर्ग के समय वी तोह तो दृष्ट याता था। समय (सम घप) का घप या गिरावर यिया हुआ टहराव। या इन निकायों के छह राष्ट्र वानून थे। उन सभों में निश्चित विधियाँ ने प्रस्ताव रखन (शर्म वचन=कार्य का कहना) उस पर प्रवर्त या गुप्त रूप से सत सन और बहुमत से निश्चय घरन ही पदति थी। याम, व्येणि निगम पूरा आदि निकाय जो समपर्यंत घर्म घर्मसी निश्चय द्वारा कानून बनाते वह भी ठीक पदति से विचार करते बनाया जाता था यह यों ही जल जान दाना रियाज नहीं था।

राजदीय विनिदिव्यस्थानों (यापालयों) में विनिदिव्यायक (यापालयों) के साथ उदाहित (भूमि) वैश्वी थी, और उसमें प्रत्येक वर्गों के घपन ही वर्गों के घर्मानु प्रत्येक घमियूक्ते के घपन निकाय के लोगों के बढ़ने का नियम था।

यों इन निकायों का जहा पूरे स्व शासन के अधिकार थे वही जनपद के केंद्राय शासन को भी था हा बुनियाद था। वर्दिक काल वी समिति की तरह इस युग में भी परिपद् या पोरजानपद नाम का निकाय समूचे जनपद के शासन को चलाने वे लिए था। उसमे यामणियों के अतिरिक्त श्रेणिमुख्य और नियम श्रेष्ठों पादि होते तथा राजा को उसके परामर्श के अनुसार चलाना पडता। रामायण म राम को युवराज बनाने के लिए खुटाई गई राजा दशरथ की 'ममा' वा जो चित्र है उसम श्रेणिमुख्यों और नियम श्रेष्ठियों वा विशिष्ट स्थान है।

सामाजिक जीवन

सामाजिक ढंगों का विच यह था—“जानियो दो हैं, हीन जाति और उत्कृष्ट जाति। हीन जाति कोन् मी ? चण्डाल जाति वेणु जाति नपाद जाति ‘बुद्धस जाति। उत्कृष्ट जाति छीनमी ? दक्षिय जाति ब्राह्मण जाति ’”。 शिल्प दो हैं हीन शिल्प और उत्कृष्ट शिल्प। हीन शिल्प जैसे नववार शिल्प कुम्हार वा गिल्प हरकारे का शिल्प चमार का शिल्प नाई का शिल्प और जो उन उन जनपदों म “अवजात परिभूत हो। उत्कृष्ट शिल्प, जैसे मुद्रागणुना सेख घरथवा उन उन जनपदों म कर्म दा है हीन वर्म जैसे कोठा बनाने का काम (सूखे, फूल बटोरने का काम। उत्कृष्ट कम जैसे कृषि वार्षिक गोरक्षा’ (विनय पिटक)।

इससे स्पष्ट है कि क्यक, बनिया, व्याखा, हरणारा, सराँक, नाई आदि विभिन्न जनपदों की दाना के अनुसार ऊंचे नीचे काम और शिल्प थे, जाते नहीं। चण्डाल, वेणु नियाद आदि बस्तुन धनाय जातियों प्रार्थन नहीं थी। पर दक्षिय और ब्राह्मण कल्पित जातियों थीं। धक्षियों म अपने कुनों की उच्चता का भाव इतना परिपक्व हो चुना था कि वे अपने की जाति कहने लगे थे और ब्राह्मण भी अपने को जाति गिनत चाहने थे, मद्याप उनके जाति होने की बात विकादयस्त थी—बहुत से ब्राह्मण स्पष्ट कहते थे कि ब्राह्मण एत का जन्म से होई सम्बाध नहीं वह और शूलसे है (मूलनिषात वासेष्टमुत्त ३५ वस्तुश्च तथा ६५०)। जो भी हो, दक्षिय और ब्राह्मण आपेक्षण्य कृपया। शिल्पिया और वार्षियों, से मिथ जाति के न थे।

मीर्य राज्यसंस्था तथा कौटल्य के राष्ट्रीय आदर्श

योगों का समूचा साप्रायक्षेत्र या विर्जिन चार या पाच लाख में बढ़ा था। जिन्हें चक्र भी कहा जाता है चक्र ऐ-प्रथम, प्राची दण्डिणाय परिवर्षदेश भारत-उत्तरायण। एक-एक चक्र के अन्तर्गत अनेक जनपद थे। जन दों के भीतर शासन की दोटी इकाईयां गाहार जिले) और बोटविधय (ग्रामों से शामित प्रदान) थे। पुरान वसे हुए जनपद भारता ए बड़ थ, कोटविधय प्रायः भट्टवी(जगत्की)प्रदेशों म थ।

राज्य का अनुसासन राजा सुभाषित पानूरों (धर्म) के अनुसार ही चलता था। कौटल्य ने अपने धर्म-सामृद्ध के धर्मस्थीय म लिखा है कि

--विवादों (मुद्दों) के विषय के चार धाराएँ होते हैं—धर्म, व्यवहार, वरित्र और राज्याल्पन। इनमें से विद्यता पहसे दा वापक होता है। धर्म धर्यान् पुरान स्पूषित सदाचार-सामृद्धी प्राप-

दिवसीय नियमा से अवहार अर्थात् पूरान स्थापित दीवानी फौजदारों कानून का महत्व धरिव था । चरित्र इन दोनों को हटा कर इनका स्थान न सकता था । चरित्र का अर्थ किया गया है पुरोपो के समृद्ध प्रथात् समूहों का बाय उनका बनाया हुआ विषय । अगले युग के प्रभिलेखा में चरित्र शाद स्पष्ट रूप से समूहों या निकायों के बनाये विषयाना के अर्थ म वर्ता गया है ।

चरित्र बनान वाले प्रजा के द्वारा बड़े समूह या निकाय थे—ग्राम, ऐणि नगम प्रौढ़ जनपद । अर्थशास्त्र में अपत्र (२३) यह कहा गया है कि राजा अपने मुख्य दस्तर म देवा ग्राम जाति और कुलों के संघातों (समूहों, निकायों) के द्वारा अवहार और चरित्र संस्थान वो निवाध पुस्तक म दर्ज वरावे । यह निवाध पुस्तक राजकीय रजिस्टर था जिसम सब जनपदा, ग्रामा आदि के बनाय चरित्र दर्ज किये जाते थे ।

अर्थशास्त्र म राज्यसंस्था वा जो वित्र हम पाते हैं उससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि मौर्य साम्राज्य भारत के विभिन्न जनपदों और उनके ग्रन्तिगत ग्रामों ऐणियों नगरा के स्तम्भों पर लड़ी रचना थी जो उनकी प्रजा के स्वच्छाप्रदत्त सहयोग से चलती थी । उन जनपदों में उन स्वाधीन भावना होने से उहैं कठिनाई से एक विजित म लाया जाता पर एक बार सम्मिलित हो जाने के बाद उनके प्रशमन की नीति बद्धी जाती ।

सातवाहन युग को आधिक राजनीतिक स्थाप्ते

महाजनपद न द और मौर्य युग म हम भारतीय समाज का जो आधिक राजनीतिक दैना देखने थाए हैं उस युग म उसी वा विकसित रूप पाते हैं ।

“ हृषि की भूमि हृष्यवा वी सम्पत्ति थी । मनु न कहा है राजा भूमि का प्रधिपोति है (८ ३६) । पर उसके धाय सम्भवों पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि वहाँ प्रधिपति का अर्थ धर्य धर्यथा या धासह ही है ।

यानदत्त सम्भूयसमृत्यान ही विवेचना लाभ वे लिए समवाय से काम करने वाले वाणेजो के उल्लेख से धारम बनता है पर घन्त में बहुत होता है कि कृषकों और कर्मियों की भी यही विधि है । इसका यह अर्थ हृषा कि सामुदायिक खेती और मजदूरी के समूल मौर्य युगों की तरह इस युग में भी थे ।

ग्राम हमारे देश म कारीगर प्राय सबत्र महाजनों के दर्जदार हैं । वे ग्रामांकर्ज सेवक उसे युद्धों को हो जाने रहते हैं । यह दशा बस स वय मुगल युग से चल रही है । पैच्यम-युरोपी व्यापारी जब यहाँ आए तब हमारे राज्यों न उन विदेशियों को भी भारतीय कारीगरों का इस प्रवार विदौहन बर्तने दिया । इस्ट इ हिया नम्ननी के भारतीय जुमाहों पर जित खुल्मों की याद हम धाद तक करते हैं वे इसी दशा के बारण सम्भव है । इस दशा के मुकाबले भ जब हम देखते हैं कि सातवाहन युग के जुलाहों प्रोटू तेतियों की अणियाँ धन्यवाद धन्यवाद तथा साध-साध राजाधारों के लिए बदों का काम भी बरती थीं तब उन्हें वा वा बार हुआ दिखाई देता है ।

महामारत म बोटसीय अर्थशास्त्र की तरह य लिङ्ग अर्थात् ऐणियों की देना वा उल्लेख है ।

परराष्ट्र-सीहन प्रथात शमु वो सताने के उपायों में थे ऐमिस्योपजाप प्रथात् थे ऐयो के मुखिया का फोड़ना भी बताया है। गधवों से हारने के बाद दुर्योग्यन कहता है कि म थे ऐमिस्या को केस मुह दिखाऊ गा।

थे ऐयो और जनपदों के धमों तथा ग्रामों और जनपदों के समयों वा सविदों का पहले भी तरह महत्व चला आता था। 'मनु कहता है— 'धर्मवैत्ता (धर्मस्थ) जाति जानपद धमों, अणी धमों और कुल धमों को देख कर भ्रपने धम का प्रनिपादन करे (द ४६)।

व्यवहारदर्शन—“व्यवहारों को देखने प्रथात् याय के अनुशासन-के लिए 'यानवल्य (२ ३०) के अनुसार सबसे नीचे कुला के यायालय थे फिर थे ऐयों के पूगा (ग्रामों नगरों) के पौर सब से ऊपर राजा द्वारा नियुक्त प्रधिकारी। पूगा ग्रथान नगर सभाग्रा का इसके अतिरिक्त एक और बड़ा वाम पा लेखा का निवायापन (रजिस्टरी)। उपवतात् ग्रपन गिरनार के अभिलेख के प्रात में कहता है—

यह सब निगम सभा म सुनाया गया और फलकवार म चरित्र के अनुसार निवद्ध विया गया। फलक याने अलमारी, फलकवार=लेखा दफतर। या राजकीय दानों की रजिस्टरी भी नगर-सभाग्रा के नेता दफतरा में उनके चरित्र प्रथात् सभाओं म पारित विये नियमा के अनुसार होती थी।

इन राजविष्वदों के बीच अनक गणराज्य भी फिर उठे थे। असवमादर अफगानिस्तान-पजाह के छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों को दबाता व्यासा तक चला आया था। सेलेत्वस् के उसी प्रवार अनेकों राज विलय और बाहरी मात्रमण इस युग में भारत पर हुए फिर भी इन संस्थाग्रा के आन्तरिक व्याय सबहन में उनका कोई हस्तक्षण नहीं हो सका।

मन्य युग

गुप्त साम्राज्य वा ह्रास ५१० ई० के लगभग हृणा के मध्यएग्निया के हमलों के बाद भारम्भ हो गया। उनके आन्तरिक से भारतीय प्रजा वी रखा गुप्त लोग न कर सके तब यदोधर्मो नामक सम्बवत् एक राजस्थान सरदार ने, जो जनता का नेता था विसी राजवान का अन्वयो नहीं उठाव दृग्यों को देना से निवाला। ५४० ई० के लगभग उसके देहान्त के बाद भारतीय इतिहास के प्राचीन युग का प्रात होकर मध्यकाल वा आरम्भ होता है।

जनता के राजनीतिक चैतन्य का ह्रास

मध्यवात् के राजनीतिक इतिहास के इस स्थाने म बढ़न हम की वहानी है। ५५० से ६२० ई० तक ह्रास थोड़ा है उसके बाद एकाएक ग्रधिक।

इस ह्रास के एक पहले पर उक्त इतिहास ही प्रकार ढालता है। जिसम दिनुग्रा के ग्रध विश्वास और धर्माधता ने विदेशियों के हाथा उन्हे पराजित कर दिया।

एक तरफ धम-वर्म में ग्रध विश्वास का बढ़ना प्रवृट है तो दूसरी तरफ राजनीतिक चैतन्य का दीर्घ होना। सिंध के जाटा ने जो भनोवृत्ति दिखलाई वह ग्रामन का ग्रायाय बहुत बड़ जान और

इच्छीय नियमों से व्यवहार धर्मानु पूरान स्थापित दीवानी फौजदारी वानून का महत्व परिचय था । चरित्र इन दोनों को हटा कर इनका स्थान ल सकता था । चरित्र का धर्म किया गया है पुरुषों के सश्रह धर्मानु समूहों का वाय उनका बनाया हुआ विषयान । आगे युग के प्रभिलेखा में चरित्र शाद स्पष्ट रूप से समूहों या निकायों के बनाये विवाहों के धर्म में वर्ता गया है ।

चरित्र बनाने वाले प्रजा के द्वारा बड़े समूह या निकाय थे—ग्राम, श्रेणि, नगर प्रीर जनपद । धर्मशास्त्र में धर्मश (२३) यह कहा गया है कि राजा धर्मने मुख्य दपतर में देश ग्राम जाति और कुलों के संपादना (समूहों निकायों) के धर्म व्यवहार और चरित्र-संस्थान को निवारण पुस्तक में दर्ज करावे । यह निवारण पुस्तक राजकीय रजिस्टर या जिसमें सब जनपदों, ग्रामों प्रादि के बनाये चरित्र दर्ज किये जाते थे ।

धर्मशास्त्र में राज्यसंस्था का जो विवर हम पाते हैं उससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि मोर्य साम्राज्य भारत के विभिन्न जनपदों और उनके धर्मानुष प्रामाण, श्रेणियों नगरों के स्तम्भों पर खड़ी रचना थी जो उनको प्रजा के स्वचालित संस्थान से चलती थी । उन जनपदों में उप स्वाधीन भावना होने से उन्हें अठिनाई से एक विजित में लाया जाता, पर एक बार सम्मिलित हो जाने के बाद उनके प्रशमन की नीति बर्ती जाती ।

सातवाहन युग का आर्थिक राजनीतिक स्थाने

महाजनपद नान्द और मोर्य मुगों में हम भारतीय समाज का जो आर्थिक राजनीतिक रूप देखते थाएं हैं इस मुग में उसी प्रा विवरित रूप पाते हैं ।

हृषि की भूमि कृषकों की सम्पत्ति थी । मनु ने कहा है, राजा भूमि का प्रधिपति है (८.३६) । पर उसके धर्म सन्दर्भों पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि वहाँ प्रधिपति का धर्म धर्मश या धाराक ही है ।

याज्ञवल्य सम्भूद्यसम्मुद्यान की विवेचना ‘लाभ वे लिए सप्तवाय से काम करने वाले वाणेजो के उल्लेख से धारम्भ बनता है पर प्रभत में कहता है कि कृषकों और कर्मियों की भी यही विधि है । इसका यह धर्म हृषा की सामृद्धार्थिक लेती और मजदूरों के सघन नन्द मोर्य मुगों की तरह इस युग में भी थे ।

भाज हमारे देश में कारीगर प्रायं सवन्न महाजनों के कर्जदार हैं । वे ग्राम कर्जे लेकर उसे पुर्खाने को ही छाटते रहते हैं । यह दशा क्स सब मुगल मुग से चल रही है । पैच्छम-नुरोदी व्यापारी जैव यहाँ धार्य तब हमारे राज्यों ने उन विदेशियों को भी भारतीय कारीगरों का इस प्रकार विनीहन करने दिया । हिंस्ट इहिया क्षम्पनी के भारतीय जुलाहों पर जिन जुलमों की याद हम, भाज तक करते हैं वे इसी दशा के कारण सम्मद्य हैं । इस दशा में मुकाबले में जब हम देखते हैं कि सातवाहन युग के जुलाहों ग्रोट लेतियों की थे ऐसी प्रभता धर्मा करने के साथ-भाय राजाओं के लिए बड़ों का काम भी बरती था तब इस नरक का घार हुआ दिखाई देता है ।

महाभारत में शौटसीय धर्मशास्त्र की तरह ये लिख समर्थात् थे ऐसी जो सेना वा उल्लेख है ।

परराष्ट्र-नीड़न मर्शिन शत्रु को सलाने के उपायों में थे शिशुहृदयोपजाप भवात् शेणियों के मुखियों को फोड़नी भी बताया है। गध्यों से हारन के बाद दुर्योगन कहता है कि वे अशिशुहृदयों को वे मुह दिखाऊंगा।

थेणियों और जनपदों के 'धमों' तथा धामों और जनपदों के 'समयों' वा सविदों का पहल की तरह महत्व बला आया था। 'मनु' कहता है— 'धमवेत्ता (धमस्थ) जाति, जानपद, धमों, य एवं धर्मों और कुल धमों को देख कर अपने धम का प्रतिपादन करे (८ ४६)।

ध्यवहारदर्शन — 'ध्यवहारों को देखन' अर्थात् याय के अनुशासन-के लिए यानवलय (२ ३०) के अनुसार सबसे नीचे कुला के 'यायालय' ये किर थेणियों के पुगा (प्रामान्यारो) के और सब से ऊपर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी। पुगा अर्थात् नगर सभायों का इसके अतिरिक्त एक और बड़ा बाम पा लेखों का निवापन (रजिस्टरी)। उपवात अपने विरकार के अमिलेल के धात में बहता है— "यह सब निगम सभा में मुनामा गया और फलकवार में चरित्र के अनुसार निवट विया गया।" 'फलक' यान अन्तर्मारी, फलकवार-लेखा दपतर। या राजकीय दरनों का रजिस्टरी भी नगर-सभायों के लेखा दपतर में उनके चरित्र अर्थात् सभायों में पारित किये नियमा के अनुसार हीती थी।

इन राजविवरणों के बाब अन्तक गणराज्य भी फिर उठे थे। अलवसादर अकागानिस्तान पञ्जाब के छोटे होट राज्यों और गणराज्यों को दबाना ढाका तक चला आया था। मेलउमस् वे उसी प्रकार अनेक राज विलक्षण प्रीत बहुरी मात्रमण इस युग में भारत पर दृष्टि फिर भी इस सत्यायों के ग्रान्तरिक वाय सबहृत में उनका कोई हमताप नहीं हो सका।

मध्य युग

गुप्त साम्राज्य वा ह्रास ५१० ई० के लगभग हुआ एवं मध्यएशिया के हृष्णने के बाद भारम्भ हो गया। उनके प्रान्तमणों से भारतीय प्रजा की रक्षा गुप्त लोग न कर सके तब यांगोधर्मी नामक सम्बद्धन एक राजस्थानी सरदार ने जो जनता का नता था किसी राजवंश का अवधी नहीं उठवर हुगी वा देग से निकाला। ५४० ई० के लगभग उसके देहात के बाद भारतीय इतिहास के प्राचीन पुगा वा भात होकर मध्यवान वा भारम्भ होता है।

जनता के राजनीतिक चैतन्य का ह्रास

मध्यवाल के राजनीतिक इतिहास के इस त्वाके में बढ़ते ह्रास वो बहानो है। ५५० से ६२० ई० तक ह्रास थोड़ा है, उसके बाद एकाएक अधिक।

इस ह्रास में एक पहलू पर उक्त इतिहास ही प्रकाश डालता है। जिसम हिन्दुओं के धार्य विद्वास और धर्माधिता न विदेशियों के हाथा उत्ते पराजित हर दिया।

एवं तरफ धर्मन्यम भ भाष्य विद्वास का बड़ना प्रकट है तो दूसरी तरफ राजनीतिक चतुर्य द्वारा दीर्घ होता। सिंध के जाटा न जो मनोवृत्ति दिसलाई यह शासन वा पायाय बहूत बढ़ जाने और

“गासको भौंर शासिता के बाच वर्ग विद्वेष उत्पन्न हो जान में ही हो सकती थी। वह दगा भारत के दूसरे प्राता में तब तक न थी। तो भा जनता की शासन के प्रति उपमा कमश बढ़ रही थी। उम दशा में जनता के पुरान निवाया—याम थे लो निगम, जपद सध ग्राहिक क्या हुआ? मध्यवाल में हम एक भी गणराज्य का पता नहीं पाते। जसा कि जायसवान न लिखा था—५५० ई. स. हि द्वै इतिहास पिष्ठल वर उजल चरित मात्र रह जाते हैं—राष्ट्रोय या सामूहिक जीवन को होर मन विरोध हुए अवेल घरेले रत्न। हम बड़े धर्मतिमा भौंर बड़े पापी मिलते हैं—“पर वे साधारण सतह ये इतन ऊचे हैं कि अस हाय बनकर उनकी प्रसशा या पवित्र मानकर पूजा की जाती है। जन समूह स्वतंत्रता थी सौंस लेना छोड़ देता है।

प्राचीनवाल में स्थानीय गासन जनता के निवायों के हाय मथा तथा राज्य भौंर साम्राज्य उसी नीव पर लड़े होते थे। मध्यवाल में निवाया की दगा में क्रम-परिवर्तन के से हुआ इसकी लोज बाबी है। तमिलनाड में ग्रामों को सभाएं राजराज भौंर राजेन्द्र चान के मुग तक भी सुसंरक्षित रही। पर जनता का सामूहिक जीवन जब थागा होने लगता है भौंर वह ग्राम्याय सहने को तयार हो जाती है तभी राजा द्वारा नियुक्त स्थानीय गासक जागीरदार उच्च खल हो उठते हैं। कश्मीर का इस काल का इतिहास पूरा मिलता है भौंर उससे हम जानते हैं कि दमबी शतानी से डामर ग्राम्याय जागीरदार तिर उठान लगते हैं और घेरे घेरे राज्य की मध्य नमिन उनके हाया बैटकर दिन भिन्न हा जाती है। ऐति हासिक कलहग उहे तस्कर (चोर) भौंर दस्यु (डाकु) कहुवर मात्र करता है। राजा सग्रामदेव (१२३६-५२) को डामरो के उपन्धा के बारण दग छोड़ जाना पड़ता है। दूसरी राजतरगिणी के लखन जानराजने उस अवसर बा थएन करत हुए लिया। (इलोक १००)~~

तस्मिन् ददधे दूर यात डामरेव ।
ग्राम्यपि विगामापुर गय रक्तपायिन ॥

—उस दण्डधर के दूर चले जान पर खून पान वाने डामर सियार प्रवाशा की ग्रामें भा पूरी पूरी खा गये। प्राग का सब कुछ सहन को तयार हाना इस दुरवस्था की जड म था।

नीबी शतानी के ग्र त भ कश्मीर के राजा बन कर वामा न युद्ध के घवसर पर न्हभारानि ग्राम्याय ग्रजा के लिए भार दोन की बगार चनाइ। वह भी उसी दगा की सूचक है। जनता की इस उपेन्द्रा की दगा में एह घीर थात जो इस बाल में खली वह थी राज्यों में भावत मना का उपयोग। उसे हम कभ में भी शतानी के ग्राम्य संभिलखा म पात हैं। बगाल तवं के राज्यों म तुक भावत मनिन याने थे जिहे यहा के लया म दूरा भी बहा है। तुक्का न बाद म भारताय राज्यों का ग्रामानी म वष लात लिया इस पर इसे ग्रामा वाता है।

१३ वी शता दा म तुक्क विगाम प्रजा के डामर जागीरदार बन कर बड़ा गये।

बीच दीच म घनक भक्त मन्त्राया न भक्ति माग मे भौंर विदान विवारा न ग्राम्यों विरो चनापा द्वारा लोगो की जगहर जाना की इन प्रवत्तियों म बचान का प्रयत्न किया। तमिल नेश म बहुत से बत्तुव भौंर गय भक्त हुए जो नमण आलवार भौंर नायामार कहलान थ।

पन्द्रहवी शताब्दी का पुनरुत्थान

तुकों की सत्ता भारत से १६ वीं शताब्दी का अन्त होते होते देश से खुल हो गई। उसके स्थान पर विभि न जनपदों में जो नये प्राइंगिक राज्य उठे व सब प्राय या तो हिंदुप्राची के या हिन्दी पूर्वल-भानों के और दून सभी न प्राय मुशासन स्थापित करने के लिए आन पयने प्रदेश में वहां की पुरानी शासन संस्थाओं को फिर जिलाने का प्रयत्न किया। मेवाड़ में बहाराणा हमीर क्षत्रियहि साम्भा, भोजन और कुम्भा के समय अपने उजड़े इलाका को फिर से बसाने के लिए विसाना को भूमि सब-धी बहुत से सत्त जो तुक शासन के समय उनसे दिन गये थे वापस दून और स्वायत्त संस्थाओं, पत्रायतो आदि को पुनरुत्थीत करने के जो यत्न किये गए थे व इनसे आधुनिक प्रतीत होते थे कि १६२३-२५ में मेवाड़ का माल और बादावस्त अधिकारों उन पुरान पट्टे, परवाना को देखने दग रह गया था।

कश्मीर में इसी प्रवार इस समय जनुल आबदीन के किये मुखारा के बारण पूरा रामराज्य स्थापित हो गया था।


बावर के नहुत्व में तुकों वीं जो सीसरी धारा भारत में आई पठान धात तक उससे लड़ने रहे। पठान पुनरुत्थान का चरम उत्तर दारशाह के प्रशासन में प्रवट हुआ। उसके रामराज्य की बहानों सुनिदित है। उत्तर भारत की प्रजा ने मिहिरभोज के जमाने के बाद वहां मुशासन न दिया था। दीरशाह का सबसे यहत वा धाय जागोरदारा वा उलाड वर पुराना राज्यसंस्था को फिर खड़ा करने का प्रयत्न था। उसन गावा का पचासता का फिर जगाया और उहे परिणाम पा परमना नामक माल गुजारी-बमूली की पुरानी इवाइयो म संवर्णित किया। सथहवी शताब्दी म शिवाजी ने नये पुनरुत्थान का धारम वरते हुए दारशाह की नीति का अनुमरण किया। पर शिवाजी के मराठा ने उनीवसवी सभी भज अप्रेजो की गुलामी स्वीकार कर ली तब भी पठानों न अपने को स्वतंत्र रखा इसमे प्रवट है कि पांडवों शताब्दी का पठान पुनरुत्थान और गहरा था।

विन्दु जागोरदारा प्रथा अर्थात् शासित और गासन के बीच एक तीसरे विचार वर्ग की प्रथा को हटान का दारशाह वीं नीति को उसके बाद उसके बाज और अवबर भी जारी न रख सके। वह काय १७ वीं शताब्दी के उत्तराध मध्याकर मटाराष्ट्र में शिवाजी ने फिर जारी बरना चाहा विन्दु मुगल साम्राज्य के विरुद्ध जीवन मरण के सर्वप्रथम पट्टर उसके भ्रन्तयारी उस पर बाद में दढ़ न रह सके। मुगलों के विरुद्ध अपन प्रजाजना वीं उभाइन के लिए उहे हैं फिर से लागों को जागोरा वा प्रलोभन देना पढ़ा। इससे शिवाजी के रिए धराए पर पानी फिर गया और १० वीं शती म योरुप को तरह यहां भा दढ़ के द्वारा रथित राज्य सम्या खीं न हो सको। १८ वीं शती म भावार यहां के दोलें-दाले राज्य अप्रेजो की मुश्यमित राष्ट्रीय शक्ति के सामन न टिक सके।

मिहावलोकन

विन्दु म गुप्तकाल तक भारतीय राज्यसंस्था का विकास वसे हुया सा हमन देखा है। उसके बाद उसके छास की भी भावन पाई है। विन्दु काल म भारतीय समाज का मध्यम जनमूलक या सात्रात्य

मूरक था । उनसे मिलता-जुलता सघटन आर्य नृवश वी दूसरी पालामा का भी था । उत्तर बनिक वाइ-मध्य मथेणि शान्त पहले पहल आता है । फिर महाजनपद युग म मारतीय राज्यस्था का विगिष्ट रूप प्रस्तुटित हो जाता है और उसी रूप का विकास युक्त युग तक होता चलता है । उसके मुख्य लभण हैं १) प्रत्येक जनपद और नगर म उनता का धारा के अनुमार सघटित होना तथा २) प्रत्येक ग्राम, घासे के निकाय अयवा थे, नगर और जनपद का स्थानीय स्वशासन और उस पर निर्भर राज्य ।




यंचायती राज का अभिप्राय और दर्शन



१ पचायती राज का दर्शन	श्री वलवातराय मेहता	१-४
२ पचायती राज क्या है	श्री एस० एन० भज्मदार	५-६
३ Panchayti Raj—Philosophy & Objectives	Shri S K Dey	७०-११
४ पचायती राज के स्वरूप की इतिहा	डॉ इकबालनारायण	१२-१५
५ Concept of Panchayti Raj—Some Broader Aspects	Shri Jaiprakash Narain	१६-२१
६ पचायती राज	डॉ दूलचान	२२-२६
७ पचायती राज और उसका समाज दर्शन—श्री कामेश्वरप्रसाद छहुण्डा	२७-३२	
८ विद्वान्करण—भार्यक, राजनीतिक एव जनतांत्रिक समाजवाद—श्री सोमप्रकाश थारा	३३-३५	





सोशलाइक विकेंड्रीवरण क मध्यूत
स्प० श्री नलभातराय महता

पंचायती राज का दर्शन

श्री बलबन्नगय मेहना

‘पंचायती राज के सम्बन्ध में महाराजा गांधी के जो विचार ये उनको प्रकट करते हुए उन्होंने एक बार लिखा था—

भारत में सात लाख गांव हैं। हर गांव में नागरिकों की इच्छानुसार यानी सब के मत से समर्थन कायम होगा। उसके बाद सात लाख मत होते। न्यूर शासीं में प्रत्येक गांव का एक मत होगा। गांव के लागे जिस प्रशासन को चुनेंगे, जिसीं के प्राप्ति प्राप्ति के सासन को चुनेंगे और मेरे ही बाद मेरे अध्यक्ष को चुनेंगे जो कायपालिका का अध्यक्ष होगा।

इससे पता चलता है कि गांधीजी कथा सोच रहे थे। वे सोचते थे कि गांव के लोग जिला प्रशासन को चुनेंगे और जिला प्रशासन राज्य सरकार पर भाग्यारही होगा। उन्होंने भ्रष्ट निवार है—

मुझ स्वीकार करना चाहिए कि मैं सविधान सभा की कायवाही को नहीं समझ पाया हूँ। आम पंचायतीं का जिक या निर्देश या विकासीकरण माली विधान में नहीं है निर्दिष्ट रूप से यह भूल है। यदि हमारी आजादी में जनता की आवाज गूँजती है तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। पंचायती को जितनी भ्रष्टिं दी जाएगी, जनता के लिए उन्होंने भ्रष्टिं भच्छी बात होगी।

उन्होंने लिखा—

फक्त का बेंद्र नई दिल्ली में है या कलकत्ता या वस्वर्दि म—यानी बड़ा शहरों में। म चाहूँगा कि उस सात लाख गांवों में बाट दिया जाए।

मिर इच्छा से सहयोग होगा—नाजी तरीका से नहीं। स्वेच्छित सहयोग से सच्ची आजादी पैदा होगी। ऐसे नई व्यवस्था बनेंगी जो सोवियत रूप की व्यवस्था से बहुत भच्छी होगी।

गांधीजी ने एक बार लिखा—

‘आम स्वराज्य का मेरा रूप है कि वह पूरा गणनाम्र हो—भ्रष्टों जहरता के लिए वह पढ़ीमी गांव पर निभर न रहे लेकिन जहा निभरता आवश्यक हो जाए वहां गांव एक दूसरे पर निभर भी रहे। इसलिए गांव का पहला आम होगा कि वह भ्रष्टों जहरता स्वयं पदा करे—व्यष्टि के लिए इसी ऐसा बहरे। पुग्रा के घारगाह हा—बच्चों के खेतों—झूँझों के लिए भ्रष्टान हो। आगर जमीन बचे तो विक्री बासी फसल पैदा करें लेकिन गांजा, तमाकू व धकीम नहीं। गांव में एक नाटकपर, स्कूल व परियद हाल हो।

जनधर ग्रामना हो जहा मे सद को गुद्ध जल मिल । चसिक कोम के ग्राम दजें तक शिशा अनिवाय हो । सभी बाम सहशारी आवार पर हो । छूपा दूत के आधार पर घोई जातिया न हो ।

ग्राम रक्षा के लिए अनिवाय सेवा हो । उहे यारी-बारी से उना जाए । गाव का शाउन पाव पना की पचायत करे जिसे हर साल गाव के बालिग लोग लुने ।

आधार भूत विचार

ये आधारभूत विचार हैं जो समय समय पर राष्ट्रपिता ने प्रगट किए थे । हम इन विचारों के साथ ही चलना चाहिए । हम दर्ये कि हम जिस पचायती राज को बनान जा रहे हैं वह विरापकार या होगा । पचायती राज वा विचार घोई गया विचार नहीं है । तुम्हे ही ग्रामों में गणतान्त्र लड़ा आ रहे हैं दग में भल ही किसी बांव का राज रहा हो । इतिहास हम बताता है कि इस पुराना देश में सदा पचायतें हमारे जीवन का आधार रही हैं । इसमें अतिरिक्त गांधी ने जो स्वतंत्रता वा आनेन्द्रिय लड़ाया उसका आधार शहर नहीं थे । गाव ये गहरी लोग नहीं बक्कि गाव के लोग । इतना ही नहीं, गोनमन परियन में उन्ने धर्मन स्वराज्य की व्याख्या करते हुए कहा कि वह ग्राम गणतान्त्र पर आधारित होगा । प्रातोदय स्वतंत्रता वे दिना में श्रीरामद भाग्य प्रातोदय ने पचायतों के लिए कानून पास किए जो इस गणीनरी वा विकास करना चाहते थे । उनके दिमाग में बुनियादी विचार यहीं था कि गावों वो स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम करना चाहिए । वह हमारे सविधान बनाने वाले मारे ढाँचे वो धर्म पचायतों पर आधारित नहीं बर पाए, किर भी भले ही बाद में सोचा हो उह विचार को निर्णयक सिद्धान्तों में जोड़ दिया । हमाग लोकतन्त्र गावों वो इकाई पर आधारित होगा इन विचार से भविधान वा विनाश काफी हद तक हुआ है ।

ग्राज कहा जाता है कि पचायतें भविष्य का निमाण करेंगी लेकिन क्या ये पचायतें पचायतें समितिया, जिला परियदें जिन्हें मिला कर हम पचायती राज बहते हैं भविष्य के निर्माण की मात्रा काम कर सकती हैं ? इसके बजाय देश का भविष्य उनके हाथों में भौंप लिया गया है जिन्हे जनता कम जानती है । यदि हमारे भविष्य के आधारस्तम्भ गाव, ब्लाव व जिला पचायतें बन पाती तो उन लोगों कि निए स्वराज्य का मुद्द भर्ने हो पाता । उनकी आवश्यकताएं व महत्वाकांक्षाएं मारे जाएं में मुद्द ध्रय रखती ।

जनता की योजनाएं नीचे से बनें

पिछले १२ या १५ साल में योजनाएं जिन्हे नीचे से बन के आना था ऊपर से बनाई गई हैं । ऐसलिए जनता वे लिए योजनाएं को नीचे से ही बनाना चाहिए । गाव बाले बताए कि वे क्षेत्र जीवन विताना चाहते हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं ? उनकी बष्ट महत्वाकांक्षाएं हैं ? ग्राम स्तर से ऊपर स्वायत्त शासन वी इकाई के बारे में भी यही बात है । इस प्रकार यदि नीचे से योजना बनेगी तो अधिकार लोग। वो नाम होगा । लेकिन बदल तक नीचे स्वायत्त शासन वी इकाई नहीं बनती है तब तक ऐसी योजना नहीं बन सकती है । यदि एक स्वामित पचायत है तो वह धर्मने गाव वी आवश्यकता

के द्वारे म बहा सकता है, और यह भी बता सकतो है कि वे क्षम पूरी होंगे। उसके लिए कसा योजना वा आवश्यकता है। इस प्रकार आम पचायत पक्षिया में भाग लगा ता हमारे देश का भविष्य बनायेगी। इस सदमे पचायतें सरकार को केवल अग या एजेंट मात्र नहीं रह सकती हैं जिनका काम केवल ऊपर के अधिकारिया वा हड्डम बनाना हो। पचायतें गांधीजी के शास्त्रों के अनुसार आम-गणतान्त्र बनें। उनका साधन स्वायत्त शासन वा इकाई का हो। इसका एक मूल्य कारण मह है कि यदि गांधी को सत्ता नहीं मिली जाती है तो जनता मह मनुभव नहीं कर सकती है कि यह उनका लोकतान्त्र है उनका स्वराज्य है।

जनता का विश्वास आवश्यक

देश की स्वतन्त्रता म जनता का विश्वास होना आवश्यक है। उसके प्रत्यन्दर पहले विश्वास तब तक नहीं था सकता जब तक कि वे लोकतान्त्र या स्वराज्य म भाग नहीं लते हैं। हमने उन्हें भागीदार बनाना की नहीं सोची है। अब उस दिना म हमने बड़ना गुह बर दिया है, लेकिन यदि लोगों मे यह विश्वास पदा नहीं होता है कि वे लोकतान्त्रिक ढाँचे के अग हैं—तो हमारे प्रयत्न सफल नहीं होगे। इसके लिए हम उन्हें भागीदार यह भावना भरनी है। यदि उनके प्रत्यन्दर पहले मात्रा नहीं होंगी तो आप उनसे वह उम्मीद बर सकत है कि लोकतान्त्र या देश की रक्षा के लिए आपना सब कुछ बलिदान बर देंगे। हम इस निर्माण काम म इसलिए भी उन्हें भागीदार बनाना चाहिए कि यदि वे भागीदार नहीं बनते हैं तो किर स्वराज्य वा गांधी वानों के लिए बढ़ा अग रहे जाता है। जब तक लोकतान्त्र ऊपर पार्लियामट या विधान सभाओं म रहता है और गांधी मे नहीं आता है—गांध के लोगों को यह विश्वास नहीं हो सकता कि यह उनका प्रजातान्त्र है या उनके लाभ के लिए है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक होगा कि हम उनके अन्दर स्वामित्व की भावना नाशीदार की भावना, हिता की एकल्पना वा भावना, ऐदा बर्ते। इसलिए आवश्यक है कि पचायती राज के स्वल्प का अग हो—आम, व्याप व जिता स्तर पर स्वायत्त शासन की इकाई।

लोकतान्त्र की बायम रखना होगा—उसकी रक्षा बरनी होगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति बरखा और लोकतान्त्रिक ढाँचा बना देना हो काफी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जनता के प्रत्यन्दर लोकतन्त्र के बास्त उत्तराह पदा बरारा, जोन की लोकतान्त्रिक प्रणाली म विश्वास करता है, हम उन्हें तथार करें लानि व लोकतान्त्रिक ढाँचे को बायम रखने के लिए सघष्ट कर सकें। यह तभी हो सकता है जब उन्हें लोकतान्त्रिक ढाँचे वा अग बनाया जाए। आपका जसा हुमा वे भरना व्याम घांथा करने रहेंगे भरनी लोकतान्त्रिक मस्ताओं को बोई रातरा पदा हो जाए। यहन जगत म कुछ भी हुए उ होन परवाह नहीं दा। बादशाहते गत्तम हो गई बाहर के लोगों न कब्जा बर लिया या भीतर का बोई बादशाह बन बठा लोग खांसी से सब दैपते रह। अब इस भावना की ममूल नष्ट करना है और आतिथ्यता की भावना पक्ष बरनी है। इन उद्देश्य के लिए सभी आम वो स्वायत्त शासन की इकाई बनानी पड़ती। जिता व लाव स्तर पर सभी स्वायत्त शासन की इकाई होगी।

कुछ लोग अजोब डग से बात बरत हैं। व साक्षते हैं कि यह एक परीक्षण ह जो कामयाब भी हो सकता है क अपन भी हो सकता है। यह परीक्षण बही है। जनता स्वामी है। वह प्रमुखतासम्पन्न है जिससे हम सभा हासिल बरत हैं। जो गांध नहीं बर सकता उठ बनाक करेंगे और के लाव नहीं का मवो उसे जिले करेंगे और जो जिसे नहीं बर सर्वो रहे राज्य बरेंगे और जो राज्य नहीं बर सर्वेंग उठ के उ बरेगा। जो भाज वा तरीका है बह इससे उल्टा है तो भाज के लोरोंके बो पतटना पड़ेगा। इनका

प्राचीन भारत में गाव पचायत मुम्ब्य रूप से याय पालिका वा वाम वरती थी। इसमें गाव के बड़े-नूडे और बुद्धिमान लोग होते थे। विनोदा जी ने पचायत वा चित्रण इन गादा में किया है—पर वोले परमेश्वर। सम्भवतया प्राचीन काल में भी पचायता वा यही रूप था। परम्परा से ही भारत में जब उभा यक्तियों या हितों में सप्तप्र हाता तो पच कसल को मायता दी जाता रहा पच निराय दन वीं और इस तरह याय कराने की क्षमता परम्परा में ही समाई हुई है। पचायत के लिए एक सुविधा यह भी थी कि वह गाव के सब प्रादमिया और मामला से भली भाति परिवर्त हानी थी।

प्राचीन पचायत से बुनियादी तौर से मिल

भाज की पचायत प्राचीन पचायत से बुनियादी तौर से मिल है। प्राचीन भारत की स्थानीय मस्त्याएं जान-दूर कर विकेत्रित आधार पर नहीं बनाई गई थीं। न ही उनमें सत्ता निहित थी। बिन्दु आज को समर्चित ग्रासन प्रणाली में पचायत एक तत्व है। राष्ट्रीय सत्ता के सधीय ढाँचे में यह भी एक प्रशासनिक इकाई है। अब यह जहरी नहीं कि पचायत में गाव के बड़े-नूडे और बुद्धिमान शामिल हो। यह टीका है कि याय पचायतें पचायता राज का ही एक ग्राग है, किन्तु उनका कायदात्र सीमित है। अपने बतमान रूप में पचायत प्रासाद की एक पूण इकाई है जिसके हाथ में अपने इलाके में रहने वाले लोगों के कल्याण सम्बंधी सभी काम प्राप्त हैं। पुरानी युनियनों लोकल बोडा और जिला बोडा से इसके काम कही ज्यादा हैं। इनका उद्देश्य तो जनता के ऐन समान हित बाल बग तथार बरना है जो उत्साही ही प्रगतिशाली हो उत्पादक हो आमनिभर हो और समुदाय के पूर्ण विकास के लिए काम करें।

सत्ता का मोह

क्या हम इसमें सफलता मिलेगी? ग्राम तौर पर तो जब एक सिद्धान्त से सभी लोग सहमत हो तब सफलता मिल जाती है यह कहा जा सकता है कि हम सब भी संसद से लेवर पचायत तक लोकतंत्री पद्धति अपनाना क्या हमी हैं। परन्तु कुछ लोग दिलों में कुछ बातें रखे हुए हैं। यद्यपि सभी राज्यों में प्रावश्यक बाबून पास विए जा चुके हैं बिन्दु उन्हें लागू करने में सभी राज्य एक-सा उत्साह नहीं दिखा रहा। सत्ता के विकेन्द्रीकरण में एक रूपता निखलाई नहीं देती। सभी का हमारी जनता वो समझदारी में, उसकी योग्यता में, विभेदारी उठाने वीं उसकी भावना में एक सा विश्वास नहीं है। सत्ता से एक मोह पूरा हो जाता है और उससे छुट्टारा पाना सच्च ही एक कठिन बाम होता है। तीन वा चार राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अधिक ऊंचे पदों पर बठे सत्ताधारी यक्ति पचायती राजे के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते। यह सब स्वाभाविक ही है परन्तु यदि लोगों को सत्ता सीधी ही है तो इसका मोह घोटना ही पड़ेगा।

यह सच्च तभी प्राप्त किया जा सकता है कि जब प्रशासन की बुनियाली इकाई छोटी हो। तब यदि सत्ता का सदुपयोग किया जाए तो वाचिक परिणाम स्पष्ट दोष पड़ेंगे। तभी समुदाय अपने प्रयासों का भीठा फन चक्क सकेगा। तभी सामूहिक जागरूकता पदा होगी। एक छोटे से इलाके में रहने वाले लोगों में जो स्वाभाविक घनिष्ठता पूरा हो जानी है उससे पलस्वरूप यह और अधिक वास्तविक बन जाएगी।

ग्राम मस्यायें सजीव सस्थायें बने

विन्दु इसे साधक तभी बताया जा सकता है जब समुदाय अपने कामों की योजना भी बनाए। तभी आयोजन और कार्यावयन में घटिष्ठ उपयोग स्थापित हो सकेगा। केवल उसी दशा में सोग आयोजन और कार्यावयन का काम थोड़ से नियाचित लोगों के हाथों में सौप कर निश्चित नहीं हो जाए गे बल्कि स्वयं भी काम करेंगे। पचायती राज की सफलता के लिए आवश्यक है कि ये सस्थाएं सजीव सस्थाएं बनें और इनकी सुदृढ़ जीव समूचे समुदाय पर आधारित हो। आभी तक गावा में लागा का इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया गया कि अपने क्षेत्रों कायबद्दलों की योजना वे स्वयं बनाए, और इसीलिए इन परियोजनाओं के प्रति उन्हें कोई लगाव नहीं होता।

जिसे मे विकास संगठन की नई इकाइया है। पचायता से मिन वर विकास संगठन बनता है। व ऐसे समान हित के काम बरते हैं जिनके लिए समुक्त प्रयास की अवश्यकता होती है। परंतु यह बात सन्तुष्ट तरह नहीं समझी जाती कि खण्ड में पचायतों वाली बुनियादी विशेषता होनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि हमने सामुदायिक विकास की भावना का नहीं समझा है और लोकतात्र वे लिए जन-सहयोग के महत्व को भी पूरी तरह प्रतुमन नहीं किया। इसी मनोवृत्ति वे वारण विकास संगठन कई जगह जिला प्रशासन के एजेंट बन दर रख गए हैं।

जब तक यह स्थिति बना रही तब तक गाव वालों को प्रवर्त्ति ग्राम सभा वो पचायत के यामों में भाग लेन के लिए ब्रोसाहित करने का कोई लाभ नहीं होगा। गांधीजी के विचार में प्रशासन एवं ही ने इस सोचे गए बतों की भावित धारा कि पिरामिड की भावित। इनों तरह समुदाय के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं भी एक ही केंद्र से खींचे गए बतों की भावित होनी चाहिए जो पचायत योजना से गुरु होकर बराबर पलती हुई राष्ट्रीय योजना तक पहुंचे।

एक धारणा बहुत "यापव" रूप में फली हुई है कि सत्ता बलाने में गाव वाला का सहयोग जल्दवाली में लिया जा रहा है। यह विचार उन दिनों के प्रचलित विचार से मत खाता है। जब यह बहा जाता था कि हम यात्र होने से पहले ही आजादी मिल गई है। कुछ सोग तो गाववालों के लिए फलते बरना धन्ना पत्रक बक्सधर समझ छठते हैं। वाकों सोगों को राय यह है कि धनपद गाववाले आयोजन वर हो नहीं मिलते। परन्तु लोकतात्र में हर नागरिक को यह अधिकार है कि उसमें सलाह ली जाय, उससे परामर्श लिया जाए। शासन में उसका भी हिस्सा हो। इन मूलमूल अधिकारों के अतिगत उसे धनना प्रस्तुत्य प्रवट करना ही चाहिए। किसी व्यक्ति के धनपद होने का यह मतलब नहीं कि वह दुर्दिमान भी नहीं। हर यामीण यह समझता है कि उसका और समुदाय के लिए भला दुरा बदा है। उन्हे अपने विचार प्रणाल करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके दिमाग पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होना चाहिए। कई देशों के अनुमन प्राप्त एक अधिकारी व्यक्ति का भारत के बारे में कहना है कि गाववालों की सभा बुद्धि का भण्डार हाती है। इसके अन्तिमिहित मूल्य के लिए भी जनता में आत्म-सहायता वो भावना पदा बरते हैं जिसका पूरा पूरा उत्तरयोग लिया जाना चाहिए।

गुटबन्दी से निराश न हों

पालोचनों का बहना है कि पचायती राज का प्रत्यक्ष परिणाम यह हूंगा कि गुटबन्दी व भगवन्ने बढ़ गए हैं। परन्तु मानवीय सम्बन्ध में गुटबन्दी को दूर नहीं किया जा सकता। जल्दत तो इस बात

की है कि सामाजिक हितों के गुट या ग्रुप बनाए जाएं जैसे मुवक्का के, महिलाओं के समीत व नायकों के सरक्षकों के आदि आदि। समाज में सामाजिक विभिन्नता से तो बचा नहीं जा सकता। बाहित भिन्नता थीमें थीमें और कठिनाई से आती है। इस बीच यदि गुटबद्दी बढ़ जाए तो हम उससे निरायक नहीं होना चाहिये। जब लोग देखेंगे कि गुटबद्दी वे शासन से सब लोगों का भला नहीं होता, तो वे उन देर तक सहन नहीं करेंगे।

इस प्रवति को बढ़ावा देने के लिए बहुरो है कि लोगों को अधिकारीय धर्मिकार सौंपे जाएं और इस बात को प्रत्युत्तिरूप से चिता न की जाए इसके परिणाम बया निकलेंगे। पवारी राज ने यहीं निया है। हम तो केवल इसका धारार और अधिक व्यापक बनाना चाहते हैं ताकि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित न रहे। हर सुविन व्यक्ति वा यहीं कथन है कि हमारे लोग बहुत बुद्धिमान हैं। यहीं बात जल्दी होती है। गलती किससे नहीं होती? किन्तु लोकतन्त्र की घोटाली से इकाई भ (जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है) इन गलतियों के परिणाम को नजर पढ़ाव नहीं किया जा सकता है। इस तरह सत्ता के विद्रित होन से स्वामानिक रूप से बचा जा सकेगा।

पर्याप्त धन की व्यवस्था आवश्यक

किन्तु केवल सत्ता और उत्तरदायित्व से ही काम नहीं चलता। प्रारम्भिक सोपाना म पर्याप्त मात्रा म धनराशि वी व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि ऐसे लाभवारी कायदम का सख पूरा हो सके जिसका लाभ सारी जनता अनुभव करें। कुछ समय बाद स्थानों साथन विवरित हो जाएग। यह प्राप्ति करना कि शुरू में ही लोग भारी बोझ उठाने को तयार हो जाएंग मानव प्रहृति के भी विद्धि है और उन्हीं वर्तमान प्रार्थित दशा के भी। इसलिए यह जट्ठरी है कि यावा का आर्थिक विकास भी राज नीतिक विकास के साथ साथ हो बल्कि उसमें भी लेजी न हो।

यदि सामुदायिक विकास का उद्देश्य राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक प्रगति बरना है, तब पचायती राज लहय प्राप्ति का साधन है। परन्तु लोगों को समाज शिक्षा देना पचायती राज से अवश्य सम्बद्ध विषय जाना चाहिये। दुर्भाग्यवश समाज विभाग की उपेक्षा को जा रही है। यह एवं पीछे के जाने वाला बदम है। विद्या और प्रशिक्षण विसी भी क्षेत्र में मूलभूत बस्तु होली है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने बहा या कि यदि वहा सामुदायिक विकास आदोलन अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा तो इसका बाराण धन की कमी कभी नहीं होगी बल्कि यह होगा प्रशिक्षण की कमी।

पचायती राज की स्वापना से समुदाय के विकास का काम पिछड़ गया है? वहीं प्रेक्षकों का यहीं कहना है। इस बात से खतर की दूरी है। प्रशासन और उसके साथ मिली सूत्र हो जाए धराव की उठाह होते हैं। जिसे म सावरनिक स्वास्थ्य विभाग निर्माण विभाग विभाग आदि के लिए भारी सहयोग म कमचारियों को यवस्था बरना एक बड़ा अच्छा वाम लगता है। इस प्रविधि म सामाजिक और आर्थिक जीवन के विशाले के लिये सामुदायिक विकास पर, और कुल प्रगति के साधन के रूप में इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। पचायती राज की प्रगति के लिए प्रावश्यक है कि यह प्रवति रोकी जाय। मनि समूदाय का विवाद नहीं होता और उसे प्रगति के रास्ते पर नहीं बाया जाना है तो पचायती राज डगमगाने लगता।

कार्यकर्ताओं की भूमिका

सामुदायिक विकास के कामकाजाएँ यो भूमिका बड़ी कठिन है। इसमें उन्हें प्रोत्साहित व निरन्तराहित कर के लोगों का मानवशन करना होता है। उनका रोबदाव से नहीं, बल्कि मित्र व पूर्ण की तरह मानवशन करना होता है। प्राप्तासन में सभी व्यक्ति यथाय मानवशक नहीं होते। इसलिए पुरानी भूमिका को कटपट छोड़ कर बिलकुल नई भूमिका आदा बरने के लिए जिस मानसिक सन्तुलन की आवश्यकता होती है उस प्राप्त करना आसान नहीं। सप्तसत्ता प्राप्ति के यथा में सब से बड़ी बाधाओं में से यह एक है। यह तो स्पष्ट है कि अधोव्यवस्थियों को हटा देना चाहिये। फिर इस क्षेत्र में भव तक उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्वारण भी नहीं हुआ। विभागीय प्रतिद्वन्दितों को भी हटाना होगा। हम समूचे समुदाय का एक साप विकास करना है, उसके जीवन में किसी एक साम पहलू का नहीं। इन सम्बन्ध में कांग्रेसी व राज्य सरकारों की भूमिका भी दांगों का ही अच्छी सरह समझ सेनी चाहिए।

पचासवीं राज ता भव प्रतिष्ठापित हो गया है। मृद्घ सुविच यथवेदोंको का वयन है कि यह समय में पूर्व भी नहीं आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे से सरकार में केंद्रीकरण को जा प्रवर्ति देखी जा रही थी, उसे रोकना आवश्यक था। इसका अतिरिक्त, एक प्रश्न पढ़ भी है कि पचासवीं राज के अन्तर्गत व्यापक आयार पर सौंपे जाने वालों सत्ता और जिम्मेदारिया के बिना सच्चा ननृत्य कस सामन प्राएगा और वरावर भ्राता रहेगा? शायद मालोबका की विगाह इस भ्रोर गई ही नहीं।



PANCHAYATI RAJ

—S K Dey

PHILOSOPHY AND OBJECTIVES

Panchayati Raj is a culmination of the recognition given by our Constitution to the role of Panchayats. One of its Directive Principles enjoins that "State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self governments". The devolution of powers is an implementation of a Directive

Panchayati Raj aims at making democracy real by bringing the millions into the functioning of democracy. It is a system of grassroots democracy which seeks to link the individual family in the remotest village with the Central Government.

The basic unit of self government is the family. The family has been guaranteed certain fundamental rights which cannot be interfered with by the State. But there are certain spheres of activity which can only be executed by several families collectively. These activities will obviously have to be left to an organisation called the village panchayat. It is essential to build up the Panchayat as a dynamic organisation which can look after all the facets of life of the village community. It has to draw its strength and sanction from the village people as a whole simultaneously working in close co-operation with self governing bodies at higher levels in an organic set up.

The Panchayat must constitute a strong base for a three tier structure of self governing institutions located at block and district levels. Responsibilities and activities which fall beyond its scope will be surrendered by the panchayat to the next higher body which is called the panchayat Samiti. While the Samiti will look after these activities it will also try to use the panchayat as its agent for some of its numerous tasks.

The Panchayat Samiti will be linked to the next higher body at the district level known as Zila Parishad. The latter will guide the former in technical and administrative matters and engage in activities which only a district organisation

can discharge effectively. This process of assuming responsibilities with the requisite authority within its own sphere and surrendering those which involve inter-unit co-operation are the main features of the Panchayati Raj system. In other words as one steps down through these three tiers the coordination and policy making functions decrease correspondingly to the executive responsibilities which increase till at the village level, the panchayat becomes mostly an executive body.

It will be seen that by this pattern Panchayati Raj will bring about a complete link up of the millions in this country from the Gram Sabha to the Lok Sabha. It seeks to bring to the individual family the highest guidance available from the Parliament downwards. People will be free to handle matters within specified spheres without interference from others. This freedom to think, plan and work will draw out the latent initiative and ability in every individual for the growth and welfare of the family and the community. Panchayati Raj is thus a way of life and involves a new approach to government.

The Balwant Rai Mehta Committee had recommended democratic decentralisation by the association of peoples representatives through the three tier system. The new Panchayati Raj legislation has been enacted in Andhra, Rajasthan, Madras, Assam, Mysore and Punjab. Andhra and Rajasthan were the first to implement their legislation and they have completed one year of operation under this system. Assam, Madras, Mysore and Punjab have also started setting up such institutions. In Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh legislation is shortly expected to be introduced while Gujarat and Maharashtra have set up high level committees to recommend the type of institutions which will suit local conditions.

The growing concept of Panchayati Raj will bring in its wake a number of problems the most important of which will be rural industrialisation. The needs of the millions of families artisans, traders and small industrialists will have to be complied with. As a result a rapidly growing cooperative sector is envisaged, especially in agriculture, small industries, trade and spheres of social services. This sector helps build up Sahakari Samaj in the economic field as a complementary counterpart of the three tier democratic system of Panchayati Raj.

पंचायती राज के स्वरूप की कल्पना

— हा० इवाल नारायण
रोडर, राजनीति शास्त्र विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय

पंचायती राज का दो प्रकार से प्रययन किया जा सकता है। इसके प्रादार्दों की कल्पना के और यथार्थ पर और यवहार से जो वास्तविकताएँ सामने आई हैं उनमें आधार पर। आदर्श प्रययन के प्रययन का एक परिणाम यह हो सकता है कि यथायादी, पंचायत राज के स्वरूप में परिवर्तन के लिए दबाव ढालें। फिर पंचायती राज से जिन प्रादार्दों की पूर्ति की जाएगी वीं गई है उनमें से एक बदल करने की बात करें। जिस स्थिति की कल्पना यहाँ भी गई है वह अभी गुदूर भविष्य के गम में है।

प्रादार्दों में पंचायती राज भी कल्पना भी अभी स्वरूप ले रही है। इस स्वरूप को उभारने में धार्म और यथार्थ—दोनों प्रकार की विचारधाराओं को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इन दोनों विचारधाराओं का लाभ इनके एवांगी रहने में नहीं है बर्क उनके पंचायती संघोंग और साम्नारी की भावना पर है। इससे पंचायती राज के स्वरूप में निखार प्राने के साथ ही इस सत्र में काम करने वालों को भी बार बार यह चेनावनी मिलती रहेगी कि आदर्श से वे कितने पांच हैं। इसलिए इन दोनों विचारधाराओं का सम्बन्ध प्रावधक है।

आदर्शवादी और यथार्थ विचार

प्रादार्दों विचारधाराओं में भी बहुत मिलता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित टृट्टिकोण उल्लेखनोम है।

एक विचारधारा सर्वोन्नति वादी है जिसे भार्धिक स्पष्ट भाषा में धी जयप्रकाश नारायण वा टृट्टिकोण भी यहा जा सकता है। इस विचारधारा वा उन्नति वादीवादी विचारा से हृषा है और विनोद इहके पक्षपाती है। धी जयप्रकाश नारायण ने इस टृट्टिकोण को क्रम बदला प्रदान की है। इस सम्बन्ध में कुछ वार्ते ध्यान देने योग्य हैं पहलो बात यह है कि यह विचारधारा संसदीय लोकतत्र की समर्पक नहीं है। धी जयप्रकाश नारायण के मनुमार संसदीय लोकतत्र भारत की परिस्थितिया के मनुकूल नहीं है। इसके अनावा इस विचारधारा के तहत भारतीय नीति से पुनरुद्धार वीं बात कही जाती है।

तीसरी बात यह है कि वतमान समस्या के स्थान पर इस विचारधारा के समर्थक सामुदायिक लोकतंत्र की बात करते हैं और उसे समस्या लोकतंत्र से धौंष्ठ मानते हैं। पचायत को वे इसका आधार मानते हैं और केवल इसे के प्रत्यक्ष निर्वाचन म विद्वास करते हैं। इसके अलावा पचायत को व ग्राम सभा के लिए उत्तरदायी मानते हैं। सामुदायिक लोकतंत्र जिसकी वे कल्पना करते हैं निवारण होना चाहिए और उसमें सब समर्ति का तत्व मुख्य रूप से रहना चाहिए।

श्री जयप्रकाश नारायण जी यह कल्पना अनेक सबाल लड़े कर देती है जो पचायती राज की हाईट से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यह हैं।

पचायती राज और उच्च स्तरीय चुनाव म और राजवीय तथा राष्ट्रीय स्तर के चुनावों के बीच तात्परी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पचायती राज योजना म ग्राम सभा व वया स्थान होना चाहिए? क्या पचायत को पचायती राज के दाये की मूल भूत इकाई मानवर चला जा सकता है? क्या पचायती राज का गठन निवारण आधार पर किया जा सकता है? इन प्रश्नों पर गम्भीरता पूर्वक विचार आवश्यक है।

स्वायत्त शासनात्मक कल्पना

एवं विचारधारा स्वायत्त शासन व्यवस्था की है जो पचायती राज की कल्पना ग्रामीण स्वायत्त शासन के रूप म बदली है। इस हाईटों के प्रतिपादकों का मत यह है कि ग्राम स्तर पर सभी प्रकार की प्रागतिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्रामकासिर्पों की होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ग्रामवा सिया म स्वयं किसी भी वाम मे पहल करने की गति होनी चाहिए। प्रशासन मे उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। उन्हें अपन व्यवस्था का प्रयोग करने की यूनतम उच्चतरीय सरकारी हस्तियों के प्रतिगत दूर होनी चाहिए। इस विचारधारा के कुछ समर्थकों का यह भी वाड़ना है कि पचायता का राजस्व प्रशासन मी सोप देना चाहिए और धीरे धीरे बान्नून और व्यवस्था कायम रखने का दायित्व भी उन पर दाना जाना चाहिए। यह हाईटों सादिक अला कर्मों के अधिकार गर रसकारी सदस्या न व्यक्त किया है।

नौकरशाही और पचायत राज

इसके विपरीत एवं विचारधारा नौकरशाही की भी नी है। इस हाईटों स भवित्वारी वा अत्यं विक प्रभावित हैं और पचायतों राज सम्बन्धी नियमों उपनियमों म यह विचारधारा यत्न-तय अभिव्यक्त होती रहती है। इस विचारधारा के पीछे अधिकारित ग्राम वासियों के प्रति अविद्वास की यह भावना वाम करती है, जि वे ग्राम आप अपनी यवस्था नहीं कर सकते। इसलिए इस हाईटों में पचायती राज सम्बन्धी जो प्रागतिक व्यवस्था सौंपन पर बहुत कम जार दिया गया है। इस विचारधारा के समर्थकों म भी दो प्रमाण के व्यक्ति हैं। एवं वे जो यह कहते हैं कि पचायती राज सम्बन्धी को केवल सरकार की एजेन्सी के रूप म वाम करना चाहिए। दूसरे य जो पचायती राज सम्बन्धी का सरकार जाना चाहिए। दूसरे य जो पचायती राज सम्बन्धी का सरकार जाना चाहिए।

पिकासवादी भिद्वान्त

एक विद्वासवादी सिद्धांत है। इस सम्बन्ध में बलवातराय मेहता समिति को एक संघ में हुए विचार पढ़ा दिए गए हैं। इनमा मानना यह है कि सामुदायिक विकास दायरम जनता में आत्म विश्वास उत्पन्न बरन और उत्साह तथा स्वच्छा से जनता को ग्राम विकास के दायरों में नियोजित बरों में असर्वत रहा है। इस दमों को, सम्भवत सामुदायिक प्रशासन और दायरीर से ग्राम विकास की योग्यता जनता की तुनी हुद स्थाप्ता दो सौप कर पूरा दिया जा सकता है। यह एक यापक दृष्टिकोण है जिसके तहत बलवातराय मेहता समिति की रिपोर्ट में पचायत राज की बल्पना ग्राम विकास के सदम भी गई है। इस हृषिकेश का पद सूभूम हृषिकेश देवा जाय तो पता चलता कि उद्देश्य और दायरम दोनों ही हृषिकेश से पचायती राज सामुदायिक विकास दायरम का विस्तार मात्र है। और पचायती राज स्थाप्ता की विकास की मानीन के पुर्ये के रूप में काम करना है, उसको प्राप्त होने वाली शक्ति के रूप में नहीं। पचायती राज की परिवर्तना वे सम्बन्ध में सक्षम प्रभित आदशवादी दृष्टिकोण यही है।

यथार्थवादी दृष्टिकोण

यह हम पचायती राज के स्वरूप पर यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण से पचायती राज के स्वरूप पर विचार बरन में क्रूद्ध दण्डिनाइया है। इस सम्बन्ध में ग्राम इयक जानकारी और आकड़ों का अभाव है। क्योंकि पचायती राज के विकसित होने हुए स्वरूप पर बहुत कम अनुसंधान काय द्वारा होता है। दूसरी समस्या पचायती राज स्थाप्ता की अल्पकालिक ग्रदस्था का है। दूसरी बात यह है कि पचायती राज स्थाप्ता के स्थाय जनता स्वरूप में बहुत भिन्नता है।

बुल मिला बर पचायती राज की काय पद्धति के अनुसार विकसित स्वरूप के बारे में बल्पना करना भी सतरनाक होगा। इन सीमाओं के बावजूद पचायती राज स्थाप्ता के स्वरूप की बल्पना उनकी काय प्रणाली के आधार पर की जा सकती है।

तीन प्रकार के स्वरूप

पचायती राज के तीन प्रकार के स्वरूप विकसित हुए हैं—राजनीतिक, सावजनिक और वानूमी। राजनीतिक स्वरूप वह है जो ग्रामतोर पर हमारे जिम्मेदार नताओं के भावणों वत्तव्यों और सदों के माध्यम से अभिव्यक्त होता रहता है। उनकी बल्पना यह है कि ग्रामीण प्रशासन की यदव्या स्वयं ग्राम वासियों द्वारा हो। इस बल्पना का पचायती राज निदित्व रूप से ग्रामीण स्वायत्त शासन का स्वरूप लेगा। पचायती राज वा सावजनिक स्वरूप यह है कि ग्राम जनता उससे यह ग्राम बरती है कि इस व्यवस्था से उसकी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। खास तौर से वह प्रशासन और राजस्व राम्याद्य समस्याओं के लिए विकास से भी अधिक उत्सुक है। इसलिए पचायती राज वा सामुदायिक विकास योजना के भी दो सम्बन्ध हैं इस वाज की उह बहुत कम जनतारी है। जब पचायती राज को देवस विकास की मानीनरा बनाया जाना है तो इसके ग्रामीण जनता अधिक प्रोत्साहित नहीं होती। पचायती राज वा बानी हुद स्वरूप सरवारी अधिकारियों के दृष्टिकोण से बनता है। इसमें

तीन विरोधप्रताए हैं। यह प्रचायती राज सत्याग्रा के विरास के बाम वरन के पथ पर ही अधिक जोर देता है। यह प्रचायती राज सत्याग्रा को मरणारी एजेंसी के रूप में मान्यता देता है और उहै जो अधिकार दिए गए हैं उनका दुष्प्रयोग न हो, इसनिए सतकला वरनने की बात करता है। इस हृष्टिकोण में प्रचायती राज सत्याग्रा की सत्ता की अपेक्षा उनके सेवा धार्य पर अधिक जोर दिया गया है। उनके बत्त व्या पर अधिकारा की अपेक्षा अधिक बल है। उहै अभिक उत्तरदायित्व सोनपने के स्थान पर सौमि गए उत्तर दायित्वों के दुष्प्रयोग के प्रति सत्तव रहन की दिशा में विरोध जोर दिया गया है।

इस प्रकार एक गम्भीर समस्या यह है कि प्रचायती राज जी काय प्रणाली से उभरते हुए उनके इन यथाय स्वरूपों की विभिन्न व्यवहारों के बीच उत्पन्न साई जो पास पाठा जाय। इसके लिए कुछ आम तर्फों पर विचार आवश्यक है।

प्रचायती राज की भूमिका

प्रचायती राज सत्याए वास्तव में शब्द तब लगभग सरकारी एजेंसी की भूमिका ही निभा रही है इसलिए यामीण स्तर पर वे विचार प्रक्रिया का वैद्य नहीं बापाई हैं और यामीणों में पहल वरने की गति जागृत नहीं कर सकी हैं। केंद्रीयभूत राष्ट्रीय नियोजन की प्रणाली में बाकी हृद तर ऐसा होना अनिवार्य भी है। यदि विकेन्द्रित लोकतंत्र का बोई अर्थ है और यदि प्रचायती राज को भी सामुदायिक विकास कायक्रम की भाँति यसकन नहीं हो जाना है तो नियोजन की दिशा में प्रचायती राज सत्याग्रा की धनराशि स्वाकृत वरन और योजना नियांवित वरन की दिशा में कुछ स्वतंत्रता देने की आवश्यकता ही महसूस करना होगा।

प्रचायती राज सत्याग्रो का सत्तात्मक स्वरूप उनका विकासात्मक स्वरूप से अभिक विवसित हुआ है। इस बात को मान्यता दी होगी कि विकेन्द्रित लोकतंत्र के दृष्टि में प्रचायती राज सत्याग्रो को सत्तात्मक स्वरूप देना होगा।

प्रचायती राज से प्रायाण गुटव दी ज्यादा बड़ी है और सब सम्मत चुनावों की प्रवृत्ति कम है। सत्ता के ग्रामाधार पर बलने वाली गुटवन्दी के बारण प्रचायतें भी अनेक गुटों में बट गईं। इसका नतीजा यह हुआ है कि प्रचायतों को मिलने वाल साम म भी पक्षपात एवं तत्व आया है। इससे योजना के लक्ष्यों की पूर्ति म भी प्रभाव पढ़ा है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के सी प्रतिकूल है। इससे यान का सामाजिक एकता दर भी प्रभाव पड़ता है।

प्रचायती राज और नियोजन प्रक्रिया।

यह नहीं कहा जा सकता कि प्रचायती राज सत्याए वास्तव म नीचे के स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया सं सम्बन्धित है। और इससे उनके स्वरूप को बलना वरने में अनेक प्रकार के प्रश्न छढ़े होने हैं। क्या हमारे केंद्रीयभूत नियोजन की प्रणाली म निवल स्तर पर नियोजन की ध्यवस्था के साथ तात्प्रेत बठ सम्भव है तथा भारत जस विकासगोल देश म निवल स्तर पर नियोजन की बदा सोमाए होनी चाहिए? विस स्तर पर प्रचायती राज सत्याग्रो दो योजना के क्रियान्वित में नियोजित विद्या जाय? उनके नियोजन का बोई न्यूतम धार निपारित पर दिया जाय?

एक प्रश्न यह भी है कि क्या पचायत राज सत्थाप्ता को केवल योजना में सहयोग देन वा भूमिका ही प्राप्त बरतो है या उहैं लोकतान्त्र की वास्तविक इकाई बनाना है और इस दिशा में शिशा को क्या भूमिका अदा बरनी है।

एक समस्या सरकारी और गरमारों धर्मियों के प्राप्ती सम्बन्ध की भी है। इससे पचायती राज सत्थाप्तों की वाय प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यह सही है कि यह वेदत मनाधजानिक तालमत वी समस्या है जो कुछ समय बाद उपलब्ध हो जायगा। किंतु भी यह विचार खरना आवश्यक है कि इस प्रश्न पर विचार किया जाय वि दोनों पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में वया प्रयत्न किए जाय? प्रत्येक इकाई वी शांक वी हृष्टि भी पचायती राज वा आययन बरना उचित होगा। 'राज स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं।

ग्राम सभा विकासित नहीं

ग्राम सभा अभी तक स्वरूप नहीं ले सकी है। इससे भनक महत्वपूर्ण प्रश्न पदा होते हैं। वया पचायत वी मनवूत बनाने से ग्राम सभा मनवूत होगी या मनवूत ग्राम सभा बनावर सुहृद पचायत वी स्थापना वी जा सकती है? वया ग्राम सभाएं बहुत दुखल हैं वयोऽस्ति इहैं वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं। एक प्रश्न यह है वि पचायत राज के बतमान विकासात्मक ढांचे में ग्राम सभा का स्तर और भूमिका वया हा? गावा वी बतमान स्थिति को देखते हुए ग्राम सभा के स्वरूप और वास्तविक आशा स्वरूप को सहज ही कल्पना वी जा सकते हैं। पचायती राज वी विमुखी प्रणाली में ग्राम सभा का क्या स्पान हो और ग्राम व्याक तथा जिले में से कौनसो इकाई वी ज्ञान मनवूत बनाया जाय?

पचायते और वेन्द्रीय नियोजन

एक समस्या यह है वि पचायत राज और राज्यस्तरीय या वेन्द्रीय स्तरीय संसदीय लोकतान्त्र में समन्वय केंद्रे स्थापित रिया जाय। यह समन्वय स्थापित करने का कोई प्रयत्न किया जाय या अपने आप प्राहृतिक रूप से सालमेल बठन दिया जाय। वया राजनीति दोनों को पचायत चुनावों से भलग रखा जाय? विधायकों वी पचायत राज के सम्बन्ध में वया भूमिका हो।

इस तथ्य से भी इकार नहीं किया जा सकता वि पचायत राज से एक सम्पादन वया जनक गति दीखता उत्पन्न हुई है जिसपे बारण पचायती राज संस्थाप्तों को स्थानीय संस्थाप्तों का स्वरूप देन वे लिए नीचे से कमर वी और दबाव पड़ रहा है। पचायती राज के विकासित होने हुए स्वरूप वी कल्पना बरने समय इस तथ्य को भी नवरन्लाज नहीं किया जा सकता।

स्वरूप उद्देश्य नहीं साधन

ऐसी स्थिति में पचायत राज संस्थाप्तों को क्या स्वरूप दिया जाय यह एक समस्या है। वया देश भर में एक ही स्वरूप लागू बर दिया जाय या विभिन्न राज्यों में भ्रमण शलग प्रयोग चक्कने एं जाय जिसपे जो प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो उने बाद में भ्रगोकार बर लिया जाय। इस हृष्टि से पचायत

राज के लिए बनाए गए नियमों, उपनियमों और प्रायत राज के उद्देश्य के बीच सानमेन होना चाहिए। प्रायत राज का स्वरूप निर्धारित करना निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है, अपने आप में होने वाले लक्ष्य नहीं हैं। खतरा यह है कि प्रायत राज का स्वरूप वह ही इसी बात को मूल लक्ष्य व समझ लिया जाय। इस दिशा में सतकरा जाएगा है। प्रायत राज के उद्देश्य पर धनग विचार न करके, प्रायत राज संस्थान का स्वरूप निर्धारित करते समय उद्देश्य पर एक साम्राज्य विवार किया जाना चाहिए।



CONCEPT OF PANCHAYATI RAJ

SOME BROADER ASPECTS

By Shri Jayaprakash Narayan

I should like to deal with broader aspects of the concept of Panchayati Raj. We have looked at from the limited point of view whether they are units of self governments or agencies of state Governments. We say both, but primarily self government. I think it would be taking a very limited view or if we understood Panchayati Raj only in that sense. I have spoken about this problem and written about it. In my booklet 'Swarajya for the People' I have dealt with it briefly. There has been further development in my thinking since then. Some day I hope I will be able to write them. However there are three ideas to put before you in connection with the concept of Panchayati Raj. It is really one single idea but with different parts which when put together, make it a whole. I think that the concept that has been accepted is the concept of Panchayati Raj as a new kind of society and social order. We can find indication of this society in Gandhi ji's writings and western authors who have written on community. By and large there are two concepts of social organisation today. One is the concept prevalent in the western societies. Western societies are what has been called Mass Societies though there is no society which is hundred percent mass society. If you take European part of the world you also have rural and urban communities, professional communities, communities of artists, doctors etc. There are local communities also sense in which we use the word. Even in the U.S.A., which is an example of mass society per excellence. There are communities as a result of pressures of space problems of detail, like parking etc. People are going out to work 25 to 50 to 100 miles away. I think this is in response to cultural needs of the people of big cities that have grown, which derives them in search of countryside which has smaller habitations. They are thus, deliberately establishing more of shared life. There is thus no society which is 100 percent mass society. There are populations extensive or less extensive, which can be described as mass societies because of their predominantly mass character.

THE MASS V/S THE COMMUNITY

In Communist ideology the word community has a comprehensive meaning. It is a society made of communities that is village soviets, soviets in factories, etc. To what extent is would be possible to develop communist societies and the societies based on communities together is very difficult to say. The path followed by the communist societies both economically and politically, shows that there will be more of organic principle in them than that in the mass society. Let us take the example a heap of sand near a sea shore. You have in-organic mass separate from each other. It is 100 percent mass society. In human society it is not possible to have such a society since there is family. Because human society will not exist without the basic unit—the family. The problems of children have to be taken up by parents as their problems. If you have a perfect mass society it will be like a heap of sand. On the other hand, the community is like a body made of living selves. They are all inter-related. However, there is no mass society in which there is no inter-relation that is matter of degree.

THE ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF A COMMUNITY

What are the characteristics of a community? The first thing a community should have a sense of identification with it by the members. In the village, there is self identification but in a city there is no identification of the same degree. The village has an identity.

Community should have also wholeness about it and a body of people living their life together, working performing marriages, playing together, living together dining together. When we say that community has a sense wholeness we mean that most activities of human life are carried on together. In a highly industrialised society it may not be possible that the whole working population finds employment in that community alone. The concept of wholeness, therefore, does not apply for example on the community of artists, doctors, etc. It is a partial community because there the sense of belonging or participation exists only for a particular activity. In a community you have this sense spread over all the important activities of life.

The third characteristic of community is a sense of mutuality and belonging. There is a sense of belonging to each other. In the mass society, it almost disappears. In a community that sense is highly developed and covers a very wide field of human life. This

sense of mutuality results in sharing in cooperation, sharing joys and sorrows of life, cooperating with each other. This leads to development of a sense of responsibility in members of the community. You don't feel in Delhi that degree of sense of responsibility as you feel in a village. Here the concern is felt only in an impersonal way. This is not an individual commitment but it is a social and mass commitment. The whole society feels an obligation towards the invalid, the handicapped, children persons of old age, etc. Community is an organic society in which one is inter-related with another in the manner I have stated.

COMMUNITY-THE BASIS OF PANCHAYATI RAJ

If the underlying concept of social organisation which I have mentioned is not there, Panchayati Raj will be merely an instrument for the people to take in some political decision at their level and no more. They can think only in terms of powers and responsibilities given to them. They will not be bodies having wider vision. I personally think that it has not been accepted or discussed at Udaipur. We should go beyond the partial concept of Panchayati Raj because this concept cannot fully discharge its obligations if it was not associated with a society which is modelled in this fashion. If this is the underlying social content behind Panchayati Raj, the question would be how do we extend the concept of the community to whole of the society- society made up of communities as I have described. It will have to be geographical also. There has to be an optimum or a minimum population there is no sense in thinking that community will remain as villages are to-day. Just we conceive three tiers of political self government bodies, we should also conceive community- of communities at block level. A block may have a population of 65 thousand out of 40 thousand may be voters, therefore, political responsibility is discharged individually. The communitarian concept is that a block area is made of 30 villages each with a population of 2 to 4 thousands. There 30 villages are 30 communities from a larger community. Panchayat Samiti is a community of these communities and member represents communities. At the block level if the communitarian concept is maintained, Panchayat Samiti represents 30 primary communities. It is a secondary community and likewise up wards. It will be utopian to think that there will be a 100 percent a communitarian society. It can be possible, of course through the institution of Panchayati Raj to convert local communities into secondary communities etc. It will also be possible to create new Urban communities which will be communitarian to a very large extent. May be even in a large community you do not have engineers, teachers, etc and they come

from somewhere else outside Switzerland is a good example of communitarian society to a very large extent Israel is another example where you have cooperative villages I do not know if you have read about communities at work in France It is very interesting development though it does not seem to be making much progress It is being swamped by the mass society In the book called "All Things Common a French lady has explained the functioning of the community Take a 'shoe makers cooperative society' or weavers cooperative society They are not communities but for economic purposes, some persons have come together while the rest of life is lived independently In the communities at work, they have taken the several steps beyond the persons life It is not only a cooperative society, for production sale or distribution but also for living the rest of life on a community basis Decision for each individual member is taken jointly This principle could be applicable to a few urban communities as well

Communitarian society in a technical age will be an agro industrial society It has got to be so if it has to follow a pattern of life as a whole and mutually inter dependent development carrying out agriculture and industries on a regional basis- the region being larger or smaller depending on many factors like raw material, power, etc





पंचायती-राज

— डॉ बूलचाद

यह बहुत स्पष्ट है कि भारत में विविध काल से पंचायतों का अस्तित्व रहा है। विनु प्राज्ञ से पहले कभी भी स्थानीय शासन का धर्म नहीं रही। प्राचीन काल में पंचायतें ग्रामीणों से मामले निपटाया करती थीं आपसों और ग्रामीण विवाद वे मामले सुनझाती थीं और राज्य की ओर से कर वसूली वा वाप करती थीं। पंचायत एक ग्रामीण समाज के लिए भगवद् गीत के सामाजिक जीवन का बांद्र वर गई थी और यह लगभग राजनीती प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होकर काय करती थी। सरकार दस समय तक कोई हस्तक्षण नहीं करती थी जब तक उसे भू राजस्व छीक ढग से मिलता रहे। इसनिए सरकार से भूमध्यों के न पंचायती वा ऐसे लघु गणतान्त्र की सना दी है जिन्हें वे सभी वस्तुएं उपलब्ध थीं जो वे भूमध्यों द्वारा चाहते थे और उस स्थिति में भी उनका अस्तित्व बना हुआ था जहा विसी “यवस्था वा अस्तित्व बना रहना” कठिन होता है।

प्राचीन और अर्धाचीन स्वरूप

यह समझना भूल होगी कि प्राचीन काल में पंचायत गाव के स्थानीय शासन वा धर्म थी। वनमान सोकार्तानिवास शासन में स्वायत्त शासन सम्माना वा स्वरूप इतना नया है वि हमारे देश के प्राचीन इतिहास में राजनीती गता वा प्रतिनिधित्व करने वाली सोकार्तानिवास स्वायत्तशासन सम्मानों की खोज करना मूँग मरीचिवा होगी। हमारे गावा वा जीवन ऐसी राजनीती मत्ता द्वारा सबालित था जो उसमें कम-से-कम हस्तान के तिद्वारा में विवास बरती थी। ग्रिटिंग ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कानून शासन के अन्तर्गत पंचायतों वा अस्तित्व समाप्त हो गया।

देहानों से धावादी वा गहरो की ओर रिफलग, भवार, सापनो का तिकास, अक्षिवाद की भावना की प्रबलता भावि कुछ ऐसे कारण थे जो इस सम्बन्ध (पचायत) के पतन म सहायक हुए। १६ वी सतीशिं के अंत तक जब भेटवाके भालकम एकफिल्स्टन और सुभरो ने उत्तर, परिचय और दिल्ली भारत क जीवन के कारे म अपन धाय तिन, प्राचीन धाम परियदेव व्यवहार स्व म भाव्य हो चुकी थी।

स्थानीय समितियों का निर्माण

वाद म श्रीजो के धासन वान म देहानी धाया म स्थानीय सम्बन्धो वा नए धासन के घर के हृष में निराए रिया गया। ये सम्बन्ध वित्तीय प्रशासन के विकेंट्रीकरण के फलस्वरूप पदा हुई थी। वयोकि केंद्रीय सरकार का धाय भार बहुत बड़ गया था। साइ मे भैयर न १९७१ मे एस स्थानीय विवि-प्रधिनियम पास विया। इस धर्मितियम वे तहत स्थानीय समितियों को प्रशासनिक धाय सौने गए जितम सदकों, प्रस्तावों स्कूलों बाजारों आदि की दख रेख तथा सफाई और रोग निरोग के प्रयत्न दायित थे। वाद मे लाइ रिपन ने मन् १८८२ मे स्थानीय सम्बन्धो वा एक जाल बिद्धाने वा सुझाव दिया। ऐसी सम्बन्ध जो शहरी और देहानी दोनों दोनों मे काम करें और जनता थी स्वशासन का प्रतुमव प्रदान कर सके।

सविधान की व्यवस्था

इन स्थानीय सम्बन्धो ने हमारे देश को स्थानीय स्वशासन के बाये म विद्य हृद तक भवित्वित विया यह एक दूसरा विषय है, जिन्हु यह वान प्रत्यधिक भट्टव्युण है जिं हमने सविधान को धारा ४० के तहत प्रपन देश मे जो पचायतों राज लागू विया है वह पूर्णत एक नई पद्धति है। यह पद्धति हमारे देश की प्राचीन पचायता और रिटिश सरकार द्वारा स्थापित समितियों की पद्धति-दोनों से मिल है। इन सत्य की हम जितना अधिक समझ देंगे उतना ही यह हमारी पचायतों रान की स्थानीय के सही ढंग स सचालन के लिए उपयुक्त होगा। सविधान की ४० वी धारा म धारा पचायता के समठन के लिए काम उठाएगी और उन्हें एसी नक्तिया और अधिकार प्राप्त करेगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के अप म धार बरत योग्य बना सकें। सविधान मे पचायतों को पुनर्जीवित या पुनर्गठित बरत की व्यवस्था नहीं है, जसा कि आमानी से विया जा सकता था, यदि सविधान सभा दो मद्दा पुरानी पद्धति औ पुनर्जीवित करते थी हूती। सविधान सभा की मात्रा रिटिश पद्धति पर पचायता के विरास की भी नहीं थी।

सफलता का आधार

धारा पचायतों की समठन करके उन्हें भावदक सत्ता और अधिकार देना हमारे सविधान निर्माणों ने भावदक समझा, वयोकि उन्होंने यह प्रतुमव कर लिया था जि सम्बद्ध सोसाइत्य के आधार पर वनों सरकार म इस तरह की सम्पादा के निर्माण की दाना नहीं जा सकता। ऐसो सोसाइत्यिक सरकार, जो केंद्रीयस्तर पर भी सोसाइत्य हो उस गमय तक सोसाइत्यक ढंग से धारा नहीं कर सकती वह तर उसे सोसाइत्यिक भावार पर गठित स्वायत्त शासन स्थाप्त करना चाहिए।

यद्यपि सविधान निर्माताओं ने ग्रामीण स्वायत्त शासन के लिए गाव वो आधार मूल इसाई माना है देहाती स्वायत्त शासन वो सबसे छोटी इकाई के आधार वा निर्धारण आदि सम्बन्धी प्रश्न उहाँने राज्य सरकार पर छाड़ दिए।

विभिन्न प्रदेशों के अधिनियम

पश्चीम कशीव देश के सभी राज्यों म ग्राम पचायतों की स्थापना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पचायत राज अधिनियम १९४७ म यह व्यवस्था है कि गाव वो सभी बालिग निवासी मिल कर गाव सभा बनायेंगे और एक कायममिति का चुनाव करेंगे जो ग्राम पचायत बहलायेंगे। उडीसा ग्राम पचायत अधिनियम १९५८ और आमाम देहाती पचायत अधिनियम सत् १९४८ म भी यही व्यवस्था है। बमई ग्राम पचायत अधिनियम १९३३ (सत् १९४६ में सशीघित) मद्रास ग्राम पचायत अधिनियम १९५०, पंजाब ग्राम पचायत अधिनियम १९५२ और मध्यप्रदेश पचायत अधिनियम १९४६ में ग्राम सभा वा उल्लेख नहीं है। इन अधिनियमों म बारिंग मताविकार द्वारा पचों के निर्वाचन की व्यवस्था है। निर्धारित राह्या म निर्वाचित पच मिलकर पचायत वा सगठन करते हैं। विभिन्न प्रदेश द्वारा बनाए गए वाहनों म निम्नलिखित मूलमूल हिट्कोण स्पष्ट रूप से दर्शित होते हैं—

१ पचायत संस्थाओं की व्यापक रूप से प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। गावा में सिद्धान्त निर्धारित व्यूनतम आवादी पर पृथक पचायतें बनी हैं। निकटतम छोटे छोटे गावों को जहाँ आवादी निर्धारित यूनतम संख्या से भी कम है आपस में मिलाकर पचायत बनादी गई है। यदि विसी गाव की आवादी बहुत बड़ी हो तो उसके लिए घनेक राज्य म हो या दो से अधिक पचायतें बनाने का प्रावधान विधा गया है। लास तोर से विहार में इस सिद्धान्त के पीछे यही मूल धारणा है कि पचायत का गठन हजार या दो हजार की आवादी पर होना चाहिए।

२ पचायत वा गठन पूर्णता सोक्तात्रिव आधार पर होना चाहिए। विसी राज्य में सरपंच वा चुनाव पचायत द्वारा के सभी बालिग यक्ति दरत हैं और विसी विसी राज्य म पच स्वयं अपने म से सरपंच वा चुनाव भरते हैं। पचों वा चुनाव गाव वो विभिन्न वाहों म विभक्त करके विधा जाता है। महिलाओं और हरिजनों वा प्रतिनिधित्व भी सरकार ने बाहुनीय माना है। पचायत म विसी भी सदस्य वा मनोनयन सरकार द्वारा नहीं होना।

३ पचायतों के बाय दो भागों म विभाजित होने चाहिए। अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य वाहों में सफाई और रोग-नियोग वाय धार्मिक विए जाने चाहिए और ऐच्छिक-वायों में अनव क काम धार्मिक विए जा सकते हैं। उदाहरणाय गरीबों को राहत पढ़ चाना, कृपि विकास सहवारी खेती, वाचनानयों और पृथक्तामायों की व्यवस्था, खेल-कूद तथा वालोंवाना की व्यवस्था लघु उद्योगों का विकास आदि तथा अन्य बाय जो पचायत आवश्यक धन और प्रासादिक कुराता उपलब्ध होन पर हाय में लेना चाहे।

जनपद सभा या जिला बोर्ड वा पचायतों वो अपन क्षेत्रीय सत्ता के रूप म प्रयोग करने का अधिकार रहना चाहिए और उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति ग्रान्त बरन की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए।

अदालती अधिकार

सभी राष्ट्रों में याय वरन के लिए बनी पचायतों को कुछ अदालती अधिकार भी दिए गए हैं। अनुमति से इस कदम के द्वारा निहित विवरणोंका मिल हो चुकी है। याय पचायतें हमारे प्राचीन इतिहास की परम्पराओं का अनुकूल है। व्यवहारिक हाईट सभी पचायतों को एक समिति द्वारा में अदालती अधिकार पदान करना लाभप्रद सिद्ध हुआ है। कशीरों को याय पचायत म परवी करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसमें गाव वासियों पर मुकदमे बढ़ाती हैं खच का जो भार पड़ता था उससे व बढ़ गए हैं। इसके अनावा छोट छोट भागों के लिए किने वी अदालतों म जाने से जो परगाली होती थी उससे भी उन्हें राहत प्राप्त गई है। इसके अनावा स्थानीय व्यक्ति जो आम तौर से मुकदमे के तथ्यों से परिचित होते हैं और कूठे वस्तु सामने आने से समझ नहीं होता है।

जुड़े नई बातें

इस तरह की आम पचायतों सम्बन्धित कानून म हास बातें जबोन हैं—(१) परा और सरपंचों के चुनाव की पद्धति कुछ पेचीदा है। हमारे देश को देहाती जनता चुनाव लड़ने के तीर सरीकों की शोषणात्मकतामों से पूर्णत अनभिज्ञ है। हमारे सम्बूण इतिहास में चुनाव केवल बड़ी सत्याग्रह के गठन व निए ही उपयुक्त माना गया है। चुनाव गावों में घोटी-झोटी पचायतों वे नियमाण व निए अत्यधिक अनुपुत्त समझा गया है। (२) दूसरी नई बात यह है कि पचायतों वे प्रशासनिक काम भी सौंपे गए हैं। अभी तक इन प्रशासनिक और नागरिक कार्यों के सफल सचालन के देश म बहुत कम उदाहरण देखने का मिले है।

प्राचीन धारणाएँ और चुनाव

समस्त विश्व भर के देहातों में किन्तु खास तौर से हमारे देश के दहाना म उन लोगों का समाज होता है जो चरित्रवान हैं। लोगों द्वारा सलाह मनविरा देकर उनकी यददवरते हो और आडे समय में याम या सदने होते हैं। जब पचायत का ऐसे लोगों का नियुक्त प्राप्त हो जाता है तो जनता म उसके ग्रन्ति विश्वास देता हाता है। लेकिन ऐसे साथ सदय चुनाव सड़ने की तयार नहीं होते। व्यारकि चुनाव से आम तौर पर जातिवासी और गुटवाजी वा बडावा मिलता है। जसा कि भारत म हुआ भी है। इसलिए पचायतों म चुनाव की लोकतात्त्विक पद्धति अपनानों का परिणाम यह हुआ है कि अनेक वठिनाइया उत्पन्न होने के साथ ही सम्बन्ध और उच्च चरित्र की पारणामार्ग का आधार लगा है जो “चाल्स मट्टारे” के अनुसार हमारे लघु गणतांत्र में मुगो से विद्यमान थी।

नेताओं का दायित्व

हमारे नकामा को कहिए था कि वे इन प्रश्नों पर विचार करते और स्थिति की परिवर्तना परे पचायतों की चुनाव पद्धति में सुपार बरते। हमारा हिन्दूकोण पूर्णत विद्यान्वयदी रहा और हमन अपने इतिहास का समुचित स्थायन परके निश्चित परिणामों जो कल्पना बरने का अवसर छोड़ा। हमन अपनी कास्तविक स्थिति और सुरक्षित तथ्यों को व्यापार में नहीं रखा। यह समझ से परे

धी वात है कि पचायतों को इस हृद तक भ्रनिवाय और ऐच्छिक प्रशासनिक व नागरिक काम क्या सौंप गए हैं, जबकि उनके पास उन्हें सुचारू रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त धा नहीं है। उनकी क्षमता भी नगर्थ है।

सीमित घनराशि का अधिकाद्य भाग सचिवों द्वादि को नियुक्ति पर चय करना पढ़ता है। एच्छायत कानून के तहत इन्होंनी अधिक बैठकें पुलानी पढ़ती हैं कि बठका में निपटाने के लिए काम बहुत कम रह जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि पचायत की बठका में पचा की घटि बहुत कम रह जाती है और केवल ऐसे एक दो यक्ति जो सत्ता का दुश्ययोग अपने स्वार्थों को सिद्धि के लिए बरना चाहते हैं, पचायत की बठकों में आते रहते हैं। इसलिए पचायतों की बानावरण सरकारी प्रभुत्व से पूरा और कृतिम हो गया है। इसका परिणाम आगा के विपरीत हुआ है।

द्विमुखी पढ़ति

इसके अतिरिक्त त्रि मुखी पचायत प्रशासन के स्थान पर यदि द्वि-मुखी पदवति अपनाई जाती तो अधिक बेहतर होता। दुख गावा को मिलाकर पचायत बनायी जाती और उसके ऊपर जिला परिषद होनी। पचायत का निर्माण दुख गावा का मिलाकर १० या २० हजार भी आवादी पर बिया जाना चाहिए था। ऐसी पचायत के साथन भी अधिक होने और जातिवाद और गृष्ठ बाजी भा चुनाव के समय अधिक नहीं पनप पाती। वर्तमान विकास खण्ड का क्षत्र इस हृष्टि से बहुत बड़ा होता है कि उसमें जिसी प्रवार की एक सूत्रता को कहना कोजाय तथा आर्थिक और तकनीकी विकास को इसाई मानवर उसे किया बाय इस हृष्टि से वह बहुत धारा है। इस हृष्टि से जिला उपयुक्त इकाई है। इसलिए जिला स्तर पर निर्मित परियद को प्रशासनिक व अर्थ विकास के काय सुविधा पूर्वक सीधे जा सकते हैं और उसके सफल सञ्चालन की आगा की जा सकती है, जो खण्ड स्तर पर सम्भव नहीं है।



पचायती राज और उसका समाज दर्शन

—था कामश्वरप्रसाद बहुगुणा

भारत में पचायती राज का भ्यापना भारतीय लोकतंत्र की प्रोटोना का लक्षण है। आज वह

पचायती शासन को प्रणालीनिक शब्द है और दूसरे के अनुसार वे स्वायत्त इकाइया है। पचायती राज पर १९६४ में उदाहरण में हुई एक गाड़ी में बिल्ड के द्वारा और सभा सखारा के प्रतिनिधि गाड़ियों से विचार किया जा रहा है। एक के अनुसार उसमें
पचायती शासन को प्रणालीनिक शब्द है और दूसरे के अनुसार वे स्वायत्त इकाइया है। पचायती राज पर १९६४ में उदाहरण में हुई एक गाड़ी में बिल्ड के द्वारा और सभा सखारा के प्रतिनिधि गाड़ियों से विचार किया जा रहा है। इमारे सविवात में भी पचायती को भ्यापना का लक्षण इकाइया माना गया है। सविवात के ४० वें परिच्छेद में यहाँ गया है कि “राज्य याम पचायती वा संगठन वर्तने के लिए अग्रणी होगा तथा उनको ऐसी शक्तिया और अधिकार प्राप्त करेगा जो उन्हें स्वायत्तशासन की इकाइया के लिए वायकरण करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।” अत पचायती राज वेल शासकी एक प्रणाली मान नहीं है वह तो एक नवीन समाज व्यवस्था या जल्दी गाधोंजी ने कहा था—“पचायती प्रजातन्त्र कायम करने का एक विधानिक और रखनालम्ब प्रान्तेलन भी है। यह प्रान्तेलन भारत में प्रबलित पचायती राज व्यवस्था से भी पृथक् बीज है जिस मनु की भाषा में गुलम “व्यवस्था और ग्राम-व्यवस्था यहाँ जाता था। किन्तु ये गुलम या याम भी समाज प्रशासन की एक मुखियातन्त्र प्रणाली मान ये। आज वीं भावि उनक पीछे समाज व्यवस्था का कोई विशिष्ट रूप देने, जो याक उस बत्ते में मुखियाविले हमार लिए अत्यन्त प्रतिक्रिय हो गया है, या समाज रखना की कोई बनानिक हृषि नहीं थी। बल्कि एक व्यवस्था वाला वास्तविक धर्मों से लोकतान्त्रिक विदेशीवरण भी यहाँ गया है। यह एकदम नवीन विचारधारा है जिस पर गाधोंजी का स्पष्ट प्रभाव है और जो नितात नवीन समाज गांधीय प्रणाली भी है। अत हम पचायती राज के मूल में निहित सामाजिक दर्शन को सूखे घट्टों तरह से समझ लेना चाहिए।

‘मनुष्य सामाजिक द्वारी है’ यह कथन बनानिक अट्टि से लघ्यपूलक नहीं है। डाविन के ‘जो दन संधर्म में योग्यतम का हो अधिनिव वाचे विद्यात्र की तरह इस सिद्धान्त न भी वटी गढ़वड पचाई है और यह आदिवय ही मानना चाहिये विपरस्त विरोधी होन द्वारा हुए भी परिचय में ये दोनों परिविया एक में विलग ही हैं। समाज वास्तव में समुदायों से विनाश बनता है और समुदाय दो व्यक्तियों के पारस्परिक चेतन सम्बंधों का करने है। किन्तु ये सम्बंध व मस्तीमित या भ्रतिसीमित नहीं होते ये मध्यवर्ति

होते हैं। और हम वास्तव में यद्यहार में सदा ही समाज से अपने समुदाय का ही प्रयत्न है। समुदाय ने बाहर मनुष्य का अस्तित्व नहीं होता और समाज से मनुष्य का सम्बन्ध समुदाय के सदम और उसके ही मारपत्र होता है। समाज प्रत्यक्ष और अस्पष्ट होता है किंतु समुदाय प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट होता है समाज मनुष्य की पक्ष म नहीं होता समुदाय होता है। वयोऽकि समाज म पारस्परिकता और प्रतिमता नहीं होती किंतु समुदाय का तो वह स्वभाव ही है। समाज म स्वार्थों की एक रूपता तथा अभिनता वा भावना या जिसे समाजवास्त्र म हम भावना कहा गया है, नहीं होती पर समुदाय में होती है। समाज म समग्रता नहीं होती और यह होतो है तब उसके प्रतीति ही हो सकती किंतु समुदाय तो समग्रता और उसकी प्रतीति पर ही टिकता है। मनुष्य न तो शेर को भाति एकाकी रहत द्वाला जगली नानवर है और न चीटी की तरह भुड़ प्राणी ही है। वह झकेल म भी डरता है और उसे दूसरे से भी डर लगता है। समुदाय म उसकी दोनों स्थितिया समायोजित होती है किंतु रामाज म एसा समझ नहीं। समाज वनानिका ने मनुष्य म जिस नस्न को चाह का जिक दिया है वह समुदाय और उसकी इडाइया में ही पदा होती है। समुदाय ही मनुष्य की सामाजिकता का प्रधिष्ठान है। समाज को एक पिंड समूह कहा गया है किंतु समुदाय तो सम्बन्ध की एक निश्चित और सायक प्रवस्था है। समाज म यक्ति ही जाता है किंतु समुदाय म तो वह पनपता है। आज की नागरिक सम्पत्ति म भी वडे वड नगरा म विष गये अव्यवहरों से पता चलता है कि कलकत्ता यूनाय आदि जसे नगरों म भी मनुष्य न छोट छोट समुदायों पर ही। यद्यपि व परिस्थिति का प्रतिकूलता के कारण घृण और पगु ह किंतु फिर भी एक मात्र सहारा है) जोबन वो खड़ा किया है। वास्तव म कोई भी समाज पिंड समाज नहीं हो सकता पर वहना चाहिये कि मनुष्य समुदायिक प्राणी है। समुदाय मनुष्य का स्वभाव है और समाज प्राणिन् है। परिवर्तम म मनुष्य को समाजवादी बनाने का जो धार्योत्तन चला वह असल म समुदायिक पर्यायों के हास होने के बाद ही चला जिसका कारण तथा क्यित शैश्वरिक क्रान्ति थी। सामुदायिक पर्याय वो भारतीय भाषा म पुरुष कहा गया है। जब पुरुष पुरुष न रह कर यक्ति बन जाता है तब व्यक्तिवाच पनपता है। पर्यक्ति पर उसके धार्यों हाथों रहने हैं किंतु पुरुष अपने स्व से चालिन होता है। वेदा म इसी कारण पर्य को पुरा म सान बाजा वह वर परिभाषित दिया गया है। पर्यतिकान मनुष्य की प्राकृतिक प्रवस्था है और पुरुषवाद उसकी शाध्यात्मिक और सास्कृतिक उपलब्धि है। यही पुरुषवाद सामुदायिकता है। यापारि पर्य का अस्तित्व तभी बायम रह सकता है जब वह दूसरे व्यक्तिका अस्तित्व भी स्वीकार दरता है। यही कारण है कि मनुष्य वेदन उसी काय म रख लता है जो उसके तथा उसके हम या हमारा के हित में हो। उसकी पर्य भी ही और उसके निए स्पर्श हो। ऐसा समुदाय ही होता है। यह जोई नयोग भाव ही नहीं है कि पूजीयादा प्रजातन और समाजवादी समाजवाद दोनों म ही व्यक्ति स्वतन्त्र का आधार भाना गया है किंतु दोनों ही जगह वास्तविक पर्यक्ति भायव हो गया है और रह गया ने बन तथावित समाज को प्रतिस्पदा तानाशाही और गुलामी का पर्याय बन गया है। गणकार्य म पुन जित हृषक चिमोडियन डेवेलपमेंट नाम दिया है वही समुदायिक विकास है। इसकी प्रकृति न आनने के कारण ही ज्यो ज्या समाजवादी नारा बढ़ता गया है ज्यो त्या पर्यतिवाली प्रवृत्तिया भी बढ़ती गई है और समाजिक तनावा म बृद्धि हुई है। किंतु प्रसल में लघु सामुदायवादी समाज ही मनुष्य के लिए स्वामयिक समाज-व्यवस्था है। यहा भारत म धी जयशंकर नारायण जसे समाज वनानिका ने इन समुदायवादी समाज वा पुरोप व प्र प प्रस्तवाय देना में इसे हाक्कजर जसे विद्वन न प्रवृश्ने नमार्श और गवट रहस्तीलड जने मात्रवास्त्रों ने लोकसमाज नाम दिया है।

गांधीजी इसे नवोदय समाज या 'रामराज' कहा करते थे। यहीं तरफ़ कि टेंड चौट्टी सदों में प्रव्याप्त अखब विद्वान् इनकल्पन न पहा था कि स्वाभाविक और सही नमाज व्यवस्था तो 'तसविवत' पर निर्मित होती है जिसका ग्रथ या माइक्रोरा मा बचुभावना। नाम चाह जा भा दें जिन्हें तात्त्विक बात यह है कि सामाजिक समूह या निमाण मानव की सोभास्त्रा के सादम म ही किया जा सकता है और एन समूह समुदाय ही ही बतत है। यही मनुष्य को नसनिक आवश्यकता है। समाजको और पूजोदादी लोनो ही व्यवस्थापा में अभी तक इस तथ्य को उठेगा जो गई ह और नतीजा यह है कि मुड नवाव और अशांति पदा बरने म लोना ही समान शर म जिम्मेश्वर रहे हैं।

किर समाज में भत्ता का प्रदेश है। मनुष्य जिसम रवि रखता है उस पर असका सत्ता भा चाहता है। भत्ता के नाथ जिम्मेदारी खुली रहती है। बण यज्ञस्या का यही धारावर पा समाज म भत्ता के लिए जिम्मेदारी के बजाय आवश्यक होता है जिन्हें समुदाय म मनुष्य को जिम्मेदारी हा उसपर अधिकारा का अधिकान होनी है। हमारा काम यह देखना है कि इन नम ने व्यवधान पदा न होने पावे। सत्ता जब तक दूर रहती है तब तक वह केवल आपश्य हा रहती है जिम्मेदारी नहा बन पानी यह उमारा स्वभाव है। जिम्मेदारी स्वत मूल हानी है जबे यति के लिए प्रात्मानुसासन आवश्यक माना गया है वसे ही समुदाय के लिए भी हाना है। याने प्रतुगामन ता आतरिक हो होना चाहिये खासकर लोकगाहा म। प्रात्मानुसासन अत्यन्दित बताता है ता बाहरी प्रतुगामन (पानी पा अन्दा रुद्धता और तनाव पा) बरना है। युनायी का बारण हाना है। जिम्मेदारी म प्राक्षिदायाम है जिन्ह बहरे प्रतुगामन नो यति के अविवास पर हो टिका होना है। यमाज का काम व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना है प्रतुगासित नही। यह तब ही हा सकता है जब समाज व्यक्ति की पकड म हा और व्यक्ति समाज के निवट। ऐसा पुन समुदाय में ही ही सकता है व्यक्ति प्राप्ति और सुरक्षा चाहता है और वह भी समुदाय द सकता है जो कि व्यक्ति के लिए परिवित होता है। प्रतिष्ठा के लिए और मुरक्का के लिए भी परिवर्त्य की आवश्यकता ही है व्यक्ति का सामाजिक वरण (समुदायीवरण कहना अधिक ठीक होगा) समुदाय म ही होता है यह बात अब सामाजिक मनोविज्ञान विदेशपालामक मनोविज्ञान दोनो स माय हो गई है। हमारा काम मनुष्य को बदलना यही है (वह हम घबर मनुष्य होने के नाने कर नही सकत) हमारा काम उम प्रवस्त देना है और अवधर भी समुदाय म ही मिन सकता है।

इस सन्तम भ यह सवाल भी उठा हाता है कि समाज क राज्य क्या पर्यायवाची है? अतिवादिया न राज्य (राज्य?)—मतिक चनाई और उनका राज्य राजा का पर्यायवाची बन गया। इसी परम्परा के बारण यापन मित्र विनामह जब मनोपो का कहना पड़ा कि राजा ही बाल का बारण होता है। (राजो वा कान बारागम महामारत) नमाजवादिया न राज्य मति चनाई जिन्ह समाज के नाम पर। उनके प्र पों म सपति के सामाजी करण का ग्रथ राज्य द्वारा उस पर दब्जा कर लेना हो होना है (यद्यपि यह वे इस भारणा मे सुधार कर रह है जिन्ह कल्पनिका का तो यह भी यही विवास है)। उहोंने समाज और राज्य का एह मान लिया। जिन्ह वे एक नहीं हैं और न साक्षु न ही उहें एह माना है। असन मे राज्य लो एन समुदाय है और वह दूसरे समुदाया का स्पान नही से सकता। याज परिवर्त्या दाना म राज्य ने जब मे परिवार भादि समुदायों का बाम अपन हाथ म लना प्रारम्भ किया है (योगिकन्याएहारा राज्य का एह करना ही पड़ता है) तब से

वहा राज्य ही पापा है और बाबो के समुदाय नष्ट प्राय हो गये हैं और अब यह बात छिपो नहीं है कि व लोग इस श्रवस्था में परदान हैं। असल म राज्य का बाम घना कामा म से एक काम है। यहाँ स्वभाविक विशासनम है और हमारा बाम इसमें व्यवधान पदा करना नहीं बरन् उम प्रणति देना है। मात्र न भी यहो बहना बोधी दिन्तु धर्तविरोधों को खोजने की उसकी विषासा न स्वयं उसे ऐसे इन्तविरोधा म फसादिया कि राज्य के मुर्खन के बजाय समाज ही राज्य भविष्यत हो गया है। गांधी न न कबल मात्रम के उद्धार का माम लाल दिया है बरन् विशाम क्रम को भी गति प्रदान की है। महार म समर्प्त राजनतिन और सामाजिक वितकों वा यह अर्थात् अठ स्वर्ण रहा है कि एक ऐसा समाज-व्यवस्था बायम होगा जब राज्य आव वा इयक्ता ही नहीं रहगी। इस ग्रान्ति वी तरफ बढ़ने की दिशा में ही गांधी जी न घोरों की इम उत्ति को ही अपना राजनतिन आद्य बनाया कि 'सर्वोनम राज्य मूलतम शासन' बरता है। घोरों वा यह कथन महत्वपूरा है दिन्तु घोरों इसके अनल्प समाज वा निर्माण नहीं कर सके थे गांधी बर सके हैं। अपनी इस प्रादग समाज व्यवस्था को ही गांधी रामराज्य या सर्वोन्मय वहा बरते थे। हमारे स्वातंत्र्य संग्राम को उन्हाँन इसी के प्राधार पर लडा किया था।

अपनी बहना के उस आदश समाज वा चित्र उपस्थित करन दृष्ट गांधी जी न पहा था यह उस जाति विहान और वग विहीन समाज का चित्र है जिसम न कोइ ऊ चा है न कोई नीचा है। सार काम एक स है और सारे कामों का भजदूरो भा एक सो है। जिन लोगों के पास अधिक है वे अपने लाभ का उपयाग मुक्त के तिए नहीं बरन, परन्तु उक पवित्र धराहर मानवर एक लोगों वो सेवा म उक्ता उपयोग करत है जिनके पास कम है।—प्रत्येक धर्ति अपन आस पास के बातावरण के तिए जिम्मेदार होता है और मार दत्ता समाज य निये दिम्मेदार होने हैं। उसम अधिनारा और दत्तायों का नियमन परस्पराव लम्बन के सिद्धान्त स तथा परस्पर आदान प्रदान से होता है। ऐस समाज म उसके अ गम्भूत मतिया तथा सम्पूण समाज क बीच बोई सघष प नहीं होता और न तो राज्याद के सहुचित स्वार्थ या आक्रमक बान या खतरा रहता न अन्तरान्त्रायता वा के लिया शाद्य उन जान का यतन रहता है। वे ऐसे समाज वी स्थापना क लिये हा स्वराज्य वी लडाई लड रह थे और उहाँन सन १९२५ म हो अपने स्वराज्य को परिभापा करते हुए कहा था कि 'सच्चा स्वराज्य थोड लागो द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेन स नहीं बल्कि जब सत्ता का दुष्प्रयोग होना हो तब सब लोगो के द्वारा उमका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करने हासिल किया जा सकता है। दूसरे शान्ति मे स्वराज्य जनता भ इस बात का जान पदा बरके प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता पर भविकार दरन और उसका नियमन करने की क्षमता उसम है। इम समाज म दहा एक साधन होती है जिसका उपयोग समाज खो सेवा वे लिए किया जाता है। दिन्तु गांधी जा मात्रम की तरह बहनावारी नहीं थे। वे जानते थे कि इस समाज वी स्थापना वे लिए उहें उस तरह के उगठन भी खडे बरन पड़े और ऐसे समाज को राज्य प्रणाली भी मिल होगी अत इस सबकी व्याख्या करते हुये उहाँने सामन्याप वहा था कि 'ऐसा समाज अनगिनत गांधा वा होगा। उसका फलाव एक के ऊपर एक के दग पर नहीं, बल्कि लहरा वो तरह एक के बाद एक की उस्त मे होगा। जिन्दगी मीनार की दावत म ऐ होगी जा ऊ ऊ वी तग चोटी को नीचे वे चौड पारे पर उग होना पड़ता है वहा तो उपट की लहरा वी तरह जिदगा एक के बाद एक येरे वी उगत मे होगी और व्यक्ति उसका मध्य विदु होगा।' यह एक ऐस धरातलीय सामुदायिक-समाज वा चित्र है जहा समाज असल्प लघु समुदायों के बे-द्वायसारी वृत्तों पर लडा है। वहा बुनियादी लघु समुदायो के बहार मध्यवर्ती समुदायो वा पेरा है, वे भी तुन कुछ बडे समुदायो से पिरे हैं और यह कनाव यत म करते फलते विश्व समुदाय बत जाना

है। इन फलावा को सबसे मौतिक विगता यह है कि नत्यक बाहरी धेरे को शक्ति (Force) क्षमा कम होनी जाता है। यही राज्य 'लोप' तो नहीं हो सकता (व्याकुल गापी जो के ही शब्दों में वह तो यत्विड के विन्दु की तरह आदा ही है) किंतु राज्य लगभग प्रदद्य हो जाता है। राज्य रेत में उस जगीर की भाँति ही जाता है जो महत्वपूर्ण तो है कि किंतु जिसका उपयोग कभी क्षमार होता है। बहुत से यानियों को तो कभी उसका पता भी नहीं होता। राज्य की शक्ति ऐसी बढ़ी रही है। प्रस्ताव विद्वान् की सी० ई० एम० औड न घण्टी पुस्तक माडन पोलिटिकल थियरी में एक जगह कहा है कि यदि सामाजिक काय में मानव की थड़ा को पुनर्जीवित करना है तो राज्य का धाटबर थोड़े थाया में बाट दना चाहिए, और उन ने विकेन्ट कर देना चाहिए। प्रसिद्ध समाजवादी लेखन को जो० डी० एच० कोल न भी घण्टी पुस्तक 'केवियन सोगलिञ्च' में भी यही कहा है। यह कल्याणवारी राज्य से आग के विषास का सोढ़ी है जहा कल्याण वा धर्मियान राज्य के बजाय लोक हो जाता है। बाल्यव न कल्याण जब राज्य जहा तक लोक कल्याण का प्रदन है परिचय म आज समाजवादी और प्रेजीवादी राज्यों म काई तात्त्विक नहीं रह गया है। दोनों ही जगह नागरिक लगभग यूप वन गया है। थी छक्कु फाइडमन ने घण्टी पुस्तक ला इन ए चेंज़ा मोसायटो म कहा है कि कल्याणवारी राज्य एवं 'रक्षक सामाजिक सवाग्रा का प्रदान एवं शोधीगिक प्रदायक एवं प्रायिक नियन्त्रक और एक मध्यस्थ होता है।' तब बात स्पष्ट है कि

भी कभी पचायती राज का स्थानीय स्वायत्त शासन या स्थानीय न्यायता प्राप्तान जस नाम भी निये जाते हैं। किंतु ये सब भी मध्य युगीन प्रत्यय हैं जब राज्य अपनी सुविधा की ट्रॉफी ऐसी सद्याग्री का निर्माण कर लेता या जो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में और शासन है काम म मदद कर सके। राज्य उ हें दिये गये कोई भी प्रधिकार जब चाहे तब वापस ले सकता या क्याकि वास्तविक सदा उसी के हाथ म रहती थी। हमारा स्वाल है कि हमारे पचायती राज की मदा एसी नहीं है। यहा तो पचायतो के कुछ ऐसे त्रुनियादी आधिकार क्षमा है जिनका अतिरिक्त स्वतंत्रता की यही एक यहा जीवन की मौतिक धावरवतापो पर पचायती सस्थापो का वन्ना रहेगा क्योंकि स्वतंत्रता की यही एक दहा जो काम के स्वयं नहीं कर सकेगो उहें क्षमा बाहरी धेरे वाली सस्थायें करेंगे। मान गार्टी है। और जो काम के स्वयं नहीं कर सकेगो उहें क्षमा बाहरी धेरे वाली सस्थायें करेंगे। दहा जा सकता है कि इनमें तो के द्वाय सरकार बमजीर रहेगी किंतु नोवरसाही तो गवर्नर के पास बहुत कम बाम होगा और वह महत्वपूर्ण होगा जसे तार व सचार देशें, वडे वट गवर्नर के पास बहुत तथा विदेनी व्यापार भावि इसलिए सरकार का 'यान इ-ही पर रहेगा और वह अपन राज्यान्तर का सबसे सतरनाक दुर्मन है और उस तो दिशी भी हालत में रामात हो जावेगी किंतु नोवरसाही तो राज्यही भी मध्ययुगीन राज्य-ध्यवस्था का स्वभाव है और असल म उपनियावाद की मवाप है। थी पार किंतु ने जब नोवरसाही को राज्य की नव्य बताया था तो व उस बात तक लोकसाही स परिचित नहीं थ न उहें यही मालूम था कि राज्य वहू समाज ध्यवस्था का एक अग मात्र है।

ससिए पचायती राज ऐसल प्राप्तान का एक मुविपादवन न ग ही नहीं बरव एक नई समान ध्यवस्था को रखना की ठीक योजना है। आज विज्ञान की प्रगति ने उस और सरल बना दिया है। ध्यवस्था को समानता और बहुत बे आदा को मानव जीवन का 'भावहारिय' ग बनान वा भवसर भा

राया है। प्रसल में प्राज तक हमन मावव पर उसके बातबारण संग्रह करते विचार विश्वा है इसे बान मनहाइम न स्वल्प कठ मानव नाम दिया है वित्तु मनुष्य तो प्रसल में एक ठोस वास्तविकता है और हमें उसे एहा ही मान कर लेना होगा। हम ऐसा समाज चाहिए जो मानव वो एक मानव छने की बलना से मुक्त कर सके। ऐसा समाज देवत वही हो सकता है जो मानव की पवांड में हो और उसके लिए स्पष्ट हो। जिसके साथ वह स्पष्ट निया प्रतिक्रिया कर सके। श्री आरथर फिल्ड प्रभाति विद्वाना ने प्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक दि फिल्ड आफ सासल वर्क में एक आनोनामम गुप्त एण्ड मटल हैल्प ए रिपाइट दु द इन्हर नशनल बाग्र स आफ मेंट्स हैल्प को उद्घात दिया है जिसम बहा गया है विं 'मानव समाज की सबसे भद्रत्वपूर्ण और साथव सामाजिक इकाई वह छोटा सामाजिक समूह है। उ होने यहा समूह का प्रयोग सामुदाय के लिए दिया है—ल००) जिसम परस्पर भविरीयों और एक दूसरे को निष्ठ से जानने वाल व्यक्ति एक साथ रहते हैं और जिनके आनंदवत्तिक सबध प्यार विश्वास, आपसी व्यवहार और समझ पर आधारित होते हैं। ऐसे ही समूह में रह कर व्यक्ति को इस बात की सबसे अधिक अनुभवति होती है कि वह समाज का एक सदस्य है। स्पष्ट है ऐसा सामुदायिक समाज ही हो सकता है और यह समाज अनि वायत लोकतात्त्विक होता है क्योंकि सामुदायिकता मनुष्य का आतरिक गुण है और उसका आरोपण नहीं होता। इस समाज में मनुष्य को समाजवादी बनाना ननी पन्ता वह तो समुदाय का प्राणी होने के नात सामाजिक में अनावा और कुछ हा हो नहीं सकता।

इस हृष्टि स भारत में विनोदा जी द्वारा चर्चाया जान वाला ग्रामदान और प्रब्रह्म प्रखण्ड या जिलादान आन्दोलन का अतीव महत्व है। क्योंकि यह आन्दोलन ऐसे समुदायों की स्थापना के लिए जन अभिनन्दन जगान का प्रबलतम प्रयास है। इसके अलावा ऐसे समाज की रचना और विस्तीर्णताएँ के ही ही नहीं सकती। समुदायों की स्थापना बाजून या आय जनेतर तरीके से नहीं होती और हो भी तो वह समाज सजोव नहीं होता। उसम मनुष्य रेत वै वर्णों की भावति ढार से तो होने हैं वित्तु उस सल्ला में गुण नहीं होता। सामुदायिक समाज गुणामव समाज है। मनुष्य का विकास उपर्युक्त लबुवृत में ही होता है यह अब मनोविज्ञान का सब विदित तथ्य है। श्री प्रो० लाइमान वेसन न अपनी सुदूर पुरुत्व दि नवस्ट अमेरिका में जोनार शास्त्रा में दिया है विं प्रजातत्र का भवित्व इस बात पर निभर वरता है यि वह नामिक वो स्वप्न वै लिए प्रत्याक्ष नियाय और निया करने का। वित्तना प्रब्रह्म वायत है—क्योंकि विद्य वस्त में वी एक्सिप्यैट द आर नाट डेमोकेटिक। यह इस पचायती राज को एसे गुण प्रधान सामुदायिक समाज की स्थापना का एक अनुदूस और व्यावानिक धर्मसर मानवर लेना चाहिए और इस निया म ग्रामदान आन्दोलन को पचायती राज से सम्बद्ध समझना चाहिए। मालूम नहीं ग्रामदान के कायर्त्ती साम भा इस एहा ही अनुभव वरत ह या नहीं वित्तु ग्राम इन का समाजन्यन भी यही है। भारत सरकार न सामुदायिक विकास धीर ग्रामदान के समावय और सहयोग वी ग्रामदायकता अनुभव वी है। विन्तु उसम यह गव त्रिनि रह गई कि उसम हमारे बतमान गावों को वास्तविक समुदाय मान लिया गया है किंतु व सही घण्ठों म घाव समुदाय ननी रह गये हैं। उहैं समुदाय बनाना सहज है यह बात सही है और उहैं समुदाय बनाना होगा। ग्रामदान आन्दोलन यहा काम कर रहा है। इसनिए पचायती राज और ग्रामदान आन्दोलन एहा दूसरे कूपर के घीर उहैं वस ही मानवर लेना चाहिए।

विकेन्द्रीकरण :

आर्थिक, राजनीतिक एवं जनतान्त्रिक समाजवाद

—श्री सोमप्रकाश शैदा

राजनीति और आर्थिक का आप्स मे वृत्त गहरा सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो समाज प्रगति करता है। वह सियर और स्वस्य होता है। यन्त्र दानों एवं दूसरे के पूरक हैं तो समाज प्रगति करता है। वह सियर और स्वस्य होता है। यन्त्र राजनीति और आर्थिक एक दूसरा से टकराती हो तो फिर समाज अस्थाई, प्रस्तुत्य और उत्तराव पूरा रहता है। उच्च राजनीतिका और आर्थिकीया का यह बहना है कि आर्थिक व्यवस्था और प्राप्ति के दरम्यान प्रतिकूलता और द्वंद्व ही साज तक के सामाजिक उत्तर पुत्र का भौतिक कारण रहा है। उनका यह भी मत है कि आर्थिक व्यवस्था ही इसी समाज का शाधार होता है जिस पर उसकी राजनीतिक सासृतिक, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सिद्धान्त और संगठन वे दाचे खड़ होते हैं, यदि हम इतनी दूर न भी जाएं तो भी इस वास्तविकता से इन्वार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह तो यद्य एवं अमर जीवित सत्य है कि राजनीति और आर्थिकीया का सबक पारस्परिक प्रतुकूलता और भौदर्यन प्रदान का हो होना चाहिये। सामनव समाज की प्रगति का रहस्य इसी म है, दोनों म से कोन साधन इसना निश्चय बरता सुनिश्चित है। एक माने मे दोनों एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथन हैं दोनों का वैद्य विदु मानव है, जिसकी प्रगति जिसकी भवाई और युव संतोष दोनों का लक्ष्य है। परतु यद्य मानव साध्य न रह कर साधन बना दिया जाए, जिसी सिद्धान्त और संगठन के प्रयोग वह एवं साधन, तो एसा समाज आपान्ति और पतन की ओर जाता है।

सीमित जनतन्त्र

जनतन्त्र मे मानव ही प्रभुसत्ता का स्रोत है। परतु यद्य जनतन्त्र की सोमा यही नह रहीहै। समाज के युद्धिमान और श्रीमान प्रभुसत्ता के इस स्रोत के भवरी प्यास बुझाते हैं। इस स्रोत से प्रभुसत्ता के प्रभाव को

वह रूप और दिशा नहीं देना चाहते हैं, जो सारे समाज को हाल करे। आज वा जनशक्ति चाहे वह संसदेय हो या प्रायश्चीय उसकी राजनीति तथा अयनीति प्रभुसत्ता को एक छोट से स्रोत तक ही सीमित दिये हैं जिसका परिणाम यह है कि समाज पर चाद बुद्धिमान चाद श्रीमान, जिनम सब स प्रभावशाली घन बान होते हैं, द्याये हुय हैं। ऐसा समाज चाद राजनीतिक और आधिक कानूनों का समाज होता है। दुनिया म चाहे वह रूप की दुनिया हो, या अमेरिका की मानव भी अस्थिर और ग्राशाल है और समाज भी। आज तक छोट-बड़े बुद्धा का मौलिक वारण यही रहा है। परन्तु गाधीजी न समाज के परिवर्तन का एक क्रांतीकारी रास्ता सुझाया वह मानव को प्रभुसत्ता का स्रोत तो मानते ही थे, जिन्हें इसलिए नहीं कि चाद श्रीमान और चन्द बुद्धिमान इससे अपनी प्यास बुझा सके बल्कि इसे माने भी कि मानव अपने निकटतम समाज जिसका कि वह स्वयं एक श्रग है यानी 'प्रायमिक समुदाय' वो अपनी प्रभुसत्ता प्रदान करे। मानव एक सामाजिक प्राणी है परन्तु आज के समाज मे आधिक और राज नीतिक वैद्वतों का प्रभावहीन बल्कि अधीन बना हुआ है वह अपने प्रायमिक समुदाय के भी बढ़ा हुआ है।

स्वराज्य का आधार स्वशासित प्रायमिक समुदाय

मानव वो इसी अव्योनता के गढ़े से उठाने के लिये गाधी जी ने स्वराज्य की बत्यना की थी। उहोने एसा कहा था कि— 'असुराय गावो मे वह व्यवस्था लगातार फनने वाले ऐसी वृतों की होगी जिसका' कोई भ्रत ही न हा। ऐसी व्यवस्था म जीवन का अतिम उद्देश्य पिरामिड के शिखर के सामने सकुचित नहीं होगा बल्कि समुद्र म बनने वाले वृत के समान होगा जिसका केंद्र विदु व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति गाव के लिए त्याग वरेगा, गाव जनपद के लिये त्याग वरेगा जनपद राज्य के लिये राज्य राष्ट्र के लिए त्याग करगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया व्यक्तिहीन केंद्र विदु से आरम्भ हो कर हमेशा त्याग और सहयोग की भावना से निर्मित होकर सामूहिक वृत के रूप मे जीवन का पूर्ण वृत बनेगा।'

अपने मूलु के सिफ बाहू दिन पूर्व गाधी जी न अपने एक भाषण के प्रसरण म भारत के लिये सच्चे लोकतन की चर्चा बरते हुए कहा था कि भारत से लिये सच्चे लोकतन की इकाई गाव होगा। परन्तु एक गाव शी पचायत राजस्थापित करन को इच्छुक हो तो कोई उसे रोक नहीं सकता। सच्चा लोकतन तो केंद्र मे बढ़े थीस प्रतिनिधिया से नहीं चलाया जा सकता। इसे प्रत्येक गाम की जनता द्वारा नीचे से घलाता होगा जिसका प्रभिश्राय यह है कि प्रायमिक समुदाय न केवल प्रभुसत्ता का स्रोत है बल्कि प्रायमिक समुदाय ही समाज का धारार है। यह समुदाय जितना स्वस्थ और शातिराली होगा। मानव समाज भी उनना ही स्वस्थ और शातिराली होगा और शातिरिय भी। ऐसा स्वराज शुद्धी भर देंद्रों पर निर्मर नहीं होगा, बल्कि इसम शक्ति ताप्ती देंद्रों मे विकेन्द्रित होगो। स्वतन्त्रा प्राप्ति के दस वर्ष बाद जब सामुदायिक विकास योजना सफल सिद्ध होन लगी तो राजनीतिक विकेन्द्री बरण की धावदयवता अनुभव की गई। यही अनुभव पचायती राज की शुरूआत है और विस्तरीय प्रणाली सागू थी गई परन्तु इस वर्ष थोड़ा जान क बाद भी सब प्रदेशों म विस्तरीय पचायती राज की स्थापना नहीं हो पाई। यहाँ इस बात को साफ कर देन की प्रायदयवता जहर है कि आज के पचायती राज मे प्रायमिक समुदाय स्वशासन की इराई नहीं है। पचायती राज स्वस्यामा को आधिक अधिकार

देना तो दूर की बात है। आनंदे पवायती राज म याम सभा और व चायत सबसे कमज़ोर सह्या है। कहीं-कहीं तो विकेन्द्रियकरण के लिए तक ही सीमित है। गांधी जो का स्वदेश म तो पवायते अपन अपन स्तर पर राजनीतिक भौत आर्थिक स्वदासन दी इकाइया थी। गांधी जो का सारा विचार एक तक सगत धारा में यग हुआ है। सोलक तक यह है कि राजनीतिक भौत अवशीति दोनों का एक दूसरे के अनुच्छूल होना अनिवाय है। यह बात कर्त्ता तौर पर असम्भव है कि आर्थिक विकेन्द्रियकरण के प्राधार पर राजनीतिक विकेन्द्रियकरण हो सके या वह एक दूसरे के साथ साथ रह सके। पवायती राज स्वदेश को दास्तन प्रवद्ध कर आग बांध कर आर्थिक विकास योजनाओं को कार्यान्वयित करते व लिये इस्तमाल तो दिया जा सकता है। किंतु वह स्वदासन का इकाइया नहीं होगी वह तो मशीनरी के निर्जीव कलपुरुष हांगी।

चतुर्मान स्थिति का एक विश्लेषण

पवायती राज का उदयाटन इन्हिये हुए था कि विकास के कार्यों म जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त दिया जा सके। पवायती राज स्वदासों वो जनतानिक हृषि देवक जनता में इस बात का गौरव पूर्ण बनाए करता था कि वह नीचे स्तर पर भी अपनी सत्यायों का विवरित कर सकती है और उन निकटतम सत्याओं द्वारा याकृत के कार्यों में सामोदर्द हो सकते हैं। कि तु यह गौरव तो मिथ्या है। इन सात वर्षों में पवायता राज के अनुभवों न इस गौरव को मिथ्या सिद्ध बर दिया है। जनता में वह विद्वाम, वह स्मारा, वह आकाशा उत्पन्न नहीं हो सकी जो उत्साहपूर्ण भागीदारी और सहकारिता को उभार सके, इसलिए तो विकास की गति न बैठक धोमी ही रही है बल्कि सीमित भी। नगरोंवरण की एक भयानक प्रक्रिया पड़ी, और गांव उड़ाने से, गांव के पुरुक रोजगार की तत्त्वाय म दाहरों वो घोर हिजरत करने लगे हैं। जिन देहातों म गांधी जी स्वराज के द्वारा बनाने थे वही देहात निर्जीव हीरर द्विन मिन हो रहे हैं। यदि इससे भी देंग का आर्थिक विकास हो पाता जनसाधारण की कम से कम पारथियक आवश्यकता पूरी होन सकती, रोजगार की क्षेत्र विस्तृत होन लगते दिखा, स्वस्थ्य की सूख लियत बनने सकती, तो इतना सन्तोष तो होता कि आमोण जीवन के खण्डहरों पर एक नय घोर स्वस्थ जीवन का विकास हो रहा है। केंद्रिय आर्थिकता का प्रमुख भी सिद्ध होता, परन्तु हुए इसके विपरीत। विकास की गति धोमी रही, राज्यीय आमदनी तो बढ़ी पर इसका ज्यादा भाग बन्द कर तक सिमट कर रह गया। भमीरी घोर धरीबों के दरम्यान याद घोर भी ज्यादा विस्तृत घोर गहरी हो गई है। दश का आर्थिक बढ़ा वे विसी सी क्षति स कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुए। हुपि की स्थिति बिगड़ी है जमीदारी उम्मूलन, वे बावजूद मालवियन वे प्रवद्ध म कोई प्रगतिपौल परिवर्तन नहीं हुए, देहात द्विन मिन हो गये। घरबो झरबो की धनराजि जो योजनाओं के द्वारा जब त्वर्द मानो देंग की प्यासी धरती ने समाली है। इस स्थिति वा विश्लेषण दिया जाए तो सबसे बड़ा बारण यही सिद्ध हुआ कि योजनाएं गलत आर्थार पर बनाई गई, और वह इसलिये कि योजनाओं के निर्माणाद्यों के हार्दिकोण हो गलत थे। जिस बात को यह प्राथ-मिकता देते हैं वह केंद्रीय घोरोगित बरण है। बातों सब बातें इस लक्ष्य के अधीन बर दी गई हैं। हुपि वे विकास पर लक्ष्य देंग और दम्भकारी इन पर भी आरबो रुपय की धनराजि जब हुई, इसलिये कि यह केंद्रित आर्थिकता के विकास म सहायक हो।

राजनीतिक और आर्थिक विकेन्द्रीकरण : अनिवार्य सम्बन्ध

राजनीति में विकेन्द्रीकरण वा प्रवार और आर्थिक व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण पर जोर

हिन्दी वाड़मय की अभिवृद्धि के लिए हिन्दी समिति के

उच्चस्तरीय प्रकाशन

विज्ञान एवं नकनीक, सामाजिक शास्त्र, राजनीति, इतिहास, कला, साहित्य विषयों
पर १३२ मीलिक तथा अनूदित भाष्य प्रकाशन।

कुछ नये प्रकाशन

१—योग दर्शक	डा० सम्पूर्णानन्द	६-००
२—वजानिक उद्गावों का इतिहास	श्री जगपति चतुर्वेदी	५-००
३—भषण सहिता	श्री अश्रिदेव विद्यालकार	४-५०
४—पश्चिमी आलोचना शास्त्र	डा० लक्ष्मीसागर वाण्णेय	८-५०
५—रेडियो सर्विसिंग	श्री रमेशचंद्र विजय	८-५०
६—समवाद और सधात्मक शास्त्र	डा० ब्रजमोहन शर्मा	८-५०
७—स्टाच और उसका व्यवसाय	डा० सत्तप्रसाद टण्डन	७-५०
८—पदाय शास्त्र	श्री आनन्द भट्टा	८-००
९—उद्योगिक इलेक्ट्रोनिक के सिद्धान्त और प्रयोग	प्रो० कृष्णजी	६-००
१०—मार्कीय कल्याण	आचार्य भास्करानन्द लोहानी	४-५०
११—प्राचीन भारत में जनतन	डा० देवेंद्रत गुरुन	५-५०
१२—भवध की सूट	श्री राजेन्द्र पाण्डे	३-५०
१३—राजनीतिक दायित्व के सिद्धान्त	डा० ब्रजमोहन शर्मा	७-००
१४—राज की दायित्विक विचारणा	श्री कै० सौ० जोगी	६-००

उचित मूल्य आवधक वसीकार
पूर्ण विवरण और पुस्तकों की संग्रहीत के लिए
तिविष्य —

सचिव, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ

संड-३

पंचायती राज की सरचना की पृष्ठभूमि



- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| १ राष्ट्रपिता के सपनो का ग्राम राज—गोपीजी | १-५ |
| २ भारतीय सविधान के सदम में पंचायती राज की गरिमा—श्री जयपकाशनारायण | ६-८ |
| ३ नवीन भारत में पंचायती की भूमिका—श्री उच्चशास्त्र द्वारा | ८-२२ |
| ४ पंचायती राज के लिए बलवनराय मेहता द्वारा श्री प्रारम्भिक सिफारिशें | २३-३० |
| ५ सोवतानिक विदेशीकरण की घटना—श्री जवाहरलाल नेहरू | ३३-३७ |
| ६ मुगोस्ताविया म सत्ता को विदेशित द्यवस्था—श्री मण्डउसिंह महता | ३८-४३ |

राष्ट्रपिता के सपनों का ग्रामराज

—गीतीजी



ग्राम-स्वराज्य को मेरी कल्पना यह है कि एक ऐसा पूछ प्रजातन्त्र होगा जो अपनी आहम जहरतों के लिए धनने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, और किसे भी बहुतेरी दूसरी जहरता के लिए-दिनम दूसरें वा सहयोग भविवाय होगा—वह परस्पर सहयोग से बास लेगा, इस तरह हर एक गाँव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जहरता वा तमाम अनाज और वपठ के लिए बपास खुद पदा कर ले उसके पास इतनी सुरक्षित जमीन होना चाहिये जिसमें ढोर चर सर्वे, और गाव के बर्डों व दब्बा के लिए मन बहलाव के साधन और ऐलहूद वे मदान वर्गीरा वा बन्दीबस्त ही सके। इसके बाद भी जमीन बचे तो उसम वह ऐसी उपयोगी कफलें बोयेगा जिन्हें बेब कर वह आधिक साम उठा सके, या वह गाड़ा, तमाकू अकोम वर्गीरा की खेती से बचेगा।

गाव की स्थानीय संस्थाएँ

हर एक गाव म गाव की अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला और समाजवन रहता। पानी के लिए उसका धरता इन्तजाम होगा—बाटर बकल हीमे-जिउसे गाव के तभी लोगों को गुद पानी मिला करेगा। कुमा और तालाबों पर गाव का पूरा नियंत्रण रख कर यह बास दिया जा सकता है। बुनियादी तानीम के प्रातिरो दर्जे तक दिया सक्ते निए लाजिमी होगी। जहां तक हो सकेगा, गाव के सारे काम सहयोग के आधार पर किये जायेंगे। बात-पात और कमागत भस्तृशयता के जरूर भद्र आज हमारे समाज म पाये जाते हैं, वसे इस ग्राम-समाज में विनष्ट नहीं रहेंगे।

गाव की रक्षा के लिए ग्राम सैनिक

गाव की रक्षा के लिए ग्राम-सैनिक वा एक ऐसा दन रहेगा, जिस लाजिमी तौर पर बारो-बारी से गाव में छोटो-पहरे का काम करता होगा। इसके लिए गाव में ऐसे लोग वा रजिस्टर रखा जायगा।



पचापतीराज के स्वप्न द्रष्टा
महामा गौरी

राष्ट्रपिता के सपनों का यामराज

—गांधीजी



ग्राम-स्वराज्य की मेरी पत्तना यह है कि एक ऐसा पूण प्रब्राह्म होगा जो अपनी अहम वस्तुओं के लिए धनने वडोली पर भी निपर नहीं करेगा, और किर भी बहुतेरी दूसरी जहरता के लिए-जिनमें दूसरा वा सहयोग अनिवार्य होगा—वह परस्पर सहयोग से काम किएगा, इस तरह हर एक गाव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जहरता वा तमाम अनाज और कपड़े के लिए बपास खुद पढ़ा कर ले उसके पास इतनी सुरक्षित जमीन होना चाहिये जिसमें दोर चर सर्व, और गाव के बड़ों व बच्चों के लिए मन बहलाइ के साधन भी रहे। किलकुट के भद्रान वर्गीया वा बल्लोचल्त हो सके। इसके बाद भी जमीन बचे तो उसमें वह ऐसी उपयोगी फसलें बोकेगा जिन्हें बैठ कर वह आर्द्धिक लाभ उठा सके, यो वह गाजा, तमाहू अक्षीम वर्गीया को खेती से बचेगा।

गांव की स्थानीय स्थानें

हर एक गाव में गाव की अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला और सभामंडल रहगा। पानी के लिए उसका परवा इन्टिकाम होगा—बाटर बक्स हीलि-जिससे गाव के सभी लोगों को तुद पाने मिला करेगा। तुदों और तालावों पर गाव वा पूरा नियन्त्रण रख कर यह काम किया जा सकता है। बुनियादी तालीम के प्राप्तिरी दर्जे तक रिश्ता रखके लिए लाजिमो होंगे। जहां तक हो सकेगा गाव के सारे वाम सहयोग के आधार पर बिये जायें। बाल-मात और ब्रह्माण्ड असृष्टयता के जस भेद प्राज हमारे समाज म पाये जाते हैं, वसे इस ग्राम-समाज में बिलकुल नहीं रहेंगे।

गाव की रक्षा के लिए ग्राम सैनिक

गांव की रक्षा के लिए ग्राम-संविका का एक ऐसा दर रहेगा जिस लाजिमी तौर पर बारी-बारी से गाव के छोड़ो-पहुंचे वा वाम होगा। इसके लिए गाव में ऐसे लोग वा रिजिस्टर रखा जायगा।

ग्राम पचायित

गाव का शासन चलाने के लिए हर साल गाव के पाव ग्रामियों की एक पचायत चुनी जायगी इसके लिए नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बालिग स्त्री-पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपने पच चुन लें। इन पचायतों को सब प्रकार की ग्रामशक्ति सत्ता और अधिकार रहेंगे। तू कि इस ग्राम-स्वराज्य में ग्राम के प्रचलित प्रथाओं में सजा या दड़ का कोई रिवाज नहीं रहेगा इस लिए यह पचायत अपने एक साल के कार्यकाल में स्वयं ही धारासभा, "यायगमा" और कायकारिणी सभा का शारण ग्राम संयुक्त रूप से करेगी।

गांव का प्रजातंत्र

आज भी अगर कोई गाव चाहे तो अपने यहाँ इस तरह का प्रजातंत्र कायम कर सकता है। उसके इस काम में भीजूला सरकार भी ज्यादा दस्तदारी नहीं करेगी। क्योंकि उम्रका गाव से जो भी कारणर सम्बन्ध है वह सिफ मालगुजारी बसूल करने तक ही सीमित है।

ग्राम शासन की रूपरेखा

यहाँ मने इस बात का विवार नहीं किया है कि इस तरह के गाव के अपने पास-पड़ीस के गांवों के साथ या केंद्रीय सरकार के साथ, अगर वसी कोई सरकार हुई क्या सबध रहेगा। मेरा हेतु तो ग्राम शासन की एक रूपरेखा पैरा बरने का ही है। इस ग्राम शासन में व्यतिगत स्वतंत्रता पर ग्रामपाल रखने वाला संपूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। यक्ति ही अपनी इस सरकार का निर्माता भी होगा। उसके सरकार और वह दोनों अधिकारों के नियम के बद्य होकर चलेंगे। अपने गाव के साथ वह सारी दुनिया की दृष्टि द्वारा मुकाबला कर सकेगा। व्ययोकि हर एक देहांती के जीवन का सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गाव की दृज्जत की रक्षा के लिए मर मिटे।

पूरी जिदगी उत्तम हो जाए

सभव है ऐसे गाव जो तथार बरने में एक प्रादमी की "पूरी जिदगा" उत्तम हो जाय। सच्चे प्रजातंत्र का और ग्राम-नीवन का कोई भी प्रभी एक गांव को लकर बठ सकता है और उसी को अपनी सारी दुनिया मानवर उसके काम में मशाल रह सकता है। निदवय ही उसे इसका अच्छा फैन मिलेगा। वह गाव भ बढ़ो ही एक साथ गाव के भगों कतवये चौकीदार बद्य और शिक्षक का काम गुरु बर देगा। अगर गाव का कोई प्रादमी उसके पास न फटके तो भी वह सातोप के साथ सफाइ और बताई के काम में जुग रहेगा।

ग्रामीण कला और उद्योग

देहात बाना भ ऐसो बद्या और कारीगरी का विकास होना चाहिये, जिससे बाहर उनकी पदा की हुई चौजों की शीमत भी जा सके। जब गांवों का पूरा-न्यूरा विकास हो जायगा तो देहातियों की दुनि

धीर धात्मा को सन्तुष्ट करने वाली कार्यालयीगरी के धनो हस्ती-पुरुषों की गावा भ कमी नहीं रहेगी। गाव मध्यविहारी, विविकार होंगे, शिल्पी होंगे, भाषा के पटित और शोष करने वाले लोग भी होंगे। पांडे में जिन्दगी की ऐसी कोई चीज़ न होगी जो गाव मन मिले। माज हमारे देहात उजडे हुए भौंर कुड़े-कचरे के ढर बने हुए हैं। इन वहीं सुदूर बगीचे होंगे और ग्रामवासियों को ठाना या उत्तरा घोषण करना प्रसंभव ही जायगा।

इस तरह के गावों की पुनर चना वा बाम आज से ही पुरुष हो जाना चाहिये। गावों की पुनर चना वा बाम बामचलाऊ नहीं, बल्कि स्थायी होना चाहिये।

अखण्ड ग्राम रचना

उद्योग, हनर, तन्त्रज्ञानी और शिक्षा इन चारों का सुदूर समर्वय करना चाहिये। नई तालीम में उद्योग और शिक्षा, तन्त्रज्ञानी और हनर का सुन्दर सम्बन्ध है। इन सब वे मेल से माके पेट में प्रान के समय से लेकर बुड़ापे तक का एक सूखमूरत पूल तयार होना है। यही नई तालीम है। इसलिए यहू में ग्राम-रचना के ट्रूडे नहीं कर्णगा बल्कि यह कोशिश करेगा कि इन चारों वा आपस में मेल चढ़े। इस लिए यह किसी उद्योग और शिक्षा को अतग नहीं मानूगा, बल्कि उद्योग को शिक्षा का जरिया मानेगा, और इसलिए ऐसी योजना में नई तालीम को गारिमन बरूगा।

मेरी कल्पना की ग्राम-डंकाई

मेरी कल्पना की ग्राम इकाई मजबूत स मजबूत होगी। मेरी कल्पना के गाव म १००० ग्राममी रहेंगे। ऐसे गाव की भगर स्वावलम्बन के आधार पर अच्छी तरह संगठित किया जाय तो वह बहुत कुछ बर रखता है।

आदर्श मार्तीय ग्राम

ग्राम भारतीय ग्राम इस तरह बनाया जायगा कि उसमें सासानी से स्वच्छता की पूरी-पूरी व्यवस्था रहे। उसकी कारपटिया मर्यादित प्रवाश और हवा का प्रवाश होगा और उनके निर्माण में जिस सामान का उपयोग होगा वह एसा होगा जो गाव के भास पास पाच भोज की तिज्या के प्रांत में मिल सके। इन कारपटियों में धान या खुला जगह होंगी, जहाँ उस धर के लोग धपने उपयोग के लिए साग माजिया डाला सकें और धपने मर्वेशियों को रख सकें। गाव की गिरिया और सड़कें, जिस धून पर हटाया जा सकता है उससे मुक्त होंगे। उस गाव में उसकी आवायकता के धनुसार मुए होंगे और वे सबके लिए चुते होंगे। उसमें सब लोगों के लिए पूजा के स्थान होंगे, सबके लिए एक सभा भवन होंगा, मर्वेशियों के घरने के लिए गाव का चारागाह होगा, सहवारी डेरी होंगी ग्रामिक और भाष्यमिक सालायें होंगी जिनमें मुम्पत्र भौदोगिक शिक्षा ही जायगी और भगड़ों के निपटारे के लिए ग्राम-घायत होंगी। वह प्रभना भगड़ा साग माजियाँ और कल तथा खाने मुद्र पैदा कर देगा।

आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए (पचायत राज)

ग्रामादी नीचे से शुरू होनी चाहिये। हर एक गाव में यमहूरों सत्तनत या पचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और दावत होंगी। जिसका मनन यह है कि हरएक गाव को धपने पाव

पर खड़ा होना होगा—अपनी जहरत खुद पूरी कर लेनी होगी ताकि वह अपना सारा कारोबार खुँचला सके । यह तरह कि वह सारी दुनिया के जिलाफ अपनी रक्षा खुद कर सके । उसे तालीम देकर इस हृदय तक तयार करना होगा कि वह बाहरी हमले के मुकाबले में अपनी रक्षा करते हुए भर मिटने के लायक बन जाय । इस तरह भावित हमारी खुनियाद व्यक्ति पर होगी । इसका यह भतलव नहीं वि-पठोसिया पर या दुनिया पर भरोसा न रखा जाय, या उनकी राजी-खुशी के दी हृदई मदद न ली जाय । कल्पना यह है कि सब लोग आजाद होंगे और सब एक दूसरे पर अपना असर ढाल सकेंगे, जिस समाज का हरएक आदमी यह जानता है कि उसे यदा चाहिये और इससे भी बढ़कर जिसमें यह भाना जाता है कि बराबरी की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज़ नहीं मिलती है वह खुद भी किसी को नहीं लेनी चाहिये, वह समाज जल्द ही बहुत ऊंचे दाजे को सम्मता वाला होना चाहिये ।

गाव की जिदगी समुद्र की लहरों की तरह

ऐसा समाज अनगिनत गोवा का बना होगा, उसका फलाव एक के उपर एक के ढग पर नहीं, बल्कि सहरा को तरह एक का बार एक की शक्ति में होगा । जिदगी मोनार की शक्ति में नहीं होगी जहाँ उपर की तरफ छोटी की नीचे के चौडे पाये पर खड़ा होना पड़ता है । वहाँ तो समुद्र की लहरों की तरह जिदगी एक के बाद एक धेरे की शक्ति में होगी और व्यक्ति उसका मध्यविन्दु होगा ।

एक के लिए सब, सबके लिए एक

यह व्यक्ति हमें अपने गाव के लानिर मिटने को तयार रहेगा । गाव अपने इदंगिद के गावों के लिए मिटने वो तथार होगा । इस तरह भावित सारा समाज ऐसे लोगों का बन जायगा, जो उनका अनवर कभी किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा नभ्र रहते हैं, और अपने में समुद्र की उस 'गान' की महसूस करते हैं जिसके बे एक जर्री अग है ।

इसलिये सबसे बाहर का ऐरा या दामरा अपनी ताकत का उपयोग भीतरवालों को कुचलने में नहीं बरेगा बल्कि उन सबको ताकत देगा और उनसे ताकत पायेगा । मुझे ताना दिया जा सकता है कि यह सब तो स्थालों तस्वीर है इसके बारे में सोचकर यक्त वयों बिगाड़ा जाय ? युकिल की परिमापा वाला बिन्दु बोई मनुष्य क्षीव नहीं सकता, किर भी उसकी कोपत हमेशा रही है ।

यह दयाली तसवीर नहीं है मेरी तसवीर

उसी तरह मेरी इस तसवीर की भी कोपत है । इसके लिये मनुष्य जिदा रह सकता है । अगर ऐसे इस तसवीर को पूरी तरह बनाना या पाना रामबद नहीं है तो भी इस सही तसवीर को पाना या इस तरफ पहुँचना हिंदुस्तान की जिदगी का मकसद होना चाहिये । जिस चीज़ को हम उससे मिलती-जुलती कोई चीज़ पाने की आगा रख सकते हैं । अगर हिंदुस्तान के हर एक गाव में वहाँ पचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तसवीर की सचाई सावित कर सकूँगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे भाविती दोनों बराबर होग या यो कहिये कि न बोई पहला होगा न आसिरी ।


हर धर्म को बराबरी की जगह


इस तस्वीर में हरएक धर्म की प्रथों पूरी भौत बराबरी की जगह होगी। हम सब एक ही आड़ीशान पेड़ के पत्ते हैं। इस पट की जड़ हिलाई नहीं जा सकती, वयाँ वह यातात तक पहुंची हुई है। जबरदस्त से जबरदस्त आधी भी उसे हिला नहीं सकती।

मशीनों के लिए कोई जगह नहीं

इस तस्वीर में उन मशीनों के लिये कोई जगह नहीं हाँगी, जो मनुष्य की मेहनत की जगह लेकर कुछ लोगों के हाथों में सभी ताकत इकट्ठी कर देती है। सभ्य लोगों की दुनिया में मेहनत की प्रणीत आदीशी जगह है। उसमें ऐसी मशीन की गुजाइश हाँगी जो हर आदमी को उसके काम में मदद पढ़ देयें। लेकिन मुझे कवल करना चाहिये कि मने वभी बैठकर यह सीखा नहीं कि इस तरह की मशीन कसी ही सवता है। सिखाइ त्रौ सिगर मशीन का स्थान मुझे आया या। लेकिन उसका त्रिक भी मने पाहो चार दिया या। प्रणीत इस तस्वीर को पूणे बनाने के लिये मुझे उसको जहरत नहीं।

जब पचायत राज स्पाइसिट हो जायेगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिसायेगा जो हिटा कभी नहीं कर सकता जमीदार, पूजोपतिया और राजामों की मोजूदा सत्ता तभी तब चल सकती है जब तक कि सामाजिक जनता को प्रणीत शक्ति का भान नहीं होता। प्रगर लोग जमीदारों और पूजीवादी त्रुप्राइ से सहशोण करता बन्द करदें, तो वह पोयले के अभाव में चुद ही मर जायगी। पचायत राज में ऐसत पचायत की भाना भानी जायगी और पचायत घपने बनाये हुए कानून द्वारा ही प्रणा काष वरेग।





भारतीय संविधान के सदर्भ में यंचायती राज की गरिमा

—श्री जयप्रकाशनारायण

मैं पचायती राज की संविधानिक स्थिति को चर्चा करता चाहूँगा। जसा कि संविदित है पचायती राज का प्रारम्भ और विदाउ ग्रामाण्ड विवास कायक्षमा के विद्यावदन म अनुमूल क्षतिप्रय निरागामा बो लड़ दृष्टा। सुप्रसिद्ध वनवतराय महोत्ता प्रतिवेदन ने सोवतात्रिक विकेद्रीकरण की वउमान प्रतिया दो गति दा। इस प्रतिया दो पृष्ठद्वूषि म ग्रामीण धोनो की विकास-नति दो तीव्रतर घरना ही प्रपान लक्ष्य रहा है। इस प्रसाग म म संविधान सभा की सर्विधित वायवाही दा स्मरण बरना चाहूँगा। १६४७ बो १० मई बो संविधान सभा के अध्यक्ष ढा० राजेंद्रप्रसाद ने यह विचार प्रवृट दिया कि संविधान का आधार ग्राम पचायते हानी चाहिये और अप्रत्यक्ष तुनावा के आधार पर स्तर पर स्तर बनाकर संविधान का निर्माण दिया जाना चाहिये। इस विचार पर मेरी समझ में प्राय एक ही प्रकार के सकड़ा संशोधन रख गए। संविधानिक परामर्शदाता थी दो एन राज की यह सम्मति रही कि इस सुभाव में अनुसार समूचे

सविधान को फिर से दोहराने में अब बहुत विलम्ब हो गया है, और यह राय दी गई कि इस विषय को बाद में केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय विधान सभाओं के विचाराथ स्पष्टित कर दिया जाए। १९४८ की २२ नवम्बर दो थीं संसाधनम् का एक संशोधन श्री अम्बेडकर द्वारा स्वीकार दिया गया और बाद में उसे ४० वीं धारा के रूप में सविधान में अग्रोमूल दिया गया, जिसमें कहा गया कि ‘राज्य स्वायत्त शासन की इकाइयों के हृष में शाम पचायता दो संगठित करने के लिए कदम उठायेगा।’

सविधान में शाम पचायतों दो स्वास्थ्य को इकाइया दिया गया है। इकाई’ शब्द के अर्थ में यह सनिहित है कि पचायता का अस्तित्व और राय एकातिक रूप में न होकर, स्वशासन की बही इकाइयों के अग्रीमूल रूप में होगा, जो स्वयं बहुत इकाइयों के भाग होगी। इस प्रकार संघेप में पचायतोराज का अभिप्राय सविधान की चालीसवीं धारा में सनिहित है।

मैंने इस विषय का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है कि लोकतानिक विकेंद्रीकरण के सिद्धान्त और उससे सम्बन्धित स्थायी सामुदायिक विकास सम्बन्धी भनुभवों से ही नहीं उद्भूत होती विलिंग सीधे सविधान सभा के निण्या से भी होती है। विषय का यह पक्ष अत्यधिक राजनीतिक महत्व का है क्योंकि यह पचायती राज की एक निरापद मिशन प्रकार से प्रकाश में लाता है और इस एक महान् धर्य और उई गरिमा प्रदान करता है।

समवत् यह अनिवाय ही या कि भारतीय सविधान में मूल रूप से यह अत्यधिक बैन्ड्रोइत राज्य का चिन्ह प्रस्तुत दिया गया है। अब्रेजो राज्य में वेळे वेळे और प्रातीय सरकारें ही थीं। ये दोनों ही उच्चस्तरीय बैन्ड्रोइत राज की चोनक थीं। यही पद्धति हमारे सविधान में भी ग्रहण की गई। संधीय तथा राज्य सरकारें भाज वयस्क मताविदार के आधार पर ही बनती है—यह तथ्य भी उनके बैन्ड्रोइत राज की सचाई में कोई परिवर्तन नहीं जाता। तानांगी ही राज्य भी लोकपत से चुने और स्पष्टित हुए सुने जाते हैं। सविधान तो सामाजिक तथ्यों को प्रतिविनिवित मात्र करते हैं। वे उन्हें गढ़ नहीं पाते। सविधान बनाते समय उत्तिष्ठित सामाजिक तथ्य समवत् यह प्रमाणित नहीं करते कि राज्यस्तर से क्षेत्र भी शासन के बैन्ड्रोइत राज बा कोई भाषार था। भाजादों द्वारा लडाई ने नीचे से लोकपत के एस प्रग खड़े नहीं विए जिन्हें राज्यसत्ता सोचो जा सकती। स्थानीय स्वायत्त शासन की उस समय बतमान स्थायी पूरणतया दाग भाव थी और उनमें विसी भी प्रकार का कोई तत्व नहीं था तथा न ग्राम, यजुल और जिता स्तरोंपर कामे से समितियों द्वारा ही सोइमत की प्रतिनिधि स्थायी मान कर उन्हें विद्वाम के साथ शासनाविदार सोपा जा सकता था।

किन्तु पचायती राज के प्रारम्भ से ही, कुछ न कुछ सामाजिक तथ्यों की रचना भवद्य ही रही है, वाह इनके पीछे लम्ब कुछ भी रहा हो। गाव से जिले तक विस्तरीय स्वायत्त शासन स्थायारें स्थापित की जा रही हैं। इस धर्ति भावस्मव विकास की दृष्टि ‘प्रीघ्र ही दरा के सविधान में समुचित हृष से उत्तिष्ठित वर स्थान देना होगा और इस प्रकार प्रायगिक रूप से सविधान सभा की भनस्ता भी पूरी हो जाएगी। बत्तमान सविधान में गावन के दो क्षमीय धर्य ही मान गए हैं—वैद्र और राय। स्वायत्त शासन के तीन स्तरों—ग्राम पचायत, पचायत समिति और जिला परियद दो भी सविधान में उनका समुचित स्थान दिया जाना चाहिए और उनके भूधिकारों दायित्वा तथा राज्यीय साधनों में उनके भाग की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिये।

यहा यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसी ही विकारिया १६६० मे भारत सरकार द्वारा युगास्त्रेविया भेजे गये उस अध्ययन दल ने भी वी थी जिसम राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव थी भगवत्सिंह भेहता तथा केंद्रीय सामुदायिक विकास मंत्रालय के प्रधायत श्रावुता थी जो एक मनकोडी सम्मिलित थे। यहा मं प्राप्तिक रूप से यह उल्लेख करना चाहूगा कि युगास्त्रेविया के राजनीतिक और धार्यिक विकेंद्री करण के असाधारण रूप से साहसिक प्रयोग, जिन्हें वे सामाजिक यवस्था की सज्जा देते हैं हमारे देश वासियों के लिए बहुत शूरू महत्व वे हैं और हमें उनका अस्त्यात निवट से अध्ययन करना चाहिये।





नवीन भारत
में

पंचायतों की भूमिका

—धी उच्चाराय देवर

भारतीय संविधान को धारा ४० म वहा गया है
“राज्य प्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसे प्रधिकार और काय सुपुद करने के
लिए कदम उठायेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इच्छाओं के स्वर में काय करने में समय बनायेंगे।”

हमसे कुछ लोग यह सोचने या विद्वास करने लगे हैं कि संविधान की भावना के अनुसार, प्राम पंचायत राज्य की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था का आधार और उसका प्रधान स्रोत है, जिससे सभी किया योलताएँ प्रवाहित होतो हैं। फिर कुछ दूसरे लोग भी हैं जो इस विद्वास के अन्तर्गत वार्य बरते रहे हैं कि पर्याप्त यह न लो केंद्र है और न हो ही सकती है फिर भी यह राज्य की एक अपरिहाय विकेंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था का एक अपरिहाय प्रशासनिक माध्यम होगी। अन्त म, वे लोग भी हैं, जो यही कहते रहे हैं कि पंचायत का निर्माण चाहे जर्सी भी भावनात्मक या तुच्छ घोषणाएँ में साय हो वह राज्य की स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को क्रमिक व्यवस्था में किवत एक सामाय इकाई ही रहेगी—यह स्वय

आधार नहीं होगी वल्कि समूचे ढांचे के आधार पर स्थित होगी। नागरिक के लिए समस्या यह है कि वह देश की राजनीतिक यवस्था और संविधान के भीतर पचायत की भूमिका और उसके स्थान को सही सही निश्चित बनाते हैं। प्रथम थेरेगुरी के लोग इसे केंद्र और आधार मानते हैं इससे थेरेगुरी के लोग इसे प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बड़ी समझने हैं जबकि तृतीय थेरेगुरी के लोग इसका स्थान प्रशासनिक परिधि के निकट बहीं पर मानते हैं।

इंग्लैण्ड में स्थानीय सरकार

रिटिंग स्थानीय सरकार के विषय में चर्चा बरत हुए प्रो जी डी एच कोल ने कहा है

रिटिंग स्थानीय सरकार वा काय मुख्यत प्रशासनिक है अर्थात् उसका सम्बन्ध सदूचा स्थानीय सरकार का नाम आयद, आधुनिक कानूनों द्वारा मुदुर्द किये गए कार्यों को वार्दानित बनाने से है।"

अब आपदा में यह तृतीय थेरेगुरी के लोगों के विष्टिकोण का समर्थक है। प्रशासनिक परिधि पर स्थित होने पर भी, इसे, निश्चय ही, सफाई, सड़क यवस्था आदि प्राविधिक समस्याओं को मुलझाना पड़ता है और साथ ही राज्य यवस्था से अधिकार ज्यादा सही अधि में उन यवितयों से जो उसका सचालन बरतते हैं, निकटाना भी पड़ता है, जो हेवे राजनीतित हो या नीतरसाह। इस सम्बन्ध में इसे ऐसे "आसक्तों द्वारा" आसन करने वा दुष्परिणाम भागना पड़ गा जिनकी स्वयं अपनी धारणाएँ या अभिलाषाएँ हैं। यदि सरकार प्रतिक्रियावादी हुई तो इस बात वा प्रयत्न करेगी कि स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएँ कमज़ोर और भयभीत माध्यमा वे रूप में ही नियांगील हों, और इस प्रवार, वे एक स्वायत्त शासन ढांचे के गति शोल सुनुक्त बिंदु बदापि न बनाने पायें। वे बल वे सरकारें ही स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं पर पूरा पूरा विद्वास बनाने और जनता को प्रतिनिधियों को भल्कूत अनिवाय मामला के ग्रलावा, अयथा प्रतिम सत्ता प्रदान बरने का साहस बर सकती हैं, जिन्हे अपन दागरिका की आधारमूल राज्य भवित और देश सामाजिक जान पर अच्छी तरह निवास हो। इन संस्थाओं की पचायता के कार्यों के सम्बन्ध में गाव के जन सापारण भी प्रतिक्रिया पर भी प्रच्छी तरह गौर करना पड़गा। ग्रत पचायता की स्थिति प्रशासनिक परिधि पर मानने से भी काय सरल नहीं होगा। कभी न कभी यह बात स्पष्ट ही जायगी कि अधिकार मामला में ग्राम पचायता के प्रत्यक्ष अधिकार इतने कम और उनके साधन इतने सीमित हैं कि ग्राम पचायत वा सारा व्यवसाय इस नि दाक्त चीज वो बढ़ावा देने में सकाये गये प्रयत्नों दी सतिरूपि बदापि न बर पायेगा।

सन् १९४७ म लिखते हुए प्रो कोल ने इंग्लैण्ड की स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की काय प्रणाली के सम्बन्ध म अपनी प्रतिक्रिया इस प्रवार यक्त दी थी

मेरा मुझाय यह है कि स्थानीय सरकार भी समस्या में इस समय जो दिलचस्पी वो कभी दिल लाई पड़ता है उगका बारए निफ सफाई सम्बन्धी कार्यों वो जिनसे आधुनिक स्थानीय सरकार वा विकास हुआ है अर्थात् ही नहीं है वल्कि स्थानीय सरकार के सम्बन्ध म एक सबवा निरायार धारणा भी है जिसे हमने उस समय से विरासत म पाया है जबकि धाम तोर पर यह माना जाता था कि इसके बार्य प्रनिवाय रूप से स्थानीय ही होने चाहिये। ... "उसे ऐसी गन्दगिया और बुराइया वो सफाई बरने वाला भगी समझने वो बजाय जिन्हे कोई भाय सम्या न तो बर सकती है, और न करेगी, हम उसको सामुदायिक

जावन के जाने-बाने का कुशल शिल्पी भानना चाहिये। ~ यह पूर्ण की बजाय कि भ्रात्य सत्याएँ 'एवं वलन' के रूप में बया करने के लिए प्रेरित की जा सकती है, हम, दरअसल, यह पूर्णता चाहिए कि स्थानीय समाज, सम्प्रभ की जाने वाने सेवा के स्वभाव के प्रतिसार ज्यादा विस्तृत या सकृचित शब्द में अपन कल्पणा के लिए सबदोंले ढग पर चढ़ा कर सकता है। हम चाहिये कि हम यहाँ पूरा करने या खाड्या भरन वा बास अथ सत्याग्रह पर छोड़ दें, त कि उन सत्याग्रह द्वारा छोड़ी गयी कमियाँ को दूर करने के साधन के रूप में स्थानीय सरकार वा इस्तेमाल वरें।'

प्राचीन भारत में

यद्यपि यह बात त्रिटिश स्थानीय स्वाधीन गांधन सत्याग्रह के सम्बन्ध में सही है किन्तु इस तर्क को भारतीय परिस्थितियों को पृष्ठभूमि में ग्राम पञ्चायती पर दून जोर वे साथ दुहराया जा सकता है। साइ मन वसीयत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है

'विभ्नु, भारतीय ग्राम जीवन के मूल तथ्यों वा अस्तित्व दायम है और उसका महत्व वर्णनित गुणार्थ और कृपि परामर्शदाता, दोनों ही समान रूप में माय होना चाहिये।'

त्रिटिश माल 'ग्राम और पुलिस प्रशासन के भार वे आत्मगत घटना होने के पूर्व भारतीय ग्राम एवं गतिशील सामाजिक ग्रामिक व्यवस्था का विव्र प्रस्तुत करता था। दो ऐसे राधारूपण् के शब्द में यह राष्ट्र को 'एवं उद्देश्य, एक मन्त्रव्य और एक विश्वास प्रदान करता था। चाल्स मेटकाफ के शब्दों में

'ग्राम पञ्चायतें छोटे लोकतंत्र हैं जिनके स्वयं अपने भीतर ग्राम प्रत्येक चौज जिसकी उहे जह रत हो सकती है, मौजूद है, और जो किसी भी विदेशी सम्बन्ध से लगभग मुक्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि व नशवरा है बोच नशवर है। गांधन पर गांधन घटत होते जाने हैं, जाति के बाद जाति आती है, जेविन ग्राम पञ्चायत वा ग्रामवरत प्रम जारी है।' अत म वहता हूँ कि ग्राम सम्बन्धी विधानों में परिवर्तन कि किये जायें। मैं ऐसी प्रत्येक चौज से भयमीत हूँ जिसमें उहे भग कर देने भी प्रवृत्ति गयी जाती है।

फिर भी, जान-कुमठर ग्राम-समुदाय वा नष्ट भ्रष्ट करने का बोधित की गयी। सरकारी धर्म कारिया के हाथों में वार्षिकरिए तथा 'ग्राम सम्बन्धी भविकारों के अत्यधिक वैद्वीकरण तथा जर्मीदारों प्रधान गावा के सामुदायिक जीवन के द्वेष और बड़े विभाजक का कार्य विद्या। युगा से चली ग्रामी उनको समानता तथा ग्रामों और ग्रामीणों के महलों पर उनकी सत्ता और उनके प्रमाव उनसे छोन लिये गये। जिन बार्ता को निरहुग राजाओं के शासन तथा ग्रामिक वालों की विधिया भी नष्ट न कर दीरी, उहे जान बूझार, चुरी नीयत से भायोजित ग्रामों द्वारा नष्ट कर दाला गया।

दो राधाकुमुद मुखर्जी ने ग्राम पर इस प्रकार का सवट भाने के पूर्व पाये जाने वाले भारतीय प्रापोल प्रामानन्द दावे का विव्र प्रस्तुत किया है। वह बहुत है

'भारत ग्राम और समाज के ऐसे सठ प्रस्तित्व वा भद्रमुन और उन्नेलनीय विव्र प्रस्तुत करता है, जिसके अत्यन्त प्रत्येक दूसरे से वृक्षक और कुछ ग्राम में स्वतंत्र होता है और साथ ही, रूप्त उपा पृथक इकाई भी होता है। इस विव्र में समाज और राज्य, दोनों ही

राष्ट्रीय, लोकप्रिय और सामूहिक जीवन तथा काय के स्वतंत्र पैद़ होते हैं। ये दानो ही स्वतंत्र समाज में और इनका ढाचा भी एकदम प्रत्यक्ष और सुनिश्चित था। इनके विकास और प्रगति के नियम भी प्रपने अपने थे।

आगे जब हम ग्राम पचायत प्रशासन की समस्या के घाय दो दृष्टिकोण पर विचार करेंगे, तो इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे।

सही दृष्टिकोण

यदि ग्राम पचायत को थी जो डी एच कोल के शब्दों में, ग्राम के लोगों के भाग्य का 'कुण्ठ' शिल्पी होता है यदि उसे सामूहिक-जीवन-यापन वा उदाहरण प्रस्तुत करना है यदि उसे डा राधाकृष्णन के शब्दों में राष्ट्रीय, लोकप्रिय और सामूहिक जीवन का केंद्र होता है यदि उसे डा राधाकृष्णन के शब्दों में राष्ट्र को एक उद्देश्य, एक सायकता और एक विश्वास प्रदान करना है, यदि उसे अपनी मदद आप करने और शामनिमर होने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करनी है तो हम अपने विचारों में पुनर्जीवनता लानी होगी और पचायत के आधिकारों उसकी सत्ता और उसका साधनों की समस्या पर स्वायत्त ग्रासन पी स्थानीय निष्ठतम इकाई के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि स्वायत्त ग्रासन की एक ऐसी इकाई के दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा जिस पर तुल्य बुनियादी जिम्मेदारियों का भार रखा गया हो। वहन की जरूरत नहीं कि इस अध म उसे तुल्य बुनियादी अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए। ये अधिकार और जिम्मेदारिया बया हैं, अथवा संविधान तथा ग्राम पचायत संस्थाओं को ग्रन्तिसित करने वाले कानूनी गादों म, ये अधिकार और क्या क्या होने चाहिए—इन पर हम आगे चल कर विचार करेंगे।

आद्ये, हम द्वितीय दृष्टिकोण पर विचार करें। प्रशासन के विकेन्द्रित ढाच की धारणा ग्रनक स्पष्ट दृष्टिकोणों से उत्पन्न होती है। आधुनिक राज्य की प्रवृत्ति के द्वीयकरण की दिशा म अवसर होने की होती है, चाहे वह लोकतानीय संविधान पर आधारित होती हो या अधिकार और सत्ता की एकतात्रीय धारणा पर। शहरी और धौलागिक समाज की जटिल समस्याएं जनता द्वारा रहन सहन और सुविधाओं के कुछ आधारभूत स्तरों को माग तथा नियमित स्वतंत्र संसार म जोखि मुद्रा स्फीति और उससे उत्पन्न राष्ट्रीय राजकीयता नीतिया। वी समस्या से समुक्त है मुद्रा बाजार की गहन संवेदनशीलता आएविक अस्त्रों के सदम म राधनीय सुरक्षा की समस्याएं तथा समुक्त राष्ट्र सघ जसे सगठनों के मान्यम से मुद्र मुरक्का, बीमारी और गरीबों की महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को मुलझाने के प्रयत्न—ये सभी चाहें हम अनिवाय रूप से वैद्रोहकरण की ओर ले जाते हैं। यह एक विद्वन्यारो प्रसिद्ध है।

विकेन्द्रीकरण • परस्पर विरोधी पक्ष

सत्ता के वैद्रोहकरण को रोकने वाले उपाय के रूप म विकेन्द्रीकरण की धारणा, उसकी उस धारणा से भिन्न है जो वैद्रोहक संखार की नियाशीलता का परिणाम होती है। एक का जाम एक सिद्धान्त की सचेत मायता का फल है, जबकि दूसरी धारणा बेवल उस सिद्धान्त से परिचित होती है, और उसी हानत मे विकेन्द्रीकरण करती है जब आवश्यकता सुविधा अधिक दमना की दृष्टि से ऐसा करना अनिवाय होता है। हम ग्राम पचायत प्रशासन

के सदृश म इस अन्तर को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक मामले में तो यह विश्वास और अदा की बात होती है, जबकि दूसरे म देवल परिणामज्ञय। अगर हम इस प्रश्न पर निर्णय करने की हप्ति से विचार करें, तो यह अन्तर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। निराय बरना प्रशासन का सार तत्व है। हमेशा सबाल्प यह उठाता है कि 'किसे और किस न्तर पर निराय करता है?" निर्णयों के अन्तर्गत, उच्च नीतियों से सम्बद्ध निराय, साधारण नीति सम्बद्धी प्रश्नों पर निराय, प्राकाशन सम्बद्धी मामलों पर निराय तथा इस बात के सम्बन्ध में निराय कि इन निरायों को किस प्रकार कार्यान्वयित किया जाय, आमिल होते हैं। भोटे तौर पर, हम उनकी परिभाषा करते हुए कह सकते हैं कि ये तुनियादों नीतियों प्रशासनिक नीतियों और कायान्वयन सम्बद्धी नीतियों के बारे में किये जाने वाले निराय होते हैं। हमेशा यह समय चलता रहता है कि कोन दे निराय करेगा और कौन इहें कार्यान्वयित करेगा। समाधान का तुनियादों अन्तर, जिसकी चाचा मन लगार की है, उन समय नियाशील होता है, जबकि निराय करने के अधिकार पर भवतभेद हो। नीचरताही समाधान की प्रवृत्ति समानता, प्रमाणीकरण और इस भय के नाम पर यि बातें छोड़ या बाच्चनीय ढांग पर नहीं की जायेंगे, कि निम्नतर सत्याग्रह म विच्छेदकारी शक्ति-वैद्य विवरित हो जायेंगे, कि प्रगति बहुत ही धीमी होगी, बहुत कुछ निम्नतम अधिकार हस्तांतरित करने के पक्ष में होती है। इसी प्रकार, बुद्ध राजनीतिक बारण भी ही सकते हैं। पितृ प्रधान नेतृत्व की ओर एक भ्रष्ट प्रेरित प्रवृत्ति भी होती है। नेतृत्व के प्रतीक जिन पर नेतृत्व की प्रतिष्ठा निर्भर करती है, कानूनतर से व्यक्ति के अविज्ञन प्रगति बन जात है। किन्तु इन सब दो पीछे भावनात्मक प्रौढ़ता की इस विश्वास की कमी है कि जो बात सभी के हित में है वह सबशेष तथा सभी के लिये सतीष्प्रद दा पर देवल लभी को जा सकती है, जबकि प्रत्येक अकिञ्चित उसे हस्तिन बरने में हिस्सा ले। जब यह विद्वान् स्वीकार कर लिया जाता है कि विसी व्यक्ति वा अस्तित्व उच्चतम पद पर है, तो यह तथ्य है कि तने पक्ष कोई व्यक्ति दबाव अवश्य है और उन हालत में सम्भलित प्रश्न के भीतर सामुदायिक या पचाशती नियाशीलता का तत्व नहीं मिलेगा। जब तक कि उपरु वा दोनों साधनों के पारस्परिक विरोध दुर्घट नहीं कर लिये जायेंगे, तब तक प्रयान वार्याचियों नियाशीलता और क्षेत्रीय निया शीलता और प्राकाशन के लिए समर्पयें उत्पन्न बरनी ही रहेंगी। कारण क्षमता को चिनता है नाम पर हम हमेशा प्रतियोगिता की अतिथा उत्पन्न बरते रहेंगे, जिससे सत्ता के सम्बन्ध में गलत पारणाएं पदा होती रहेंगी, जबकि प्राकाशन का काय पहीं है कि वह इस सत्ता को जनना की सेवा के नाम पर सन्तुलित और महावृप्ता बनाये रखे। प्रशासन का काय सरकार के नियमित बार्यों को ही सम्पन्न बरना नहीं है। उसे अधिक यापक सामाजिक बाय भी पूरा बरना है। सगड़ने वे पक्ष में उसे भावनात्मक, सामाजिक और धार्यिक स्वरों पर अविवेद-पूण्य प्रवृत्तियों को, कम से कम, घटावर, याहे वह उहैं पूर्णत भले ही विष्ट न कर सके, राज्य की स्थिरता को सुरक्षित रखना पड़ता है, और साथ ही साथ, नाति, ध्यक्षण तथा प्रगति की समस्याओं से सड़ना पड़ता है। प्रयान पक्ष में, उसे मान-दरान, समन्वय और नियंत्रण बरना पड़ता है। यह प्रतिनिया तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक वी सरकारों ताने-बाने का प्रत्येक बाया एवं यह होनार काय न बरता ही और स्वाय से ऊपर उठ बर समान आग में उत्तराहूँ और सेवा भावना से प्रेरित न हो।

सत्ता और अधिकार

सत्ता के सम्बन्ध में यह याद रखना भी जरूरी है कि सत्ता के एक पक्ष में भान्तरिक सामाजिक नियन्त्रण और दूसरे पक्ष में, राज्य में निहित सत्ता होती है। समाज अपने आगा—यक्ति परिवार, गाँव, राज्य और केंद्र—के साध्यम से काय करता है। अब ग्राम इस क्रियाशीलता का वैद्रह होता है। मुख्यत शादत और परम्परा पर आधारित कानूनीय दृष्टिकोण परिवर्तन के साथ भान्तरिक सामाजिक और सामूहिक नियन्त्रण का निर्माण करना चाहिए और सामाजिक सम्बन्धों में व्यवस्था वीं निश्चित प्रतिष्ठा करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस सम्बन्ध के सादम में ही हम डा० राधाकृष्णन मुद्रार्जी के उस कथन का पाठ करता चाहिये जिसका उद्दरण मत लगाया है।

इस प्रकार ग्राम पचायत प्रशासन को एक भौतिक यापक उद्देश्य से पूण होना चाहिए, जिसे एक विशेष प्रबार के कार्यों द्वारा पूरा करना समाज और राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। इन कार्यों में से कुछ स्वभावत सामाजिक काय होंगे और वैष्णव प्रशासनिक काय। अत प्रशासनिक स्तर पर पचायतों के सम्मुख पा० सामाजिक और भाविक समस्याओं के सम्बन्ध में नियण्य करने के भौतिकार बगर प्रश्नवा प्रशासनिक और क्रियाशीलता सम्बन्धी नीतियों के बारे में नियण्य करने वा० भौतिकार बगर सत्ता और कार्यों वीं बात करना उस एकदम निमन्तम अधिकार वीं इकार करने के समान है जो पचायत द्वारा अपनी भूमि पा० घटा करने के लिए आवश्यक है। इस तरह की लगड़ी या निर्जीव सम्भवा से यह आपेक्षा हांगिज नहीं की जा सकती कि वह उन कार्यों वीं कामयाजी से पूरा कर लेगी जिसका उल्लेख मने ऊपर दिया है। यह काय है 'भविते॒क पूण प्रतुतियों को बम बरना, या 'शात्ति और अध्यवस्था की समस्याओं से लड़ना या 'माग-दशन 'सम्बन्ध और नियन्त्रण करना। इस प्रारम्भिक मसुविधा से॑ प्रारम्भ करने पर उससे यह घटेगा हांगिज नहीं की जा सकती कि वह 'वाक्यनीय दृष्टिकोण परिवर्तन करेगो या 'भान्तरिक नियन्त्रण का विमाण करेगो या सामाजिक सम्बन्ध में निश्चित व्यवस्था ढाय में बरने की जिम्मेदारी लगी।

इस पृष्ठ भूमि म आइये हम देखें कि आज से २० बप पू॒व गांधी जी ने हरिजन में वया लिखा था।

'म यह बहुता रहा हूँ कि आगर छूतधात वा० भावना कायम रही तो हिन्दू धम का अस्तित्व उत्तम हो जायगा, उसी तरह मं कहूँगा कि आगर गाँव विनष्ट हुशा तो शारत भी नष्ट होकर रहेगा। या० भारत नहीं रह जायगा : विश्व म स्वयं उसका अपना आत्मा उत्तम हो जायगा।'

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि देश वीं भावी रूपरेता में गांधीजी भाष्मो से विस तरह वीं भूमिका घटा करने की आपेक्षा परते थे। आपुनिक लयालो के भारतीय वीं उनके विचार में घूर्हत ही गोमित विदवार था, बद्दोंवि॑ गांधीजी जिस तरह वीं सामाजिक व्यवस्था की व्यल्पना बरते थे उसमें उसका सीमित विद्वाम था। भान्तरिक स्थानों के भारतीय वीं अपनी धारणायें अपनी व्यल्पनाएँ, थी। वह गाँवों के विकास के लिए पर्याप्तिक सब कुछ करने की तयार था। किन्तु उसके स्वयं वा० मूल तत्व यह था कि वह देहातों वा० शहरी-करण करना चाहता था। अत उसके लिए पचायत एक छोटी प्रशासनिक इवाई

यो—ग्रंथिक से ग्रंथिक एक थीटी नागरपालिका का प्रारम्भिक रूप। उसने दुबारा सोचने पर गांधीजी को सताह से सविधान में यह व्यवस्था शामिल करना पस्तूर कर लिया।

इतिहास का निर्माण जनता द्वारा होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वह भी जनता का स्वरूप निर्माण करता है। इतिहास की प्रत्येक घटना, इस प्रक्रिया में प्राप्त प्रत्येक ग्रनुभव, न सिफ कुछ बाहरी परिणाम उत्पन्न करता है बल्कि आम जनता को भावात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी प्रभावित करता है। इतिहास ने माड थपनी छाप छोड़ जाते हैं और जनता के मस्तिष्क को एक ऐसा मोड़ देते हैं, जो कि उन भौतिक परिणामों की अपेक्षा ज्यादा एतिहासिक घटनायें प्रत्यक्ष उत्पन्न करती हैं, अधिक जापदत और स्थायी होता है। ये नागरिकों के भस्तिष्क और हृदय के कुछ गुणों को सबल बनाते तथा कुछ को दबा देते हैं, और उठना ही जितना वे कुछ कमज़ोरियों को बढ़ाते भीर कुछ को दबा देते हैं। नतीजा यह होता है कि एक विशेष हॉटिकोण विकसित हो जाता है। राष्ट्र के बल एक समूह नहीं होता। भारत आज जो कुछ है, वह उन सभी बातों का सम्मिलित रूप है, जो उसे इतिहास से विरासत में मिली हैं और जिन्हे उसने ग्रनुभव किया है।

एक नवीन चिराट अभियान

भारत ने एक नवीन लम्बा अभियान प्रारम्भ किया है। उसने एक नवीन भारतीय खोला है, जो कि न पहला है और न अंतिम। हम अपने भारत के मार्ग का सर्वेक्षण भीर नक्शा तैयार कर रहे हैं। इसमें मानव प्राणियों के छठे हिस्से का भाग शामिल है जिनमें से ८० फी सदी गावा म रहते हैं। मनोनियों या व्यवस्था एक माध्यम होती है। यह सिफ बाहर है—एक साधन। अतः, प्राइमे, हम इस सवाल पर कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था म हम याम पचायत को कीनसा स्थान देते हैं, एक सतुरित नियम करें। मने राष्ट्र की मिसें प्रवृत्ति की चर्चा की है। मने ग्राम पचायत की भूमिका का उल्लेख किया है। जब गांधीजी ने भारत और विश्व में भारत के धारादा के जीवित रहने की बात कही थी, तो उसके निमाय में ये दोनों ही बातें थीं।

यह समाचार तक की बात है कि ग्रनुभव के ग्रनुभव और ज्ञान से प्रत्येक वृद्धि के साथ, चाहे वह सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में हो, उन स्थानों म परिवर्तन घवशम होगा, जो लोगों ने जीवन को ग्रनु शामिल करती है। किन्तु इसमें एक शत भी है। इस प्रकार परिवर्तन म छठे हुए ज्ञान और ग्रनुभव से उत्पन्न धारित्र प्रतिविमित होनी चाहिये। इसका मताय धनिवाय रूप में लोगों की सामाजिक और आर्थिक संस्थानों के प्राधार को यापक बनाना होता है। यदि राजनीतिक और आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक कदम पर भारत में समाज के जीवन को ग्रनुआसित करने वाली संस्थानों का भावार व्यापक होता रहता तो गांधीजी को कोई ऐतराज़ न होता। उहाने एक बार भावा कि

ग्रस्त्य धारा में नियमित इस टाचे में ग्रनवरत विस्तारणों वृत हो जो क्वापि उच्चामी नहीं होते। जीवन एक विरामित नहीं होगा जिसका ग्रावर तत्त्वे पर ग्रवलभित होता है। उसका धाराय तो होणा महासागरीय बुत और परिविष्ट जो कि उस महासागर की विशालता का ग्राव हागी, विमवी वे परिविद्वन ग्राव हैं।

और उहाने भावे यहा

‘बाह्यतम परिधि इत्तिए सत्ता का उपयोग नहीं करेगी कि वह आनंदिक वृत्तों को खत्म कर दे, बल्कि उन सभी को शक्ति देगी जो उसके अद्वार होंगे और उनसे स्वयं शक्ति हासिल करेगी।’

तो, तीसरा हृष्टिकोण है जिसे म प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह दिखाना है कि भाषु निक विचारधारा भी हम इसी निष्पर्यं तक ले जाती है। इसमें से अधिकांश, जिनमें म भी हूँ के सामने कुछ बाधाएं हैं। हम अपने ग्रामपाले, कुछ हद तक ग्रामीण जीवन से बोहिंक और भावनात्मक स्तर पर पृथक समझते रहे हैं। हालांकि शारीरिक स्तर पर हम में से कुछ लोग ग्रामीणी भी उससे सम्बन्ध बनाये हुए हैं। अत ग्रामीण व्यक्ति के विचारों बो समझने म कुछ प्रयत्न बरने की जरूरत पड़ती है जो कि निष्पत्त ही खोने नहीं। प्रहृति को शून्यता से घणा है। उसका मस्तिष्क नये विचारों को ग्रहण बर रहा है, और बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है जबसा कि होना स्वामार्दिक भी है। वह आजादी के प्रतिफल तथा वाना निक और प्राविदिक विकास के लाभों म हिस्सा बटाने मे गहरी दिलचस्पी ले रहा है। उसको प्रवृत्ति भी घटहरी हो रही है। अगर भारत की भौतिक स्थितियां वतमान जसी न होती तो ऐसा होने दिया जाता। किन्तु मस्तिष्क वा शाहरीकरण और जीवन की ग्रामीण परिस्थितियां ऐसे तनाव पदा करेंगी, जिन्हे हम मुला नहीं सकते क्योंकि हम चाहने पर भी ऐसी परिस्थितिया पदा बरने की आशा नहीं कर सकते, जो एक निश्चित समय के भीतर हमारी सभी उचित आशाएं पूरी कर सकें। अत इन तनावों पर जो कि एक प्रवार के विस्कोट के रूप म विकसित हो रहे हैं एक सम्मद नियन्त्रण यह है कि हम ग्रामीण व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रयास के बड़ताने वान म भिलाकर बुन लें ताकि वह राष्ट्र के सामने पेश इस महान बाय म हिस्सा लेने वाले की हैसियत से यह जान सके कि सचमुच यह एक महान् बाय है और कोई भी उसे पीछे रहने देना नहीं चाहता। इस उद्देश्य को पूरा बरने का एक मात्र सम्मद माध्यम ग्राम पचायत है।

आत्मनिर्भरता

दूसरे विसा भी देश का विकास उन साधनों पर निभर दरता है जिहे वह विकास म लगा सक। एक अद्वितीय देश के लिए जो कि अपनी ग्रथ-व्यवस्था का निर्माण करने को बोशिश कर रहा हो कुछ समय तक दूसरा पर निभर रहने भी स्थिति से बच पाना मुश्किल है, किन्तु एक सीमा होती है जिसके बाद इस तरह भी निमरता, अगर उसकी आजादी बो नहीं तो कम से कम, सामाजिक और आर्थिक धेन मे अपनी नीति लापू बरने या उसका अनुग्रहन बरने की उसकी स्वतंत्र इच्छा पर प्रभाव डाल सकती है। वह भीमा नया होगी—यह एक निरायक वा प्रश्न है। किन्तु पिछले तीन महीनों के दौरान आप सबने एक ऐसा वातावरण देखा होगा जिसमें सामाजिक विवेकशील व्यक्ति भी ‘अस्तित्व के लिए सहायता के रूप म सोचने लगे थे, जबरि उहें “प्रस्तित्व के लिए सर्वोच्च आनंदिक प्रयास के स्वप्न म सोचना चाहिये था।

पूँजी निवेदा पा वायनम जो कि निश्चित जिम्मेदारिया पदा करता है देश मे ही कुछ ग्रामियों का, ग्रथवा विदेशी सहायता दी उपलब्ध की, बल्पना करता है। भारत मे हमारे पास यन क ग्रामिय की कमी है और हमे ग्रनियाय रूप से अक्सर दूसरे विकल्प का सहारा लेना पड़ता है हालांकि हम ऐसा स्वेच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों से बाय होकर बरते हैं। लेकिन इस विकल्प मे उपर्युक्त घोसिम भी होता है। इस स्थिति वा सामना करने के लिए हम बया बरना चाहिये? मैं ग्रथ-गाँड़ी नहीं हूँ, सेविन महामूर्ख दरता हूँ कि हम ग्रथिक से ग्रामिक भारतनिर्भरता के रूप मे सोचना शुरू कर देना चाहिये।

इसका मतभव यह हैंगिज नहीं कि हम बड़े पमाने के दबोगों पर पूजी लगाता बढ़ाव कर देंगे। इसका मतभव यह भी नहीं कि हम किसी ऐसे काय के ह्य में साक्षे ही नहीं जिसमें विदेशी विनिमय की जटिलत हीमी। जहा तद में ऐस सम्भव हूँ उन योजनाओं को पूरा करने के लिए बापों मात्रा म विदेशी विनिमय की जटिलत होगी, जिहे हम पहले से गुरु बर खुवे हैं, क्योंकि हम अपनी पूजी का कोई आग बढ़ाव रखना नहीं चाहते। लेकिन, किर भी विविध विलुल स्पष्ट है। मैं अपन दश के आन्तरिक साधनों के भौतिक उपयोग के ह्य में सोच रहा हूँ। हमारे पास मानव शक्ति का अपार अप्रत्युक्त साधन पड़ा हुआ है। हमारे पास दूसरे भी साधन बनी मात्रा म विवर पड़े हैं जिनका उपयोग हम अभी सिफ इसनिए नहीं कर सके हैं कि हम ऐसा करने में अभ्युक्त रहे हैं। मेरा खयाल है कि जब गांधीजी ने श्रद्धनिभर भारीण अप्यव्यवस्था के पश पर जार दिया था, तो उनके विचार के पीछे अप्रत्युक्त विसरे साधन भी र बेकार था अद्वैकार किन्तु अत्यधिक सम्भावना याली अपार मानव गति ही थी। इनका उपयोग बद्रोय और राज्य रक्कारे नहीं कर सकती, क्योंकि वे एक दूरी से काय करते हैं और ऐसा करने में बाकी विस्तारपूण ध्यान देने की जटिलत होता है।

साधनों की प्रचुरता

विसरे हुए साधनों की विभिन्नता मुझमि पतों तथा आग कोरी हुई भ्रान्तयोगी वस्तुओं से बनी साद के द्वेरा से लेकर जन मानस के आन्तरिक साधनों तक फली हुई है। उपयोग में लाये जाने याए साधनों का एक बड़ा भांडार हमारे पास है, जिसी न किसी को उसे इनेमाल में लाना ही होगा। यह काय केवल प्राम पचायें ही कर सकती है। जब तक सारा देश आम्य जीवन के मूल्यों को मारतोय स्वराज्य की हमा रत को बनाने में आधाररूप मायता के ह्य में अपना नहीं लेता, तब तक बया वे ऐसा करने में दिलचस्पी निष्ठायेंग ? यदि भारत के ग्रामीण समुदायों में जिहित शक्ति का अधिकतम उपयोग करता है तो हम यह मानवा पड़ेगा कि हमें एक दीवाल तक गावा पर आधित रहना होगा, हम जीवन में ऐसे कुराबों को बर्दीस्त नहीं कर सकते जोकि ग्राम्यजीवन से दूटकारा पाना चाहते हैं।

तब महकारी, सामाजिक व आधिक कान्ति में गाव एक सम्बल बन जाता है, उसके लिये ऐसा बनना सम्भव नहीं है, जब तक कि इस धारवद्धन के युक्त्यान या विकास करने के जहरी भ्राद्वार प्रदान नहीं किये जाते तथा इसे ग्रनियावं आवश्यकनामे, जसे सहूलियतें, आविधिक सहायता, वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्ति उपलब्ध नहीं जाती। आजीविकोपाजन करने वाले और घनोपाजन म सहायक यति, इन दोनों म भन्दर है। एक उपासक है, और दूसरा दोयित। गाव को स्तर और शक्ति, दानों ही तरफ अपन आपको ऊपर उठाना है। इसे पुन शक्तिवान बनाना होगा ताकि यह राष्ट्र के सामाजिक व आधिक सम्मान वर मर्तिम ग्राम्याव बन सके।

अन्तत, याधी जी ने सप्ताह की परिस्थितियों के सादभ में भारत की विग्रह दन के बारे म जिता था। वेष्टल यही सकृदृष्टि जोवित रहने की धारा बर सकती है जिनका लक्ष्य मानवजाती या सम्मूण विकास करना हो, और इस विकास का मायदम हर प्रदार के विवाद और मतों के प्रति सहिष्णुता हो। यसी हुक्म ही समय पूव तक भारत का प्रत्येक आम व्यवस्थायता सहरारिता और पक्कील के दान या प्रतीक रहा है। हमारा लक्ष्य इस पुनर्जीवित करना है। इसके पुनर्वस्थान के साप ही ऊरे मसले को पुन

स्पष्ट रूप से समझ लेना है, जिस व्यानिक और प्राविधिक युग में हम रह रहे हैं, उसकी यह मांग है। सामाजिक रूप से समन्वित जाति ही इस उत्तरदायित्व को निभा सकती है। इस प्रकार ही अभिप्राय के लिए हम गांधी जी जनता को एक बड़ी इकाई के अंश के रूप में सामाजिक, आर्थिक तथा भ्रष्ट हालियों में मुक्ष्य स्थानीय उपलाभ साधनों से और उनकी अपनी पसंद द्वारा विकसित होने के प्रवसर उपलब्ध कराने चाहिये। हम इस बात की उचित ही मान्या कर सकते हैं कि इस प्रकार के सम्मानयुक्त रचनात्मक प्रयत्न द्वारा अपनी अभियांत्रिक बदले पर के एक समन्वित व्यक्तित्व प्राप्त कर लोगे। जनतान्त्र ऐसा अस्याए साहियकी आधिकार्य का ही शासन नहीं होता। यह तो बाह्य जोरजब्दली द्वारा भ्रष्ट हुए बिना सम्पूर्ण समाज की मानवादीशी और कायों को अभियक्षित है जिसका परिणाम रचनात्मक प्रयत्न में भाग लेने दृसे पूर्व उसके आयोजन में मांग लेने, और अत में उससे प्राप्तियों के बराबर वितरण करने से ही सन्तुष्टि में होता है। जब तक इस भावना का अभाव रहेगा तब तक प्रावायनिक या विवास सम्बंधी कायों में शारीरिक प्रयत्न चाहे जितनी भी मात्रा में किया जाय, जनतान्त्र में हमारा यह तजुर्बा गहरी नींव नहीं पकड़ सकेगा। हम इसी प्रकार विश्व शान्ति और विश्व-जनतान्त्र को सुन्दर बनाने में मांग लेना चाहते हैं।

हम जो भी वामकम या स्त्रीम बनाते हैं, उसे इन मूलभूत घटयों को बढ़ाने में सहयोग देना चाहिये, न कि इनके रास्ते में रक्षावट ढालें।

आदर्श पचायत प्रशासन

आम्य ढांचे की जिस धारणा का उल्लेख मैंने ऊरक किया है उससे पचायत प्रशासन भी धारणा पर भवश्यमेव प्रभाव पड़ना चाहिये। यह ऐसा अधिकारी नहीं होगा जो विपरिविपद काम कर रहा हो। यह राष्ट्र के प्रशासनिक ढांचे का विकेन्द्रित अंश भी नहीं होगा। इसे जीवन के विनेप मूल्यों के आधार पर नयी सामाजिक व्यवस्था की नींव बनाता है। इसे शान्तिमय सामाजिक भाति का एक प्रभावपूर्ण धोजार बन बर वाय करना है। इसे राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के विप्रदीकरण का माध्यम बनाना है। इसको समर्पित जनतान्त्र का एक नमूना बनाना है। और यह सभी कुछ इसे एक विनेप रचनात्मक हालियों द्वारा ही प्राप्त करना है।

म सच्ची तरह समझता हूँ कि मैंने जो वित्र प्रस्तुत किया है, वह फौरन ही धार्यांचित नहीं किया जा सकता। गांधीजी न भी कहा था —

मुझ पर यह ताना क्सा जा सकता है कि यह सब अत्यन्त बल्पनाजाय है, और इसके इसका मूल्य भी विवार के बराबर नहीं। यदि यूविरड या विदु जिस अवित्र परना विसी भी भावन के लिए भ्रस्तमय या दाशवत महत्व रखता है तो मैं जो वित्र प्रस्तुत किया है उसका भी भावनता के अन्तित्व के लिए अपना आशवत महत्व है। भारत इस सच्चे वित्र के लिए क्षम्यम रहे, हालांकि यह पूर्ण रूप में अनाविहासित नहीं किया जा सकता। इसके पहले वित्र हम अपनी मानवादा जसा चित्र उपलब्ध कर सर्वे हमारे सामने थे कुछ हम चाहते हैं, उसका सही वित्र होना ही चाहिए। यदि भारत के प्रत्येक ग्राम हो लोकतान्त्र बनना है तो म अपने आदर्श के धोचित्य का दावा करूँगा, जिसमें शान्तिमय एक महत्व प्रयत्न के समान ही है, या अप्य द्वारा म, विसी जो भी न प्रथम होना है न प्राप्तिम।'

लोगों को चेतना के विवास और उनके बीच एक सामाजिक किस्म के नेतृत्व के विवास के साथ-साथ इस प्रकार के प्रयोग को भी विकसित होना चाहिये। परिवर्मी किस्म का चुनाव स्वयं गलती करने और सुधारन की सम्भवी प्रक्रिया का अंतिम स्वरूप है। गाव में पायो जाने वाली चेतना को दमत हूए हम यह वह सकते हैं जि इसके प्रतिरक्षण गणितीय महत्व के अनावा धार्यथा समझा नहीं जा सकता। गाव वी जनसत्त्वा सी प्रलग रही, हममें भी वितनों को अभी लोकतंत्र का यह पहलू समझना है। मन गावों के लोगों के लिए इसे समझना कितना ज्यादा कठिन होगा। मैंने अप्रथम कहा था —

“अत महान् द्वारा जनता के आपसी सम्बन्ध को विच्छिन्न होने नहीं दिया जा सकता। अपनी कही भानिक सीमाओं के कारण राजनीतिक दल, अम से कम बतमान परिस्थिति म, सामाजिक विनय और अवीरण भी इस कुनियादी प्रावश्यकता को तिलाजित दिये वर्गे, तथा सामुदायिक धस्तित्र वी प्रक्रिया वो क्षति पहुँचाये वर्ग त्रियाशील ही नहीं हो सकते। अत मैं प्रिया हिचक वह सकता हूँ कि अर्जों के आपार पर होने वाले चुनाव गावों की जनता के प्रति वी गई सब से बुरी सेवा सिद्ध होगी।”

प्रो जी ही एवं कोन ने पेरिदा कौसिल को दलगत राजनीति वा उल्लेख करते हुए कहा है —

* पदि हमारा दल चुनाव म पेरिदा कौसिल की सभी जगहा पर सफन्ना हासिल कर ले, तो पेरिदा कौसिल शायद ही अच्छो तरह बाय कर सके। इसके लिये समूचे स्पू से स्थानीय सामुदायिक सरकार के स्वरूप का प्रतिविम्बित करना तथा अपने सदस्यों म, उनके राजनीतिक मतभदा वे बावजूद सहकारिता वा संगठन करना बेहद जल्दी है।”

मैं इस तरह के चुनावों के विरुद्ध व्यापतिव रोक लगाने वा भनुरोध करने की सीमा तक जाना चाहूँगा।

मैंने उस समय यह भी कहा था —

“हाथाकि चुनाव जनता वी इच्छा वा मूल्याकन परने के लिए जरूरी हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता कि इच्छा का मूल्याकन किया तरह किया जाय, न वि काई विदेष तरीका। अत मैं जनता कि इच्छा वा निश्चय करने के इस सबाल के भीतर समाधान पर जोर दूँगा। अगर हम गावों म एकता कायम रखने पर जोर देते हैं तो हम अभी भी हर गाव में कुछ ऐसे अक्षित मिल सकते हैं जिनम प्राम समाज अपना विवास दृढ़ रखने के लिये तैयार होगा। जहरत है ऐसे पार्षकतायों की जो कि ग्रामोण जनता के विचारों और प्रचलित धाराधा वो अच्छो तरह समझते हाँ, न वि सिफ चुनाव सम्बन्धी कानून वी प्राविधिक गणित को ही सनुष्ट करते हाँ।”

निम्नदेह, मनवय का मतलब यह अतिशय एवं नहीं होता है। यदि पचायत वी अपनी भारी जिम्मेदारियों निभाना है, तो गाव के वासिन्दा वा उसके साथ रहना साक्षी है। प्रभ्याम उक्का वासी समय और दाकि मध्ये और विदेष मे ही बीत जायगा। अंतिम रूप मे परिणाम विविभन्न और प्रस्तोत्र होगा। इस हालत म हम वैयकित्व तथा दलगत भावनाओं की वेदों पर महान् और विभाल सद्य भी प्राप्ति चढ़ा देने भोइ एक गन्दे किस्म वा नेतृत्व उत्पन्न करेंगे जो कि शेष प्रावश्यक गुणा वी भी प्राप्त सेणा।

एकता की सफलता

इस दलोल का उत्तर देना मेरे लिये बठिं है कि ग्रामीण मौजूद पूँड के बीच एकता क्षेत्र हासिल की जा सकती है। सोराप्ट वा उदाहरण देकर मैं केवल अपनी प्रमाणिकता प्रस्तुत कर सकता हूँ। लेकिन, इसके अलावा, मैं ग्रामीण की अनिवार्य बुद्धिमत्ता में अपने किंवास को मिटा नहीं सकता। यदि उचित ढग से उन तक पहुँचा जाय और उन अधिकारियां द्वारा जिनमें विश्वास रखते हों, तो वे विवेक और बुद्धिमत्ता की आवाज को सुनेंगे। ग्रामीण, सुषुष्ट और लाभप्रद अस्तित्व के लिये प्रभु उनके हृदयों पर प्रभुर बरता है और उनके विचारों पर धासन करता है।

मैं भी पचायतों के बर्गीकरण के पक्ष में रहा हूँ। जसें-जसे वे अधिक अनुभवशील और परियोग होती जाय, उन्हें उत्तरोत्तर उच्च स्थान प्रदान किया जाय। इस निशा में भी प्रयत्न विद्या गया और सोराप्ट में यह सफल साधित हुआ। 'स थेरेणी की पचायतें सामाज्य स्वच्छता तथा ग्रामीण काय सम्पन्न करती हैं।' व थेरेणी की पचायतें राज्य वा सरकारी बकाया बसूल करती हैं, जिसमें मालगुजारी तथा छोट तकादी शृणा के अनुदान भी शामिल हैं तथा पटवारी या सर्किल निरीक्षकों के ग्रामीण काय करती हैं। अ थेरेणी की पचायतों पर याय सम्बन्धी कायों का भार है। जिस अनुपात से ये काय सम्पन्न करती हैं उसी अनुपात से सरकारी घ वादान में बढ़दि होती है। सामाज्य उप के व थेरेणी की पचायतों तक पहुँचने के लिये स थेरेणी वो पचायता रो दो उप लगते हैं और एक या दो से अधिक 'व थेरेणी' की पचायत को भ थेरेणी तक पहुँचने के लिए। मेरा एका विचार है कि ग्रामीण को उत्तरदायित्व की दृष्टि से केवल उसी हृद तक प्रभावित किया जा सकता है जिस सीमा तक राज्य के ननृत्य में पचायत की जिम्मेदारी हस्तान्तरित करने का उद्योग होता है। यह तथ्य कि सरकार वास्तविक उचित तथा बहुतम सम्भव अधिकार हस्तान्तरित करने को हड़ प्रतिन है, पचायत को प्रभावपूर्ण बनाने तथा उससे थेरेण्टम प्राप्त करने में बहुत प्रभावकारी रहा है।

ग्रामीण प्रशासन लोगों के निवटतम रह बर ही काय करता है। उसमें अधिकार या सत्ता के बनावटी शेव वो बनाने या भय पदा करने की कोई गुजाया नहीं जो कि यानियों या अधिकारियों में है। ग्रामीण लोगों तथा ग्रामीण नेतृत्व दोनों के हित में निरकृत शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो कि उहे स्वीकार करने की जरूरत पड़ सकती हैं। एकमात्र प्रभावपूर्ण तरीका समझाना बुझाना तथा हृदय परिवर्तन ही हो सकता है। उचित ढग तो जीवन के एक नये सहयोगी तथा सम्यक तरीके के मूल्यों के प्रति वफादारी पदा करना है। ग्रामीण पचायत को सामाजिक निकाय तथा सामूहिक जीवन का तथा उसके लिए भवित्व प्राप्त करने का माध्यम बनाना चाहिए।

गांव को पुलिस के प्रबंध से भर देन की गुजाया नहीं। भान्तरिक या आत्म समय एक गांव या सामाजिक जीवन में एकमात्र मुरदाय यत्र है। एक उप निरपेक्ष लोकवत्त्व में भी लोगों को अपने पूर्वजों की आस्था से निदा ग्रहण करने और अपने बच्चों के चरित्र के लिये दुनियाद तयार करने की गुजायश है। हम उसे या मजाक नहीं उन सपते। ग्रामीण स्तर पर उप कम से कम विच्छिन्नता या उथल-पुथर मचायेगा।

पचायतों के कार्य

पचायत के कार्यों को धन्द्यो तरह बताया जाना चाहिये। द्वितीय पचायतों द्वायेजत में योजना ग्रामों ने यही बताने का प्रयत्न किया है। उसने कार्यों को दो व्यापक बगों में बाट दिया है, जसे प्रशासनिक तथा व्याय सम्बद्धी। व्याय सम्बद्धी कार्यों के अलगत नामिक तथा आपराधिक व्याय का प्रशासन, श्रम कानून, खास तौर से कुपि मजदूरों में न्यूनतम बैतन का अधिनियम तथा भूमि से सम्बद्धित साधारण भगडों में उनका सार्य किया जाना ग्रामों है। प्रशासनिक कार्यों में नामिक काय तथा भूमि व्यवस्था तथा विकास सम्बद्धी व्याय शामिल हैं। नामिक कार्यों में ग्रामीण स्वच्छता, देव रेव तथा जम और मृतु के संखक काय ग्रामों हैं। देव रेव सम्बद्धी व्याय गाव के बडो द्वारा मम्यादित होने चाहिए। एक पचायत है व्याय सम्बद्धी अधिकार उमके न्यान और प्रतिष्ठा का नियमण करते हैं। मालागुजारी का सम्रह तथा उसका सदृपयोग और व्याय पचायत से लोगों पर उसका आवश्यक प्रभाव जमेगा। अध्याय ७ के अनुच्छेद १२ में इस पर विस्तारपूर्वक विचार करते हुए योजना ग्रामों ने इन बातों को व्यवस्था की है।

- (अ) भूमि-सुधार लाए करने में पचायतों का सहयोग,
- (ब) भूमि के उपयोग का नियमन, और खास तौर पर प्रतिभान, धन्द्ये प्रबन्ध और कुपि के तरीके अपनाना
- (च) ऐती और गाव में उत्पादन सम्बद्धी कायकम कार्यान्वित करना,
- (द) सहकारिता और सहकारी प्रयत्नों को बढ़ावा देना,
- (घ) कुटीर, ग्रामीण और लमु उद्योगों को बढ़ावा देना, तथा
- (र) सभूते रूप भ याजना कार्यान्वित करने के लिये जनता के सहयोग का उपयोग।

इस सम्बन्ध में, स्वभावत हम अपना ध्यान राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक योजना स्थांओं की ओर ले जा सकते हैं। निस्वदेह यह यह भूकालीन विचारधारा वे ग्रामों बढ़ा हुआ कदम है। भारत और ग्रामीण और उसके पिछडेपन की प्रत्यक्ष वासनविदता से जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिललाई पड़ती है, मह बात जहरी हो जाती है कि ग्राम पचायतों के माध्यम से सवतोंपुत्रों प्रयाम किये जाय जिनके द्वारा देश को ग्रामीण जनता का इस बात के लिए भाग्यान किया जा सके कि वह देश के जीवन के भावनामन, पास्फूटिक और उत्पादन के क्षत्र में इनका सबक्रेट योगदान प्रदान करे।

वित्त और कर्मचारी

प्रशासन के सन्दर्भ म जिस समस्या पर विचार करना चाहिए, वह जिन और कर्मचारियों से सम्बद्ध है। मह उहों हैं जि राज्य सरकारों के पास धन की बमो है। उने कपर यह बताया है कि ग्रामी भी धन के प्रलाभ ऐसे बृत ये साधन गावों में सबव विस्तरे पड़े हैं जिनका उपयोग नहीं हो सका है। इस समय जहरत यह है कि इस तरह विस्तरी प्रानव सक्ति और भौतिक साधनों का उपयोग किया जाय। प्रशासनिक दमता और क्षेत्री इस मामल की सफलता के साथ हल बरने म निहित है। इस सन्दर्भ म धर्मन्कर विचारणीय हो सकता है जिसकी इन्द्रायगी के सम्बन्ध म यह खेजद्वा हो कि उसे चाहै नवद भदा दिया जाय या धर्म मा बहुत रै रूप मे। ३० बरोड ब्रोड जनसंख्या एक साल मे २४ दिन के यम

की दर पर (जो कि पुराने जमाने में प्रचलित था) धर्म के रूप में १०० करोड़ रुपये प्रदान कर सकती है। वशर्ते विं एक दिन के धर्म का मूल्य ग्राउं ग्राना हो। इससे, और उन साधनों का उपयोग कर जो कि वेकार पढ़े हुए हैं या बर्याद हो रहे हैं, जिनमें वेकार जमीनें और धरणान वचत, घासिल भी शामिल हैं, काफी मात्रा में पूजी का निर्माण हो सकता है। हो सकता है विं में अति-प्राचारावादी होक लेकिन मुझ निरापावादी को उत्तर देना है। हम अभी शुहृदात भर कर सकते हैं। इसवे बाद कायकर्त्ताओं का सवाल आता है जिनमें पचायतों से सम्बद्ध सरकारी और गर-मरकारी दोनों ही प्रकार के कायकर्त्ता शामिल हैं। जब तब कि पचायत के सदस्या और सरकारी तथा गर सरकारी कायकर्त्ताओं के बीच वह भावनात्मक सद्भावना न होगी, तब तक हम आसानी के साथ तरक्की बरने की आगा नहीं कर सकत। मने ऊपर उस शब्द में उपलब्ध एवं प्रकार की ऐसी ग्रद्ध सरकारी या गर सरकारी व्यवस्था की स्थापना की जहरत का सुझाव दिया है जो कि नियशण करने या आदेश देने की बजाय ग्राम पचायत की सहायता और रहनुमायी कर सके। हमें पचायत का मिश्र, विचारण और मानदण्ड बनना है जो कि उस जगह प्रशसा करने के लिए तत्पर हो जहा प्रशसा करना उचित हो, और हमेशा उसके मार्ग के वाघक तत्वों को दूर करने से सम्बद्ध उसकी जिम्मेदारिया में हाथ बटाने के लिए सहायता बरने को तयार भी। हमें निराशा का रूपांग कर देना चाहिये। हम उसका आलोचन करनी होना चाहिये। ग्राम भारत की आशा है। हमें स्वयं आगावादी बनकर आशा उत्पन्न बरने की गिरावेली होगी।

एवं बहुत ही भृत्यपूरण बात स्थानीय अधिकारिया और ग्राम पचायत वा पारस्परिक सम्बद्ध है। यदि ग्राम पचायत को राष्ट्र के समूचे ढाके का धर्म मानना है, यदि उसे राष्ट्रीय उमुक्ति के लिए किये गये कुल प्रयत्नों में हिस्सेदार समझना है, तो सपर्ये या समानातर नियाशीलता का सवाल ही नहीं उठता। अन्त में, बायकर्त्ताओं के प्रशिदाण की समस्या भी है। हमें मानना पड़ेगा कि बतमान प्रशिदाण प्रणाली वेकार सी है। भारत ग्रामों में रहता है। भरत धर्म प्रणिक्षण में इस सत्यता को प्रतिविम्बित होना है तो प्रशिदाण वा वाय सूल से ही प्रारम्भ हो जाना चाहिए। अगर सूल स्तर पर दुर्वक्षों को इस दिशा में कुछ प्रशिदाण मिलने लगे तो ग्राम पचायत की आवश्यकताएं अच्छतर ढग पर पूरी हो सकती हैं।

(२६ नवंबर १९५७ को पटना विद्विद्यालय के 'इन्स्टीट्यूट ग्राम परिक्रमिक एडमिनिस्ट्रेशन' में किया गया भाषण)



पंचायती राज के लिए श्री बलवंतराय मेहता कमेटी की प्रारंभिक सिफारिशें

धारा १ मूल धारणा व लक्ष्य प्राप्ति

आधिक विकास के पहलुओं पर धर्ति शोध अधिक व्यान दिया जाकर कायद्रम के विभिन्न अगे औ प्रायमित्ता को इन्टि से हस्तगत करना चाहिये जसे जल वितरण, इषि की प्रगति, पशुपालन, सहवारी आदि विधिया ग्रामोदय तथा स्वास्थ्य आदि ।

धारा २ लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

सखार को कुछ बायों व जिम्मेदारयों से अपने आपको पूणत धर्तग मानवर कायद्रमों का दायि त्व एवं एसी सत्या को सौंप देना चाहिये जिस पर अपने दोनों के विकास बायों का पूरा जिम्मा हो और अपने आपको निर्देशन, निरीकण और आयोजन के बायों तक सीमित रखना चाहिए ।

स्वाक के स्तर पर एक ऐसी स्वशासित सत्या वा गठन विधा जाये जिसका कायदेत्र विकास लाव ऐ छुड़ा हूपा हो ।

प्राम पचायतों से अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा एवं पचायत समिति का निर्माण हो ।

स्वाक के दोनों की नगर पासिवायें अपने सदस्यों मे एक को पचायत समिति का सदस्य चुने । राज्य सरकारे प्राम नगरपालिकाओं वो पचायतों मे परिवरत करें ।

जिस लाव ऐ धर्यकार दोनों म स्थानीय सहवारी समठन अधिक महत्व पूण हों वहा निर्वाचित स्थाना दे १० प्र० १० स्थान निवाचिन अयवा नियुक्तिया द्वारा सहवारी समितियों के दायरेकरों से भरे जाने चाहिये । समिति वा कायदाल ५ वर्ष का हो और पचवर्षीय योजना के समय वे तीसरे वर्ष मे इसका गठन हो ।

पचायत समिति दे काय इषि दे हर घ ग वा विकास पशुपालन म प्रगति, स्थानीय उद्योगा वा यडावा, जन स्वास्थ्य, बत्ताएवा वा बायें, प्रायमिक पाठ्यालामा का सचालन तथा आकडों दे सप्रह आदि

हों। समिति राज्य सरकार द्वारा सौंपो गई विकास सम्बंधी योजनाओं वो काय रूप म परिणित करते में उसके प्रतिनिधि के रूप में भी वाय करें।

जब पचायत समितिया प्रजातात्रिक पढ़ति पर दक्षता पूण वाय करना गुण कर दे तो उहें आगे जावर और भी वाय सौंपे जाने चाहिए।

पचायत समिति को निम्नलिखित आमदनी के साधन प्रदान दिये जाने चाहिए।

- (१) लाल के थोक के धार्द से आने वाले भू राजस्व का कुछ प्रतिशत।
- (२) यवसाय पर कर।
- (३) स्थायी सम्पत्ति लेने देने पर कर।
- (४) स्थानीय सर्पता से आने वाला लाभ व किराया।
- (५) यात्रा कर, मनोरजन कर।
- (६) मेले व बाजारो से बमूल होने वाला कर।
- (७) मोटर गाड़िया पर लगे कर का कुछ भाग।
- (८) स्वेच्छित जन सहायता।
- (९) सरकारी सहायता।

धार्यिक रूप से पिछड़े हुए थोकों को ध्यान म रखतर राज्य सरकार समितियों को शर्तों पर विना धरों के धार्यिक सहायता प्रदान करे।

“थोक के थोक मे किंद्रोय और राज्य कोप का व्यय पचायत समिति द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में हो परन्तु समिति की सिफारिश पर सौंपे ही विसी सस्था को भी व्यय वा अधिकार दिया जा सकता है।

समिति के प्राविधिक अधिकारी जिला अधिकारी के प्राविधिक नियमण में रहे लेकिन उन पर प्रशासनिक नियमण समिति के प्रमुख प्राप्तिनिक अधिकारी का हो।

समिति वा वार्षिक बजट जिला परिषद् द्वारा भाय हो।

समिति पर कुछ नियमण आवश्यक रूप से सरकार का हो यथा जन हित के मामला में प चायत समिति में निहित शक्ति पर नियमण।

प चायत वा सविधान नियमित पर आधारित हो जिनमें दो महिला सदस्यामों तथा अनुसूचित व जन जातियों के एक एक सदस्य की नियुक्ति वी यवस्था हो। इनके भलावा किसी वग को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जावे।

प चायत की आय के मुन्ह खोत आवास कर, बाजार व सवारी कर अंतिराय या टरमीनल कर, जल व विद्युत वी दरों पाना का पानी पिलाने के तालाबों के कर, प चायत समिति द्वारा दिया गया अनुदान तथा पानी की विनी कर।

ग्राम पंचायतों वा उपमोग भू राजस्व सम्प्रदान के लिये विद्या जापे जिहे राजस्व का कुदू हिस्था द्वयीशन के तौर पर दिया जाये। उपराजत काय दे लिये उन्हीं पंचायतों को उपमुक्त माना जाय जो प्रशासन व विकास क्षेत्र में कुलता प्राप्त कर चुकी है और उहै ही यह अधिकार प्रदान दिया जाये।

ग्राम पंचायतों पंचायत समिति सभू राजस्व का निर्धारित भाग प्राप्त करे।

ग्राम पंचायता द्वारा स्थानीय रूप से खुटाये गये भाग के साथन जो भव निगरानी व सुखावर्णनारिया पर सब किये गये हैं व भविष्य म विकास काया पर व्यय दिये जायें।

जो व्यक्ति एक वय तक बर प्रदा न करे उसे नियमानुसार आगामी पंचायत व चुनावों म भाग लन से विचित रहा जाये और यदि ऐसा व्यक्ति पंचायत का सदस्य हो जा ६ महिने तक बर प्रदा न करे उस भी उपरोक्त नियमानुसार उतना ही जिम्मेवार छहराया जाये और उपरोक्त आधार से विचित किया जाव।

ग्राम पंचायत का बजट पंचायत समिति को जाव व माप्रता पर आवारित होण। समिति का प्रमुख अधिकारी ग्राम पंचायत पर उपरोक्त विषयवाच उन सभी अधिकारों का उपमोग करेगा जो पंचायत समिति पर जिलाधीश करेगा। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में ऐवत राज्य सरकार ही जिला परिषद् की इफारियों के आधार पर हस्तक्षेप बर सके ग।

ग्राम पंचायत के घोर कायों के साथ अनिवाय काय होगे, जल वितरण सफाई, रोशनी, सड़का व सभान सुन्म प्रवध, आड़ों व रेकाट का सम्प्रदान व सामृचित प्रवध तथा पिछडे दगो के कल्याण आदि। इसके साथ ही ग्राम पंचायत, पंचायत समिति द्वारा निर्मित दिसी योजना को कार्यान्वित करने में उसका प्रतिनिधित्व करेगी।

पंचायत का पंचायत क्षेत्र एक ग्राम सेवक के क्षेत्र से अधिक बड़ा भी हो सकता है जिसम न्याय शार्य के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित सुन्मी में स सब डिवीजनल अधिकारी या जिलाधीश ऐसे तोगो को चुन जो पंचायत का पंचायत क्षेत्र सभाल सकत हैं।

पंचायत समितियों के कार्यों म सम्बन्ध स्थपित करने वे लिये एक जिला परिषद् का गठन दिया। जाये जिसके सदस्य समितियों के अध्यक्ष तथा उस क्षेत्र के विधान सभाई व सबुद सदस्य घोर जिला स्वरूप व अधिकारी हो। इस जिला परिषद् का चेयरमन यहा का कलबटर हो तथा उसके अधीन काई भी अधिकारी उसका मन्त्री हो।

यदि हमे प्रजातात्प्रिय विकासीकरण के अनुमत के अन्द्र से अन्द्र परिणाम निवारने हैं तो महाभावायक है जिहमारो इस कमबद्ध योजना की तोना उपरोक्त समितियों का यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् का गठन दिया जावे साथ ही फ्रमाय पूरे जिले में यह योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये।

स्थानीय सम्याचार के लिये निर्वाचित या निर्धारित होने के उम्मीदवार लोगों के लिये ग्राम समिति प्रधिकारी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इस मूल भावना का विसी भी माना में उहै जान प्राप्त हो सके जो अधिक स अधिक जटित होता जा रहा है।

धारा—तीन

कार्य-पद्धति आयोजन-कार्यक्रम

आयोजना और सामुदायिक विकास कायक्रम को नियान्वित करने में ऐसे समय जब कि राज्यों ने विस्तृत लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं सुरक्षा व आर्थिक सतुरन तथा प्राविधिक व निरक्षरता को सम्बन्ध सहायता प्रदान की जानी चाहिए और यह काम जनठा के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित जाना चाहिए जो इसके विस्तारपूर्वक विकास अभ्यारिया की सहायता स पूरा करें।

बजट का विस्तार पूर्वक विभाजन द्वारा निधारित हो। इस योजना के अनुसार हर राज्य अपने योजनावद बजट को बैद्रीय भवित्वों से विचार विमर्श के बाद निश्चित करे।

जिला व न्याय स्तर के स्थानीय प्रतिनिधि समग्रन्तों को निर्धारित काय के पहलुओं को प्रायमिर्दशाओं तथा कुछ नियंत्रक व नियधारमक सिद्धातों के आधार पर कामव्य भ परिणित बरता चाहिए।

धारा—चार

के द्वीय व राज्य-सरकार म परस्पर समन्वय

बैद्रीय सरकार राज्य सरकारों के अधिकार विषयवाच कायों म आर्थिक, उच्च स्तरीय खोज काय व उच्च प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायताएँ प्रदान करे तथा इस प्रकार की आत्मराज्यीय सम्पत्तियों पर नियन्त्रण रखे बयानि राज्य सरकारें स्वयं ऐसा नहीं बर सकती हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारों से विचार विमर्श बर एक देश यापी विभिन्न राष्ट्रों प चर्चार्यों योजनाएँ त्रिपाल बन जानी चाहिए।

जहाँ बैद्रीय सरकार को कोई देश-यापी नई योजना प्रारम्भ करनी हो वह राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत रूप से सकाह दे और उन्हें उसे वायर्ल्य भ परिणित करने दे यदि वे चाहे तो कुछ आवश्यक परिवर्तनों के साथ भी।

धारा—पांच

प्रशासनिक दाचा-राज्य के अन्दर समन्वयता

प्रामुख्यवाद के काय-दश को कम किया जाये तथा हर न्याय म २० ग्राम सवद और बढ़ाये जायें।

धारा—सात

महिलाओं व बच्चों के बीच कार्य

महिला-भव्याण के काय व नोति देशभ्यापो स्तरपर एक ही हाटिकोण से निर्धारित की जानी चाहिए। इस कार्य को पूण जिम्मेदारी राया सलाहकार द्वाव वित्तीय एजेन्सी की हो।

विभिन्न शत्रों व लिये घुमा रहित उपयोगी चूल्हा वा निमाण किया जाये, न कि सारे देश क लिये एक ही प्रशासन के नूहे हो।

ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण छांडा में सफाई के सेंद्रातिक नाम पर अधिक ध्यान न दिया जाकर रोजमरा की दिनभरी में तत्सम्बन्धीय अवहारिक नाम पर अधिक जोर दिया जाये।

ग्राम महिलाओं कायर्कारियों को ग्रामीण महिलाओं के प्रति दिन के काय जसे पशु पालन, रसोई उदान व मूर्गी पालन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

ग्रामीण व अध ग्रामीण क्षेत्रों के दसवीं वक्षा पाठ अध्यापकों से से ग्राम सेवकों की भरती की जाना चाहिए।

महिलाओं व बच्चों में अत्याणुकारी कायकम को शियार्वित करने वाले अभियारी स्थायी रूप से नियुक्त किये जायें।

धारा धाठ

जातीय क्षेत्रों में कार्य

प्रथ क्षेत्रों के व्लाकों की भाँति जातीय क्षेत्रों की भाँति जातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिये ६ वर्ष के लिये बजट बनाया जाये।

लाक का बजट बनाने से पूर्व उस क्षेत्र का सर्वेक्षण व गहन अध्ययन किया जाना चाहिये।

जातियों के बारे में जानकारी व सहायुक्ति रखने वाले स्थानीय सोगों को जातीय क्षेत्रों में काय करने के लिये नियुक्त किया जाना चाहिए।

इस काय के लिये द्याटे गये अवक्षिया को इन क्षेत्रों की स्थानीय भाषा, रीत रिवाज तथा वहा है निवासिया है जीवन सम्बन्धी नाम प्राप्त होना चाहिए।

सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए कृपि अद्य देने से दिशा में वदम उठाने चाहिए।

इन क्षेत्रों में शिक्षा की मूल पदति प्रारम्भ की जानी चाहिए ताकि शिक्षण व प्रगतिशीलता के बांध की साई दिनों पटती जाये।

धारा धारह

कृपि कार्य

मधिव उत्पादन के निघारित लक्ष्य ब्लाद व ग्राम सेवक क्षेत्रों के सम्मुख होने चाहिए।

फगलों के लिए सिचाई की प्रगति की जानी चाहिए।

ग्राम सेवकों को नये व विकसित प्रदर्शन करके वर्ष से वर्ष हर ग्राम में प्रदर्शन करने चाहिये जो गावों में प्रचलित तरीकों से भिन्न हो।

जिला कृपि अधिकारी कृपि के नये उपरकरणों वर्तन प्रदर्शन करने के निमित्त ग्राम सेवकों के लिए प्रत्येक जातीय प्रणिदाण की अवस्था बनें।

पंचायेना वे सहकारी सम्पादो को कृषि के उपकरणों की खारोद, बेचान व किराये पर देने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

फलों व सब्जी के अधिक उत्पादन की दिना में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

फलों को सुरक्षित रखने के बतामात तरीके अधिक आसान व सस्ते बाये जाने चाहिये।

सिवाई के लिए विजली वितरण की दरों ग्रामोद्योगिक विजलो वितरण की दरों से अधिक नहीं होना चाहिए।

ऐसे क्षेत्र जहां धान की पदावार होती है उनका विकास होना चाहिए।

वस्त्रों व शहरों में दुग्र सहकारी समितियां सही व्यपरेक्षा के आधार पर बनाई जायें।

घरों को नस्ल के विकास के लिए प्राविधिक निर्देशनों की आवश्यकता है।

मध्यनीय उद्योग के लिए अधिक आविधन सहायता व प्रशासन द्वारा अधिक ध्यान दिय जाने की आवश्यकता है मुआपतोर पर सामुदायिक विकास क्षेत्रों में।

धारा बारह

सहकार

एक व एक स अधिक गावा वे बोक म बहु उद्देश्य सहकारी समितियों का निर्माण हो जो स्थानीय या पचायता वी सहायता से सही आधार पर कार्य करें।

आवश्यकता वे सभी विकास को अद्दण देने की यवस्था के साथ हो उसे ऐसी सहूमियतें प्रदान भी जायें कि वह फसल के सभी अद्दण वी प्रदायगों कर सके।

सहकारी कृषि पढ़ति को पहले अपने प्रथम अनुभवों से गुजरने दिया जाना चाहिए ताकि तुरन्त ही जुने हुए सामुदायिक विकास योजना व्याक के हर जिले में एक सहकारी कृषि क्षेत्र वा निर्माण किया जाये।

हाइस्कूलों म पाठ्यक्रम वी पुस्तकों व स्टेचनरों के वितरण के लिए विद्यार्थिया द्वारा सहकारी समितियों वा निर्माण किया जाना चाहिये।

धारा तेह

ग्रामोद्योग

तुटीर, ग्राम व जन्म उद्योग घटा में परस्पर समर्वय स्थापित किया जाय ताकि वे एक दूसरे वे घोषण बन सकें।

ग्रामोद्योग क्षेत्रों में सत्सन्धियों प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जायें।

जिला देव या उसके एक भाग के ग्रामोदयोगों के लिये प्राविधिक सलाहकार हों जिन पर उस उद्योग का विकास निभर करे।

हर न्यौक मे प्रमुख आटिजनों को एसोसियेट्स बनाई जाये।

धारा चौहान

स्वास्थ्य

भारतीय स्वास्थ्य निरिक्षिकापाठ के प्रशिक्षण के द्वारा मे परिवार तियोदय शिक्षा का अध्ययन भी समिल किया जाये।

एवं प्रशिक्षण के द्वारा की सक्षमा मे दृढ़ि की जाये।

हर राज्य सरकार इस बात का विश्वास दिलाय कि नजफाबाद, सिंगर पूना भेल्लो स्थित प्रशिक्षण के द्वारा मे हर राज्य के लिये नियंत्रित स्वास्थ्य के लिये उपचार भजती रहे।

इन दोनों प्रशिक्षण के द्वारा मे दिये जानेवाले प्रशिक्षण का बोस एक सा हो।

जो लोग इन दोनों मे शिक्षा प्राप्त कर खुके हो उन्हे विश्वास ज्ञान मे नियुक्त विया जाय।

राज्य सरकारों को इन स्वास्थ्य मे द्वारा मे समावित प्रशिक्षण की जाव वर्सो चाहिए तथा मलेरिया, राज्य शमा, गुल्क कोड तथा चम रोगों आदि के प्रशिक्षण के लिये विशेषणों की वियुक्तियाँ की जाय।

प्रामीण धन्धा मे स्थित आवासों मे रागनदान आदि मुक्त उनके विकास की ओर प्राविक ध्यान दिया जाय।

सामुदायिक पशु शालाओं का याम के एवं छोर पर निर्माण निया जाये ताकि पशु ग्रामीण जन सम्यों के बाहर रह सके।

धारा पद्मह

प्राधिक शिक्षा

शिक्षा प्रशासन इकाईया को न्यौक के आधार पर व्यवस्थित किया जाये।

हर न्यौक मे न्यौक सलाहकार समिति हो जिसकी व्यवस्था व सूक्लों के बाय का उत्तरदायित्व प्राप्त रहे।

ज्ञान क्षेत्रों के लिये धावश्यक कोष तथा दृगत कायकताया को व्यवस्था हो जिसमे नि गुल्क ए प्राविक प्राप्तिक शिक्षा के नियंत्रित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

भारतीय प्रश्नापिकापाठ के लिए नियोक्तायान को व्यवस्था भी जानी चाहिए।

पंचायता व सहकारी सम्पादो को कृषि के उपकरणों की खरीद, बेचान व किसाये पर देने आदि के लिए प्रोत्साहित विया जाना चाहिए ।

फलों व सेबों के अधिक उत्पादन की दिशा में अधिक प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है ।

फलों को सुरक्षित रखने के बतानात तरीके अधिक आसान व सस्ते बाये जाने चाहिये ।

सिनाई के लिए विजली वितरण की दरें घोषणिक विजली वितरण की दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

ऐसे क्षेत्र जहा धान की पदावार होती है उनका विकास होना चाहिए ।

कस्ता व शहरों में दुग्ध सहकारी समितिया सही रूपरेखा के आधार पर बनाई जायें ।

भरों को नस्त के विकास के लिए प्राविधिक निवेशनों की आवश्यकता है ।

मध्यली उद्योग के लिए अधिक प्राधिक सहायता व प्रशासन द्वारा अधिक ध्यान दिये जाने का आवश्यकता है मुख्यतौर पर सामुदायिक विकास क्षेत्रों में ।

धारा वारह

सहकार

एक व एक से अधिक गाँधा के बोच म बहु उद्देश्य सहकारी समितियों का निर्माण हो जो स्थानीय या पंचायता वो सहायता से सही भाधारों पर काय बरें ।

आवश्यकता के समय विस्तार वो ऋण देने की जरूरता के साथ ही उसे ऐसी सहृनियतें प्रदान भी नायें कि वह फसल के समय ऋण की प्रदायगी कर सके ।

सहकारी कृषि पद्धति को वहन अपने प्रथम अनुभवों से गुजरने दिया जाना चाहिए ताकि तुरत ही तुने हुए सामुदायिक विकास योजना व्यावर के हर जिले में एक सहकारी कृषि क्षेत्र का निर्माण किया जाये ।

हाइस्कूलों में पाठ्यक्रम की पुस्तकें व स्टानरों के वितरण के लिए विद्यार्थिया द्वारा सहकारी समितियों का निर्माण विया जाना चाहिये ।

धारा तेरह

ग्रामोद्योग

कुटीर, ग्राम व सभु उद्योग धधा में परस्पर समर्चय स्थापित विया जाये ताकि वे एक दूसरे के पोदव बन सकें ,

ग्रामोद्योगों में तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण के द्वारा स्थापित विये जायें ।

वित्त सेवा या उसके एक भाग के ग्रामोदयों के लिये प्राविधिक सलाहकार हों जिन पर उस उद्योग का विकास निश्चर करे।

हर व्यक्ति में प्रमुख आदित्यों को एकोसियन्स बनाई जाये।

यारा छोड़ह

स्वास्थ्य

महिला स्वास्थ्य निरिक्षिकाओं के प्रशिक्षण केंद्रों में परिवार नियोजन शिक्षा वा प्रध्ययन भी शामिल किया जाये।

एक प्रशिक्षण केंद्रों की सत्या में बृद्धि की जाये।

हर राज्य सरकार इस बात का विश्वास दिलाय कि नजफगढ़, सिंगर पूना भंडोर हिंस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों में हर राज्य के लिये नियारित स्थानों के लिये उच्चोद्धार भेजती रहे।

इन तीन प्रशिक्षण केंद्रों में दिये जानेवाले प्रशिक्षण का बोस एक रुप हो।

जो नोग इन केंद्रों में शिक्षा प्राप्त कर चुके हों उन्हें विकास भाक म नियुक्त विया जाये।

राज्य सरकारों को इन स्वास्थ्य केंद्रों में समावित प्रशिक्षण की जाव बरती आहिए तथा मत्तेरिया, राज्य क्षमा, शुद्ध कोड तथा चम रोगों आदि के प्रशिक्षण के लिये विशेषण की विवृत्तियाँ की जाये।

ग्रामीण शान्ति में हिंस्त्र शावासा में रोहनदान आदि मुक्त उनके विकास की ओर अविक्षियन दिया जाय।

सामुदायिक पमु शालाओं का ग्राम के एक छोर पर निर्माण किया जाये ताकि पमु ग्रामीण जन-सत्यों के बाहर रह सकें।

धारा प्रदूह

प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा प्रशासन इकाईया वा लोक के आधार पर यवस्थन किया जाये।

हर व्याक में लोक सलाहकार समिति हो जिसकी व्यवस्था व सूलों के द्वाय वा उत्तरदायित्व प्राप्त रही हो।

भोज क्षेत्रों के लिये आवश्यक कोष तथा कुशल पायकतात्त्व वी व्यवस्था हो जिसमें नि गुल्म व अविदाय प्राप्तिक शिक्षा के नियारित कार्य की प्राप्ति की जा सके।

महिला धर्मापिकार्मा के लिए नियासस्थान वी व्यवस्था वी जानी आहिये।

ग्राम सेवक व ग्राम सेविकामां का यह दर्ता०प होना चाहिये कि वे उन देशों में जहां प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है ग्रामीणों को उनके बच्चे पाठशालाओं में भजने की सलाह दें।

राज्य सरकारों को ग्रामीण देशों में वैसिक शिक्षा प्रारम्भ करने सम्बन्धी नीति को स्पष्ट करना चाहिए।

राज्य सरकारों को चाहिये कि वे जन-साधारण को इस बारे में जानकारी दें कि वैसिक स्कूल ग्राम प्रकार के स्कूलों से अधिक थ्रेष्ट व उपयोगी होते हैं।

वैसिक पाठशालाओं के लिए शिक्षकों व शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाए।

जिन राज्यों में वैसिक अध्यापक की प्रशिक्षण का समय एक साल निश्चित किया गया हो वहां उनकी अवधि २ बर की जानी चाहिये।

धारा सोलह

समाज-शिक्षा

समाज शिक्षा का उद्देश्य लोगों की नागरिकता सम्बन्धी जान प्रदान करना प्रजा तान की काय पद्धति से अवगत करना, (ब) उहै पढ़ना व लिखना सिखना (स) उनकी हर प्रवृत्तियों का सही दिशा में विकास करना (द) तथा उनमें सहिष्णुता की भावना का सचार करना है।

समाज शिक्षा समठन (एस ई घो) की सेवायें इस काम में ली जानी चाहिये कि वह लोगों की सामाजिक दुराईयों का जान करावे तथा उनके बारे में जनमत तयार करे।

एस ई घो का पथ निर्देशन करने के लिए जिला या राज्य स्तर पर विशेषण होने चाहिये तथा शिक्षा विभाग में जोइनटडायरेक्टर समाज शिक्षा वै अधीन ग्राम विभाग खोला जाना चाहिये।

सोशल एज्जकेशन आरोग्याइरर तथा ग्राम सेवक के बीच परस्पर अनिष्ट सम्बन्ध हा तथा वे समाज शिक्षा की सब प्रकार वी गतिविधियों में पूर्ण दिलचस्पी ल।

ग्राम अन्यायवश इस काय म भाग लेने के लिये एस० इ० घो० द्वारा काम म लिये जा सकते हैं।

समाज शिक्षा के प्रकार भ प्रश्नलक्षीत ग्राम नतामा की सूची तयार की जानी चाहिये।

एस० इ० घो० घमठ नेतामा को सामुदायिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सहायता प्रदान कर।

नेता भौर नेतागीरी जसो प्रचलित धारणाएँ को समाप्त किया जाए।

सहकारी समितियां के सदस्यों द्वा सहयोग ग्रान्त कर एस० इ० घो० प्रगति शीख ग्रामीणों को एसी समितियां वे सदस्य बनाने म सहायता प्रदान करे।

विकास मेने, शिविर, प्रशिक्षण केम्प आदि के ग्रामजन विये जायें जो ग्रामीणों के सम्मिलित हृषि से भाग लेने की दिशा में उपयोगी हैं।

प्रोड शिक्षा के लिये उपयोगी पूस्तकों तंयार की जायें और शिक्षा देने के सही तरीके ग्राम अध्यापकों को सिखाये जायें।

सभी ज्ञानों में प्रोड शिक्षित लोगों के सबे दरण के बाद इत्तीव एवं पुरुषों के लिये शिक्षा के बायं प्रम प्रारम्भ विये जायें।

पुस्तकालय उपयोगी सिने चिनों आदि का व्यवस्था राज्य भरकार द्वारा की जाय। एस० इ० श०० के पास एक प्रोजेक्टर (सिनेमा की मशीन) होनी चाहिये तथा फिल्मों को नियमित भजते रहना चाहिये ताकि गाव बालों की दिक्षा सके। साथ ही ग्रामीणों के लिये रडियो की व्यवस्था की जायें। ग्राम नेताओं से बार्ताओं प्रसारित करने का बहु जाना चाहिए तथा बार्ताएं व ग्राम विविरो आदि में हुए विचार विभाषा के रखाड भरे जाने चाहिए।

धारा सन्त्रह

कुछ विशेष कार्यक्रम-सर्वोदय सघन चेत्र व ग्राम दान

सर्वोदय क्षत्र समिति के बल मात्र सनाहकार समिति न होवार उठे पूरे भूमि कार होने चाहिये ताकि सघनक व्यवस्था चेत्ररमेन हो सके।

सर्वोदय ब्लॉक का देश सम्पूर्ण एन० इ० एस० ब्लॉक दर बढ़ा दिया जाये।

सर्वोदय योजना के कायंकर्मों के भूमावा सघनक को वे सभी काय अपने हाया म लेने चाहिए जो एन० इ० एस० ब्लॉक का अन्तर्गत भाते हैं।

प चायत समिति व सर्वोदय के मध्य पारस्परिक सम्बाध निश्चित विये जाने चाहिये तथा विकास काय क्रम को नियावित करने के लिये बुद्ध पारस्परिक समझौते तय हों।

सघन क्षत्र समिति के काय बता ग्रामीणों काय क्रम को अपने हाय मे लें तथा अपनी शक्ति का कुटीर ग्रामीणों के विवास की दशा म लगायें वे ब्लॉक के सभी विकास काय कर्मों को हाय म लेकर उन ग्रामारम्भ रेखाओं पर काय कर जो सर्वोदय के कायवर्तीका के सामने प्रस्तुत वी गई हैं।

सघन क्षेत्र कायवर्तीभों भी प्राग्निधारण की सुविधाएं प्राप्त होने चाहिये।

सामुदायिक विकास कायक्रम ग्रामदान घादोलन मे मिलाऊवा रहना चाहिए। ग्रामदान बाले क्षत्र नये ब्लॉक के लिये छुने हुए दोनों से प्रायमिकता शास्त्र वर्ण।

धारा भटार्ह

विच कार्य दक्षता तथा काय कुशलता

ब्लॉक न्यर पर किया गया व्यवस्थित वित ब्लॉक मे बहार छवं उही किया जाना चाहिए जसे शास्त्र एवं मुख्य कायांतरा के कमचारिया पर।

ब्लोक से बहार को किसी भी प्रोजेक्शन पर लोक धौप में से घन सच नहीं किया जाना चाहिए
जिस पर आवश्यकता से अधिक घन सच हो जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल अनिवार्य ही न हो ।

जब सहयोग जो किसी भी काय के लिये प्राप्त हुमा हो धीरे धीरे सामुदायक विकास कायरूप
को प्रगति के साथ-साथ अधिक प्राप्त किया जाये ।

हर ब्लोक में ५० प्रतिशत उत्पादव की दिशा में सच किया जाये तथा ५० प्रतिशत सुविधाओं
पर । यह यह सीमा एक प्रस्ताव के रूप में है जो स्थानीय समस्याओं व परिस्थितियों के अनुसार राज्य
द्वारा बदली जा सकती है ।



लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का अमरज्योति

—श्री जवाहरलाल नेहरू

[२ अक्टूबर १९५६ को नागोर म राजस्थान की पचायती राज योजना का समारम्भ करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अशः]

आज आपको मालूम है कि हमारे भारत म, और म तो कहूँगा कि सारी दुनिया म एक तुम दिन है महात्माजी का जन्म दिन है। आज से ६८ वर्ष हुए, दो कम सी वर्ष हुए जब गांधीजी का जन्म भारत मूर्मि म हुआ था। थीव है कि हम उस दिन को याद करें क्योंकि हजारों बर्पों के इतिहास में महा पुष्ट माए हैं, कई सी वर्ष हजार वर्ष बाद बड़बड़े पुष्ट अवतार हुये हैं यह हम कहा जाता है। अपन जीवन में भी हमने एक बड़े महापुरुष को देखा उसके साथ कुछ काम किया, कुछ सीखा और भारत भर को उत्तन उठाया और स्वतंत्र विधा श्रीर उससे धनिष्ठ यह कि हम सीधे रास्ते पर उ हान पढ़ चाया, गत रास्ते पर नहीं लडाई झगड़ के रास्ते पर नहीं बीरता के रास्ते पर। लेकिन बीरता की, घर्हिता की, शांति की बीरता, कभी चिर नहीं किसी के सामने छुट्टायें कमर नहीं छुट्टायें डर से सत्य वा पालन करें और देश की सेवा करें बीरता से और प्रेम से और इस तरह से उहाने दुनिया के इतिहास म पहली बार यह दिलाया कि शांति से रास्ते पर चल कर प्रेम और एकता से करें एक देश, महान् देश अपने को धारान कर सकता है। और एक बड़ा साम्राज्य का मुकाबला करके आजाद कर सकता है।

X

X

X

X

पापने इस पाय को धुर रिया। जनतान का यहाँ फलाया पचायती राज्य जो कुछ आप है। और मन सोचा कि महात्माजी को कितनी प्रसन्नता होती थार इस समय होते थोर देखते कि महा राजस्थान मे जो ति भारत का एक माने म हृदय है भारत पा नवशा भी देंगो तब भी एक उसरा दिल ला है सोरतम पल रहा है। राजस्थान के लोग एक एक नित थे, एक एक गाव से शाये और यह निश्चय दिया कि इस भार को लोकतंत्र को यो उठायें और यहा को सखार न बानून यनाया उसने जनता के

झरर ये ब्रिम्मदारी सौंप दी। बड़ा काम है। ऐतिहासिक काम है। तो वितनी उहें प्रसन्नता होती। इस लिये और भी यह उचित है और मुनासिब है कि आज, महात्माजी की जयन्ती के दिन हम और आप मिर्झे और यह महान ऐतिहासिक काम शुरू करें।

X X X X

स्वराज्य आने के समय एक और बड़ी भारी बात थी जिंदे देग भविष्यकर यहा राजस्थान में, मध्यमारत में और-और जगह भी बहुत सारे रजवाडे थे। अब अगर देश के बहुत सारे अलग अलग टुकड़े ऐसे ही अलग प्रलग बायदे बानून हो, तो इस तरह से देश की गति नहीं चलती। तो पहला काम यह ही गया कि हम रजवाडा का जो यहा एक टग था उसका प्रत करें। यह एवं पुराना ढग या पुराने जमाने में एक जमाने में वह भी अच्छा रहा। लेकिन जर्से सासार का चक्र चलता है तो नये नये रूप धारणा चलता है समाज दा समठन नये नये अप स होता है। समाज बढ़ता है, आपका एवं बच्चा बढ़ता है। आप एवं बच्चे को सुदूर अपड पहना द तो उन अपड़ा में अच्छा उगता है बच्चा लेकिन साल दा माल याद बच्चा बड़ा हो जाता है कसे उसके कपडे उसको राखत है और भगवां आप समझ से चुदिं से काम नैं तो आप उसके वस्त्र उसके कपड़, बदल दें बड़े कपडे पहनायें, ताकि वह बढ़ सके। ऐसी तरह समाज बढ़ता है, समय के मुताबिक उत्तरावा समठन भी बढ़लता जाता है। उसका अप बदन जाता है। बड़े बड़े सिद्धात नहीं बदल जाते हैं। लेकिन ये ऊपर वो चारें हैं। तो रजवाडा का जमाना था ठीक है पहुँची थी वरस हुआ। वह भी एक उचित जमाना था और महायुग हुए यहा के राजा महाराजा इसम कोई सदह नहीं वह अच्छा था हमें गव है। उन सोया या नाम लेकर हम युशी होती है। लेकिन वो जमाना खत्म हुआ। यह बीज जो पहले दो हीन मी वप अच्छी रही वा आजवले के जमान म ठीक ही रही।

X X X X

दूसरी तरफ आप देखें राजनीति की तरफ। यहा स्वराज्य आया। हमन यहा जि जनता का राज्य है और सब लोगों को बोट मिला। योट और भाई निसी की विधान सभा के लिए लोक सभा के नियंत्रणपूर वी विधान सभा के लिये। अगरे अपने प्रतिनिधि भेजो, चुनवार। ठीक है, एवं तरह से जनता का राज्य हुआ। लेकिन फिर भी इतना राज्य हुआ कि तुम अपन प्रतिनिधि चुनो किंतु तुम्हारे हाथ म रोज दा धर्मिकार नहीं है। बड़े बड़े अफसर हैं कभी वभी आपसे सलाह बर लें ता ठीक है। हम यह किस रही कि भारत तभी उठेगा जब कि यहा लाला गांव उठेंगे क्योंकि भारत भ सो आदिमों म द० आपके गावा न रहते हैं। जब गाव उठेंगे तो भारत असत म भजदूत हो जायेगा तब उसका कोई रोक नहीं जायेगा। इसनिये हमने विधान योजना शुरू की। कम्प्युटरी डेवलपमेंट टाइड बनाये। सात वप उपे इसको और भारत के बरीव ३ लाख गावा म यह फला है, इसस मी धर्मिक। कही अच्छा काम हुआ, कही नहीं। सब मिला के अच्छा ही हुआ क्योंकि बाम बहुत बढ़ा है। याद रखो नाला गावा दो उठाना कोई छाटा पाम नहीं है। बरोना आदमी उठे। लेकिन फिर भी जितना हम चाहते थे उताना नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हमने दिया यह काम ऐसा नहीं है कि यालो झरर के अपनारा के बरन स पक्की तोर मे हो सक, जाह वे जितने ही भले अफसर हा। अफसर की जल्लरत है क्याकि सीला हुआ आपमी है। यह बता सकता है। लेकिन यह काम उपर का नहीं है। यह काम तभी चेतेगा जब जनता के हाथ मे आगडोर हो। अब सोया । वहा भाई, जनता के हाथ म बागडोर आप दो तो जाने गलत घले सही चले और काम खारब बर दे और उम पर भरोया दसे हो? यह काम गतत है। क्योंकि कोई आदमी बगर काम किये सीलता

नहीं है, तो किर हमारे सामने यह तई बात हो गई, नई नहीं यह नया बदल हो गया कि अब ऐसा प्रब य वर्ते कि अधिक से अधिक जनता के हाथ म काम करने की गति लायें। खानी देखने की नहीं, सलाह देने की नहीं। और इस सवाल पर बहुत विचार हुआ। तो हमारो कमेटिया हैं और काप्र स भासमाना है, उमड़े भी बड़े-बड़े प्रस्ताव हुये और बुद्ध बातें उहोने निश्चित की। उहोने निश्चय किया कि हड गाव मे एक पवायत होनी चाहिये और पवायत को अधिकार अधिक मिलने चाहिये। दूसरे, सहकारी सप होने चाहिये और उसको भी अधिकार मिलने चाहिये।

५

×

×

×

अब पवायत को समझो, वह इन्तजाम करने की है—राजनीति इन्तजाम, और सहकारी सप आधिक प्रब य करता है—साम बारह का प्रब य। सहकारी सप के माने वया है? सहकारी सप के मानूली माने हैं? वि लोग जरा मिल-जुलर काम वर्ते, एक दूसरे की सहायता करें। योटी बात है कि मिल-जुल कर काम वर्ते म गति आती है। यानी खाली बड़े बड़े अफसरो के लगव वाय नहीं पड़े बल्कि काम करने वा बोझा जनता पर पड़े और एक दफा हमारी ४० परोड जनता पर पड़े तब कोई बड़ी शक्ति उसकी होती है। कोई अफसर दे सकता है वह शक्ति? हमारी बात योइ है कि जनता यो साथ लेकर चलता है—सहायकार के दृष्ट मे भी। तो यह हमने निश्चय किया और जोर हमने दिया इन बातों पर पवायत क ऊर महजारी सप पर। सहकारी सप के माने वया है 'बहुत सार दग से हात हैं प्रब कार्ड जरूरत नहीं कि हम एक दग वा ही नारत मे रखें। जस जहा दीर्घ बन चला चहा रख। लेकिन मोटा तोर पर सहकारी सप के मान अब तक समझे जाते थे—जहा रपया कर्जा निया बाय विसानो को बह तो आवायक बात है होना चाहिए, लेकिन वो काको नहीं है। हम चाहते हैं कि महकारी सप के द्वारा और बहुत सारे काम हा प्राप्त भेजन क अप्रक लारीदार क। आवाया उपरक, बीच चाहिये, आपको खाद चाहिये आप जो आन पदा वर्ते उसबो बेचने वा प्रब य होना चाहिये।

अम प्रापकी जमोन झनग रहनो है। आपही दी जमान है जमोन कभी नहीं मिट्नो। आपही का सम्पन्न है और आप हो दी जमोन का द्विसा है। लेकिन इन सब बासो के बरन से जो रथया और कोणा दी जेब म जाता था, वा आपके ही पास रहना है और इसस आप उल्ति दर सकते हैं, तरहां पर सरत हैं। दुनिया मे करोब-परीब सब देशा म भहकारी सप से किसान इपक्ष लोग काम करते हैं और इसस बहनो वा लाम होता है। उसम एक और बात भी था जानो है वि वे अपने छोट छोटे शास्त्रान बनात हैं काम वर्तन के निये और खेतो के अनावा। वो विद्यालय बनाते हैं वो प्रस्तवाल बनाते हैं, वो शास्त्रान बनाते हैं। मवा वा लाम हाता है। उनके बच्चो को लाम होता है। काम-काज मिलता है। राजगार अधिक मिलने सपता है। खेतो से अधिक पन होता है। सबा वा लाम होता है। देश वा भी होता है। यह तो मोटी बात है। हरेक घो बरनो है। लेकिन इसमे एक बात प्रापको याद रखनो है कि सहकारी सप घपने प्राप नहीं बन जाता। १०० प्रादमी आयें, इम सहकारी सप बनायें, बना भी लें। उसम सोनना पठता है केवे वर्ते। बिन्दु सोना हुआ प्रादमी नहीं है तो प्राप काम धुर करें काम लारव हो जाय तो किर धार परस्तान हो और लोग बहुते देखो य काम करना भी नहीं जानते इसलिए हमने प्रब य निया वि लोग रिक्षाये जायें। प्रापक पव प्राप सेवक बगरह यह बुद्ध सीखें भोपर भी ही भी लोग यह सीखें तारि हर सहकारी सप मे सीखे हुये लाग हा। तो मानूली सहकारी सप जो हम रख रहे हैं इसम हर एक घो भलग-भलग जमीने रहेगी, प्रस्त-भलग खेती रहेगी।

एक और दैग भी इसका है जिस पर आप विचार करें। बात नई नहीं है। याद की बात है कि जहाँ योद्धा योनी जमीन लीगा के पास होती है एक एकड़ दो एकड़ यदि हमारे पास बहुत है, वहाँ कहीं ज्यादा आसान हो जाता है अगर ५ आदमी १० आदमी २० २५ ३० ४० आदमी मिलकर खेती उस जमीन पर बैरे जमीन वा अलग अलग हिस्सा रहे जमीनें उभयी रहें। मिलकर करने से उनका लाभ होता है यर्चा कम होता है पायाना ज्यादा होता है। तो इमलिए मिलकर खेती करना भी अच्छा है लेकिन वो बात बाद दी है और जो चाहे करें, लाहे न करें। इस समय जो मैं आपम् कहता हूँ वो यह है कि आप सहकारी संघ ऐसा बनाइये जिसम् ये सब काम जो मने आपको बनाये हैं हो सकें। आपकी जमीन अलग रहे आपकी मिलवियत है। आप जमा चाहें इसको करें और आपस म सहकारी संघ म लोग मिल कर जो मिली-जुली बातें हो उनको करें, बेचना, खरीदना बगरह। इससे आपका बहुत लाभ होगा और उसको सीखिये। तो दो बातें मने आपको बताईं—एक तो पवायन जा इतजाम परे दूसरी सहकारी संघ जो ग्रामीक बातों म गाव की मदद करे।

X X X X

ये सब बातें खाली पुस्तक के लिए नहीं हैं स्थिरों के लिए भी हैं उनको भी मूल में जाना है, पट्टा है। लड़के लड़कियों का बयाकि दैग आगे बढ़ता नहीं जब तब कि सारे दैग बाले उसम हाथ न लगायें। अब वो जमाना गुजरा, पुराना समय चला यदा जिसम घू घट काढ़कर ग्रीरें और बाम न करें खाली घर के द्वामा म ही पड़ें। पर का बाम तो करेंगी ही वह ठीक है लेकिन काम भी दरें। देश के बामा म लगें। इस तरह स दैग के बयाकि हम दा को और जल्दी बढ़ाना है। समय नहीं है। आबादी हमारी बढ़ती जाती है। बाभा बढ़ता जाता है इसलिए सबको वो यह काम करना है।

X X X X

ये मध्युनिनी डेवलपमेंट "लाव क्या है" खास गावों के विकास के लिये हैं और अब समय आया कि उसका नाम, विकास योजना वा, "लाव बगरह का आपको कब्जे पर रहा जाय। आप उस बोझ का उठायें और उसी वे साथ अपना आमदनी जो हो वो भी आप ले और अगर आप आप चाहे तो आप आमदनी बनायें। आपना अधिकार है बयाकि जा आप आमदनी बनायेंगे तो आप ही खुँ खब्बें अपन गाव को तरक्की में। अपन बाल बच्चा की पटाई म। तो इस ढण स हम चलना है तो बड़ी भागी जिम्मेदारी आपने नहीं है, आपको दी गई और आपन सो है। जिसी कदर और भारत के लोगों की आवें भी आपकी तरफ हागो ति दर्बं बस दे चलाने हैं। लेकिन मुझ तो विश्वास है खाली राजस्थान के लिये नहीं बल्कि सारे भारत के लिये ति जहा इस तरह स नियमेनारों दी जायेंगी तो उसका नतोजा अच्छा होगा और देश तेजी से बना।

X X X X

तो आपने यह बड़ा बाम किया। बड़ा बदम उठाया और एक बड़े मुझ दिन इस बदम को सामने उठाया है तो म आपका बदाई देना हूँ और आपको बदाई है यह तो ठीक है लेकिन आपको बदाई और आपकी बदाई खाली बदा हूँ। म कोन और आप कीन। हम सब साथ मिलकर एक बड़े काम म लगें हैं। हम एक दूसरे को पोछ ठारा लें भव्या है दिन तो खुश होता है। जब सफलता होती है तब दिन खुश होता है। उगम जब भागने सारे बाम फल देते हैं तब दिन खुश होता है बयोकि उमस हमे लाभ होता है, देग को लाभ होता है और कोई बाना बाम आप उठायें और हिम्मत से बैरे और उसमे बामयारी हो तो आप बड़ जाने हैं और आपको शक्ति बड़ जाती है। हमने स्वराज्य का प्रदन उठाया

या। जब स्वराज्य मिलत हमारी शक्ति बढ़ गई। दुनिया में हमारा आदश हुआ और इस तरह से ये जो बातें हमने उठाई थीं हैं। हमने पचवर्षीय योजना उठाई। उसम सफलता हुई। हम अपने ऊपर भरोसा हो गया। इस तरह से हमारी शक्ति बढ़ती है। और भरोसा बढ़ता है। आप इम काम वो यह पचायत और पचायत समिति और जो नवशास बना है, इस काम को आप जोरा से चलायें, जिम्मेदारी से चलायें और आप सहवारी सब चलायें तो आप देखेंगे कि देखते देखते राजस्थान का कुछ स्पष्ट वर्णन होता है। आपको हाना अधिक अच्छी होती है और उसके साथ सब से बड़ी बात आपको शक्ति बढ़ती है। भरोसा बढ़ता है, मिर ऊचा हूता है और इस तरह से और भी तरक्की होती है। तो आप सब जमा हुये, उमा ही के आप इन सब बातों पर विचार करेंगे। मेरा आशीकाद तो जहर है आपको और धृष्टि देखाई है, और मुझे विश्वास है इस काम से राजस्थान को ताम होगा, याद रखें कि ऐतिहासिक वदम है।

X X X X

पचायत के मान क्या? पचायत है, पचायत समिति हो या ब्लाक है और ये सब जो इसम बहुत सारे लोग हैं इन सब लोगों को समझता है हम एक बड़ी विरादी के लोग हैं। उन नीच नहीं समझता है और उन नीच के लिये भी आप सीधते कि अब वो जमाना चला गया हमारे देश से। जैसे मैं आपस कहा राजा लोगों का अधिकार यथा, जागीरदारों के भी अधिकार बहुत कुछ गये, राजाओं का हम आदान करते हैं जापीगढ़दारा का भी लविन अधिकार नहीं। तो अब ये जो हमारा जाति भेद है, और कोई जाति वर्ष समझ रि हम दूसरे वी लानी पर उठे हैं या कचे पर तो यह बान ढोक नहीं है। आजकल राजनीति म हरेक वो बराबर के अधिकार हैं। पचायत म बराबर के अधिकार हैं, पुण्य स्त्री कोई जाति हो जानि के ढग पर नहीं बनी, इस तरह से बाम करें। धम म आर हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, पारसी हो। ईसाई हो, जन हो जो कुछ आप हो। जो कोई आपको जाति हो, जो कुछ आपका धम हो, आप रखिये खुदी से। लेकिन धम के माने मर्ट नहीं है कि आप दूसरे पम को पकेले और उससे बुरा बर्ताव करें।

X X X X

तो इस तरह से हमें चलना है और इस नये कदम की जो आपने उठाया भजदृती से उठाना है, अपन पर भरोसा करके उठाना है। लेकिन हमशा याद रख कि आपने जो नया कदम उठाया तो सब लोग आपकी तरफ देखेंगे। प्रधार आप अपनो प्रतिना भूल गये, आगर आपस मे दलवाली करन लग लड़ने लग तब आप काम को लटाव करेंगे और आपकी बदनामी होगी। बड़े काम की उठाते हैं तो हमसे भी वर्ष आदमी बन जाना चाहिये। छोट आदमी वो तरह न बाम नहीं लटाव चाहिये। तो आपने बड़ा कदम उठाया। यह आप सब पच सरपंच और प्रमुख लागा ने एक बड़ा कदम नठाके बड़ी जिम्मेदारिया घोड़ी है—सारे राजस्थान की जनता का बढाने की। बड़ी बात है ना बड़े गव वी बात है। बड़ी जिम्मेदारी की है और आपसों जी गलत बात नहीं करनी है जिसम बदनाम करें अपने का और अपना पचायत वो या अपन राजस्थान को बढानाम करें। जरा ऊचा रहना है। उन्होंने जिसान सबा वा देनी है। ऐस शरियां ही आपका निल भो टडा होगा, मजबूत होगा और तरक्की होगी।

युगोस्लाविया में सत्ता की विकेन्द्रित व्यवस्था

—श्री भगवर्तीसिंह मेहता

युगोस्लाविया की सामाजिक शार्धिक और प्राचासनिक व्यवस्था को पूण रूप से समझन के

लिये बुद्ध प्रारम्भक वाता वा जानकारी आवश्यक है। खौट्हवी शताब्दी में जब कि मूरोप पर तुर्कों के आक्रमण हुए तब संयुगोस्लाविया एवं स्वतंत्र राजनतिव इकाई नहीं बन सका। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् ही सबस ग्राट्स और स्त्रोवास तीनों को मिलाकर एवं राज्य वो स्थापना की गई और उसकी एवं ही के द्वाय सरकार राजतंत्र पे रूप में बनाई गई।

(२) १९१७ म हुइ रूस की राज्य व्राति का प्रभाव इस देश के लोगो पर भी पड़ा, और सन् १९१८ मे एवं पम्पुनिस्ट पार्टी बनाई गई पर इस पार्टी को हमारा सैहं को हठिं से ही देखा गया। फिर भी यह पार्टी अद्य इस मे निरंतर काय बरती रही और जिला स्तर तथा भ्राय स्तरा पर समितिया संगठित करने मे सफल हुई। राजतांत्रोप शासन जब तक जमन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप नष्ट नहीं हो गया, चलता रहा। इस प्रवधि भ पार्टी थमियो का विश्वास प्राप्त पर तुको थी। द्वितीय विश्वयुद्ध काल म पार्टी की शक्ति और उसका प्रभाव और भी घण्ठिक बढ़ गया। यहा तक कि गावा तक म इस पार्टी के संगठन और सशस्त्र सेनाओं मे छाट २ क्षेत्र (Cells) ज्ञायम हो गये। पार्टी न लोगो मे विश्वकर युवकों और युवतियो म अपने स्थावीय संगठनों के जरिये, उत्ताह पना किया और देश को उत राष्ट्रा के साथ मुद्द करने के लिये तयार किया जिहाने जर्मना और इटालियना के बीच देश का बटवारा कर दिया था। विश्व उल्लेखनीय बात यह है कि इस पार्टी के नेताशा न न बेवत आक्रमणवारिया के साथ ही युद्ध करने वा निरचय किया यहि भूतपूर्व सिविल सत्ता को भी समाप्त करके उसके स्थान पर नई सत्ता कायम करन का निएय लिया। प्राचीन पद्धति म और उस पद्धति म जो कि पार्टी के सभय निर्धारित थी वोई एवं सूखता बनाये रखन की योजना नहीं थी।

(३) गुट्वा और जिला स्तर की क्षेत्रिया मुद्द काल म बाकी शक्तिशाली बन गई। आक्रमण कारी के विद्द प्रतिरोध व्रति संगठित दरन वा दायित्व इन क्षेत्रियो पर या हाईकमान वेवल सामाज

निर्देश यदि सम्भव हो, दिया करता था। इस प्रकार ये सगठन वत मान स्वायत शासन के आधार बन गये।

(४) दीर्घ काल तक होते रहे विदेशी आक्रमणों के परिणामस्वरूप जो विदेशी प्रभाव पड़ा उसके उपरान्त भी, यूगोस्लाविया ने अपनी परम्परागत संस्कृति की रक्षा का है जिस पर वि स्वदेशीयता की स्पष्ट खाप है और जो एक क्षत्र से दूसरे क्षत्र में फिल है।

(५) यूगोस्लाविया का सधीय जनवादी गणतन्त्र (१) सर्विया (२) योतिया (३) स्लोवेनिया (४) बोस्नीया एवं हज़ेगोविना (५) भसीडोनिया और (६) माटनेप्रा वा जनवादी गणतन्त्रों से विनकर बना है। बासीयिया और हज़ेगोविना को छोड़कर इन जनवादी गणतन्त्रों का निर्माण राष्ट्रीयता के आधार पर किया गया है। सर्विया के जनवादी गणतन्त्र में दो स्वशासित इकाईयाँ हैं एक बोज्डीडिना का स्वशासित प्रान्त और दूसरे बोसीबो—मेयोहिजा रोजन की स्वशासित इकाई। ये इकाईया भल्यस्स्थव वाहों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करने के लिये सविधान के अत्यंत स्थापित की गई हैं। ग्रोएविया और स्लोवेनिया पर दोषकाल तक भारतीयिया का प्रभाव रहा जिसका असर वहाँ की प्रशासनिक एवं कानूनी परम्पराओं पर पड़ा। राजत नीति (Monascrist) प्रशासन पर प्रभाव वा अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इहीं प्रभावों वे कारण फड़रल तथा रिपब्लिकन मुद्रीम कोट के अन्तिम क्षमाधिकार के अधीन, प्रशासन कार्यों में प्रशासनिक विधि की मुहूर्द परम्परा बनी हुई है।

(६) द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर एवं कम्युनिस्ट सरकार स्थापित की गई जिसकी प्रबल प्रवृत्ति राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रीयकरण की ओर थी। राज्य ने वही आधारभूत प्रशासनिक वार्षों की अपने हाथ में लिया जिनम सास तोर पर एस कार्य वे जिनका सबध वहाँ की भूमध्यवस्था से था। इस भवित्व में प्रशासन को मुहूर्द बनाया गया और उत्ता छढ़ पार्टी द्वारा विनियत नहीं समाज-व्यवस्था का आधिक आधार स्थापित किया गया। युद्ध के अपराधियों की सम्पत्ति जल्द बढ़ ली गई और उद्याग यातायान बव, वाणिज्य आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया। हुयि सुधार इस सिद्धान्त पर कि भूमि उही की है जो उसे जोतते हैं किये गये। समाजवाद वा यह प्रारम्भक समय यूगोस्लाविया में एक आवश्यक परिवनन-काल भाना जाता है। उत्तरे विचार में इसी तरीके से भावी विकास के अनुदूल परिस्थितियों परा करने के लिये और आधारभूत वार्षों के लिये भोतिक साधन एकत्रित करना सम्भव हो सकता था।

(७) दूसरा बाल १९४६ से प्रारम्भ होता है। जिसकी विवापता यह है वि इसम सरकार तथा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया। स्थानीय निवाया वो १९४८ म राज्य सत्ता के घोरे दे स्वप म अधिक माययता दे दी गई थी। अब, उनका काय क्षेत्र और अधिक विस्तृत वर दिया गया और इसम युस्य बाल यह रही वि सत्ता को जहा तक ही सका कम्युनों (Communes) को सोच दिया गया। उत्तरांकों को उत्पादन और गिरा, स्स्वनि तथा मामाजिक उवा के द्वारा म स्वशासन प्रशासन किया गया।

(८) यूगोस्लाविया के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सगठन वो सही व्याख्या १९५४ के उचितानिक विधि के दोन अनुच्छेदों से प्रतीत होती उद्दत है —

यूगोस्ताविया के सधीय जनवादी गणतंत्र में सम्पूर्ण शक्ति अमजीबी वग में निहित है।

यह वग अपनी शक्ति का प्रयोग और अपने सामाजिक मामला का प्रबाध, अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा करता है जिन्हें वह पीपुल्स कमटिया में पीपुल्स प्रसेम्बलियों में अमजीबी कौसिला में तथा अप्य स्वामित्व निकाया में भेजता है और इसके प्रतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप में, निर्वाचनों, निर्वाचित व्यक्तियों की वापिसी जननिर्देश (ग्रीफेण्डम), मतदाताद्वारा भी भीठिंग, नागरिकों की बौसीला नागरिकों द्वारा प्रशासन एवं याय वार्डों में योगदान के जरिये एवं स्वायत्त शासन के अप्य तरीका से करता है।

अनुच्छेद—३

उत्पादन के साधना पर समाज वा स्वामित्व अप्य यवस्था में उत्पादन का वग का स्वायत्त-शासन और नगरपालिका वन्दे और जिले में अमजीबी-वग का स्वायत्त-शासन देश की सामाजिक और राजनीतिक यवस्था की आवार-शिला है।

गिरा सहृति और समाज सेवा के क्षत्र में अमजीबी वग के स्वायत्त शासन को गारटी दी गई है।

उत्पादक वग तथा अमजीबी वग द्वारा स्वायत्त शासन की शक्ति का प्रयोग सामाज समाज के उन हितों के प्रत्युल्प किया जाता है जिनका बणत बानून में तथा अमजीबी वग की प्रतिनिधि संस्थाप्रा, पीपुल्स प्रसेम्बलिया एवं पीपुल्स कमटिया के अप्य निर्णयों में किया गया है।

अनुच्छेद—४

निम्नलिखित वे सम्बन्ध में गारटी दी गई है —

सोकरताओं, राजनीतिक आधिक, सामाजिक वनानिक सास्त्रिय, वलात्मक व्यावसायिक, खेल-हूद सम्बन्धी और अप्य सामाज द्वितों की पूर्ति के लिए अमजीबी-लोगों का स्वतंत्रतापूर्वक पारस्परिक मिलना जुनना।

काम करने का अधिकार

कम्यून और जिला ऐसे दो स्तर हैं जिन पर यूगोस्ताविया में स्वायत्त शासन प्रणाली से बार्य होता है जिला या कम्यून में निहित सत्ता का प्रयोग एक सेस्था द्वारा किया जाता है जिस पीपुल्स कमटी वहते हैं। कम्यून एक आवार एवं मूलभूत सामाजिक आधिक-याधिक और राजनीतिक संगठन है। बानून की हाटि से लमाम कम्यूनों की स्थिति एक वी है चाह व बढ़ हा या छोट अथवा शहरों में हीं या गांवों में।

रिवाय ऐसे अधिकारिया तथा कन्या में जो संविधान अथवा बानूनों के प्रनुसार राज्य सत्ता के अप्य कानून भूमि संगठनों वे लिए मुरादित बर निये गये हैं सरकार के समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कानून वा पालन कम्यून वो पीपुल्स कमटी वरती है। दोषाधिकार और शक्तियों के घारे में सामाज

धारणा स्थानीय शासन की सदस्यों नीचे की सत्या अर्थात् कम्यून के प्रमाण है। पीपुल्स कमेटी, जहाँ वह कम्यून की हो या जिल की किसी उच्च सत्ता के निर्देशा और आज्ञाधा के आधीन काम नहीं करती। ऐसे तथा राज्य प्रशासन के समस्त शर्मभूत संगठन उसके अधीन होने हैं तिवाय एमे जि हैं बान्नून द्वारा गणतान्त्रिक या सधीय कार्यों का पालन करने के लिये अधिकृत किया गया है। बास्तव में तिवाय पुलिस भी छोड़कर दूसरा कोई ऐसा संगठन है ही नहीं। पुलिस भी उन कार्यों के पालन में जिसमें उसे कम्यून की सहायता की आवश्यकता होती है, कम्यून की गर्जी के अनुसार ही काम करती है।

पीपुल्स कमेटी के दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ सिटीज़न्स तथा हाउस ऑफ प्रोड्यूसस हाउस ऑफ सिटीज़न्स में नागरिकों का प्रतिनिधित्व है। इसके सदस्यों की सत्या कम्यून का जनसंख्या के अनुसार घटती रहती है। किन्तु बहु से कम सत्या सामाजिक तौर पर ५० होती है। हाउस ऑफ प्रोड्यूसस में उत्पादकों का प्रतिनिधि हैं, इसके सदस्यों की सत्या प्राय हाउस ऑफ मिटीज़न्स के सदस्यों की सत्या वी ७५ प्रतिशत होती है।

चुनाव—कम्यून के हाउस ऑफ सिटीज़न्स के सदस्यों का चुनाव १८ वर्ष से अधिक वयस्से वाले समस्त नागरिक (वर तथा नारी दोनों) गुण्ड भतदान द्वारा करते हैं।

हाउस ऑफ प्रोड्यूसस के लिए भी निर्वाचन होता है। इसके सदस्यों का चुनाव उत्पादकों के दो ग्रुप द्वारा किया जाता है। एक ग्रुप उद्योग, वाणिज्य तथा हस्तशिल्प के उत्पादकों का होता है और दूसरा इंजीनियरिंग तथा समाज-कार्यों पर काम करने वाले थेमिक शामिल होते हैं। इन दोनों ग्रुप्स के सदस्यों को सत्या गत वर्ष में कम्यून के कुल उत्पादन में उनके योगदान के अनुसार निर्विचित की जाती है।

जिले में हाउस ऑफ सिटीज़न्स वा चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक कम्यून से आने वाले सदस्यों वी सत्या समस्त जिले की जन सत्या के अनुपात के अनुसार होती है। वर्ते ही हाउस ऑफ प्रोड्यूसस का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है।

दोनों सदनों के सदस्यों वा विशेष उत्तरदायित्व होता है जिसे अपने अपने वासी की तथा जिस पीपुल्स कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व है उसके काम के बारे में अपने निर्वाचित क्षेत्र में भतदाताओं वो जानकारी देते रहें। जो सदस्य अपने कात-यो वा पालन करने में विफल रहते हैं उन्हें सेक्षम प्रतिनिधि निवाय सत्या द्वारा चेतावना दी जा सकती है।

कम्यून या जिले की पीपुल्स कमेटी वो साधारणत बठक महीने में एक बार होती है जो विवर साधारण के लिये खुली होती है। प्रत्येक सदन का अलग अधिवेशन आयिक योगनामा वर्जट या अन्य महत्वपूर्ण विषयों से सम्बंधित प्रश्नों को छोड़कर अन्य काय के लिये होता है। ऐसे प्रश्नों पर संकृत अधिवेशन पीपुल्स कमेटी के प्रेसीडेंट की प्रध्यायता में होता है।

हाउस ऑफ सिटीज़न्स के सदस्यों में से प्रधान चुना जाता है और उसके कई सहायक उप-प्रधान होते हैं और उनको सत्या तीन होती है। प्रधान पीपुल्स कमेटी वा प्रतिनिधित्व करता है और कम्यून या जिले के विविध प्रतिनिधित्व करता है परन्तु कम्यून या जिले के दलिक काय में हस्तशेष बरने का उसे कोई अधिकार नहीं है।

पीपुल्स कमेटी दो उसके काय म कई सलाहकार वायवारी तथा प्रासादी सगठन द्वारा सहायता दी जाती है। प्रत्येक पीपुल्स कमटी म आदश्यक रूप से पाच सलाहकार एवं निर्माण निकाय होते हैं जिन्हें स्टॉलिंग बमीणन बहते हैं जिनम से दो ग्रामीण चुनाव तथा भनोनयन बमीणन और विटापन एवं निकायत बमीणन दोनों सदनों से सम्बन्धित प्रश्नों का निपटारा करते हैं। इनके प्रश्नावाद से पढ़े हए तथा बोलिन हानी है जो कि वायवारी तथा प्रासादी काय करती है। इनम हाउस आफ सिटीजन्स या हाउस आफ प्रोड्यूमेंट्स के सदस्यों के अलावा। कई विवाह तथा बुद्धिमान नागरिक बाहर के भी होते हैं।

पीपुल्स कमटी दो निर्णयों के पालन और उसके कानूनों को लागू करन के लिये। कम्यून का अधिना एवं प्रासादी सगठन होता है जिसका मुख्य अधिकारी एक सेन्ट्रलरी होता है। इसना मुख्य काय भिन्न भिन्न विभागों के काय का सगठित तथा उसकी देख रेख बरता है और 'उनके' कार्यों का समन्वय बरना होता है कम्यून या जिले के स्थायी अधिकारियों पर उसका प्रासादिक नियंत्रण होता है और उमड़ी तुलना एवं पचायत समिति के विकास अधिकारी अधिकार जिना परिषद के सेन्ट्रलरी से की जा रक्ती है। जिले की सगठन सम्बंधी यदस्या बरीब करीब कम्यून के समान ही होती है।

ग्रासन और जनसाधारण में निकट सम्पक स्थापित करने के लिये और जनता को शासन में अधिकारिक भाग लेने का अवसर देने के लिये, कम्यून के क्षेत्र म जो गाव होते हैं उनको एक स्थानीय समिति होती है। इस समिति का निर्माण विसी कानून वे अंतर्गत नहीं होता। इसके सदस्यों वा चुनाव उस क्षेत्र की बोटर असेम्बली बरतती है। यह सामायतय निर्माण आर्यों, इमारतों और सेवाओं की मुख्यवस्था सावजनिक सम्पत्ति, स्थानीय चरागाहों और उनके उपयोग का प्रबंध, स्थानीय बाजार का राष्ट्रीय और सुधारस्था इत्यादि का काय सम्भालती है।

कम्यून वा मुख्य काय नागरिकों के अतिरिक्त हितों का समाज के व्यापक हिना के साथ सम वय बरना है और इस कारण, वह अपन काय की आय को बहा की आधिक सामाजिक, सास्कृतिक तथा अर्थ आवायकताओं पर खच बरतती है जिससे आधिक सगठन के हिता और वार्यों का समाज के यात्रा हित के साथ सामजिक बना रहता है। इसी अभिभाव से वह आधिक स्थापित करती है तथा अनेपयोगी सेवाएँ जुड़े हुए सड़कें यातायात जल यदस्या, नालिया स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बंधी सगठित और स्थापित बरतती है, प्रवन काय म स्थित भूमि और इमारतों का प्रबंध लोगों के रहन के लिये भवनों का निर्माण जाम मुलुक आइन, कानून और गानि दी यदस्या तथा जुटिगियन यायाकायों का यगठन घान हाय म लेती है।

जिले का पीपुल्स कमेटी वा वायक्षन साधारण तथा नीचे की सस्थाओं की वायवाहियों की धरता वा नेतृत्व, धाम विभासित कम्यून के विभास एवं यदस्या का स्थापना जो कम्यून की कामता क बाहर हा टकोइन सम्बन्धी व सगठन और स्थापना तथा अपो अधिकार क्षेत्र म स्थित विभिन्न कम्यूनों के सामाजिक हित के काय बरन तक सोमित है।

अपने विभिन्न कार्यों को पूरा बरन के लिये स्वयं कम्यून क पाय आमनी क साधन होते हैं। इन साधनों म मुख्य बजट आय और निधि म आय के साधन हैं। बजट आय आला आलग नागरिकों से (नियमजन) द्वारा दिये गये सामाजिक य दान के रूप म) करा मे आधिक सम्पत्ता को होने वाल लाभ से तथा जिला रिपब्लिक य ऐडेल सरकार के भवनाना स ग्रान होती है।

कृषि, बन, शृङ्ग निर्माण इत्यादि वीरे उन्नति के लिये मुख्येक साधना से जैसे कर आदि से होने वाला आप में से कुछ आप नियत वरवे विशेष पड़ स्थापित किये जाते हैं।

जिन का आप के साधन आर्थिक स्थानों के साथ का हिस्सा आयकर, नियोजको द्वारा प्रभागत, उसे अत्यादि हैं।


आर्थिक व्यवसाय और संस्थानों तथा सेवाएं जैसे किया जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि का प्रधान सामाजिक प्रबन्ध नामक काय पदनि ऐ अनुसार विद्या जाता है। सामाजिक प्रबन्ध में नियन्त्रित समाविष्ट है—

(१) स्वकीय प्रबन्ध अथवा आर्थिक स्थानों का प्रबन्ध अधिकारी वग की समीतिया द्वारा विद्या जाता, और

(२) सामाजिक प्रबन्ध (अधिकारी सामाजिक प्रबन्ध) अथवा संस्थानों और संवादों का एक अधिकारी और एमोसियेशनों द्वारा प्रबन्ध किया जाना जिनसे उनमें हवि हा।



**FOR NEEDS OF TOMORROW
ACT TO-DAY**



**SAVE
MONEY
FOR
YOURSELF
AND
NATION'S
NEEDS**

STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR

राजस्थान वित्त-निगम

- ★ सभी प्रकार के उद्योगों के विनाम के लिये
- ★ १५ हजार रुपये में १० लाख रुपये तक के ऋण दने में आपकी सहायता करने को तत्पर है।
- ★ प्रति लक्ष लिमिटेड कम्पनियों तथा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को २० लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है।
- ★ निगम द्वारा होटल एवं ट्रास्पोर्ट उद्योगों को भी ऋण दिया जाने लगा है।
- ★ करा के नियम तथा शर्तों के लिए निम्न पते पर मिलाए अथवा लिखिये —

प्रबंध सचालक

राजस्थान वित्त-निगम

“मूर्य निवास”

सो-१८ भगवानदास रोड

जयपुर



सूह-४

ग्राम-सभा

१ ग्राम-सभा का संदर्भिक पता	श्री चंद्रकुमार युकुमार	१-६
२ ग्राम-सभा के वार्ष की ध्यावहारिक मुद्रिका	श्री मनोहर प्रभार	७-१५
३ ग्राम सभा भौत उपके दायित्व	श्री आमृतोप	१६-२०
४ सोन उभा की रचना का प्राथार ग्राम-सभा हो	श्री गोविन्दप्रसाद	२१-२६

ग्राम सभा का सैद्धान्तिक पक्ष

[श्री चंद्रकुमार मुकामार]



समूणा दायित्वो से मुक्त अपन उच्चस्तरीय निवासात्मक श्राम-पचायतो की स्थापना के पीछे यह शोर्ष भावनायें काय कर रही थीं, तो वे ये थीं कि —

- १ स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए जहा कि शासन अब स्वय जनता द्वारा सचानित होगा ग्रविक से भ्रष्टिक स्वस्य यवस्था का भ्रवसर देना —
- २ म्रमिक प्रतिया द्वारा विशेषत विवत्तात्मक पचायतो के निचले स्तरो पर गाँव के लिए विकास बायों की प्रगति भोर उन्नति तथा
- ३ विकास योजना के साधारणतम स्वरूप म सामुदायिक व क्रियानील लोकतात्मक उत्तर-दायित्व वी भावनाप्रा वा प्रसार करना।

इम टटि से पचायतो राज को स्थाना सत्ता व ग्रविकारों का विकेन्द्रित साधारणीकरण माय हो नहीं है वरन् लोकतात्मक सक्रिय योगदान की भोर भी एवं हठ वदम है। निस्तरीय शासन म निचल स्तर पर उपलब्ध सोना द्वारा प्रशासनिक विकास उसके 'पचायत' कहे जाने वाले स्तर पर ही ह। सज्जता है क्योंकि पचायत वा गठन निर्बाचिन द्वारा स्वय शामवासी ही बरते हैं। परिणायत श्राम वाक्तियों की प्रवरता होन के नामे शान्तीय सोनो द्वारा शोनोय भोर सामुदायिक भावरदत्ताथो की पूर्ति

हेतु ग्राम पचायत को ही सामने रखा जा सकता है और सर्वेक्षण, विद्या जा सकता है। उच्च स्तर पर प्राप्तासन द्वारा नीति सचालन उन मुद्दों पर होता है जिनका नित्य प्रति के जीवन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। किंतु राज्यीय और राज्यीय स्तर पर बनने वाली प्राविधिक विभिन्न योजनाओं पर व्यायकमों में देख दी अभिनव यजनता (भीड़) की सहभागिता दोनों तो कोई अनिवायता ही रहती है और न प्रयोग हो। इस हालत में पचायत लौट के कार्य ही ऐसे हैं जो कि दिनिक जीवन से वास्तविक धर्यों में प्रत्यक्षता सम्बन्धित हैं। ऐसे स्थिति में समुदायिक प्राप्तासनिक इकाई दो जाति और सर्वेक्षण ही सम्बन्धित दोनों के निवासियों के दिनिक जीवन की प्राविधिकता और उनकी पूर्ति हेतु सीपार व्यायकमों की सही दर्शा और दिशा के लिए सही तरीका है। किंतु यह तभी सम्भव है जब वि अधिकात्म व्यक्ति उस (भीड़) से सम्बद्ध हो। ग्राम स्तर पर उपलब्ध स्त्रीों का प्राप्तासन के लिये हाया द्वारा न तो सही सर्वेक्षण ही दिया जा सकता है शोरन ही उनका उपयोग किर भले राज्य की राजधानी से प्रवल्ल विए जाय अथवा बैंद्रीय मरकार द्वारा बयावि उपरे और यकिं के मध्य नामाजिक भनोवनानिव एव प्राहृतिव धादि बृद्ध ऐसी दूरिया हैं जो असाध्य है। इसीनिय पावहारिक लोकतात्र दो जड़े उस द्वारा में छोटे सामुदायिक दृष्टि के मध्य पापतो हैं जहाँ कि यति यकिं का सम्बन्ध साधन और दायित्वा का निवेदण प्रत्यय हो सकता है। जहाँ तक योजना और विकास धार्यों के लिये ग्राम स्तर पर मिलने वाले साधन का साधान है चाहे वह नूमि सम्बन्धी हो या धर्म या पूजी सम्बन्धी उनमें धर्म ही ऐसा साधन है जो भारतीय ग्रामों में धार्विक पक्ष की हाईटि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर योजना में सक्रिय सहयोग के साधन अम' का यह धर्म बदापि नहीं कि वह केवल उसकी सद्वान्तिक जरूरत ही को पूण दरता है बरन् यही वह गारण्डी है जो कायदक्षांप्रा को धार्य साधनों की उपतर्ति की सम्भावना भी बतता है। ऐसा योगदान मात्र सहयोग ही दो उन्नत नहीं बरता बरन् साधना के सही सही मूल्यावृत्त और उपयोग में अवसर भी प्राप्त बरता है।

ग्राम-समाज

अगर ग्राम-स्तर पर पचायतों की सरचना भारत में लोकतात्मक 'ग्रामन एव जीवन-पद्धति' का नीव को धक्कि प्राप्ति बरतो है तो ग्राम के सभी वयस्क मतदाताओं द्वारा गठित ग्राम सभा की सक्रिय योग, निषेध और त्रिर्यावति की सामर्थ्य देनी होगी यदो कि यही पचायती राज सम्बन्ध को घोजस्विता प्राप्ति कर सकती है। अगर ग्राम समुदाय का प्रत्येक वयस्क सदस्य या जितन अधिक से अधिक हो सर्वे व सब ही ग्राम विवास और ग्राम प्रशासन के कार्यों में सतान हो सकें तो तत्सम्बन्धी साधनों का उपयोग और उपभोग भी दिया जा सकता है, और उनमें स्व-सदा तथा स्व शासन की धारणा भी जमाई जा सकती है। स्व-सेवा और स्व 'ग्रामन वी' धारणा स्वयं ही लोकतात्र की भौतिक एव नविति' नीव को सदाम बना देगी। विवास विभिन्नों की समय समय पर हुई बढ़ता भीर स्थानीय स्वायत्त-शासन की केंद्रीय समिति वी बढ़तों भी भी यही माना गया है कि समावित सम्पूर्ण उचरता प्रदान बरल की हाईटि से प्रत्येक राज्य दो विधान सभा द्वारा 'ग्राम सभा' को स्थाई मायता प्रदान की जानी चाहिये तिं विस्तर पृष्ठ ग्रामा स्वरूप और तेवस्विता प्राप्ति कर सके।

स्पानोय-स्वायत्त-ग्रामन वी बैंद्रीय समिति द्वी १६५६ म है तबाद म हुई बढ़त म भी यहा अनुभव दिया गया था कि—

मान कुछ ही राज्यों की विधान-सभाओं न पवायत क्षेत्र के बहस्त मतदाताओं द्वारा गठित ग्राम-सभा एवं विधानिक इकाई के रूप में मायता प्रदान को ही है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ योई 'ग्राम-सभा' है ही नहीं जब वि मायता प्रदान को ही है तथा जहाँ ग्राम-सभा को बठक वप में दो बार प्रायोजित की जाती है और पवायत अपने आय-व्यय का लेखा-बोका तथा अपने वार्षिकी की प्रगति की रिपोर्ट उस (ग्राम-सभा) के समस्या प्रश्नोत्तरी है वहाँ पवायत की अपने वार्षिकी के लिए स्वीकृति समुक्त बल तथा जनता का मुकिय सहयोग ग्राम्य करने का अवसर लाभ भी मिला है। इतीलिय पहुँचनुमति दिया जाता है कि प्रायें राज्य की विधान सभा द्वारा ग्राम-सभा को विधानिक इकाई के रूप में मायता देना और वप मध्यम कम दो बार उसकी बठकें प्रायोजित करने को मुखिया प्रान्त लगाना प्रवश्यक है।

वमें विहार और उत्तर प्रदेश में मन्त्र १६४७ सं मह स्थाय (ग्राम-सभा) काय रत है और ग्राम सभी राज्यों में सी अब इसकी प्रस्थापना ही चुनी है, तब इसकी सकृता या विफलता के प्राधार भूत वारणी नो जसा कि सामुदायिक विकास व राज्याय स्थान के लत्वावधान म १६६२ म भूमी म ही सेमीवार में भी 'ग्राम-सभा' नामकी स्थापा के विकास की सभावनाओं को सोज बीन की प्रतिवायता स्वीकार की गई थी जाव अवश्यक होनी चाहिये।

ग्राम-सभा के विषट्टन कारक तथ्य

ग्राम-सभा की असफलता या विषट्टन के कारण जो कि ग्राम अनुमति दिये जाते हैं, वे विभिन्नता हैं —

- १ चेतना का अभाव — घाज भी अधिकार ग्रामीण-जन पवायत से भिन्न 'ग्राम सभा' नामक स्थाया के प्रतित्व तक से अपरिचित है उहें यह तक भान नहीं है वि पवायत यथा है? ग्राम सभा यथा है और उनमें यथा भरत है? जहाँ ग्रामीण जन इन दोनों स्थायों के स्वरूप और अन्तर से मिल है वहाँ वे ग्राम-सभा के सदस्य के नाते अपने दायित्वों और अधिकारों से अन मिल हैं तो दूसरी और ऐसे भी हैं जिहे इन दोनों स्थायों के स्वरूप व अन्तर का भान भी हैं तथा जो अपने अधिकारों से परिचित भी है उनमें अपने क्षत्र्य तथा अधिकारों को अत्यरता व साथ ममत में लाने भी चेतना नहीं है।
- २ ग्रामीण राजनीति की व्यक्ति-परक प्रहति — पवायत के चुनाव के अवसरों पर यह देखा गया है कि मतदाता ग्रामदौर पर अपना मत व्यक्ति वो देने हैं। वे मत देने वक्त नीति व्यायाम और ग्राम्य-घारणाओं के बारे में लगामान भा विकार नहीं करते। यह इस स्थिति में जब कोई विशिष्ट व्यक्ति पवायत का नेता निर्वाचित हो जाता है तो वे लोग यह सोचते हैं कि उनके सिए अब पहुँचनिर्वाचित व्यक्ति काय करेगा— अपने क्षत्र्य वी इति योग्यता सेत हैं। उपर उस समुदाय में शुद्ध ऐसे सदस्य भी होते हैं जो या तो विस्ती दूपरे व्यक्ति वा नेतृत्व हेतु मर्मदन कर रहे होते

हैं अथवा जो व्यक्ति निर्वाचित हा गया है उसका विराष कर रह होते हैं, वे जब यह देखते हैं ति उनका (समर्पित) व्यक्ति पचायत के कार्यो में कोई श्चि नही लेना है तो वे सुद भी पचायत प्रथवा ग्राम सभा के कार्यो में कोई श्चि नही लेते ।

- ३ सुनिश्चित स्थान का आभाव—प्रत्येक ग्राम पचायत के लिये सुनिश्चित स्थान का आभाव भी ग्राम-सभा के विषट्टन का एक उनरदायी कारण है । प्राय वही ग्राम एक पचायत के अन्तर्गत आ जात हैं और इस प्रवार आजार बढ जाने के कारण ग्राम सभा वा बठाना न भिन्न भिन्न मौजों वालों या ग्रामी स शाये लोगों को बठन का सुनिश्चित स्थान प्राप्त नही होता है ।
- ४ समर्थाभाव—जब ग्रामीण-जन अपने कार्यो में व्यस्त हा ऐसे अवसर पर यदि ग्राम सभा वा बठन वभा आयोजित कर ली जाती है (या हो जाती है) तो वे उसम समिलित नही हो पात । पर यदि ये बठनों विभी योहार के मौके पर या जब वे काय व्यस्तता से मूल्क हो तब आयोजित ही तो स्थिति कुछ भिन्न हा होगी ।
- ५ प्रधान प्रथवा पचायत के सदस्यों की अनिच्छा—प्राय पचायत के शक्ति-संघटक ग्राम-सभा वो भी निर्णय बुलाने के प्रति विशेष दर इसनिए कि ग्राम सभा में विराधी पक्ष के सदस्य निर्णय बहाने वाले प्रश्न करेंगे य तो उदासीन रहते ह अथवा यदि बठन बुलाने भी हैं तो उसकी तिथि अभय एव स्थान की सुनिश्चित व समुचित सूचना प्रसारित नही वरन् । उबर विरोधी पक्ष के समर्थन-गण यह आठिर परन के लिये कि उनक द्वारा ग्राम-क्षिति ग्राम सभा वा बठन म उनका (स्वय) योई नियन्त्रणी नही है उसका बहिर्भार करत है । इस प्रवार दाना ही स्थितिया ग्राम सभा वी अमर्ननता वी बारए दन जाती है ।
- ६ ग्रामीणों द्वारा यसहयोग—ग्राम सभा वी अस्थिर एव सहेहास्पद स्थिति से भिन ग्रामीण लाग ग्राम-सभा वी बठन म समिलित होन की वजाय अपने हो किसी लाभदायक एव उत्पादक ग्राय म सनान रहते अथवा काय न होन पर परो मे बठे सुख की सास तो रहत है ।
- इसी प्रवार ग्राय अनक सामाजिक व गजनीतिक स्थितिया है जो ग्राम सभा वी सरल राह भ प्रष्टस्थान वा यार्य वरती हैं और इसनिए ग्राम सभा की अनिवायता अनुभव किए जान वे बावजू भी रगके शागठिन स्वरूप न घपने शक्ति सम्पाद होने और स्थाई अधिकारो ने प्रदान किए जान म समय संगताला रहा है । अन यह एक स्वय सिद तथ्य है कि कुछ स्थाया शक्ति प्रदान वरन मात्र म ही ग्राम सभा वस्था वा पूर्ण विकाम नही दिया जा सकता है । अत पचायती राज वा ग्रामार भूत इसाई के रूप म मायाग्राम प्रदान वरन के साय ही साय यह भी सोचना पड गा कि प्रथमत ग्राम सभा के कार्य हा तथा उगनी वाय विधि वाय हा ? इसी हठिन भ 'पचायती राज वो पूव नियोजित योना वे अनुभार प्रथम रण भी यित वरना होगा । पर यह भी सत्य है कि ग्राम-सभा भी 'ग्राम-सभा' अपनी विरासता, जनना और उद्यियन्वयन वा प्रान्त पर मती तो यह विश्वास होता है कि उस दिन देश वा प्रत्येक ग्राम लोराज भ वाय यागानां दन नार भारेगा और उसी निव पथयती राज द्वारा ग्राम विये जान वाल वादे साय और तर उतरते हटिगाह होंगे । ग्राय लव यह सस्था इस रूप म पूर्ण उत्पवत य हो प्राप्त वरसे तब ही इस और अधिकारो वा दायित्व सौता जा सकता है । और ही सकता है कि

एवं समय देसा आये वब भागे बड़ यह सत्य स्वय हो अपन उच्च स्तरीय सत्यानो से अधिक दायित्य सौंप जान दी मान करन ।

पुनरचना और उसके नक्ष्य—ग्राम समुदाय को पुनरचना का महत्व ग्राम सभा म निहित है । यह धारणा तो किसी भी प्रकार उचित नहीं कि माशाजनक मात्रा में पुनरचना इस सत्या के निर्माण पर ही प्राप्त हो जायेगी अद्यता उपरोक्त विषय और अधिकारों के असल में सामेजान से होगी, क्योंकि सर्वमाय पुनरचना सत्या के विवादिक गठन यात्रा पर ही निम्र नहीं करती । इम प्रवार का उत्तर्य उत्थान एवं प्रवाद जो किसी सीमा तक देश भर म विस्तृत विशिष्ट वातावरण पर भी आधारित है मुश्वित म ही प्राप्त दिया जा सकता है । इसीलिये लोकतंत्र म हमारी वत्तव्य विषयक धारणाओं म कुछ मूलभूत परिवर्तन करने के लिए भी बहु जाता है, बधाने कि हम अपने देश म सच्चे भयों म पकायती राज एवं प्रतिष्ठापना चाहते हैं । इमवा सीधा सम्बद्ध देश की राजनीतिक पाठियों की गतिविधियों को पुनरजाव व जनता के मामाय व्यवहार के स्तर वो पूर्ण अमाय करार देन और वहमत के नियमा से है । एवं सत्याने हृषि म ग्राम सभा इम दिशा म यह वर सकती है लेकिन अगर निसी भाँति ये आदान या ये विष्यतिया इन सत्यानों के गारी म जड़े जाया वटी तो फिर तृप्तात्मक उच्च स्तरीय सत्यानों एवं वक्षी ही सम्बद्ध अय सत्यानों म भी अपना प्रभाव स्थापित करने का मौका प्राप्त कर लेंगी । समाजवानी ग्रामन के विचार और स्वय समुदाय को भी यात्य-ग्रामज के सदमों म ही समझती भी आवश्यकता, भीनिक वास्तविकता भी प्रेषेदा नतिव धारणा हो अधिक है । ग्राम ग्राम-सम्प्राय अधिकाशन वगों म विभक्त है जिनकी भिन्न भिन्न यहा तक कि परस्पर विरोधी अभिलिया हैं । इन ग्राम्य अभिलियों की शुद्धि-परम ग्रामा जा, कि द्वन वगों पर नियंत्रण रखती है सामाजिक स्वरूप म और अधिक दरार ढालती है, और वही वैदेह इन विवारे वगों को एकता मे बाधा का काय भी करती है तो उम एकता वो भी यह प्रमाणित करती है । जसे इम क्षेत्र में यह विश्वास कि एवं ही सहवारी समिति गाव कि विभिन्न वगों की विभिन्न रुचियों वाली व्यवहारदार धावद्यवतानों को पूर्ति वर सकतो है, ऐसी हमारी परम्परागत विचार-धारा की द्वन स्वरूप युद्ध मूलभूत धारणाओं में परिवर्तन करना पड़ा । वगों घोर उपवगों की आठी तिरछी दरारा लाली सामुहिक धारणायें ऐसी सभी ग्राम-सत्यानों के विकास को सदैहात्मक बना देती है । एवं सत्या भी एवं विचार के हृषि में ग्राम सभा वो इसी एवं विगिल वग या उपवग वी समस्या वा ही समाजान नहीं करना है वलिं पूरे गाव का एक मान वर काय दरार है तब अगर सामुहिक धारणा भूतायित है अपने ग्राम म ही पूर्ण नहीं तो पूरे गाव वी एवं सत्या विषयक धारणा तो युद्ध शातिक हो ही नहीं सकती । इनिए विभिन्न वगों वो एवं मूल म विराज के निए तिए जान वगों प्राप्तिक प्रश्नान के पूरे गाव वी विरोधी तत्वा वाली प्रहृति को संपर्क लेना भूत्यरिक मूल्यपूर्ण काय है । तब ही ग्राम सम्प्राय के इन में किसी भीमा तर एकत्मता के एनान तथा समर्पित और योजना वद प्रयत्नों की जिमा म भागी वदम उठाया जा सकता है । इम प्रवार का सूक्ष्य ही यथान और साय ही साय क्रमानुगत भी ग्राम समुदाय म पूरे गाव को एवं सत्या के हृषि म ग्रामर और मूल्य प्रदान इन्हा गम्भी ही सकता है ।

यहो उपरोक्त विषय व मूलभूत दरार है जो सामुहिक विभाजन आदोना वा सामाजिक एवं राजनीतिक विचारपार के समरा भा खड़ी होता है । इनिए ग्राम सभा जसी सम्प्रा विषका कि एवं

सामाजिक आधार ही उच्च स्तरीय प्रिलेवारम्ब संस्थानों की अपेक्षा धार्मी गति से ही विवरित है। तो ज्यादा थोड़ा है। विभिन्न राज्यों में काय रत ग्राम सभाओं की गति विधियों ने इन निरुद्योगों को पूर्ण ही अधिक किया है। ग्राम सभा नामकों संस्था का दीप्तकालीन विकास, ग्राम-समुदाय की एकात्मकता का दीप्तकालीन घारणाग्राम, जिहे कि अभी अपना स्वरूप प्राप्त करना है और जिहे एवं लम्बी अवधि के बाद ही अनुभव भी किया जायगा पर ही निभर करता है। पर प्रशासन के विभिन्न स्तरों द्वारा विभिन्न भेदभावनात्मकियों पर आधारित ऐसी सामुदायिक संस्थाओं को पूर्ण भरकर दिया जाना अनिवार्य है। इस दिशा में अरणी जाति अथवा धन-सम्पन्नता पर आधारित सामाजिक प्रतिष्ठानों का अमान्य बनन एवं अवसर की समानता प्रदान करने वाली अन्त्योदय की नवोन भावनाओं के जन-भावनान्य में प्रसार द्वारा यह काय सहज ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से ग्राम सभा से इस थोड़े से समय में ही अधिक की बाधना अप्प है।



ग्राम सभा के कार्य की त्यावहारिक भूमिका



—श्री मनोहर प्रभाकर

ग्राम सभाओं के धार्योंने वार विचार द्यायद कुछ सोचों को आवृत्तिक सोखत व वी उपज प्रयोग हो सकती है, किन्तु यह एक मनोरंजक तथ्य है कि ग्राम सभाओं का इतिहास उत्तमाही पुराना है जितना बोढ़ कालोन यठों या मोय कासीन स्तूपों का ।

बिहार प्रदेश के इतिहास म इसका स्पष्ट भूकेत मिलता है । कहने हैं कि एक बार धारानी के बाहर विसी उपदन में भगवान् ब्रुद्ध प्रपने दिय दिय धानन्द के साथ बीढ़ सधों के बनतारिक खालन की घटनस्या पर विचार विनियय कर रहे थे । जिनासा वदा धानन्द ने तपागत से पूछा—‘ भगवन् ! लिङ्ददो गणुत्र की समृद्धि और सम्पन्नता का क्या बारण है ? तपागत न कुछ दाल सोखने के बारे धानत स्वर में उत्तर दिया ‘ धानन्द ! लिङ्ददो गणुत्र की सफलता का रहस्य वहा को ग्राम नभायें है । जब तक ये ग्राम सभाये बराबर छुड़ती रहेंगी ग्रोग वहा के लाग अपने निरायों में सबसम्मत रहेंगे, तिन्ददो गणुत्र फ़ैलता फ़तता ही रहेगा । ’

इतिहास सादी है कि जब तक भारत म धामन था यह ढाका वाय बरता रहा, तब तक सभा भार मुख धार्यि का शास्त्रविक दाप्राज्य स्थापित रहा ।

इसा पूर्व धाठवी शतान्दा से लेकर ईसा वो धीरो शतान्दो तक देन के विभिन्न धारा म स्वतन्त्र ग्रहुरास्य प्रचलित थे । विदिवस्तु वे दाप्रय पावा धीर कुदोनगर के भल्ल, विषिता के विदेह, और दयापा के तिन्ददो, ये सभी इसी गोरखपूर्ण परम्परा की स्वतन्त्र बहिया थी । प्रत्येक गण में इन जातियों

को एक सभा होती थी जिसके निर्देशानुसार एक मुखिया शासन सचिवित करता था। ये शाम सभाएं प्रधान की आवश्यकताप्राप्त और सभावानाप्रो वा प्रधान वर ग्रामोणा के लिए तो काय बरती ही थी जल्द होने पर याप और सुरक्षा का दायित्व भी इनका होता था। जिन स्थानों पर सभाएं होती थीं उन्हें समष्टगरा कहा जाता था। सहात्मा नुद ने घपने गौढ़ मध वा जनताप्रिक ढाचा इसी प्राधार पर बनायी था।

पुबक और वृद्ध सभी इस सभा म उपस्थित हुए करते थे। प्रस्ताव को कमवाच्य बहा जाता था और उसको सभा के समय रख जाने स पूर्व उसको 'समाप्ति' प्रधात् सूचना। सभा के कोरम इत्यादि के सम्बन्ध मे निश्चित नियम थे। इस परियद को कवल औपचारिक ही नहीं बास्तविक प्रधिकार ये और घपन धर्मीन दोनों पर सम्मूल प्रधिकार इसी का होता था। हर महत्वपूण भागला इम परियद के साथन विचारण आता था। नये कानून बनाने पुरान कानूनों को बदलने या हटान का धर्मिकार इसे था। यदि विचारणीय प्रश्न जटिल होता था विसा प्रश्न पर पारपद के सदस्यों भ बहुमत से डाको मतभेद होता तो ऐसे प्रश्न को तय बरतने के लिए कुछ सदस्यों को एक समिति को सौंज दिया जाता था। यह परियद राज्य की राजधानी या केंद्र म होती थी।

भारत मे इन प्राचीन गणतान्त्रों के नष्ट हो जाने के बाद भी सभी जगह पचायते घपन विसी न किसी स्थ म बिन्दा रही। इनके बायों भ शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। प घपना सारा बाय स्वतान्त्रपूवक बरती थी। बाव वा प्रवध मुचाल रूप से हो, इसका जिम्मेदारी प्रामीण जनता के ऊर होती थी। पचा के चुनाव या तो योग्यता के आधार पर प्रधवा लाटरी द्वारा हुआ करते थे। पच वा प और प वो का व्यवहार ही इनका प्रभावितालो होता था कि लोगो के मस्तक शदा से प्राप ही झुक पाते थे। पच परमेश्वर सभमा जाता था और प व का निषेध हैरवीय याप। प चायतो का काय शली भी सीधी सादी थी। पचार्कों प्राचिक एव सामाजिक जीवन की प्रेरणा केंद्र थी। दिनिं शासन ने सामन शाही का पोषण बरन तथा सधार के एक विनायक वग वा और प्रधिक उठाने के लिय एक पक्षीय लाभ के भूमि बानून बनाकर इस ढार्चे का शन २ छिन मिन वर डाला।

मारतीय सविधान और पचायती राज

स्वतान्त्रा प्राप्ति के बाव देग के धाविक सामाजिक और राजनीतिक शामा मे अनक कातिकारी परिवर्तन हुए। इन सबका प्रत प्रामीण जागन पर भी स्वामाविक हृष से हुआ। जागीरदारी उम्मून भूमि मुधार के कानूनों तथा पचवर्णीय योजनाओं के बारण प्रामीण जनता म नवीन चेतना जागृत हुई। भारतीय सविधान को पारा ४० म प चायतो के गठन और उहे प्रधिकार देने के बारे मे स्वप्न निदश दिये गये हैं। इयम हम यह सावन समझने के लिए काफा घवसर मिला हि प्रामीणस्तर पर हम प्रजातान्त्र के किस स्वरूप वा चाहत हैं। हमारा उद्देश्य है—सोर बल्पाणवारी राज्य की स्थापना। और यह तभी समझ हा तकना है जब सत्ता वा विनेन्वेदन हो। इसीलिए हृष प चायतो को सारी योजनाओं वा के द विन्दु बनाना पन्न और प चायती राज की गुण्डात इसी विवार मे हुई।

पचायती राज की आधार शिला—ग्राम सम।

प चायती राज का उद्देश्य सोरतान्त्र का आधार पहने स ग्रधिक ध्यापव बनाना और यह

स्थानित करना है कि लोकतंत्र में जनता ही सत्ता का सच्चा स्रोत है। ऐसी अवस्था में यह बिन्दुन तक समर्पित है कि ऐसे कार्यों को गावा वी सारी जनता के प्रति ग्राम सभों के रूप में उत्तरदायी रखा जाय। सुखग्राम और चैतन्याश्रम लोक सत्ता न होने के कारण ग्राम भी किसी ही प्रचायतों भी दबावन्ती पाई जाती है। दबावन्ती से सत्ता वी स्वायपरता यढ़ता है, जिससे गावा भी मन सुटाव वा वरतावरण सहज ही पड़ा हा जाता है। इस स्थिति पर ग्राम दुश रखने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन निर्मित रूप से असीम महत्व का है।

अब यह भली प्रकार धनुभद्र दर लिया गया है कि प्रचायतों के प्रशासन वा निर्दोष बनाने तथा लोक शक्ति वा यपनी सुध सुविधा के लिए मज़ग करने वा माध्यम के लोक ग्रामसभा ही ही सकता है। ऐसी से हम प्रशासन से कृपापता अभाव पर विजय आयिक और सामाजिक याय की प्राप्ति तथा सुधायप नेतृत्व का विकास कर सकते हैं। ग्राम सभा सही मायने से कठोर और अधिकारी की अभि यक्षि का धाराहार है। इसके माध्यम से प्रचायत, जो स्थानीय जनता वी सरकार है, उस नियन्ति गतिशाली और नियायीले बनाया जा सकेगा। ऐसा करने पर ही हम ग्रामस्तर पर सच्ची लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना दर सकेंगे। जब तक जनता के प्रतिनिधि जनता वे प्रति उत्तरदायी नहीं होने तब तक सच्ची लोकतंत्रात्मक सरकार नहीं दर सकती।

दुश वर्षों पहले सामुदायिक विकास मनालय द्वारा आयोजित "हैदराबाद" सम्मेन में ग्राम सभाएँ वा सम्बूधप से अत्यन्त महुङ्गपूर्ण निषेध लिये गये। प्रथम बार ग्राम सभा वा व्यानिर ग्रामता प्रशासन वर्ग को चिकित्सा वा गई। सम्मेन न यह सुझाव दिया कि ग्राम सभा की सुल में कम से कम दी बढ़के आयोजित की जानी चाहिए। जिनम व्यक्ति, करा के नये प्रश्नाव, तथा प्रचायत द्वारा दिये गये वायों की प्रगति का चिह्नावलोकन किया जाये। इस प्रवाहर जब ग्राम प्रचायत को ग्रामोण समुदाय वी सामाजिक सभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया जायगा तो प्रचायत वे सदस्यों की पारम्परिक दलवादी तथा स्वायपरता घन २ म्बन ही नष्ट हो जायगी।

ग्राम सभाओं का स्वरूप

ग्राम सभाओं वा सबसे बड़ा और प्रमुख उद्देश्य है गाँव के सारे स्थानीय और प्राकृतिक साधनों वा उत्तुकित उपयोग। अत इसमे गाव वी अधिक से अधिक जन शक्ति को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित पाना आवश्यक है। ग्राम सभा गाव के एष सभी लोगों की सभा है जिनकी बाट देन वा अधिकार है। ऐसे सभी व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं।

ग्राम सभा की सदस्य सदस्यों के बारे में एक बहुत महत्व पूछ तरह यह भी है कि इसके इतने सदस्य भी नहीं होन चाहिए कि वे एक दूसरे वो जान भा न सकें। यद्याकि यदि ऐसा हुआ तो सदस्यों के बारे भावनात्मक एवं तथा स्वायित्व वर्तना कठिन हो जायगा। इस स्थिति वो दूर हरने के लिए यदि आवश्यक हो तो एक गाँव म सुहृत्वा या चाहीं के आधार पर अनेक ग्राम सभाओं वा आयोजन भी किया जा सकता है। परन्तु एक ए चायत लक्ष म वई गाव है तो उन गावों में अलग २ ग्राम सभायें भी आयोजित की जा सकती हैं। इस प्रवाहर एक ही प्रचायत देख से अन्य ग्राम सभायें आयोजित बरन से जहाँ विवार विषय करने में बहुत सुविधा मिल सकती है, वहाँ कुछ कठिनाइया भी नामने घर सकती है। ये कठिनाइया

वैयक्ति भाष्यो भी प्रायमिकता को लकर हो सकती है। इसके लिए सबसे आसान उपाय यह है कि ब्रिस निरुपय को ग्राम सभाओं का बहुमत प्राप्त हो। उस ही कार्यान्वयन किया जाय और प्रायमिकता भी अपार पर निर्दिष्ट की जाय।

राजस्थान पचायत अधिनियम और ग्राम समाजे

राजस्थान पचायत अधिनियम भी उसके अनुगत बने नियमों के अधीन यह राजस्थान की गई है कि सात घण्टे ५ माहों पर चायत क्षेत्र के समस्त प्रोड निवासियों की दो ग्राम सभायें श्रमद मई और अक्टूबर में बुलाई जायें। यह बठक पचायत के सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा बुलाई जानी चाहिए। बठक का स्थान साधारणतया उस गाँव में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जहाँ पचायत का कार्यालय स्थित हो।

बठक के दिन तथा भेषज वी सूचना चायत नम की संक्षिप्त रूपरेखा के साथ बठक होने के बगैर उस पद्धति दिन पहल निम्ननिवित रूप में प्रकाशित या विनापित बरदी जानी चाहिए—

- (१) पचायत क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में एक या अधिक प्रमुख स्थानों पर चिपका घर तथा
- (२) पचायत क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में होल बजार सावजनिक घोपणा करदे—

ग्राम समाज की बठक का सभापतित्व सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा किया जाना चाहिए। यदि दोनों ही अनुपस्थित हों तो वहाँ उपस्थिति पंचा में से कोई एक जो उपस्थिति निवासियों द्वारा चुन लिया जाय ग्राम समाज का सभापतित्व करेगा।

किसी वित्तीय वय भ होने वाली इस प्रकार की बठकों में से पहली बठक में पचायत का बछट पन विधा जायगा और उस पर वयस्क निवासियों के विचार लिपिबद्ध किये जायेंगे। दूसरी बठक में पचायत द्वारा पचायण में लिये गये निर्माण काय जर्मों की जानकारी दी जायगी और उनमें की गई प्रगति से ध्यान भराया जायेगा। जिन काय नमों पर विचार विनापय होगा उनमें कृषि पार्श्वालन, स्वास्थ्य, शिक्षा समाज शिक्षा सहकारिता, कुटीर उद्योग आदि प्रमुख हैं।

प्रत्येक एमी बठक की चायवाहिया का विवरण हिन्दा में लिखा जायगा और उस पर सभापतित्व करने वाले व्यक्ति के अनुमार होगे। इस प्रकार जो विवरण लिया जायगा उसे सभापतित्व वरने वाले सदस्य द्वारा पचायत की शामाजी बठक में प्रस्तुत विधा जायगा। इस प्रकार की बठक पचायत क्षेत्र के निवासियों की मांग पर भी बुलाई जा सकती है वाले विपंच चायत के बगैर से कम १०० वयस्क व्यक्ति या बूल वयस्क व्यक्तियों के एक चोयाई (जो भी बगैर हो) लिखकर बठक की तिथि तथा प्रयोगन सहित प्रत्येक भवियाचना बठक के निर्धारित दिन से बगैर से कम बीस दिन पूर्व पचायत कार्यालय में किसी भी ब्रिम्मदार व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर द। यह एसा बरने के साथ दिन के भीतर भी सरपंच द्वारा बुलाने में चूका परे तो भवियाचना या मांग रखने वाले व्यक्तियों द्वारा राजस्थान पचायत तथा याम पचायत (मामाय) नियम १६६ के नियम ६६ के अनुमार जसा कि पहले बताया जा चुका है तिथि तथा समय वी सूचना देवर बठक बुलाई जा सकती है। एसा बठक उस गाँव जो छोट्कर जहाँ पचायत या कार्यालय स्थित है और वही नहीं बुलाई जा सकती।

ग्राम समाजों के कार्य सचालन का स्वरूप

सामाजिक ग्राम सभा की बठक के काय सचालन म ये बातें सम्मिलित की जानी चाहिए ।

- (१) गत ग्राम सभा के विवरण वा वाचन
- (२) ग्राम सभा की पिछली बठक मे जो निएय लिये गये है उस पर की गई कायवाही का विवरण व सम्पन्न किये गये काय पर विचार
- (३) ग्राम सभा की बठक के बाद जो महत्वपूण निएय लिए गये हो जनकी जानकारी
- (४) प्रश्न करने वा समय
- (५) काय तथा व्यय का विवरण तथा आविष्ट धाक्षण के उत्तर
- (६) बजट, करारोपण विभिन्न योजनाए व कायकम आदि
- (७) ऐसे विषय जो प चायत समिति जिला पारपद जिला खलेकटर आदि ग्राम सभा क समक्ष रखना उचित समझे
- (८) भूमि वितरण तबाही वितरण व सावधनिक योगदान भी ग्राम सभा मे ही किया जावे तो ग्राम सभा अधिक प्रभावशाली हो सकती ।

यही सही है कि राजस्थान प चायत अधिनियम क अंतर्गत वर्ष मे ग्राम सभा की केवल दो बठकें खुलाना आवश्यक है । इन्तु लोगो मे सहयोग और धनिष्ठता की भावना पदा करने के लिए ग्राम सभा की अधिक बठकें होना जरूरी है ग्राम सभा की बठकें अधिक बार खुलाने से एक बड़ा साम यह है कि प चायता को घपनी नीति और कायकम के बारे मे ग्रामदासियो को जानकारी देने का मोका बार-बार निलगा धोर परिणाम स्वरूप उड़े गाव का सहयोग अधिक मिल सकेगा इन ग्राम सभाओ मे लोगो को उत्पादन काय की महत्व बताई जानी चाहिए । आज की सबसे बड़ी आवश्यकता समस्त मानवीय तथा भौतिक साधनो को जुटाने की है । ग्रामीण सेत्रो म ग्राम सेवादल नियित किए जा रहे हैं । ये सेवा दल ग्राम म उचित बातावरण बनाये रखने, ग्राम लोगो मे अनुसासन की भावना बढ़ाने और ग्राम की उत्पादन की क्षमता बढ़ाने मे योग दे सकेंगे । ग्राम सभाओ मे लोगो को ग्राम सेवा दलो म भर्ती होन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया जाना चाहिए । इस दिशा मे भरसक प्रयत्न होना चाहिये कि प्रयोगे कुटुम्ब, गाव, खड, राज्य और देश का उत्पादन बढ़ । इस सम्बन्ध मे यह बात सास ध्यान देने योग्य है कि खेतो के लिये उपयोगी भूमि सीमित है और इस बावरण से हमको मोजदूर भूमि से ही अधिक पदावार करनी होगी । सकाप मे, हमारी प्रति एकड पदा बार म बृद्ध होना आवश्यक है ।

राजस्थान मे अधिकतर कृषि प्राहृतिक साधनो पर निभर है जिसका परिणाम दभी दभी यह होता है नि बठिन से बठिन परिष्प्रम करन पर भी उद्ज का मिलना अनिश्चित सा रहता है । इसके लिए ग्रामीणों के साधनों द्वारा कृषि के शत्रु मे स्थालवी होना सबसे पहली आवश्यकता है । इस सम्बन्ध मे राज्य क मुख्य मन्त्री जी के निम्न उद्गार जो उहोने प चायती राज अध्ययन गिडिर उन्यपुर के उद्यानन के समय प्रकट किये थे उल्लेखनीय है—

प चायतो व प चायत समितिया को मदव यह बात ।¹¹ यान में रख कर बलना चाहिये इ
उनके विकास को जड उत्पादन है। उनको यह योजना गावा में क्रियान्वित करनी है। अत इस चाय कम
का सबसे प्रमुख श्रग होगा—सेतो और पानु पालन। हमारे दा म और हमारे प्रदेश में प्रति एकड जमीन
में जितनी पदावार होती है प्रति चाय जितना दूध शोसतन होता है या भेड़ा से उन पदा होती है वह
दूसरे दशा की अपेक्षा कम है। हम यह देखने हैं कि भ्रपने ही देश म भ्रपनी ही प चायत भ्रपवा गाव में
एक व्यक्ति ज्यादा पदा करता है जबकि दूसरा कम। मात्रित इन सब का कारण क्या है? यदि उत्पादन
में भद है तो श्रवण इसके माध्यने है कि वही न कही काम करने के तरीका म वर्षी है। एक परिवार किया
प्रकार भ्रपन साधन व शक्ति के अनुसार उत्पादन यढा सकता है इसको ऊपर वठा हुआ, गासन तथा नहीं
मझाल मक्ता। इसके लिये तो जितनी प चायत या प चायत समितिया समझानी और सतकता से काम
करें उनकी उसम उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। ऐरी राय म प चायत राज का प्रमुख कायमय से यह
है कि उसको भ्रपन गाव के प्रत्येक परिवार की कुँवार उत्पादन की योजना बनानी चाहिये जिससे कि जो
साधन उस परिवार के पास हैं उनको ध्यान म रखते हुए अच्छे ढग से खती बनने में कितना उत्पादन
बढ़ाया जा सकता है, यह मालम बिया जा सके और इसके प्रनिरित बहा पर जो सुविधायें उपलब्ध नहीं
हैं जसे सिचाई के सापन, अच्छे औजार, रासायनिक खाद इत्यादि उसको उपलब्ध किया जाय तो जितना
उत्पादन बना सकते हैं? इस प्रकार की योजना प्रत्येक गाव के लिये बना थेर उस पर गम्भीरतापूर्वक
विचार किया जाना चाहिये और प्रत्येक वप के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिये।'

ग्राम सभा की बठकें जन प्रशिक्षण साधनय को पूरा करने म भी सहायक होंगी। वप मे कुछ
बठकें बैवल जन प्रशिक्षण के उद्देश्य से भी बुलाई जा सकती हैं। इन बठकों में निम्न विषयों के प्रशिक्षण
पर विनेय थोर दिया जाना चाहिए।

- (१) प चायतो राज की गुण भूमि और उसकी स्थापना के कारण
- (२) प चायतो राज का स्वरूप धर्यात् प चायतो, प चायत समितिया तथा जिला परिषदा का
गठन। उनकी सदस्यता क्त थ्य और दायित्व।
- (३) प चायतो राज की दुनियादी सस्थाए—पाठ्याला, सहवारी समिति और पचायत के
पारम्परिक सम्बन्ध।
- (४) ग्राम सभा दा महत्व और उसके प्रति प चायतो राज चाय-कर्त्त्वप्री क्त व्य।
- (५) प चायतो राज म स्वच्छता स्थापना, जसे नवधुदक भट्ट सहसा भट्ट भादि का स्थान
और उनके वत्त व्य।
- (६) योजना के लक्ष्य।
- (७) उत्पादन चाय गम का मदत्व, इषि उत्पादन बढ़ाने को आवश्यकता और उसके उन्नत
साधन।

ग्राम सभा और प्रशासनिक अधिकारियों का समन्वय

तू जिं प्रतिनिधि मस्त्याएं और प्रशासन दोनों एक दूसरे के पूरक चर्चन गये हैं, इसलिए ग्राम सभा प्रबल विभाग के कार्य ब्रॉडों वो बाय रूप में परिग्राह वर्तन का माध्यम ही नहीं, बल्कि प्रशासन के स्तर को उन्नत और कुशल बनाने की जनताप्रिय पद्धति भी है। यद्यएव यह आवश्यक है कि जिला स्तर के अधिकारी समय २ पर ग्राम पचायता में भाग लेवें। तहमील तथा पचायत समिति स्तर के अधिकारियों में से तहमीलदार जगलात विभाग के रेन्डर विकास अधिकारी एवं प्रसार अधिकारियों वा अधिक में अधिक ग्राम सभाओं में भाग लेना चाहिए। जिला क रेन्डर वा समय २ पर ग्राम सभाओं से भाग लेना चहुन उपयोग मिठ दोगा। जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा ग्राम सभाओं में भाग लेने से जहा प्रशा सनिव अधिकारियों वो जन मानस के और अधिक समीप आना बा अवसर मिलेगा वहा ग्राम सभा पौ उनका उपस्थिति में यह लाभ भी होगा जिं प्रशासन की विटिनाई के बाराणे ग्राम सभा के जो कई बाय एक पढ़ हैं उन पर भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा गोप्त्र निएव किया जा सकेगा।

अधिक से अधिक लोगों पर योजना की जिम्मेवारी

यह आवश्यक है जिं अधिक में अधिक लोगों पर योजना की जिम्मेवारी हाली जा सके इसके लिए ग्राम सभाएं अपनी आवश्यकता के अनुमार अलग २ विकास बाय नपा के लिए समितिया वा गठन करें। सम्पूर्ण कायवक्रम के लिए विभिन्न परिवारों के मुखियाओं का बम में बम पाचवा भाग इन समितिया वा सदस्य ही जाए। इस प्रकार गाव के अधिक से अधिक लोग किसी न किसी रूप में उत्तरदायित्व गहरा पर सकेंगे। इस प्रदार अधिकाविक जन शर्ति नव निमाएं के लिए सागठित हो सकेगी। मे विभिन्न समि निया ग्राम वो आवश्यकताओं और साधनों के आधार पर योजना वा निर्माण करेंगी। प्रत्येक परिवार के मानसिक रूप में उसके उत्तरदायित्व का मा नान बरा दिया जायेगा। ग्राम सभा में निएय ऐसे लिए जाएं, जिनका प्रभाव समस्त मतनाताओं का आर्द्धित स्थिति पर पड़ता हा और उन भौतिक लक्षणों पर विषय जोर दिया जाए जो स्थानीय साधना से पूरे हो सकते हा। पचायत की आय के स्रोत उत्पाद करने पर यह सामाजिक मवा आदि के आय साधना की वृद्धि पर भी विषय जार दिया जाय।

जानकारी की सुविधा

पचायत का बोम खुफिया विभाग का तरह गृह्ण गति में नहीं चल सकता। पचायता भी ग्रामीण-जनता का विद्वाम सम्मान करन के लिए यह आवश्यक है जिं व अपनी समस्त कायवाही वी जानकारी ग्राम सभा के साथने प्रस्तुत करें। पचायत के तिगया वा प्रकाशन भली भाँति होना चाहिए। पचायत वो कायवाही, हिसाव विताव व्याप्ति के बागज और रजिस्टर किसी भी ग्राम सभा के नदस्य में निरोदाल के लिए निरिचत समय व जगह पर उत्पाद रहने वो व्यवस्था होनी चाहिए। कायवाही रजिस्टर म सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उनको लिसो हूदी कायवाही को प्रमाणित वरना चाहिए। पचायतों वी बल्को वो देखने वा मुनने वा अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। वेवल शाँति वी व्यवस्था अन रखने और गृह्ण विषयों पर विचार विभाग के ममय श्रातामा वो अलग किया जाय। इस प्रदार एवायता वो अलग किया जाय। इस प्रदार पचायता के बायों वी अधिक से अधिक बानडारी जनता को वरन वा अवल होना चाहिए।

अनुसरण पद्धति

ग्राम सभाप्रो में बैवल निशुम लगा ही पर्याप्त नहीं। यह निशुम किस समय तक पचासप्रती द्वारा बार्याचित बिये जाते हैं इस पर ग्राम सभाप्रो की सफलता निभर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो निशुम लिया जाय उसके क्रियावयन के लिए समुचित अनुसरण पद्धति (फोलो अप मैथड)। अपनाया जाय। ग्राम सभाप्रो को बठको में अनुसरण पद्धति के फलस्वरूप होने वाली जाय प्रगति की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। पचासप्रती द्वारा ग्राम सभा के जो निशुम पचासप्रती समिति स्तर पर बार्याचित के लिए भज जायें उनका पूरा करन का दायित्व विवास अधिकारी इस प्रवार के निशुम के पलस्वरूप होने वाले कार्यों की प्रगति का विवरण ग्राम सभाप्रो की बठको में स्वयं उपस्थित होकर देसकते हैं।

ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की रुचि कैसे पैदा की जाय

ग्राम सभाप्रो की ओपवारिं बठको में अधिकारा श्रमीणों दी रुचि नहीं रहती इष्ट कारण उपस्थिति का बदा असाव रहता है। कई बार तो स्थान का गलत चुनाव भी इसका कारण होता है। इसलिए ग्राम सभा का आयोजन ऐस स्थान पर किया जाना चाहिए जहाँ अधिक से अधिक लोग मुविषा पूवक पहुँच सकें। सामायन्या उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिनेमा अथवा लाउडस्पीकर पर रिकाङ इत्यादि बजावान का प्रयोग किया जाना है। इसमें ग्राम सभा अवकाश खुन या भनीरजन स्वल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इससे जन मानस को परिवर्तित और प्रेरित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। यह सावधानी रखना जरूरी है कि न का ग्राम सभा दिनी भेले का रूप ही के और न एक दूसरे पर कीचड़ उद्घालने का मच हो जाने। ग्राम सभा का आवायक बनाने के लिए उसको मजीब बनाना आवश्यक है, और वह सजोब तब ही जन सकती है जबकि गाव वासियों का प्रत्यक्ष ग्राम पहुँचाना के लिये उनकी शिकायतों को दूर करने के उपायों पर विचार किया जाय। यह तब ही सम्भव है जब जिम्मेदार अधिकारी मोहे पर जावर उनकी कठिनाइयों का हल उचित तरीके और सहानुभूति पूर्ण ढग से निकाले। यदि विभिन्न विभागों के बिना अधिकारी और लह स्तरीय अधिकारी अपने नीरे का काय-कम सरपंचों से सम्पर्क स्थापित करक बनायें, तो द० प्रतिशत ग्राम सभाप्रो में भाग ले सकते हैं। ग्राम सभाप्रो में जनता की अपनी भावनाएँ और विचारों का प्रवट करन की खुली छुर दी जाय और उन्हे प्रश्न करन की पूरी आजानी रहे। ऐसा करने से जब लोगों का ग्राम सभाप्रा में विद्वास जम जायगा तो फिर वे उनकी बढ़का में लगातार रुचि लने लगेंगे और उपस्थिति का असाव नहीं रहेगा।

ग्राम सभाप्रो का मूल उद्देश्य सामूहिक हिता पर विचार करना होता है। यदि इसके विपरीत सोग ग्राम सभाप्रो को व्यक्तिगत स्वार्य निहित प्रस्तो और द्विद्वनी ग्रालोबना का भव बनाने तो एव वही समस्या उठ सकती होगी। ग्राम सभा स्वल पर बढ़कर ऐसो भावो पर विचार करन में कोई बुराई नहीं है कि विस प्रकार करण क भनुगान लिया जाय। तकाबी के बोज की सम्लाई करें हो। परन्तु उसके साथ ही यदि ग्राम सभा के सभी सदस्या ने यह नहीं सोचा कि हम और हपारा गाव मिलकर किस प्रकार स्वाव लम्बी हो सकते हैं सामूहिक योजना के लिए निर्धारित उद्देश्य कितने कम रखये म पूरे किये जा सकते हैं तो ग्राम सभाप्रो का सारा उद्देश्य हो असफल हो जायगा। कई ग्राम सभाप्रा म सामुन्नयित विवाम के प्रति

उपेन्द्र भीर निजो स्वाधी की मर्वापरि के ममाचार भी मिले हैं। जहा स्वावलम्बन वा व्येग था, वहा कालकार भीर ग्राम प्रामधीण ग्रद सत्रकार पर इतने ग्राहित हो गये हैं कि जो विकास की शक्ति उनमें पहुँच थी वह भी खो चढ़े हैं। वह तो ग्राम सभा में हर एक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, हर प्रस्ताव का स्वागत है परंतु जिन महान् उद्देश्यों के लिए यह सब आव्योजन हो रहा है उसके बारे में विचार विमला करन म बड़ी विचित्र उपेक्षा देखने को मिलती है। वही बार जो निशुल्प ग्राम सभा में लिए जाते हैं उनको भी कार्यान्वित करने का काई ठोस फटम नहीं उठाया जाता इसलिए मह ग्रामशब्द है वि ग्राम सभा को बठक में सबसे पहुँचे उन पहलुओं पर विचार किया जाय जिन पर पहले की ग्राम सभा में निश्चय लिया गया था। पचाथल भीर पचायत समितियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि वे ग्राम सभा के निश्चयों को हर माह दोहरायें भीर कथा प्रगति हुई है इसका विवरण तयार करें।

ग्राम सभाग्रा की सफलता वी सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि उसक सदस्यों ने सामूहिक सुविधा के लिए वित्तने आयिक साधन जुटाये भीर उन माध्यनों तथा मानव शक्ति का पूरा २ उपयोग सभी परिवारों के बराबर २ लाभ के लिए किम अदा तक हो रहा है।

यदि लोकतंत्र वा इस शक्तिशाली द्वार्द्द ग्राम सभा को उत्तित टग से सदालित किया गया तो यह शक्तिशाली सद्या निर्दित रूप से व्यक्ति का गरिमा राष्ट्रीय समृद्धि एव एवता की अनतवाल तक चिरस्थायी बना सकेगी।





ग्राम सभा

ग्राम सभा और उसके दायित्व

—थी आशुतोष

ग्राम सभा की टट्टि से विचार करन म यह सम्भव प्रतीत होता है कि १००० से १५०० तर वा वा सद्या के द्वारा ग्राम-ग्रामा का एठन प्रामानी स और सही तरीके से विया जा सकता है शोर जहां जिसी गांव की जन-संख्या घटिया भी है तो ग्राम सभा की मीटिंग वाहू बाइज प्रायोजित की जा सकती है। ऐसी या भीटिंगों को 'उप ग्राम-सभा' नाम दिया जा सकता है। पर यहार कही पंचायत के अन्तर्गत वई गांव है और उनमें फासना भी घटिक है तो 'उप-ग्राम-सभा' की मीटिंग प्रत्येक ग्राम म 'उप स प्रायोजित की सकती है। पर उप ग्राम सभा' की मीटिंग जिए जाने का तात्पर्य ग्राम सभा

की मीटिंग समाप्त कर देना नहीं है बल्कि इसका अर्थ उन सारी कमियों और बुराइयों को दूर कर देना है जो कि ग्राम सभा की मीटिंग में प्राय विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण रह जाती हैं।

ग्राम सभा की साधारण अवधारणा विशेष बैठकों के लिए कोरम

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण प्रारम्भिक अवस्था में होने के कारण ग्राम सभा की मीटिंगों में अधिक से अधिक उपस्थिति सम्भव नहीं है ग्राम सभा की साधारण एवं आश्रम पर आमतौर पर विशेष बैठक के लिए वैरम के रूप में एक सामान्य उपस्थिति (सल्ला) स्वीकार सी जाये, जो कि प्रायतः दोनों के बिच स्वतंत्र भवतदाताओं का १० प्रतिशत हो सकती है। इससे यह निश्चित हो जाएगा कि ग्राम सभा की मीटिंग स्थगित न होने देने के लिए सरपंच उपस्थिति बनाए रखेगा। इसी प्रवार ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करने के लिए माग बरने हेतु भी प्रायतः क्षत्र के वयस्क भवतदाताओं को कुल सध्या पा १० प्रतिशत अनिवार्य स्वीकार किया जा सकता है।

ग्राम सभा की ओरजस्तिता

प्रायतः को शक्ति सम्बन्ध करने का सीधा भवतिक्षण रूप से ग्राम सभा को शक्ति सम्बन्ध करना है। यथाकृत तब ग्राम सभा के सदस्य अपने दिनिक जीवन में अनुभव भी जाने वाली वाघात्रा और गिरायता को प्रायतः कि समझ रख सकेंगे और उससे पूरा चातोप्रद समाधारा भी प्राप्त कर सकेंगे। फलत ग्रामवासी ग्रामसभा में स्वत ही हृषि लेने लगेंगे। प्राय ग्रामवासियों का दिनिक जीवन भ अनुभव का जाने वाली विश्वायते, नोकरशाही के आवाय, करो सम्बद्धी मुख्खियों, मूल आवटन, जगल के उपरोग के अधिकार अवधारणा विकास योजनाओं भी निष्पादित जाए कि सिंचाई योजना आदि य सम्बिधित होती है। यह यदि ग्रामवासियों भी यह विश्वास हो जाये कि ऐसी दिसी भी समस्या या भगडे भगट से पृथ्वीरात्रा दिनान म ग्राम सभा समय है तो निश्चय ही वह ग्रामीण समस्या या विकायत विचाराय ग्राम सभा के समय रखेणा भी और परिणामत स्वयं उसमें हृषि भी लेगा ही। उधर आज ग्राम सभा में ग्राम वासिया (वयस्कों) द्वारा हृषि न लिए जाने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि ग्राम सभा उनकी किसी भी तात्कालिक मुसीबत से उनको राहत देने में असमर्थ है। अब तो इतना सा काय करने की प्राप्तियता है कि एक तरफ तो प्रायतः शक्ति सम्बन्ध कर दिया जाय और दूसरी ओर ग्रामवासियों को इस विषय की पूरी जानकारी प्रदान करके सज्जन कर दिया जाय, फिर तो वे स्वयं ही इस दिशा में चलेंगे।

ग्राम सभा का निर्णय दातृ-स्वरूप

वसे तो ग्राम सभा की मीटिंगों में उपस्थिति सदस्यों को राय जान कर ही निर्णय लिया जा सकता है। पर जिन राज्यों में आज 'ग्राम-सभा' वा अस्तित्व है उनकी व्यवस्था प्रणाली तो यह है कि वा या तो उठे हुए हाथों की गिनती करके, स्वानन् परिवर्तन करने या एक मत अवधारणा मठों की ग्रामवारी प्राप्त करने निर्णय लेती है। एक मुकाबला यह भी है कि यदि एक मीटिंग म राय पानवर विणेय नहीं लिया जा सके तो मीटिंग स्थगित कर दी जाय जिससे वि हर सदस्य भी शान्ति से सोचन का मौका नित जाय और ग्रामीण में सहमति सम्भव हो जाय। पर यदि भवतदान द्वारा ही निर्णय

लिया जाता है तो कुछ उपस्थिति वी दो तिहाई सदस्या का एक मत होना अनिवार्य औ स्वीकार लिया जा सकता है।

ग्राम सभा के अधिकार

पचायत अपने कायों और उनका प्रगति के बारे में अपनी अमासिक रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कर, जिन पर विश्वास की मीटिंगों में विचार विनिमय हो तथा विए गए प्रतिवादों व मुकाबलों का लिखित विवरण हो जिन पर विश्वास की विवरण हो जाएँ। स्पानीय आवश्यकताओं को हाइड से ग्राम सभा को अपनी तुम्हीं तरफ से भी प्रस्ताव रखने की छुट हो। पचायत वी चाहिए कि वह सामार निम्नलिखित मुद्दों पर ग्राम सभा की राय माने और उत्तर दें ही ग्राम सभा के विवारणोंपर मुद्दे भी हों—

- १ पचायत द्वारा निमित योजनायें और उनका आय-व्यय विवरण
- २ गाव के लिए उत्पादन वृद्धि-योजना की प्रगति और उसकी क्रियावानी पर टिप्पणी
- ३ विभिन्न काय-समितियों की काय प्रगति वे बारे में अद्व वापिक रिपोर्ट
- ४ पचायत की वापिक रिपोर्ट और आय-व्यय विवरण
- ५ पचायत समिति की वापिक रिपोर्ट का संक्षिप्त सार
- ६ ग्राम स्तरीय वृद्धि काम की गतिविधि वे बारे में अद्व वापिक रिपोर्ट
- ७ सामुदायिक विकास के निर्माणाधीन कायों की प्रगति पर आवारित अद्व वापिक रिपोर्ट
- ८ मध्यावधि एवं दीघावधि नहरों वे उपयोग पर आवारित अद्व वापिक रिपोर्ट
- ९ ग्राम स्वयं संबंध सेवा और सुरक्षा धम कोष वे कायों का सर्वेक्षण—

ग्राम सभा पचायत या पचायत समिति वे विसी विदेशी व्याय की जात्य पद्धताल करने अथवा उसका सही समाधान प्रस्तुत करने के लिए भी विवेन्त कर सकती है। यह एक नियम हो कि पचायत या पचायत समिति अपने क्षेत्र में कोई भी काय वे करने के निमित फैम उठाने के पूर्व ग्राम सभा की राय जान लें। सक्षम इतना ही वहना काफी है जिपचायत, प्रयोक काय वे तिए अपने आपको ग्राम सभा वे प्रति उत्तरदायों समझें। क्योंकि पचायत ग्राम सभा की कायवारियों ही अत उसके काय और काय प्रणाली निश्चित वी जाकर उस सारक बनान और ग्राम सभा के साथ उसक सम्बन्ध निश्चित भर दिए जाने के प्रतिष्ठन ग्राम सभा को योजनाविता प्रदान करना होगा।

ग्राम पचायत की आय-व्यय पर ग्रामसभा की स्वीकृति और नियन्त्रण

ग्रामसभा वा सेवस महत्वपूरण काय पचायत द्वारा तथाग विए गए वापिक आय-व्यय विवरण (बजट) पर विचार करना है। जिस विसी राय में ग्रामसभा वा यस्तित्व कायम हो जुआ है वही आज उनसे इसकी उम्मीद वी जाती है। पर पचायत वे द्वारा निमित आय-व्यय विवरण वृद्धि उत्पादन-योजना वी भाग ही, सामाय ग्रामीण यस्ति वे लिए सुप्राप्त नहीं हाता और इसीलिए इसपर विचार करन वाली सभा वे लिए यह हर दाना में आस्त्रोत या विविच्चमत ही गया है। पर यदि विसी भी भाग इस महत्व पूर्ण काय में 'सभा वी इच्छा ही ता किर इसे (बजट) सरल से सरल बनाना अनिवार्य होगा जिससे

विं ग्रामसभा इसको प्राचिनता को पूर्ण रूपेण ममम सके और इसपर विचार कर सके। ग्राम-व्यय विवरण (बजट) पर वहने 'उप ग्राम सभा' की मीटिंग में विचार विभाग जा सकता है तब विचार करने के लिए 'ग्रामसभा' के समक्ष रखा जा सकता है। प्रचायत यह भी बर यकृती है कि मूल ग्राम-व्यय विवरण में साथ ही साथ उसका सार भी तैयार करते और तब विचार करने हेतु ग्रामसभा के समक्ष रखे। ग्राम व्यय विवरण की प्रतिलिपि मूलनायन पर भी लगाइ जानी चाहिए जिससे विं उसम रुचि रखने वाले व्यक्ति अधिकार सुनाय या अध्ययन कर सके और सभा की बढ़त में विचार करते बहुत अधिक दोस राय दे सके। इस प्रवार ग्राम व्यय को समझ लेना ग्रामसभा सदस्यों के लिए अधिक सहज हो जायेगा। उधर बाढ बादज भी जाने वाली 'उप ग्राम सभा' की मीटिंग में विचार करने हेतु कृपित्रादन-योजना, सुरक्षा धम और प्राम स्वय सेवक, सेना तथा हिन्दुओं और समुदाय के कमजोर तबदा के बताय हेतु योजना आदि रखी जा सकती है।

कार्य-समितियाँ

ग्राम समितियाँ का मुख्य काम ग्राम सभा को सताह दात्री एवं व्य का होना चाहिए। इनके मुकाबले पौर राय, विचार विनियम हेतु प्राप्त द्वारा ग्राम सभा के पास प्राप्ति कर दी जानी चाहिए।

ग्राम सभा में प्रश्न करने के लिए समय

ग्राम सभा के प्राप्ति प्रत्येक काय ऐसे हैं जिनके बारे में प्रश्न किए जा सकते हैं इसलिए ग्राम सभा को प्रत्यक्ष बैठक में प्रश्न पूछे जाने का एक सुनिश्चित समय हो जब सभा के प्रत्येक सदस्य वहाँ उपस्थित सरप व प्राप्तार्थिकारी अधिकारी प्राप्ति से सहने के लिए स्वतंत्र हो। इस प्रकार ग्राम सभा का विचार समस्या-समाधान कारक सम्प्रयोग के रूप में हो सकेगा और यदि यह इस प्रवार कुछ ही है तब सही पर यदि विसी भी समस्या का समाधान प्रस्तुत वर सकी तो यह प्रपत्ते उद्देश्य को पूर्ण कर सकी।

ग्राम सभा के अन्य कार्य

ग्राम सभा और कृषि उत्पादन योजना

ग्राम तो देखा यह जाता है कि गाव के लिए हृषि-उत्पादन की जो योजना यनती है, न तो उसके बिनाम ही ग्रामीण-जन कोइ रुचि लेते हैं और न ही वह योजना सही भाने में गाव की हृषि-उत्पादन का बड़ान म ही वारार सिद्ध होनी है परिणामत इस हृषि से भी ग्रामीण जन इसमे बोई हृचि नहीं लेने। गाव की कृषि उत्पादन के लिए आज जा एसो योजनाये यनती हैं वे विसी भी हृषि उग गाव के लिए पूर्ण नहीं होनी। इन योजनाओं का निर्माण ग्राम स्वयी व्यायकरणीय द्वारा सरप व प्रपत्ति गाव में नकारात्मकी करने वाले वृद्ध इने गिने सोगों की सलाह के बाधार पर कर लिया जाता है।

जहा तक गाव की कृषि-उत्पादन योजना का सम्बन्ध है, ग्राम सभा मुख्य स्वय से उही योजनामा म हृचि ले सकती है —

१ जो अमाधान अधिकार विसी गाव विभि उग गाव के प्रतिरक्ष धम के उपयोग का माग लोन दें, और

२ साय ही यह भी देता जाता रहे कि कृपकों को ठोक समय पर उनकी आवश्यकता के भनुसार बीज खाद और शय साधन उपलब्ध ही रहे हैं [वि नहीं] ।

सहकारी समिति : पचायत और ग्राम सभा

आज पचायत और सहकारी समिति जो प्राय प्रत्येक राज्य में अपना अस्तित्व प्रायम कर चुकी हैं एक दूसरी के साथ मिलकर काय नहीं करती है। पर यदि पचायत ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वायत शासन की इकाई है तो सहकारी समिति भी ग्राम स्तर पर आधिक सम्पन्नता प्राप्त कराने व उन्हें द्वाय सम्पादित करने वाली इकाई है। अत पचायत और सहकारी समिति के मध्य सहयोग की भावना का होना ही परम अनिवाय नहीं है बल्कि गाव वी सभी याजनाधा और कायों के पूण करने में इहें एक दूसरी के साथ पूण समिय सहयोग स्थापित करना भी परम अनिवाय है। इस हृष्टि से ग्राम सभा ही वह कही हो सकती है जो पचायत और सहकारी समिति वे मध्य प्रत्येक काय में एक दूसरी से सक्रिय सहयोग लने की भावना की स्थापना कर सकती है। इसके लिए एक सुझाव है कि पचायत का सरप व सहकारी समिति की यवस्थाविका का सदस्य हो और उसे ग्राम सभा के प्रतिनिधि के रूप म पक्ष या विषय म अपना भत देने का पूण अधिकार हो ।

ग्राम सभा के लिए कार्यपालिका

ग्राम सभा और पचायत के कायों को सुयवस्थित रूप देने की हृष्टि से, जिहें कि पुनरचना के बाद और आधिक काय करने पड़े गे ग्रामसभा के रेखांड की हिफाजत और उसे समुचित मात्रा म सक्रिय रखने के प्रयत्नों को चालू रखने के लिए ग्रामस्तरोय काय कराना और पचायत सचिव को इस दिया में भी काय करने वो कहा जाना चाहिए। यदि हो सके तो ग्राम पचायत और ग्राम सभा इस द्वेष समय के लिए ग्रामिणत काय कराना वो नियुक्त भी कर सकती है ।

लोक सभा की रचना का आधार ग्राम सभा हो।

—थो गोविंदप्रसाद शर्मा

लोकतंत्र का भवन हड़ और अमेद्य हो इसके लिए उसके कारी स्तरों का उसके बुनियादी केवल जिलास्तर तब ही उठाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत आज हम देखते हैं कि आधारणत ढाँचा हड़ में देखते या मिलता है यह ढाँचा अधिक आधुनिक लोकतंत्र का ढाँचा वयक्तिकृ और सवया प्रसम्बद्ध मतदातामां के रूप मध्यांके द्वारा परिणाम यह होता है। इस स्थिति का परिणाम यह होता है कि देश के मतदाता अपने आपको लोकतंत्रिक शासन प्रक्रिया से बाहर छोड़ा हुआ समझते हैं। तथा इस प्रकार की घटणा हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यह बिसी भी समय अनुम स्थिति पदा कर सकती है। आधुनिक प्रशासन में लोकसभा की चुनाव प्रणाली के अनुसार देश के मतदातामों पर मतप्राप्ति करन वा भवसर ग्राम तुनामा मध्यवर्ष भिन जाता है बरन् लोकतंत्र के कार्यान्वयन में उनका कोई योगदान नहीं होता है। भवसर हम देहात के लोगों से यह सुनते हैं कि हमारे देश में स्वराज्य ग्राम अवश्य, लेकिन भभी वह उनके पास नहीं पहुँच पाया है। उसकी विवायत है कि उन पर उसी दा से भी उसी विस्म के लोगों द्वारा शासन विद्या जाता है जसा कि विट्ठा शासनवाल भ हुआ करता था। वे कहते हैं कि स्वानीय स्वायत्त शासन में भी उनका कोई हाथ नहीं है भी और छोटे से छाता अमचारी भी विसी भी रूप मध्यांके प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा वे देखते हैं कि यह छोटे से छोटा अमचारी भी क्षर हुक्मवाल वा रोब मारता है भी पुराने शासन की भाँति ही उनके साथ अवहार करता है। इसके साथ है कि देश की जनता ने भभी पूछल्पेण स्वराज्य की बदून नहीं दिया है। इसके लिए हमारे बनमान लोकतंत्र में खोक सभा की चुनाव प्रणाली जिम्मेवार है। इस प्रणाली के निम्न दोष प्रतिलिपिव होते हैं —

यह प्रणाली यैस्तगत मतदाताओं पर आवाहित है इसलिए इस प्रणाली में अनिवार्यता उच्चवस्तु पर सत्ता के देवद्वारकरण को प्रवृत्ति आ जाती है। इस प्रवार की प्रणाली में ऐसी कोई नियन्त्रित नहीं होती जो सत्ता का नाचे जनता को और विचार कर सक। मतदाताओं के पास, उनकी सत्ता आहु बोरोटी ही फ्रो न हो जानिं दा ऊर की ओर खीचा जाना रोने के लिए कोई मध्यमात्मवादी साधा नहीं है। तुद्य लोगों का मत है कि इसने निए गान्तिक दल हैं। यह बात अभी बिल्हुल सही है। लदिन यह प्रवृत्ति तुद्य थोड़े से नत्ताओं के गट भ सीमित है। ऐसे अतावा कुछ विषय स्वाव भी होते हैं जिस बारण भी सत्ता का देवद्वारकरण होना आवश्यक हो जाता है।

२—इस पद्धति के अत्तमत कुद्या राजनतिक दल को जो कि सघटित हैं जिनमा कि नियन्त्रण थोड़े से विशिष्ट लोगों के हाथों म होता है निरायिक भूमिका होती है।

३—इस पद्धति में मतदाताओं का अपन द्वारा निवाचित प्रतिनिधियों पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता है। इस प्रणाली में मतदाताओं के पास अपन द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नियन्त्रण करने पा कोई साधन नहीं है। तुद्य लोगों का मत है कि यदि नता लाग डहें सतुष्ट नहीं फरो हैं तो मतदाता उहें किर नहीं चुन सकत है। बात सही भी है और नियन्त्रण की प्रणाली भी उचित है लेकिन यह बहुत दूरस्थ और प्रभाव हीन ढण का नियन्त्रण है।

४—इसके अतिरिक्त तुद्य व्यक्तियों का कहना है कि जन प्रतिनिधियों के अपने राजनतिक दल भी उन पर इसी न रिमी प्रशार का विषयण रख सकते हैं। लेकिन यहां यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि दल का नियन्त्रण मतदाताओं के नियन्त्रण से विचुल नि न वस्तु है।

५—इस पद्धति में चुनाव प्रत्ययिक रचनाले होते हैं तथा चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए वठे प्रमाण पर प्रवार के माध्यम चाहिए और उस प्रवार में अस्यस्त्र मोर्चात्मक और भावात्मक उत्तोगा पना हो जाती है जो कि समाज के लिए विषयारक होती है।

६—इस पद्धति का भूधिकान मतदाताओं के लिए भूधिक सम्भावना यहीं रहती है कि चुनाव के समय म जा प्रगत उनके रामन रखें जायें उहें व दीर्घ प्रवार से समझ नहीं पायें। क्योंकि उन प्रगता से सम्पर्कित सम्बन्धों से उनका वार्दि सरकार नहीं होता है।

एवं प्रवार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हमारा वतमान लाइन अत्यात दोपूरण एवं यह तुचित दोष पर आधारित है। यही बारण है कि अभी तरह हमारी जनता को स्वराज्य का सन मनी पना करने वाली भावना का महसूस नहीं हो पाया है। दूसरे गाना म हम वह सकते हैं कि दूसरे देश की जनता का हमारी इस राजनतिक प्रणाली में कोई योगदान नहीं है, हा कैवल रिटित वर्ग प थोड़े से ही लोगों का और उनम से भी उनका ही विनाका सम्बन्ध प्रत्यक्ष राजनतिक विद्यालयों से है हुप याग्नान हमारा खोजनात्मक शासन प्रतियां म हैं।

हमारा आधुनिक सोसदान जो दि लोक सभा का दोगूण प्रणाली पर आयरित है एक ऐसे उलट पिरामिड की भाँति है, जो निर के बल सहा है। इस उलट पिरामिड से हमारा तात्पर्य ऐसी वाचन प्रणाली से है जिसका आग्रह स्तम्भ तो अत्यन्त बड़जार है और ऊपरे व्यवस्था प्रणाली मनवून है। इस प्रकार वे वाचन वा वाचनायी होने का वभी भी भय हो सकता है। इस वाचन वा स्पष्टेकरण यहाँ एक उचाहरण लेनेर विषय जा सकता है। मान सोनिए दि कुछ चार या पांच व्यक्तिन एक आम द पट म से आम लाने के बच्चुन हैं। लेनेर वह पट क चाहे है। प्रत्येक भवन के व्यक्तिन उप पट म से आम उपनयन नहीं बर सकता है। इन वाचन के लिए व सब एकत्रित होने या समितित होने हें या सहयोग बनत है। पेड़ म से फो प्राप्त करने का उनक ममक म ऐसे बल एक ही साधन है और वह है एक के ऊपर एक पर रखकर छड़ने से यानी एक परामिड बनाकर व कफ प्राप्त कर सकते हैं। नाचे बाला व्यक्तिन अमजोर है और ऊपर लाने मनवून। ऊपर बाला नीचे लाने व्यक्तिन वे ऊपर पर रखकर बड़ जाता है और आम उपनयन कर के स्थान ही लान लग जाता है तथा नीचे लाना व्यक्तिन इसम नारान होकर जटा देंता पह जाना है जिसमे कि ऊपर बाला व्यक्ति आय यत्तिया सहित नीचे आकर गिर जाता है। और इस प्रकार उनका सहयोग का दाय समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार का बात लाक्कन वे साथ भी लायू होनी है यदि नीचे बाला व्यक्ति कमजोर है तो ऊपर बाला अवश्य ही एक दिन गिरता ही। इसके लिए आपार स्तम्भ भव्यन्त दृढ़ एवं अभेद होता चाहिए।

बेबल यह तथ्य दि हर वाचिग भारतीय को मत प्रदान करने का हृत है शास्त्र प्रणाली के पिरामिड को व्यापक आधार नहीं प्रदान कर सकता है। करोड़ को तादाद में विवरे हुए व व्यक्तित्व उपनयन वालू बरे के एक ऐसे ढेर यी भाँति हैं जो विसी भी रक्तना को हठ एवं अभेद तुनियाद नहीं बन सकते हैं। इसलिए यदि वास्तविक या कृप्याएकारी लोक्तंत्र की स्थापना हमारे देश म करती है, तो हमें इस बालू क विवरे हुए बलों को ईटा का रूप देने के लिए मिलाना होगा या कठोर जघे सत्ते म लालना होगा तमों पे नीचे के पत्थर का रूप प्रहारा कर सदेंगे। जिसी भी इमारत का उनका रूप इतना ही विगाल वया न हो, स्थापित्व उसकी तुनियाद और निवन स्तरी भी मनवून पर निभर हीना है। यदि इमारत का आपार मनवून होगा, तो विसी भी ढाँचे का विसी साहसिक के घून भर उत्तरा कर गिरन वा ध्वना नहीं रहेगा। लोकसभा की रक्तना जोकि वतनान लोक्तंत्र का स्तम्भ है आम समा के आधार पर होनी चाहिए। यह प्रणाली उपराजन प्रणाली से विन्दुल मिल है। वह इसलिए कि इस लोक्तंत्र का ढाँचा आपार समझन होने के कारण बजाए ऊपर स नीचे के भीच से ऊपर की आर सत्ता लागू विद्ये जान भी सम्भावना रहती है। इस तरह ऊपरी स्तर के प्रतिनिधियों पर निचते स्तर की सम्पादी भी सत्ता की उपराजन होता है और इसलिए इन सम्पादा का उन प्रतिनिधिया पर निधवण भी रह सकता है। यहाँ यह बात स्पष्ट रूप स समझ लगा चाहिए कि विसी भी स्तर पर मैं सम्पादा उत्तरीन विद्यों पा उपराजन माय नहीं होना बल्कि ऐसी सुसंधारित सर्विष्ट सम्पादा होती है जिनके निश्चित भाग्यहारप विवार और अत्यन्त होते हैं।

आपसभा के आधार पर लोक समा नौ रक्तना पर स्थित लोक्तंत्र प्रणाली म निमनिविद गुणों का समावेश होता है —

१—इस प्रणाली में सत्ता के विकासीकरण की ओर झुकाव रहता है क्योंकि इस प्रवार के सोकतथ का ढाचा, ग्रामसभा के आधारभूत स्तर से 'पुढ़ होड़र लोकसभा तक' कई स्तरों में होता है और हर स्तर के अधिकार, काय कत य और साधन स्पष्ट रूप से निश्चित होत है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त निवले स्तर की सम्भाषण के प्रतिनिधियों द्वारा समर्थित होने के बारण याएँ उनकी स्तर से नीचे नीचे से ऊपर की ओर सत्ता लागू बीं जाती है।

२—इस पद्धति में प्रथम पद्धति के विपरीत नीचे के स्तर में वाम करने वाले समुदाय और सामुदायिक प्रतिनिधि संस्थायें निर्णायिक प्रभाव डालती हैं।

३—इस पद्धति में निर्वाचन करने वाली सम्भाषण अपने द्वारा उपर भजे गये प्रतिनिधियों पर लगातार नियन्त्रण रखती हैं क्योंकि निम्न स्तर की सम्भाषण वों सतत दृष्टि उच्चस्तर के प्रतिनिधियों पर रहती है।

४—इस पद्धति में ग्राम सभा के द्वारा पूरो जनता का प्रत्यक्ष योगदान रहता है और उच्च प्रतिनिधि सम्भाषणों द्वारा गो काफों घनिष्ठ योगदान रहता है।

५—चुनाव लिंगों नहीं होत हैं तथा चुनावया कम से कम होने वो समावना रहती है।

६—इस प्रणाली में यह आगामी की जाती है कि जो प्रदेश चुनावकाल में मतदाताओं के सम्मुख प्रस्तुत किये जायें, उनको वे ठाकुर प्रकार से समझले क्योंकि भविष्य में उनको उन प्रदेशों से सम्बंधित सम्भाषण वा समाधान करने का प्रयत्न करना पड़ता है।

उरोट दोनों प्रवार की पद्धतियों की तुलना करने के बाद यह प्रदेश उत्पन्न होता है कि विधान सभा के आधार पर वया विधि अपनाई जानी चाहिए जिससे कि सोकतञ्च की नीव को हड़ एवं अमेव बनाया जा सके। इस प्रदेश के उत्तर के हव्व में निम्न विधि वा विवेचन किया गया है —

प्रथम निर्वाचन द्योत्र में प्रत्येक ग्राम सभा नियमित रूप से आयोजित साधारण बठ्ठक में निवाचक महल के लिए, जिसे निर्वाचन परिषद् भी कहा जा सकता है, इस विधि से दो प्रतिनिधि चुने। इस बठ्ठक में उम्मीदवारी के लिए नाम मारो जाए और प्रस्तावित तथा समर्थित नामों की सूची योग्यता रूप से बठ्ठक रखे द्यामपट्ट पर प्रवित की जाए। यदि दो नामों से अधिक वा प्रस्ताव न हो तो वे आप से आप निर्वाचित प्रतिनिधि बन जाने हैं। आप स्थिति में प्रत्येक नाम पर मतदान होना चाहिए। यह मतदान हाथ उठावार होना चाहिए। हर उम्मीदवार द्वारा ग्राम समाज की द्यामपट्ट पर प्रवित किया जाना चाहिए। दो से अधिक उम्मीदवारों की स्थिति में एक वा दो मतदान बार-बार होता चाहिए। और सब से कम मत पाने वाले उम्मीदवारों को छानते जाना चाहिए। यह विधि चुनाव वी प्रथम त वर्ष खड़ी नीव विधि है। यह उपरोक्त वाम समाजों द्वारा आयोजित करने वाले ग्राम सामूहिक निर्णय के रूप में अनुमति ग्राप्त वर्ती जायेंगे। यह चुनाव पद्धति उनके लिए ग्रामसामाजिक व्यवस्था के नेतृत्व में लिए गए पूर्वान्मास द्वारा दूर बीं जा सकती है।

यह छुनाव हो जाने के बाद निर्वाचन परिपद आयोजित बो जानी चाहिए। शेषे के विसी देवीद्रीय स्थान में विधानसभा या लोकसभा के सम्बद्ध निर्वाचन दोत्र की ग्रामसभाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिया की बठक की जानी चाहिए। निर्वाचन परिपदा बो निर्वाचन के लिये उम्मीदवारा बा मनोवयन बरना चाहिए। इससे लिए निम्नलिखित पदों पर अपनानी चाहिए —

सब प्रथम उम्मीदवारा के नाम भागे जाए और तब हर प्रस्तावित और समर्यित नाम पर मत (बो) लिए जाए। एक निशाचित प्रतिपान—उदाहरणतया ३० प्रतिपात से अधिक—मत पाने वाल अधिक विधानसभा या लोकसभा के लिए उस निर्वाचन दोत्र के उम्मीदवार घोषित लिये जाने चाहिए।

लोकतन्त्र की चरिताधता के लिए, यह लोकतन्त्र चाहे विसी भी प्रकार बा क्यों न हो, इस बात बा ध्यान रखना प्रावश्यक है कि उसकी प्रविधि में जितना कम मत विभाजन हो उतना ही प्रच्छ्या है। अधिक स्टट यादा में यह कहा जा सकता है कि वहाँ वहाँ तब सम्भव हो सके, एकतामूलक हो इसलिए विषय शिक्षात्मक और वैधानिक उपाया द्वारा निर्वाचन-परिपदा को एक सीट के लिए एक उम्मीदवार संज्ञादा न सहे बरने के लिए श्रेत्साहन दिया जाए। अधिकरकार अनिम रूप से पूरे निर्वाचन-मन बा प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति ही बरता है उम्मीदवारा की सत्था चाहे जितनी ही और छुनाव की विधि काई भी क्यों न हो। यहा अपना तात्पर्य एक सदस्यीय विवाचन दोत्र प्रणाली से है। लोकतन्त्र में यह बात बहुत खराब है कि एक बार जो प्रनिनिधि चुन लिया गया और उसका चाहे जितना ही प्रबल विराय क्यों न हुआ हो, वह पूरे निर्वाचन दोत्र का प्रतिनिधित्व बरता है। ऐसा मान लिया जाता है कि वह उनकी भी सेवा परता है, जिन्होंने उम्मा विरोध किया था। यदि निर्वाचन परिपदा को वैवस एक ही उम्मीदवार बा चयन करने के लिए राजी विया जा सके, तो यह असमिति और व्यय की दर्तेजना रोपा बल और पक्षे की वर्दीदी बचायी जा सकती है। यदि बुद्ध दोत्र में यह व्यावहारिक न हो, तो उपर बताए दग दे चुने गए व्यक्तियों के नाम उम्मीदवारा के रूप में घोषित कर दिए जाएं और भवित्व निर्वाचन निम्नलिखित क्रम से किया जाना चाहिए —

निर्वाचन परिपद द्वारा चुने गये उम्मीदवारों के नाम सम्बद्ध निर्वाचन दोत्र की सभी ग्राम सभाओं के पास भेज दिए जाए। किंतु हर सभा आम बठक बा आयोजन वरे और हर उम्मीदवार के नाम पर मतदान पराया जाए। उसके बाद निम्नलिखित दो विवल्यों में से एक अपनाया जाना चाहिए —

(१) सबसे अधिक सत्या में बोट पाने वाले की घोषणा—ऐसे अधिक के स्तर में, जिस सम्बद्ध ‘ग्रामसभा’ अपने प्रतिनिधि के स्तर भूत्त्व ‘सभा में भेजना चाहती हो। ऐसे सब व्यक्तियों में से विसी सभी ग्राम सभाओं में सबसे अधिक मत मिनें उस निर्वाचन दोत्र से विधानसभा या लोकसभा (विसी लिए भी छुनाव हो) का सदस्य घोषित किया जाए।

(२) विकल्पत प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रयेष ग्रामसभा बी साधारण सभा में पाए गए मतों के दरित प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रयेष ग्रामसभा बी साधारण सभा में पाए गए ग्रामसभाओं की बठकों में प्राप्त मतों को बाहिया जाए। इस प्रवार उसके अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचनमन बा सदस्य हा जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राम सभा के आधार पर लाक्षण्य को रचना की तुलाव प्रणाली के द्वारा स्वरूपिय की समस्ती की भावना देश के छान छोटे गांवों तक पहुँच जायगी और हमारे लाक्षण्य की नीव भृत्यधिक ठोस हो जायगी तथा परिवर्म के लोकतांत्र से यह निम्न एवं अव्यंतम होगा। इस तरीके द्वारा हमारी कई मननाही बातें पूरी हो जायेंगी। प्रथमत यह है कि लाक्षत्रयाम ढाच के ऊपरा स्तर को रचनात्मक ढग से नीचे के स्तर से सम्बद्ध घर देना और ग्रामसभाओं की स्थानीयता के दलदात से उठा घर उसे प्रतिष्ठा दातिन और सोहैश्यता प्रदान कर देगा। दूसरे यह कि प्रत्यक्ष वानिग नानरिक की लोकत्रय की ऊंची से ऊंची सम्पादन के निवाचन में योगदान करने वा अवसर मिलता है और वह यह काय सम छिन रूप म ग्राम सभाओं और निवाचन परिषद्यों द्वारा बरते हैं जिसस थे अपने प्रतिनिधिया पर उपयुक्त प्राभाव ढान सकते हैं। सर्वोदयों नता थी जपत्रकालनारायण ने इस सम्बाद में कहा है 'कि इस रूप में यतिगत सत्तदान धातू के शरणों की तरह बिल्कुर हूँगे और असहाय न होऊर पत्थर के दृष्टिकोण बन जाते हैं। पत्थर के खण्ड की नीव पर बना हुआ भक्ति बातू पर बन भक्ति स निम्न होता है।'



पंचापती राज की विज्ञ-तथा वस्था।



- | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १. मध्यानन्द समिति द्वे सदर्म में पवायतो राज की विस्तीय अवस्था का सिद्धावलोकन
—श्री हरिशाल पार सुन्दरहण्ड अध्यक्ष १-३ |
| २. पवायतो राज वित निगम-संगठन, स्वरूप और दायित्व—श्री रेवाशवर ४-७ |
| ३. पवायतो राज के आय के साधन और अपय के प्रावधान ८-१५ |



संथानम् समिति के संदर्भ में पंचायती राज की वित्तीय व्यवस्था का सिंहावलोकन

— श्रो हरिपाद आर० मुद्रमण्ड ग्रन्थर

★

● बलवदनराय मेहता समिति की नियुक्ति पिंडने वर्षे इस बात के लिए हुई थी कि पचायती राज औ वामवाज का विस्तृत धन्यवाचन वर के ऐसे उपाय सुझाए जाएं जिससे पचायती राज सस्थाप्ता की ईमानदारी भी बनी रहे और उनको वित्तीय स्थिति भी मजबूत हो जाए। समिति बानून में सशोधन फर्मे के सुझाव भी दे सकती थी। यदि समिति की सिफारिश पर सही ढग से घमल दिया गया तो उनका दग म पचायती राज के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस समिति की दो महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार थीं—

(क) राज्य सरकार और पचायती राज सस्थाप्ता के वित्तीय सम्बद्ध ऐसे हो हाने-चाहिए जसे नि भाववल के द्वारा और राज्य सरकारों के हैं।

(ख) राज्य में लगान से जितनी भी आमदनी हो, वह पचायती राज्य सस्थाप्तो के लिए रक्षा दी जाए।

उपर्युक्त सिफारिशों में जिस दिया वो और इगित दिया गया है उनमें केंद्र सन्धानम् धन्यवाचन टोकी की सिफारिश को ही बल मिलता है। इस टोकी की नियुक्ति पचायती राज के वित्तीय साधन बढ़ाने के प्रस्तुत पर विचार करने के लिए कोई गई थी।

यह दब्खना आभी बाती है कि केंद्रीय सरकार ने सिफारिश की। कहाँ तक और विस रूप म स्वीकार करती है परन्तु इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि वित्तीय साधनों की बमी के कारण पचायता राज संस्थाओं के कामकाज म बहुधा बाधा पड़ै चलती है।

भारत म, और खाग कर गावों म स्थानाय स्वशासन की संस्थाएँ सदा से ही गरीब रही हैं। पचायता राज संस्थाओं के कामकाज वा पचायती को वित्त यथा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए उनको वित्त समस्या पर विचार करत समय उनके कामकाज पर विचार करना भी जब्ती हा जाता है। भारतीय सविधान को एक खास बात यह है कि उसम एकेंद्रीय और राज्य सरकारों के वित्ताय सम्बन्धों का मर्ट्ट बरण है। इसके अनुसार केंद्रीय राजस्व के साधनों का केंद्र और राज्य म बटवारा किया गया है। परन्तु स्थानीय निकायों का उल्लेख नहीं नहीं है। इसलिए इन निकायों को भी अधिकाशतया उ ही साधनों पर निभर रहा पड़ता है जो राज्यों के लिए निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त पहले इन स्थानीय निकायों को कर लगान के बहुत से अधिकार हाने थे। परन्तु उहे भव राज्य सरकारों ने द्योन किया है। स्थानीय वित्त जाव आयोग न मिकारिंग की थी कि करों सु कुछ निश्चित साधनों से प्राप्त आय तो पूरी तरह स्थानीय संस्थाओं का ही सौप दो जाय या उही के लिए खब कर दो जाए। दूसरे दानों म हम सुखुक राज्य अमरिका में प्रवतित प्रणाली ब्रपनानी चाहिए जहा स्थानीय संस्थाओं के अपने ही अलग साधन होते हैं।

लोकतंत्री विकेंद्रीकरण के द्वारे म एवं प्रमुख सिफारिश यह थी कि पचायती राज संस्थाओं की मजबूतीयों म सक्ता और उत्तरदायित्व सौषे जाए और साथ ही उहे पर्याप्त वित्तीय साधन भी सौषे जाए ताकि वे अपनी जिम्मेदारिया ठीक से निभा सकें। परन्तु ऐसा मब तक भी नहीं किया गया। हर राज्य म पचायती राज संस्थाओं के वित्तीय साधनों का दाना भिज भिन है। पचायती राज योजना लागू होन से कई समस्याएँ पदा हा गइ हैं और इनम सबसे बढ़ा है वित्तीय साधनों का अपर्याप्त होना। पचायती राज के थीगलण के साथ ही देहाती इलाका क अधिकाश विकास वायरनम पचायती राज संस्थाओं को सौषे दिए गए हैं। यह दोहरान म कोई फायदा नहीं कि पचायती राज संस्थाओं के साधन बहुत सीमित और अनमोलीय हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाएँ भी मकान पर व्यवसाय कर याहन कर आदि लगान म बहुत हिचारियां हैं यथापि इही से ही स्थानीय संस्थाओं की आमदनी बढ़ती है। यह स्थिति बास्तव म निरागाजनक है परन्तु मौर तीर पर इसका बारण यही लगता है कि गाव बाल आपित्व हट्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। गरीबी के बारण गाव वाने भी इस स्थिति म नहीं होन कि वर दे सके और स्थानीय संस्थाएँ भी कर लगा कर अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकता। अब एवत्व बरते के अप साधा भी योहे से ही है। इसलिए पचायती राज संस्थाएँ चबड़र म पड़ जाती हैं कि अपनी भारी डिमेन्शिया को दिय तरह निकाले। इनके अतिरिक्त कई और भी कठिनाइयां होती हैं। पचायती राज संस्थाओं के गैर सरकारी अधिकारियों म ईर्ष्या और होड वी बहुत भावना रहती है जिसका दुरा प्रभाव उनके कामकाज और विधारों पर पड़ता है। वर निधारण करन और लगाने म भेदभाव के बहुत-से मामल खाते रहते हैं। परन्तु सब सुरो वात यह है कि निर्धारित कृपा को बमूल नहीं किया जाता। इसी कारण देश की स्थानत गामन की प्राप्त समस्त संस्थाओं की बकाया दरा की भारी रकम पड़े रहती है। भारी मात्रा म वरा मे बकाया रहन दुरा एवं बारण तो यह है कि बकाया दर बमूल करने वाले कमचारी समय पर वर बमूल करन म दोनों दिगाते हैं और दूसरे के अधिकारी दोपी लोगों को सजा

दन म हिचरिचाने है। इसके अतिरिक्त वर्षनारीगण आमतौर पर अकुशल होते हैं और उच्च अधिकारी प्रभावकारी ढग से उनकी देखभाल नहीं बरते। इसका परिणाम यह होता है कि पचायती राज सत्याग्रा म बर बसूल करने का काम बड़े असातोष जनक ढग से होता है। फिर कर निर्धारण की बतमान प्रणाली भी दोष पूरा है। बर निर्धारण का काम तकनीकी होता है और यह काम अपने विषय का अच्छी तरह समझन वाले विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। साथ ही ऊचे अकमरा को भी बड़ी देखभाल रखनी चाहिए। दुमायवदा आज इन मध्ये बात का अभाव है। इस नियति में सुगर तमों हो सकता है जब कायकारी अधिकारी खुर यक्षितगतहृष्प से बर उगाहने का जिम्मेदारी उठाए और बकापा वसूल करा के लिए भी कड़ कदम उठाए जाए और तत्त्वान वारंवाई की जाये।

सत्यानम समिति की एक मुख्य सिफारिश यह थी कि पचायती राज वित्त निगम की स्थापना की जाए जो आमदनों देने वाले कामा के लिए कज़ दे जसे मण्डी दुकानों थियेटरो होटल आदि का निर्माण। परन्तु कुछ राज्य सरकारें और जीवन वीमा निगम प्रस्तावित निगम से सम्बन्ध जोड़न म हिचकिचा रहे हैं। हाल में केंद्रीय सरकार न दो या तीन राज्यों में प्रयोग के तौर पर पचायती राज निगम बनाने का फसला किया है। जब ये सफलतापूर्वक कामकाज बरत लगेंगे तो आप राज्य म भी इनकी स्थापना की जायगी। यद्यपि सत्यानम समिति न सिफारिश की थी कि मकान फर व्यवसाय बर और बाहन कर पचायती द्वारा लगाए जान वाले अनिवाय कर होने चाहिए परन्तु हमने देखा है कि कुछ राज्यों म अधिकारीगण ये अनिवाय कर लगान मे हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके गाव वाला का आधिक दशा बहुत पिछड़ी हड्डी होती है। इस तरह बतमान परिस्थितियों में यह बहुत स देहजनक हो है कि म्यानीय अधिकारी सत्यानम समिति की इस सिफारिश को मान लेंगे। दूसरे आमतौर पर गाववालों की मनोवृत्ति यही रहती है कि कर न चुकाए जाए क्योंकि उन्हें बर चुकाने और बदले म होने वाले लाभों म नोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता। इसलिए जब तक गाववाल कर चुकाने का विरोध बरते रहेंगे तब तक सत्यानम समिति को सिफारिश से उक्त समस्या सुलझेगी नहीं। जब तक इस विरोध को दूर नहीं दिया जाएगा तब तक फर न तो प्रभावकारी ढग से वसूल ही विये जा सकेंगे और न हो उनस पचायती राज सत्याग्रा के वित्तीय साधनों म कोई वृद्धि होगी। जो लोग कर चुकाते हैं उन्हें उनका प्रत्यक्ष लाभ मिलना ही चाहिए। जब ये प्रत्यक्ष लाभ मिलन लगें तब लोग कर चुकात समय इतनी हील हज्जत नहीं करेंगे। ऐसा तभी होगा जब कुछ खास कामों के लिए फर लगाए जाए और करों से प्राप्त रकम उही खास कामों पर लग्य की जाए। सत्यानीय वित्त व्यवस्था की यह एक दास बात होती है।

अब बात तो यह है कि यदि सत्यानीय अधिकारी गाववालों स बर बसूल नहीं कर पाए गे, तब पचायती राज सत्याए भी कुशलतापूर्वक और प्रभावकारी ढग से बाम नहीं कर सकेंगी। सरकार का यह उह दृष्टि होना चाहिए कि पचायती राज सत्याग्रा के हाथ मजबूत करे ताकि गाववालों को आधिक और सामाजिक दशा सुधारी जा सके। इस परिस्थिति म महता-समिति कि 'यह सिफारिश देखबर प्रसन्नता होना है कि केंद्रीय सरकार वो ही पचायती राज सत्याग्रा की मदा करनी चाहिए क्योंकि आजवल राज्य परकारों को वित्तीय विधियों द्वारा नहीं है कि व पचायती राज सत्याग्रा दो समुचित घनुदान सर्वे।



पचायती राज वित्त निगम

संगठन, स्वरूप और दायित्व

*

—श्री रेवाशङ्कर

आज देश के लगभग सभी राज्यों में पचायती राज संस्थाएँ का जाम हो चुका है और अपने तरीके से वे सभी आगे बढ़ रही हैं जिन्हुंने सभी राज्यों में भ्राज इन संस्थाओं के समक्ष वित्तीय साधनों का अभाव एवं प्रदन चिह्न बना हूँगा है और सरकारी अनुदान तथा ऋणों के पोषण से यह संस्थाएँ विसी तरह अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं। यद्यपि सबधित प्रान्तों में पचायती पचायत समितियों तथा जिका परिषदों के लिए अपने अपने धनों में नए कर लगाकर वित्तीय साधन खुशान के प्रावधान रखे हुए हैं जिन्हें अपने ही दान में कर लगाकर साधा का सीखो गान्धोचना तथा प्रस्तोत्र पा खतरा माल सकर साधन खुशान के लिए बहुत ही योग्य जन प्रतिनिधि तयार हो पाते हैं। नए कर लगान की तो धात ही दूर रही मोजुआ धरों की वसूली भी उतनी कड़ाई से नहीं की जाती जितनी प्रभावित है और इसी का परिणाम है कि पचायतें तथा पचायत समितियों सदा ही साधनों की कमी ना रोना रोती रहती है। राजस्थान में तो अनेक पचायत समितियों के समक्ष अपने वर्षेभारियों को समय पर देतें खुशान में भी इटिनाइटी उपस्थित होनी रहती है। उपर जो भी रेत राज्य सरकार से पचायत समितियों को भरने

क्षेत्र में पचायतों की मारकत खबर बरने के लिए अनुदान प्रधाना कर्जों के रूप में मिलती है उहै वितरित करने में राजनीतिक हिटकोण अपनाये जाने तथा पक्षपात से काम लेने के कारण स्थिति और भी बदल हा जाती है। वहीं आवश्यकता से भी व्यधिक न्यय पहुँच जाता है, तो कभी अतिवाय खंडों के लिए भी रुपया नहीं होता। परिणाम यह होता है कि साधना वा वितरण यथा पूँजी नहीं होना और विकास भी प्रगति समान रूप से नहीं हो पाती है।

समस्या वा एक पहलू और भी है। राज्य सरकारों द्वारा जिला परिषदा पचायत समितियों तथा पचायतों को दी जाने वाली रकमों की भी आविरकार अपनी र्यादा होती है। समिति रकम को समूचे राज्य की इन सम्पादनों में वितरित करने पर प्रयेक लोबतात्रिक इकाई के हिस्से में इतनी घोड़ी राशि प्राप्त है कि उससे सबधित क्षेत्र के विकास की योजनायें आशिक रूप से भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार वित्तीय साधनों की कमी तथा उपलब्ध राशियों के मध्यमान एवं पक्षपात पूए वितरण को जो नियन्त्रिया विद्युते वर्षों में सामने पड़ती हैं उहोंने पचायती राज की सफलता को ही सम्बन्ध बना दिया है, ऐसा वहना अतिशयोक्ति पूए नहीं होगा। यहीं कारण है कि भारत सरकार ने पचायती राज की उपलब्धियों के प्रदृश्यन के लिए जो समिति नियुक्त की थी उसने अपनी रिपोर्ट (१९६३) में यह महत्व पूर्ण सिफारिश की है कि इन स्वशासन सम्पादनों को कठण और अनुदान दिय जान का काम किसी ऐसे स्वतंत्र वित्तीय सम्पादन की ओर से कर दिया जाना चाहिए जिसके पास अपने भरपूर साधन भी हों और जो इस काम को नियन्त्रित पूँजी भी कर सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट (पट्ट सूखा ३७) में कहा है —

‘हमारी यह हड्ड धारणा है कि पचायती राज सम्पादनों को अपनी योजनायां के लिए दिए जाने वाले कठण राज्य सरकार के विभागों द्वारा पूरी तरह नहीं दिये जा सकते हैं, और जहाँ यह पर्याप्त मात्रा में दे भी दिये जाते हो वहाँ भी यह उपयुक्त होगा कि कठण वितरण वा यह काम किसी स्वतंत्र वित्तीय सम्पादन की मारकत किया जाय जो सुदृढ़ रूप से वित्तीय सम्पादन के रूप में काम करे और विसों भी तरह के राजनीतिक दबाव से भी मुक्त रह सके।

पचायती राज वित्त निगम

समिति ने अपनी रिपोर्ट में केवल यह सुझाव देकर ही अपने कर्तव्य की इति श्री समझ ली है ऐसी बात नहीं है। उसने कहा है कि प्रत्यक्ष राज्य में एक पचायती राज वित्त निगम वा गठन किया जाना चाहिए जिसके लिए पूँजी की व्यवस्था राज्य सरकारों तथा इन सम्पादनों के पिछे जुले साधनों से भी जानी चाहिए। उक्त निगम की अधिकृत पूँजी के सबध म राज्य सरकार को नियन्त्रण करना होगा और यह एक करोड़ से पौँच दरोड़ रुपयों के बीच म नियंत्रित की जा सकती है, इस पूँजी को जुटाने के लिए सौ सौ रुपये के हिस्से जारी बिए जा सकते हैं जो निम्न प्रकार खरोदाने के लिए दिए जा सकते हैं —

प्रतिशत

(१) पचायतें, पचायत समितिया तथा जिला परिषदें	२०
(२) राज्य सरकार	२०
(३) केंद्रीय सरकार	२०
(४) रिजिव बैंक भाफ इंडिया, जीवन बीमा निगम	२०
(५) सहवारी बैंक अनुसंधान बैंक, बीमा अपनिया तथा राज्य म बाम कर रही भाय वित्तीय सम्पादन	२०

यदि प्रत्येक पचायत को एक दीयर तथा पचायत समिति और जिला परिषद के लिए १० से १०० हिस्से रखे जावें तो वे शामानो में यह ब्यरीद सकते हैं। राज्य सरकार को इस बात की गारंटी तो लेनी ही पड़ेगी कि निगम म लगाई गई मूल रकम तथा "पूनतम टिक्कीडेंड निश्चित समय पर मिल सकेंगे। निगम के हिस्सों को स्वीकृत प्रतिभूतियों (सिक्युरिटी) की सहम दी जाए। निगम को यह भी अधिकार दिया जाए कि वह ग्रपनों कार्पोरेशन पूँजी को बढ़ान के लिए समय समय पर बॉड्स तथा हिंबेंचर भी जारी कर सकेगा और सरकार इनकी गारंटी करेगी।

सचालक मडल

निगम के सचालक मडल का गठन निम्न प्रकार से होना चाहिये —

- (१) प्रवास सचालक की विधिति रिजव बक की सलाह से राज्य सरकार बरेगी।
- (२) राज्य सरकार वैद्रोध सरकार तथा रिजव बक द्वारा एवं एवं सचालक (कुल तीन) नाम जद किये जायेंगे।
- (३) दो सचालक, एवं तो जिला परिषद के अध्यक्षा द्वारा तथा एक पचायत समितियाँ के प्रधानों द्वारा निर्वाचित होंगे।
- (४) एक सचालक उन घाय सम्पादों द्वारा चुना जायगा जिनका उल्लेख पात्रता वाली असी में किया जाया है।

निर्वाचित सचालकों का वार्षिक जहा चार वर्ष का होगा वहा नामजद किये गये सचालक उस समय तक बने रहेंगे जब तक कि उन्हें नामजद बनने वाली सम्याय जारी रखना चाहे।

सचालक मडल का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामजद किया जायगा पर वह प्रवास सचालक के प्रान्तिरिक्त होगा।

निगम पचायत पचायत समिति अधवा जिला परिषद को उन सभों का लिए छहण दे सकेगा जिनका उल्लेख पृष्ठे किया जा चुका है इसकी अवधि ५ से २५ वर्ष तक सम्बन्धित योजना के लिए आवश्यक समय के अनुसार ही सकती है। निगम की ऐसे विधापनों के प्रणिधाण का बाम भी हाय में सेना चाहिए जो पचायत राज सम्पादों द्वारा समय समय पर हाय में सी जाने वाली उन योजनाओं के सम्बन्ध में सकताही मार्ग दर्शन दे सके जिनके लिए इस निगम से छहण लिए गए हैं।

उन निगम के गठन की योजना का मुमाक सभी हिंदिया से सवधा उपग्रहन तो है ही पचायती राज की सफरता के लिए यह धनियाये भी है। यही पारण है कि सभी राज्य सरकारों न इसे न केवल सिद्धांत स्वरूप से स्वीकार ही किया है बल्कि इसका स्वागत भी किया था किंतु निश्चय ही यह यात निरागावनता ही मानी जायगी कि सभी तर वही से भी इस योजना को कार्यान्वित किये जाने के उपर नहीं मिल है।


लाभ देने वाली योजनाएँ

प्रयत्ने प्रयत्ने द्वेषा मे आमदनी वाली अनक योजनाएँ पचासते द्वारा हाथ मे ली जा सकती हैं इस प्रकार के प्रयोग उड़ीसा मे रिये गये हैं, किन्तु इसके लिए वित्तीय साधन जुटान का काम भी कम कठिन नहीं है। राज्यो के स्तर पर अधिकार के द्वारा सरकार मे, ऐसा बाई वित्तीय सम्पद दिखाई नहीं देती जो इस प्रवार मी^३ योजनाओं के लिए पचासती राज सम्पदों को उपयोग दे सके। इस जिम्मेदारी को उपरोक्त नियम ही उठा सकता है। राज्य सरकारें इस नियम को जारी देने के लिए राज्य वित्त नियम प्रयोगितम की तरह ही कानून बनाकर इस दिवारा मे प्राप्त बढ़ सकती है।

सम्पद बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सम्पद का उपयोग

यह तो मही है कि राज्य सरकारों ने इस दिशा मे अभी तक कोई पहल नहीं की है, किन्तु इसमे भी प्रधिक आश्चर्यजनक बात तो यह है कि आध्ययन दलको स्पष्ट सिफारिश और उनके पूरे स्वरूप पर एकाश डाले जाने के बाद भी स्वयं उन सम्पदों की ओर से भी ऐसा कोई पुरजार प्रयत्न इस निया मे नहीं किया गया जान पड़ता है जो इस योजना के कार्यान्वयित हीने पर लाभान्वयित होन वाली है। यह बात प्रसिद्ध रूप से कही जा सकती है कि यदि पचासती राज सम्पदों तथा उनके संबंधीय सम्पद इस दिशा मे समिय होकर सरकार पर दबाव डालें तो इस प्रकार के नियम अधिकार के वित्तीय सम्पद का गठन शान्त ही प्रसिद्ध रूप से करता है।





पंचायती राज के आय के साधन और व्यय के प्रावधान

भारत के साविधान में राजा एवं निए स्वरूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि वे ग्राम पचायता का मण्डन बरतने के लिए अप्रसर होंगे तथा उन्हें ऐसी शक्तिया और ग्रधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वायत्त पासा को इशाइया के रूप में सफलतापूर्वक कार्य बरत योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। स्वरूप है कि यह निर्णय सिद्धात के अनुमार पचायता को कम से कम इतना समर्थ बनाना चाहता है कि ही यही यही कि वे गाँव की स्वतंत्र प्रापासनिक इकाई के स्वरूप में सही हो सकें गाँव को विकास याचना बना सके तथा उस अपन ही बल पर क्रियान्वित भी कर सकें। गाँव की योजना के ग्रामार्थ और स्वरूप के लिए सरकार के निर्देश द्वारा तथा उन्हे मूल रूप दिन के लिए सरकार की हृषा पर निभर रहन की स्थिति जो दुर्भाग्यवश गाँव भी बनी हूँदी है, ग्रामदिव्य स्वरूप से उपरोक्त निर्णयक सत्त्व के प्रतिकूल है इसे सभी स्वीकार करेंगे। इस वृद्धमूलि में पचायता की आय वे साधनों तथा व्यय के प्रावधानों कम्बाधो पहनुर्धा का प्रत्ययित्व महत्व है पराक्रिं लोकतन्त्र की इस बुनियादी इकाई को आसम निभर बनाने के दिए यही मुख्य मुद्दे हैं।

विभिन्न राज्यों की स्थिति

पचायतों की आय के साधना को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है —
 (१) अपने साधन (२) सरकार से प्राप्त राजस्व (३) अनुदान तथा (४) छूट। पचायतों के अपने साधनों को भी चार भाग में बाटा जा सकता है—
 (प्र) भनिवाय कर (ब) ऐच्छिक कर (स) मुख्य नथा (४) आय आय जाने कि साम के लिए दिये जा रहे घोष से प्राप्त राजस्व आदि। यद्यपि आपके साधनों का स्वतंत्र सभी राज्यों में साधन एक सा होता है जिसे भी कही कही एक राज्य की स्थिति दूसरे से योग्य निम्न होती है। सामग्र भी सभी राज्यों में साधन को मुख्य राजस्व में से कुछ भाग मिलता है या वही वही लगान पर सभी लगाये जाने वाले भी व्यवस्था वही है। पचायतों वो अनन्य प्रकार के भनिवाय तथा ऐच्छिक कर साधने के भी अधिकार प्राप्त हैं। भनिवाय कर में मुख्यतः सम्पत्ति तथा व्यवसाय पर साधने वाले कर उल्लेखनीय हैं। वाहनों पर लगाये जाने वाले कर सामग्र भी राज्यों में ऐच्छिक ही हैं। आय साधनों को शेषी में वे सभी रकमें भाटी हैं जो आवारा पूँजी वो बद बरत के बाड़ा बाजारा वसाई-सामान आदि से प्राप्त होती है। सिवाय चाहे की जमीनों तथा मद्दली पासन सम्बाधी कालों से होने वाली प्रामदनी भी पचायतों के विभिन्न आय स्रोतों में से मुख्य होती है। बानून एवं अंतर्गत विभिन्न प्रदार व सार्वसेन जारी बरके भी पचायतें कुछ राशिया प्राप्त कर लेती हैं। कुछ राज्यों में पचायतों के लिए आय के द्वारा भी अतिरिक्त साधन रथ गये हैं उत्तराहरण के लिए मद्दाम तथा भार्द्ध में सम्पत्ति के हस्तातरण पर अधिकार का प्रावधान है जो पचायतों को मिलता है। मद्दाम में पचायता को गहर कर द्वारा एकत्रित राणि के बराबर राज्य सरकार से अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। वही कही भनोरेजन कर या से भी पचायता को अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकारों के बत विकास योजनादा के लिए ही पचायता को अनुदान नहीं देती बल्कि उनकी उपलब्धियों तथा कुशल वाय संचालन को प्रो-साहित करने की ओर से भी कुछ रकमें देती है। राजस्थान तथा द्वारा वाय से उन पचायतों को विवाय अनुदान दिये जाने हैं जिनके अधिकार सदस्य निवारोय चुनकर भागते हैं। महाराष्ट्र में पचायतों को राजस्व वसूली में विशेष योगदान पर भी अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

राजस्थान में आय के स्रोत

राजस्थान में पचायतों की आय के साधन मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा सकते हैं जो निम्न प्रकार हैं—

(प्र) राज्य सरकार से अनुदान—

२० प्रति अर्थवित के हिसाब से पचायत को सरकार से अनुदान मिलता है यह यह राणि अधिक से अधिक ४००) रुपये होती है। सरकार उपर्याग साधाय व्यवस्था सब में विद्या जाता है।

(ब) पचायता द्वारा भगाये जाने वाले कर—

(स) गहर कर

विभिन्न राज्यों में अनेक कर

उपर बताये गय कर जहाँ लगभग सभी राज्यों में लिये जाते हैं वहाँ कुछ कर केवल कि-ही राज्यों में ही बसूल किये जाते हैं। आध्रप्रदग के कुछ जिला को पचायतें अपन क्षत्र में विकने वाली चीजों पर तोल और नार ऐ आधार पर कर बसूल करती है। मसूर गुजरात, महा राष्ट्र तथा राजस्थान में पचायतों को चुगी लेन का अधिकार प्रदान किया हुमा है, पर यह पचायतों की इच्छा पर है कि वे उसे लगायें या न लगावें इसी प्रकार महाराष्ट्र गुजरात जम्मू और काश्मीर, राजस्थान तथा बिहार में पचायता को तीर्थ यात्रों कर लगान का अधिकार भी दिया हुमा है, पर यह क्षत्र उही स्थानों पर लगता है जहा धार्मिक तीर्थ स्थान हैं। जम्मू और काश्मीर में पचायता को जान-बरों पर भा कर लगान का हक प्राप्त है। जलपूति नालियाँ बनान सहबों की रोशनियाँ तथा सफाई पार्य के लिए भी पचायतें गुल्क लगा सकती हैं। यथापि यह ऐच्छिक हो ही है ब्याकि पचायता का काय है कि व अपने इसावा में उन सभी वाता का उत जाम वरें पचायतों को यह भी हक है कि वे (१) अनाधिकृत या (२) साव्वेदन न लेन तथा निर्धारित नकार के विपरीत बनान बना लेने पर जुर्मान भी कर सकती है। गाया भ स्थित बारहमासी तालाबों में मध्यनी पालन की व्यवस्था करके पचायत इस क्षम में लगे हुए लोगों से भी कर बसूल कर सकती है। गाव के बाजारों को पचायत तथा पचायत समिति द्वारा के अधिकार का द्वा स विभाजित करके अपन इलाके को दुकानों से कर लगा कर भी पचायत अपनी आय बढ़ा सकती है। आध्र तथा मद्रास को तरह ही आय राज्य भी जायदादा के हस्तातरण तथा बिक्री के समय ली जान वाली फीस के एवं आश को पचायत के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अदालतों में विकने वाले आय विभाग सम्बंधी टिकटा का बिक्री पर भी प्रधिकार लगाया जा सकता है, जो सम्बंधित दोनों के ग्राम विवास के लिए सर्वं किया जा सकता है एक प्रश्न यह भी उठता है कि टिकटा की दिकी का कर केवल पचायतों को ही दिया जाय अथवा पचायत समिति तथा जिला परियों को भी इस में से हिस्सा दिया जाय।

मनोरजन कर

अपन का य म होने वाले मनोरजन सम्बंधी आयोजनों मेलो तथा प्रदर्शनियों से होने वाली आय पर भी पचायतें कर लगा सकती हैं। उडीसा म केंद्र के पत की दिक्री से होने वाली सारी की सारी आय पचायता तथा पचायत समितियों को जाती है।

वरा वी पूरी बगूती तथा ठीक ढग से कर लगाने के काम म प्रोत्साहन देन की हटिय से मग्नम सखार की तरह ही य य राज्य भी बरावर की रखमें पचायता को अनुदान के रूप में दे सकती है कुआं वार्य स चालन एवं राजस्व की पूरी बगूती पर भी वही राज्य सखारों पचायता को इनाम देती है।

सरकारी सहायता

इन सभी वरों वे बावजूद पचायतों को आमनी बहुत ही घोड़ी होती है और इतनी सी रखम से अपनी प्राप्ति सनिह अवस्था भी ठीक ठीक नहीं कर सकती है। अत हर पचायत के लिए राज्य

सरकार की ओर से वम से वम एक शयया प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान भी व्यवस्था होनी चाहिये और यह भार राज्य सरकारें तथा वैद्रीय सरकार दो आधा आधा अपन ऊपर लगा चाहिये, अभी हमारे देश म पचायतों की आय आय राष्ट्रों की तुलना मे बहुत ही कम है, प्रति आने वाले वई वर्षों तक राज्य सरकारों को यह भार वहन करना ही होगा।

सामुदायिक विवास सस्थाप्तो ने आय क्षेत्रों मे भले ही अभी तक पर्याप्त प्रगति न भी की हो, पर इतना तो मानना ही होगा कि क्षेत्रों योजनाओं के लिए जब सून भवन सड़कें प्रस्ताव, साव-जनिक गौचालय, प्रार्थमिक चिकित्सा केंद्रों पचायत घरों आदि के लिए स्वातीय लोगों से अम अर्थवा धन के हृष म सहयोग प्राप्त करन मे इन सस्थाप्तों की जो उपनिधयी सामने आई हैं उनका महत्व कम नहीं माना जा सकता है। अत सभी राज्य सरकारों को कानू बनावर पचायतों को यह प्रधिकार देने चाहिये जि वे प्रनिवाय अम के हृष म स्थानीय लोगों से किसी भी सावजनिक काम के लिए जन सहयोग प्राप्त कर सकें।

व्यय के प्रावधान

आय के साधना की तरह ही खर्च की मद्दें भी पचायती राज की उपयोगिता को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख आधार हैं। भोटे तोर पर तो प्रत्येक पचायत पर इस बात की जबाबदारी है जि वह अपने खज के लागे और पान्धा के लिए पीन के पानी की व्यवस्था करे, सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत कराये तालानों और नहरों का इन्तजाम करे, सफाई रोशनी तथा प्रार्थमिक चिकित्सा आदि की देस भाल करे। पचायत समितियां द्वारा निर्धारित विवास कार्यों के सचालन की जिम्मेदारी भी पचायत पर हो ही थी और पचायत घर की व्यवस्था भी पूर्णत पचायत को ही बरनी पड़ती है।

इन मदों की ध्यान म रखने हुए ही पचायत के सदस्या को यह निर्णय लेना होगा कि आय की मद्दों म स कुल वित्तना भाग के प्रशासनिक खच पर तथा कितना विकास कायकमा पर खच कर सकते हैं। मोटे तोर पर कुल आय का २५ प्रतिशत भाग ही पचायत को अपने प्रशासनिक ढाँचे पर खच करना चाहिये। जिन पचायतों की आय बहुत कम हो वे पांच सात मिलकर भी अपनी समुक्त प्रशासनिक व्यवस्था कर सकती हैं।

लगान वसूली को जिम्मेदारा

इस प्रमग म यह सवाल उठाना है कि लगान वसूली की जिम्मेदारी पचायतों को सौंपना उचित होगा अर्थवा नहीं। आय तोर पर यह भाग काकी और गार के साथ उठाई जा रही है जि पचायतों को आत्म निर्भर बनाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि राजस्व वसूली का काम पचायतों पर सौंप दिया जाता चाहिये। इससे एक और जहाँ गौव के स्तर पर दुहरी प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हो सकेगी वहाँ पचायतों की आय भी बढ़ सकेगी। इस सम्बन्ध म यही उचित रहेगा कि जहाँ-जहाँ राजस्व अधिकारी इस बात के लिए प्राइवेट हो जि पचायतें यह काम कर सकेंगी और पचायतें यह जिम्मेदारी लेने पर सहमत हा वहाँ लगान वसूली का काम पचायतों द्वारा सौंप देना उचित हो होगा। इस पर से यह प्रश्न

उठता है कि ग्राम सेवक पर्याप्ती तथा पचायत के सेकेटरी के बीच क्या स्थिति होगी ? इस सम्बंध में उचित यही होगा कि हर पचायत का धनना संकेटी अस्तग हो जो लगान सहित सभी कर बसूल करेगा और ग्राम सबक का काम बेबल विवास वार्ष क्रमांकों देखभाल करना रहेगा ।

पीने के पानी की समस्या

गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था करना पचायतों को प्राथमिक जिम्मेदारी है । राजस्थान में तो ग्रामीणों को मोला चलवार पानी लाना पड़ता है और इस समस्या को केवल गाँवों में पानी के कुएँ खुद्दा कर तथा नल लगा कर ही दूर किया जा सकता है । राज्य सरकारी को चाहिए कि पचायतों को इस बाग के लिए बासी रूपया छहण और प्रत्युत्तन के रूप में दे ।

गाँव का सफाई का काम पचायत को टेके पर दिना चाहिए तथा जो भी कूड़ा करकर इसका हो उसका सार दनाये जाने की व्यवस्था करनी चाहिए । गाँव की मटका की मरम्मन तथा नई सड़कें बनाने का काम भी पचायत को ही करना है । गाँव में नलियाँ बनाकर गद पानी को गाँव में बाहर निकालने की व्यवस्था भी पचायत को ही करनी चाहिए बयोकि इनके बिना गाँव में सफाई नहीं रह सकती । सफाई न रहन पर गाँव में वई प्रकार के रागा का खनन रहता है । गाँव में राणी की व्यवस्था भी पचायत की जिम्मेदारी है । जहाँ बिजली न पहुँची हो वहाँ मिट्टी के तल से ही लानने लगाई जानी चाहिए । गाँव के लिए सामुहिक रेडियो पचायत घर का निर्माण तथा देखभाल बच्चों के लिए पाल तथा खेल कूट का मदान का व्यवस्था भी पचायत को ही जिम्मेदारी है पचायत को ऐसी स्थायी संपत्ति बनाने के लिए भा सचेट रहना चाहिए जिससे पचायत का स्थायी ग्रामजन्मी हो सके । ऐसा होन पर पचायत को दार बार पर लगान वे सिर दर्द से थोड़ी बहुत मुक्ति मिल सकती है ।

स्वावलम्बन पर जोर

उपर पचायतों के भाय के साथनों तथा व्यव वे प्रावधानों पर सक्षम म प्रकाश ढाला गया है पर हम यह नहीं गूढ़ना चाहिए कि पचायतों की स्थापना का सदृश एक भार जहाँ ग्रामीणों को स्वावलम्बन के अधिकार दिना है वही साधनाय उहै भारिक हृष्टि से स्वावलम्बी बनाने की योजना भी इस व्यवस्था में दर्शनिहित है । गाँव जन तक पहरों की भार दियने रहे । गाँव के पहे लिके नोजवान जन तक रोजगार के लिए पहरा भी भीर नीचत रहे, गाँव की मानी हानि तदिया तक भी ठीक नहीं हो सकती । अत सबसे अधिक जार इस बात पर दिया जाना चाहिए कि अपन दनिव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गाँव को दाहर की भार बिलकुल न देखना पड़े ।

इस व्यवस्था के लिए भवगे पहल हर पचायत को अपने अपने दोनों का धार्य सर्वेश्वर बरना चाहिए ताकि उस इनामों के लोगों की ग्राम-पर्याप्तापा का तथा माध्यना दामताद्वा तथा लक्ष्यों का स्पष्ट वित्र सामन भार सहे । इसके बारे पचायत तथा ग्राम सभा के प्रमुख लोगों को मिलकर यह सोचना चाहिए कि गाँव में ऐसे बोन कीनस बाम है जिन्हें हाथ म लन स गाँव का नवाना बदल सकता है उनके लिए सापना की व्यवस्था करे करे कहा से को जा सकती है और एह जिम्मेदारी को गाँव के बोन कीनस लोग

मलो-माति पूरा बर सकते हैं। पचायत को यह भी देखना चाहिए विंगाव के जो ग्राम्यिक पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें विशेष रूप से राहत पृथक्कान के लिए क्या क्या काम किये जा सकते हैं?

जसा कि हम ऊपर भी सकते हैं चुके हैं गाव के विकास के लिए कुछ ऐसे साधन भी खुटान पढ़ सकते हैं जिन पर किसी व्यक्ति का विधिकार न होकर ममुवा पचायत का अधिकार हो। पचायत वे लिए स्थायी आमनों का लुगाड़ ऐसे सावनों से ही सम्भव होगा। उडीसार सरकार न अपने इनमें पचायतों का ढोँ छारे उद्योग चालू करने के लाइसेंस दिये थे ताकि उनकी प्राप्ति में पचायतों की आविष्कार स्थिति मजबूत हो सके।

अपना महत्व समझे

पचायतों और ग्राम सभाओं को ध्यना महत्व समझना चाहिये। सोकतञ्च वा सारा महल इही पर या है। जब तब यह अपनी जगह निर्वाचित खड़ा है लाकतव के लिए काई यतरा नहीं है पर ज्योही क्षणमात्र के लिए भा इहे अपनी बबसी का अहसास हुआ, लोकतव के प्रति इनकी आस्था डगमगाई तो इमारा सारा लाक्ष्य ही लड़खड़ा सकता है। अत पचायतों और पचों को चुनोनी पूरक ध्यन बएधारा में यह बात कहनी होगी विंगाव के अनिश्चित समय तक अपने राजनीतिक एवं ग्राम्यिक शोषण को बदलित करने को तयार नहीं हैं। उन्हें हतुमान को तरह अपन पौरुष का पहचानना होगा केवल तभी ऊर बठ्ठे वाल मत्ताधारी पचायत वा परवाह वर्णे। देग म राजनीतिक स्वराज के बाद ग्राम्यिक स्वराज वा सपना साक्षात् करन का वाम पचायतों को ही पूरा करना है, यह बात हमें नहीं मूलनी है। इसके लिए यदि ग्राम्यकर्ता पड़े तो हम सरकार व साथ लोहा सन की तमारा भी करनी पड़ सकती है, पर सोकराज की सच्चो स्थापना के लिए यह करना ही पड़ेगा।





पंचायती राज और राजकीय नियंत्रण

१ पंचायती राज के प्रति सखार की उपेक्षापूण नीति —श्री जयप्रकाशनारायण	१-३
२ लोकशाही बनाम नौकरगाही —श्री दुम्माराम भाष्य	४-६
३ पंचायती राज के प्रशासन की उपस्था— एक प्रश्न-एक उत्तर —श्री मधुरादात्र मायुर	७-११
४ पंचायत राज धार्योग	१ -१४
५ नियंत्रिक्य ग्राम पंचायतों को सक्रिय रूप से बनाया जा सकता है —श्री गोपीनाथ गुप्त	१५ १६
६ पंचायती राज संस्थापना पर राजकीय नियंत्रण —श्री मदनगोपाल शर्मा	२०-२८
७ पंचायत राज में जन प्रतिनिधि भीर सरकारी कमचारी —श्री शीतलमहाय थोवास्तव २६-३२	
८ पंचायत राज भीर बानून —श्री रामकरण जोशी	३३-३४



[अपर कवि याल्ट लिटमन]
में सौगंध लाता हूँ कि मेरे लिए
वह सब निरर्यक है,
जिसमें व्यक्ति उपेक्षित हो।
मुझे लोगों के लेहरे, और
सड़क देखने दो।
हजारों की तादाद में
साथी और प्रेमी दो।
वही नगर महान् है,
जिसमें महानन्दन नर-नारी है,
चाहे उसमें कुछ दूटी कट्टो
भोपड़िया ही बयो न हो।
वह सारे सासार का
स्व से महान् नगर होगा
वहा नागरिक ही
सदेव प्रवान और आदर्दा है।
और प्रेमिडेट, मेपर और
गवर्नर वेतन पाने वाले
चाकर मात्र है,
यही है वह महान् नगर।



पचायती राज के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति

—श्री जयप्रकाशनारायण

पचायती राज व्यव था देश के सम्पूर्ण प्रशासन का एक आधार बन जाए इस हेतु कुछ वर्ष पहले उदयपुर में एक सेमिनार आयोजित किया गया था। जिसमें दो विभिन्न संस्कारित विद्यालयों के मत्री श्री एम० के० डॉ उपमत्री श्री बी० एस० मूर्ति, दो राज्यों के मुख्य मनियों एवं अनेक राज्यों के पचायती राज सत्याएँ भर्याई ग्राम पचायतें जनपद धर्यवा लाक पचायतें भीर जिला परियदें अपने स्तर में स्वशासन की इच्छाई हैं। भले ही कुछ कार्यों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ऐकेन्सियों के रूप में कार्य करें विन्तु पचायती राज का जो चित्र हमारे मत्तिष्ठ मरहा है यह पचायता दो ऐज स्टो द्वे रूप में मही बरन् स्वशासन की सत्याएँ के रूप में स्वीकार करता है। सेमिनार की सिफारिश यह भी थी कि इस परिसरन्त का इस स्वरूप को केवल स्वीकार करन से ही नहीं बरन् सविधान में इस तरह का संशोधन करना चाहिए कि इन सत्याओं द्वे एक पौरब स्तरों राज्य के गया है रूप में सविधानिक मायता प्राप्त है। और जैसे ग्राज में दो और प्रदान के मध्य अविकार और दीवित का बटवारा किया गया है, वैसे ही पृथ्वी, प्रदा० १ जिला, ज्वाला, और ग्राम सभा के मध्य बटवारा किया जावे। परन्तु ग्राज की स्थिति दलतर ऐसा महसूस होता है कि उदयपुर के परिसरन्त को मौर्खिक रूप से ही स्वीकार किया गया था। मैंने मुना है कि मधुर विधान सभा में पा० विधे गये पचायती राज में मन्दिरियन विन म पचायती राज सत्याएँ प्रदान सरकार द्वारा ऐकेन्सियों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह तो उदयपुर सेमिनार के बाद हुमा० और सेमिनार में श्री हेडे भी मोर्कूद थे।

नेहरूजी जब तक जीवित रहे पचायती राज प्रणाली के बहामी थे, और इस और उहोंने सासन की नीतियों को निरन्तर प्रभावित किया था। उन्हें जात वे परवान् जहाँ तक सासन धर्यवा सासनीय नीतियों का भुक्तान था उसमें वही कुछ हद तक स्पष्ट गोवर है। यद्यपि ग्रामीजों के बात में यह नहीं था उनका भुक्तान कुछ वस्त्र था विन्तु नेहरूजी निच निंग में सोचते

आज ऐसा लगता है कि सरकार पचायती राज की दिशा से कुछ मुहूर्मोड़ लेगा चाहती है। पचायती व्यवस्था के विषय में उसका सक्रियात्मक भुकाव सामने नहीं आ रहा है।

पिछले कुछ दिनों के द्वाये व राज्य सरकारे पचायती राज के विषय में निरन्तर शिथिल एवं उत्साहहीन नीति पर चल रही है, और यह परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह कहना मेरे लिये मुश्किल है।

ये उसका स्पष्ट रूप या प्रक्रिया शास्त्रीजो काल में परिवर्तित नहीं हो सकी। यद्यपि वे बलवन्त भाई के निकट के सहयोगी रहे हैं। और बलवात भाई ना इस स्थिति से गहरा सम्बन्ध रहा है। फलस्वरूप जो भी कार्य शास्त्री जो के सामने आया बलवत भाई के परस्पर विद्वास एवं स्नेह बीच बजह से वह बराबर साथ देते रहे सहयोग देते रहे। इन्तु आज ऐसा लगता है कि सरकार पचायती राज की दिशा से कुछ मुहूर्मोड़ लेना चाहती है। पचायती व्यवस्था के विषय में उसका सक्रियात्मक भुकाव सामने नहीं आ रहा है। यद्यपि केंद्र अधिकार राज्यों में, जो नतुरव है वह कोई नया नहीं है नहरू काल से ही वह चला आ रहा है। केंद्र म अधिकार राज्यों में सरकार में अधिकारी काप्रस पार्टी में वही लोग हैं जो नेहरू जो के पुराने साथी हैं। उनकी नीतियों को उद्धोन स्पष्ट ममझा है। इन्दिरा जी तो स्वयं उनको पुढ़ी हैं। ये दोनों लोग नहरू जी की नीतियों से पचायती राज के विषय में नहरू जी की भावनाओं से अपरिचित हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनके नतुरव में पचायती राज की गति मद हो, नई पचायती राज व्यवस्था में प्राप्ति न हो ऐसा नहीं लगता और न ही लगना ही चाहिए, विन्तु यह ही रहा है। पिछले कुछ दिनों के द्वाये व राज्य सरकारे पचायती राज के विषय में निरन्तर शिथिल एवं उत्साहहीन नीति पर चल रही है और यह परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यह कहना मेरे लिए मुश्किल है। इसका सही उत्तर तो काप्रेस के नता ही दे सकते हैं। उनकी आनोखना करना मेरे जसे व्यक्ति के लिए जो कि राजनीति द्योड़ कुछ भजीब सा लगेगा और वह भी एक दल विगेंटी-काप्रस पार्टी की। इन्तु काप्रेस एक बड़ा दन है अबिल भारतीय स्तर का यापन संगठन है केंद्र और राज्यों में इसकी सरकारें हैं जनताम म विवाम रखता है। अब पचायती राज के विषय में दूसरी भी अपेक्षा उसका प्रधिक उत्तरदायित्व है। यद्यपि जहाँ जहाँ भन राज्य अधिकारों से सम्पर्क किया पचायती राज व्यवस्था के विषय में मुक्त राहयोग मिला है। उस सीमा तक राहयोग मिला है जिस सीमा तक म उसका पात्र नहीं हूँ। किन्तु समग्र रूप से पचायती व्यवस्था को हतोत्साहित करना चाहा जाए उसकी उपर्योगिता को कम आवान का आरोप सरकार पर लगाया जा सकता है।

अनक राज्यों न अपन यहा त्रिस्तरीय प्रणाली अभी तक लागू नहीं की है। पचायती का क्या स्थान है, यह राज्य सरकार के सचालकों के समुक्त स्पष्ट नहीं है। कुछ राज्य सरकारे तो पचायती

सत्याग्रो का एक ऐजेंट के हृष मे मानती हैं। कुछ मुख्य मनियों न तो मुझ इस विषय मे स्पष्ट लिखा था कि पचायती का स्थान हमारे राज्यों म एक ऐजेंट प्रथवा ऐसिया के हृष मे है। त केवल केंद्रीय प्रथवा राज्य मे मनियों ने पचायती यवस्था के विषय मे अनुसाह-वयक्त सब अपनाया है बल्कि विद्यायको एवं संसद सदस्यों का रख भी आश्चर्यजनक रहा है। वे अब तक इसलिए सधप करते रहे हैं कि पचायती सत्याग्रो म उन्हे भी सदस्यों के हृष मे प्रहरण किया जाए। उनका सारी नक्ति इसी तथ्य के ऊपर आधारित रही और वह—प्रयास करते रहे हैं कि कहीं पचायती राज सत्याग्रो म उनका काई अधिकार न रहे। हमारे विद्यायक एवं संसद सदस्य विधान सभाओं और संसद की सन्स्थान के साथ साथ पचायती राज सत्याग्रो के, सदस्य भी बन रहना चाहते हैं। मुझे यह प्रसन्नता हाती यदि इसका बारण पचायती राज यवस्था के रचनात्मक पद से सम्बन्धित होता या इन समस्याओं का तरक्की म अपना योगदान देन वे लिए वे ऐसा कहते। उनका बारण तो दूसरा ही है और वह परिपक्वता एवं परिमाणिता की स्थिति का पापित नहीं करता। पचायती राज सत्याग्रो के सदस्यों न संसद प्रथवा विधान सभाओं के सदस्य हान की माग नहीं की है। यदि परिवर्तन मे वह भी ऐसी माग करें तो स्थिति क्या होगी? हम पचायती राज के सदस्य के लिए एक सहिता तथार करना चाहिये कि यदि कुछ राजनीतिक दलों के कायकर्ता पचायती राज सत्याग्रो मे सदस्य ह तो उनके लिए छूट हानी चाहिए—निराय सेने की। पार्टी प्रतुगामन उन पर नागू नहीं होना चाहिए पार्टी आदेन उनके लिए प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए तभा पचायती राज अवस्था दलगत राजनीति से ऊपर उठ सकेंगी।

पचायती राज प्रशिक्षण बेंद्र स्थापित किये गये। जिनका उह “या पचायती राज सत्याग्रो के मदस्या को प्रशिक्षण देना ताकि वह पचायती राज के लिए उपयोगी सिद्ध हो एवं यामाण नतत्र प्रदान करें और यामीण क्षेत्र के विकास यामीगीकरण के भार्य म सहायत हा। किन्तु सेद हैं कि इतनी उपयोगी सत्याग्रो को भी सरकार समाप्त करन जा रहा है। ऐसा जात हुमा है कि कुछ राज्य सरकारें पचायती राज प्रशिक्षण बेंद्र की उपयोगिता को नहीं मानती और उहे समाप्त करन का निराय से चुकी है। कुछ लेने जा रही है। उसके प्रतुदान म उटीती की जा रही है। “सना परिणाम बया होगा, पचायती राज प्रशाली को उचित प्रतुदान जो कि उचित प्रशिक्षण के यभाव म सभव नहीं है प्राप्त नहीं हो सकेगा। जिनका तत्काल प्रभाव यामीण समाज पर पड़ेगा। यामीण समाज पे उपताल हान की यामा पद हो जायेगी। यामीण उटीतीवरण की यामा घूमिल पट्ठ जायेगी। एक यार जहाँ म संसद सदस्यों एवं विद्यायको के प्रशिक्षण की बात प्रारम्भ हो रही है जो धर्मायें विधान सभाया एवं संसद के पन्त गर पठित हो रही हैं, सरतरो देवते, हुए उनके प्रशिक्षण को बात घृम्भावित नहीं लगती। किन्तु इन विद्यायकों एवं संसद सदस्यों को तुलना मे पचायती राज सत्या के सदस्या द्वा प्रशिक्षण ता और भी आवश्यक है। इनका प्रशिक्षण तो इसलिए और धर्मिक महत्वपूर्ण तथा धावयक है वयाकि इही प्रशिक्षित गर सरकारी सदस्यों को मूलिका से यामीण समाज एवं यामीण उटीतीवरण की दिगा को निरायक सहयोग प्राप्त होगा।

लोकशाही चनाम नौकरशाही

१

—श्री कुम्भाराम आय

सत्ता विकेंद्रीकरण के अंदर विधायक और नौवर को रखा जाये अथवा नहीं यह एक महत्व का प्रश्न है। इस प्रश्न पर विचार किये बिना सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ना खतरे से बचानी नहीं है।

सत्ता के विकेंद्रीकरण का ग्रथ लोकशाही की स्थापना तथ उसके द्वारा देश और समाज की सम्पत्ति बरना है। लोकशाही राजनीति के स्थान पर लोकनीति की स्थापना चाहती है। राजनीति में पक्ष विवाद और विरोध मुख्य रूप से चाम बरता है। लोकशाही में सबहित सद्भावना और सहयोग मुख्य रूप से चाम करता है। दोनों का कभी मेल दिवार्हि नहीं नेता। राजनीति भय चिन्ता और दूसरे के बिनाए की तरफ स्थिती रहती है। इस पारण इसमें निर्भयता विवास और दूसरे के हित की समावना बहुत कम रहती है। सोबनीति निर्भयता सद्भाव तथा विश्वास के साथ सबहित में विश्वास रखती है। इसलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण में राजनीति को पृथक रखा जाना चाहिये। विधायक जन जो राजनीति के प्रतीक हैं लोक नीति से जितनी दूर रखे जाए गे उतना ही सत्ता का विकेंद्रीकरण सफल होगा। देश में आज ऐद्र और प्रान्त के नाम से दिल्ली तथा प्रान्तीय राजधानियों में राजनीतिक सोग अपने पद के लिए अव्वाह में उतरते हैं। इसके प्रतिरक्त यह दण्ड और कभी नहीं। सत्ता के विकेंद्रीकरण में इन विषयकों को प्रवेश मिल गया तो देश में इस प्रकार के सबडों हजारों राजनीति के अलाउ खुन जायेगे जहां पर पक्ष विपक्ष की भाषा के दोर खलेंगे और देश तथा समाज की सेवा गोए हो जायेगी।

प्रांगनिक इकाइयों की राजनीति वा केंद्र बना देता शासन और सेवा दोनों हित्यों से घनु चित है। प्रांगनिक इकाइ की कमज़ोरी सुरक्षा और सांति कायम नहीं रख सकती जिनका रखना अत्यन्त ग्रावश्यक है। सुरक्षा व सांति के दिना सबा तो सोची ही नहीं जा सकती। इसलिए सुरक्षा और सांति के बिना भाजादी किस काम की। राजनीति और लोकनीति का मल विरोधी भाव उत्पन्न करने वाला होगा

लोकशाही के शास्ति-ग्रन्थ
श्री कु भाराम आर्य
पद्मश राजस्थान पचायतराज मण

जिससे शासनिक इकाइया मजबूत होने के स्थान पर कमज़ोर होंगी। इसमें देश और समाज का हित नहीं बन सकेगा। इस कारण राजनीतिक जनों का लोकनीति संघ में प्रविष्ट नहीं होता चाहिये। प्रशासनिक इकाइयों में विधायकों के प्रविष्ट होने से दूसरा स्वामानिक विरोध यह और उत्पन्न हो जायगा तिं जिसी इकाई में शासन करने वाली पार्टी के विरोधी आ गये हो दोनों तरफ विवाद आयेगा। दूद्वारी को दृष्टि वाली नहीं भाती। इसी भावने एक राजनीतिक दूसरे विरोधी राजनीतिको लेकर नहीं सकता। दोनों एक दूसरे को कमज़ोर करने में अपनी शक्ति लगायेंगे और समाज सेवा दोनों भूल जायेगे। राजनीति विरोधी को बल प्रदान नहीं कर मजबूती, विरोधी का बल छोड़ा करतो है। इसलिए जिसी इकाई में शासन करने वाला पार्टी से विरोध करने वाले विधायक आ गये वहाँ तो निश्चय ही एक दूसरे को कमज़ार बनाने में शक्ति वा प्रयोग करेंगे। देश भक्ति और समाज सेवा का स्थान उस समय पार्टी हित हो जायेगा। सत्ता दे विकेंट्रीवरण में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देने वे लिए यही उचित है कि विधायक दूसरे प्रवेश न दरें।

कर्मसत्ता और जिम्मेदारी

विधायकों के साथ ही नीकर का प्रश्न आता है। साज कर्मसत्ता जिसे हम अधिकार कहते हैं नीकर का पास है। जन प्रतिनिधियों के पास कर्मसत्ता की भाँति कमी है। जन प्रतिनिधियों के पास जिम्मेदारी और नोकर के पास अधिकार, यह अभी व्यवाह को स्थिति है। जिसके पास जिम्मेदारी है उसके पास अधिकार नहीं। जिसके पास अधिकार है उसके पास जिम्मेदारी नहीं। परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि जनता जिससे आशा लगाये बढ़ी है वे कमेंहीन हैं। सत्ता के उपासक बने बढ़े हैं। इसलिए जनता की माझा पूरो नहीं कर सकते। जिसके पास कर्मसत्ता है वे जनता हैं प्रति उत्तरदायी नहीं अर्थात् वे जनता हैं प्रतिनिधि नहीं। अधिकार और जिम्मेदारी को पृथक् पृथक् बाटने की भूल सत्ता विकेंट्रीवरण में कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि केवल जिम्मेदारी लाद देने से काम नहीं चल सकेगा, जब तक यि इसे पूरा करने का अधिकार उसके पास नहीं हाया।

लोकशाही व नीकरशाही

सत्ता के विकेंट्रीवरण में कर्मसत्ता (अधिकार) नोकर वे हाय में अधिकाधिक रखी गयी तो विकेंट्रीवरण की योजना भ्रसफल होगी। नोकर का हित लोकशाही में नहीं नीकरशाही में है। वह अपन हित के बिल्कुल वस चल सकेगा? इसलिए सत्ता विकेंट्रीवरण में जिम्मेदारी और अधिकार होनो समान हृष से देने वी धावश्यकता है। नोकरशाही और लोकशाही में रात दिन वा भातर है। नीकरशाही हमारो प्राजायों की रात है जिससे हमारा बतमान घायेरे से घिरा है। लोकशाही हमारो प्राजायों का दिन है जिसमें हमारा बतमान और भविष्य दोनों प्रकाशमय है। निन और रात वा समावय सघ्या बेला कहसत्तो है। राजनीति और लोकनीति का मैल सघ्या काल बनेगा। हम सघ्या बेला के इच्छुक नहीं। सघ्याकाल की स्थिति अच्छी नहीं होनी वह बही विचित्र होती है। उसमें बोई बस्तु नहीं दिखाई देती। जिसी बस्तु के सही दिखाई न दन वा दाय न ग्रांस पा दिया जा सकता है और न बुद्धि थो। इसका दोष सघ्याकाल को है। सघ्या काल वा स्थिति ऐसी ही है। उसमें न पूरा घयेरा होता है और न पूरा प्रवाह। बुद्धि पुण्या भु पना रहता है, कही साप रस्सी दिखाई देता है तो कही रस्सी ढोप। इस सघ्या काल में वित्ती ही साक-

धानो बरती जाय फिर भी रस्ती समझर साप के ह्राष्ट लगन बाले के प्राणों वीरका हो सबना बदूत थठिन है। लोकशाही और नोकरशाही वा मेल जिस स्थिति को उत्पन्न बरगा वह इस सघ्या बला से कम धातव नहीं होगी। इसलिए नोकर के ह्राष्ट म अधिकार की अधिकता सतरनाक है।

अधिकार वही रहना चाहिए जहाँ जिम्मेदारी है। जिन अधिकार के जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रादर इस बात का सास ध्यान रखने की ज़रूरत है जिस जनता को जितनी जिम्मेदारी दी जाय उतना ही अधिकार भी उस मिल जाना चाहिए। जिम्मेदारी को निभाने के लिए अधिकार की भारी आवश्यकता है।

अधिकारी और सेवक

सत्ता के विकेंद्रीकरण भ जन प्रतिनिधिया वीरकरणाही की दया पर नहीं थोड़ा जाना चाहिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण भ सत्ता और अधिकार दोनों जन प्रतिनिधिया के पास रहना चाहिए। नोकर के पास बैचल सेवा रहनी चाहिए। सेवा की साधना के लिए जिन अधिकार की आवश्यकता पढ़े उतना अधिकार नोकर के पास रहना चाहिए।

सत्ता विकेंद्रीकरण के प्रादर नोकर अधिकारी बन कर नहीं आना चाहिए। सेवक बनकर आना चाहिए। इसके लिए वर्गमान सेवा आयोग द्वारा नियुक्त नहीं क्यानि वह अधिकार की प्रतीक है। सत्ता वा विकेंद्रीकरण अधिकार के स्थान पर सेवक चाहता है। इसलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिलसिले में काम करने के लिए पृथक सेवा आयोग नियुक्त होकर उसके द्वारा सेवक (नोकरों) द्वा चुनाव होना चाहिए। प्रजासत्तिक इवाइये नोकरों से प्रभावित न हो सर्वे इन बाल का पुरा ध्यान रखे जिन सत्ता के विकेंद्रीकरण वीर दिशा म आगे काम रहना सफलता की मूबज़ नहीं। सत्ता के विकेंद्रीकरण में शास्त्रिक इकाइयें (जन प्रतिनिधि मण्डल) नोकरा से प्रभावित होने लगी ता फिर नोकरणाही का बोलबाला हो जाएगा, लोकशाही वा नहीं।

सत्ता विकेंद्रीकरण के प्रादर जितना अधिकार और जिम्मेदारी जन प्रतिनिधिया को दी जा सकेगी उतनी ही सफलता मिलन वाली है। इसलिए लोकशाही को स्थानित करने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण में विधायक को पृथक रखा जाय तथा जिम्मेदारी और अधिकारी जन प्रतिनिधियों के ह्राष्ट में रहने चाहिए। नोकर के पास बैचल सेवा रहे और सेवा को सफल बनाने के लिए जितन आवश्यक अधिकार वीर आवश्यकता हो उससे अधिक अधिकार न रहें।

पचायती राज के प्रशासन की समस्या एक प्रेषन - एक उत्तर

—श्री मथुरादास माथुर

पचायती राज भाज विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। वास्तव में पचायती राज का जाम हो विशिष्ट प्रकार से हुआ था। यह प्रशासन की ऐसी पद्धति नहीं है जिसे जनता के अनुरोध पर लागू किया जा रहा है पचायती राज की प्रशासन की पद्धति के हृष म अपनाने से लिए प्रामोण जनता द्वारा कभी कार्य प्रयोग भा नहीं किया गया। प्रारम्भ म ताकि यह एक राजनीतिक प्राविद्यवता भी नहीं थी।

वास्तव में पचायती राज योजना के मूल म प्रशासनिक सुविधा ही मानी जानी चाहिए। पचायती राज का वास्तविक स्वरूप क्या हो, इस पर विचार करन के लिए महात् राजनीतिक व नेता हृष श्री बलबालशय महता का अध्यक्षता को दिल नियुक्त किया गया था उसकी रिपोर्ट पर दोनों भर म व्यापक हृष से चर्चा भी गई। अन्त में देश के विभिन्न राज्यों म विद्यमान सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों व अनुरूप विभिन्न स्पोर्स म पचायती राज की स्थापना की गई।

फिर भी प्रत्येक राज्य द्वारा कुल योजिक सिद्धान्तों का अनुसरण शरीर किया गया जिसमें पचायती राज या मूलभूत मिदान्त यह था कि भारत म लोगों को अपने प्रतिनिधि संगठनों द्वारा राष्ट्र वे सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार प्रयत्न सुनुआया जा विवास करना चाहिए।

प्रि-स्तरीय व्यवस्था

राजस्थान म पचायती राज की त्रि स्तरीय पद्धति को अपनाया गया है तथा भारत में बहुत से राज्यों ने भी इसको अपनाया है। बुख राज्यों ने द्विस्तरीय पद्धति को अपनाया है तथा बहुं जिसा परिपदा का जिसा प्रागामन के प्रागासकीय साधन के हृष म साइन्डुकिया गया है। लेकिन जिसी भी राज्य ने आम पचायती को पचायती राज की प्रशासकीय इकाई के हृष म साधना नहीं दी है।

राजस्थान सामाजिक वाद की प्राचीन परम्परा के कारण पिछड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक पचायती राज का सम्बन्ध है यह उत्तर-भारत में इसी प्रवार से पहला राज्य है जिस प्रवार दर्शिएगा में भाग्य राज्य है। लक्षित लोगों की जनतान में प्रगाढ़ थदा एवं विश्वास होने के कारण हमने पचायती राज को एक नए वदम के रूप में अपनाया था न कि प्रासान में एक नए प्रयोग के रूप में।

भारतीय संविधान के निर्देशन तत्वों में ग्राम पचायती नो समृद्ध करने का उल्लेख है लेकिन यह तक इसमें पचायती राज को प्रासान वी पद्धति के रूप में मायना प्रदान करने के लिए विशेष रूप से संशोधन नहीं किया जाता तब तक इसका स्थान प्रशासन में आय 'स्तरों की प्रेक्षण गोण ही रहेगा। पचायती राज प्रासान वा एक भाग है तथा इसी भी प्रजानांत्री शासन में प्रशासन वा लोकतान्त्रिक आधार होना जरूरी है। यह तक ऐसा नहीं होता इस पद्धति की सफलता में सादेह ही रहेगा और हो सकता है देश में आने वाली नयी काति की चपेट में यह समाप्त ही हो जाये।

पुराने प्रशासन से भिन्नता

प्रशासन को परम्परागत पद्धति एवं वर्तमान पचायती राज के बीच के बीच के बीच इराग कि प्रथम प्रवार का प्रासान ऐवल वर्मचारिया द्वारा ही चलाया जाता है जो या तो चुने जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं जबकि दूसरे प्रवार के प्रासान में जिला प्रशासन के उत्तरदायित्व को निर्वाचित प्रतिनिधि भी बाट लेने हैं। इस प्रवार प्रशासन वी इस पद्धति में विशिष्ट रूप से जिला प्रासान में जन प्रतिनिधिया एवं सेवापों दोनों का समर्वित रूप होता है। मेरे मन में भाज प्रशासन के रास्ते में जा एक मात्र बठिनाई आती है वह यह है कि वह जनता के प्रतिनिधियों के साथ मिल कर कार्य करने में अपनी मन स्थिति को ठीक प्रसार से विकसित नहीं कर पाता जो कि हमारे समाज में प्रजातंत्र के नए विचारों और भवित्वकि के लिए जनता में चुन कर आते हैं। राज्याधिकारी और वर्मचारी यद्यपि प्रशन आपको इस नए परिवर्तन के अनुरूप ढाल रहे हैं लक्षित उन्हें उन लागों के साथ प्रचल्यो तरह सनुलन कायम करने में भी समर्थ लगेगा।

उन लोगों के लिए, विश्वविद्यालय से वा के पुराने सन्स्थों के लिए जिनको कि भिन्न प्रवार की सामाजिक पद्धतियों के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया था अब समाज की नयी आवश्यकताओं तथा प्रशासन के वर्तमान लोकों के अनुसार प्रशिक्षण करना एक बड़ा भारी परिवर्तन है जिससे कि उनके व्यक्तित्व में एक तरह से पूर्ण परिवर्तन आ जाये। नव नियुक्त नवव्युक्तों में जो गाव में काम करने जाते हैं उचित हिट्टियों पदा करना आवश्यक है। यह अनिवार्य है कि हमारा प्रशासन सामाजिक विचारों में प्रवृत्त हो जिन्होंने के अनुसार पूर्णतया सुझाइज्ञ हो।

यदि वे सोग यास्तद म यह सोर्जे कि वे इस प्रजातंत्र के कमचारी हैं यदि प्रशासन गए सही मन स्थित का विश्वास कर लें तथा लोगों में विश्वास करना तुष्ट कर दें तो मुझे विश्वास है कि वे लोगों का हित कर सकेंगे। परन्तु यदि इसके विपरीत उनमें यह धारणा हो कि जनता भविक्षित है और वे (प्रशासकगण) ही स्थिति के मालिक हैं तो वे जिसी भी प्रवार से अपनी ओर से हित साधक नहीं होंगे।

विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशिक्षण वर्मचारियों को मुख्य पृष्ठाधार अवश्य प्रश्न करती है

लेकिन जो मनुष्य गावा में रहते हैं वे ही समस्याओं तथा उनके हल को सच्ची प्रकार से जान सकते हैं। प्रशासन समस्याओं के हल को जीवनाधार के निपटान के लिए परिवर्तनकारी सहायक साधन का दररह वाय दरसकता है तथा उसका विनियोग हल भी प्रदान कर सकता है। गाव में रहने वाला मनुष्य सभी हाइट के शर्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हाइट से अपनी समस्या का समझाता है। उस बैच सहायक हाय का अहरत हाता है।

हम इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार बरता चाहिए कि यदि दरा वी नाति सहो है तो ये योजनायें इतना कल्पना परिणाम बयो नहीं दे रहा है? हमारा लक्ष्य बड़ा ही स्पष्ट है। समाजवादी उद्देश्य लोकतात्त्विक तरीका एवं कल्याणकारी सिद्धान्त इन सबको हमने अपने सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया है तथा काई सीधे यह नहीं कह सकता कि इस समस्या को हल करने में भारत का प्रधान मन्त्रीनिक है। लेकिन इन दबाएँ में समाज में घनवात् व्यक्ति भवित्व सम्पूर्ण हुए हैं। तथा गरीब व्यक्ति परिवहन भवित्व गरीब नहीं हुआ है तो गरीब वरीब उसको स्थिति ये कोई उल्लंघनीय सुधार भी नहीं हुआ है। (यदि इस विधि में एक प्रतिक्रिया तोगा का दाग इधर से उपर हो जाय तो उसका कोई महत्व नहीं है।)

प्रशासन द्वारा कुठाराधात्

प्रायती राज में लोगों को अपने स्वयं के अनुभव के प्रवाश में अपने गाव के निर्माण का ध्वन सर एवं धार्कि प्राप्ति की गई थी भ्रत उड़े उस धोने में एक महत्वपूर्ण राय यदा बरता चाहिए या लेखियां धार्ज प्रायती राज प्रशासन की भीषण भ्रातियों के द्वारा अपने माय म प्रवरोध का सामना कर रहा है।

जिला प्रशासन भ्रमी तथा पूर्ण कृप से एकीकृत हाइटिकोए को विवरित नहीं कर पाया है क्याकि देना या समानातर प्रायासिक सगठन काय कर रहे हैं जिनम एक वा काय सामन्तात्त्वादी प्रवृत्ति वा है तो दूसरे का माधुनिक प्रवृत्ति वा। इस सरह जिला स्वर पर दो विभिन्न ऐसो धाराएँ चल रही हैं जिन्होंने अपने भास्तित को एक दूसरे में नहीं मिलाया है।

उआहरण के लिए विवास स्थान के समानातर स्वर, पर लप्यण भवित्वारी, तहसीलदार या सहायक तहमातदार तथा राजस्व निरीक्षक एवं परवारों हैं। इन सदृशी भित्ताकर प्राचान थानव व प्रशासन वा सपठन होता है। यह पदनि सम्पूर्ण देश भर में स है। यह राजस्व वसूल बरते वी व्यवस्था का एक ढंगा है जिये जिला प्रशासन प्रायासिक कृप से एक व्यवहर के उपयोग में लाया जाता वा— एक तो शाति एवं व्यवस्था बनाय रखने के लिए तथा दूसरे राजस्व वा सप्रह करने के लिए।

राजस्व संग्रह

डिस्ट्रिक्ट अग्रिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट के नाम से धायिक सोन्हायिक है, पुराने दिनों, म बैच, रेवेम्प व डेस्टर (राजस्व सप्रहर्ता) वा, एवं राज्य का प्रमुख वार्त्य वा, समय, राजस्व सप्रह हो पा इसलिए यह स्वामानिक वा वा वस अभ्य यह-जिते वा मुख भवित्वारी समझ जाता वा। लेकिन, माज क्लेवर, जो राजस्व सप्रह बरते वे धनवारा एवं धाय प्रकृत कार्य बरते पढ़ते हैं जिनमों तुलना में राजस्व वसूली वा महत्व बहुत हा नगण्य है। विशेष कर राजस्वान में, तो भू, राज्यव वी वसूली बहुत हा सीमित है तथा सोगों के धनाव अभियोग राजस्व सप्रह वी भवेगा धायिक ध्यान धावपित बरत है।

अत राजस्व क्लेक्टर (संग्रहकर्ता) द्वारा एक नया नाम देना चाहिए क्याकि उसे राजस्व संग्रह के विनियोग आयोजना एवं विकास की ओर अधिक व्याप देना होगा । क्लेक्टर से लकर पटवारी तक के इन अधिकारियों के बतमान नामकरण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । जब पचायती राज प्रभना लिया गया है तो हम सभी तर्क समत प्राप्ति विकास निक राजनीतिक एवं सामाजिक परिणामों को भी स्वीकार करने के लिए तयार होना चाहिए ।

लकिन हम इससे सामती पृष्ठ भूमि म संगठित राजस्व संग्रह के इस व्यवस्था यांत्र को या नीवरशाही को जो विनियोग दिनों में संगठित की गई थी समाप्त करना नहीं चाहते । पटवारी के पद को हटाया जाय या उसे गाव के विकास का प्रतिरिक्त काय दिया जाय उसे पचायत का सचिव बनाया जाय, उसके लिए यह सब विचारणीय विकल्प हो सकते हैं ।

बतमान में पटवारी को जो हमने महत्व दे रखा है वह इतना अधिक है कि उसके बारे में विचार करने के लिए एक बहुत उच्च स्तरीय समिति बनानी होगी जिसमें राज्य के मन्त्रिमण्डल का एक मंत्री अध्यक्ष हो तथा उसमें विकास आयुक्त, मुख्य मंत्रिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व मंडल आदि उच्चस्तरीय अधिकारी सदस्य हों । इनको इस प्रश्न पर विचार करने के लिए देश का अपना करना होगा ।

आज हमारी मर्याद्यवस्था को विकसित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं । योजना आयोग का कहना है विनान-प्लान व्यय नहीं होना चाहिए और कभी करने के लिए सबसे पहले हमें यही मद आकर्षित करती है । मध्य प्रदेश सरकार न विकास अधिकारी के पद को समाप्त कर दिया है तथा कही है कि इस प्रवार का वाय करने वाली सत्ता को आपकालीन स्थिति में बिल्कुल आवश्यकता नहीं है । तब पचायती राज की हत्या करने वाले क्यों नहीं हम राजस्व प्रशासन, पटवारी, तहसीलदार को समाप्त करना चाहिए ।

राजस्वान भविकास अधिकारी राज्य स्तरीय सेवा का सदस्य है । राजस्वान ही केवल एक ऐसा राज्य है जिसमें विकास अधिकारी को यह स्तर दिया गया है । वह तहसीलदार का वाय तथा भू राजस्व संग्रह करने का वाय भली प्रकार कर सकता है तब फिर भू राजस्व संग्रह करने का वाय पचायती को वया नहीं सौंप दिया जाय ?

नोकरशाही का उन्मूलन

हम राजस्व संग्रह करते हैं तथा इसके बाद इसमें संनिधियां पचायती राज प्रशासन एवं पचायती राज संस्थाओं को देते हैं । प्रश्न उठता है कि आप पचायता को सौंपे भू राजस्व संग्रह करने का कार्य क्यों नहीं सौंप देने जिससे कि पचायतें घपन हिस्से की निर्धारित रकम घपन पास रख लें तथा वाय को राज्य सरकार द्वारा लोटा दें ? राजस्व संग्रह जैसे साधारण काय के लिए संगठित की गई इतनी बड़ी नोकरशाही को साधारण पर फिर हमें इतना अधिक व्यय वया करना चाहिये ?

जब तक विनान-प्लाकार क्लेक्टर तक के अधिक पदों को समाप्त नहीं किया जाता है । तब तक पचायती राज सच्चे प्रायों में आगे नहीं बढ़ सकता ।

गावो म धाज पटवारी चोते से भी अधिक भय का प्रतीक है। यदि गाव में कोई भीता धा
जाय तो गाव बाले सीधे उमे गोलो मार सकते हैं लेकिन पटवारी को नहीं। पहाँ तक कि गाव की राज
नीनि भी इस मटान् पटवारी के इशारे पर नावा करती है।

मैमा प्रतीत होता है कि ऊपर से लगा कर नीच तक पचायती राज के बारे में हम संदेह प्रस्त
हैं। यदि पचायती राज विकास का नया यात्रा है तथा राज्य के कल्पाणवारो वायों को करने के लिए
है तो फिर सम्पूर्ण कायकम को पचायती राज पर ही आधारित विद्या जाना चाहिए। पचायती राज
सम्याये स्थानीय स्वशासन सम्याये एवं विद्यार्थी की एजेंसी के रूप में स्थिर हो चुकी हैं क्योंकि यह स्वयं की
नीषि और स्वयं की भाष्य के साथन सुनित करती है।

संविधान में मान्यता

हमारे पहा तीन सूचनाएँ हैं—एवं यमवर्ती सूची दूसरी सघ सूची और तीसरी राज्य सूची।
लेकिन घब इसमें एक छोटी सूची पचायत सूची भी जोड़ी जानी चाहिए। जब तक कि पचायती राज
संस्थामा के बारे म भारत के संविधान के अन्तर्गत शक्तिया का उचित रूप से उल्लेख नहीं विद्या जाता है
उब तक य सम्याय उन उद्देश्यों को पूरा करने में महत्व नहीं होगी जिनकी कि हम उनसे प्रभेक्षा करते हैं।

दुर्भाग्य से भारत म योजना को केंद्रीकृत कर दिया गया है। देश म राज्य योजना और राष्ट्रीय
योजनाएँ हैं। लेकिन घब पचायती राज की स्थापना हो गई है प्रति प्राप्तासन के मायने में जनता के बुने
हुए प्रतिनिधियों की भावाज का सम्मान करना होगा। जिस स्तर वा व प्रतिनिधित्व दरते हैं उम स्तर पर
उह हैं योजना बनानी चाहिए। यह उनकी उचित भाग है तथा वे द्वीय योजना एवं राजस्त्रीय योजना में कुछ
ऐसे संष्ट भीन्हूद हैं जिनम कि याम यायोजनाओं या पचायती राज संस्थामो के सहयोग की आवश्यकता
होती है। इसनिए प्रत्यक्ष गाव की अपनी एक योजना हानी चाहिए तभी राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त विद्या
जा सकता है।

पंचायती राज आयोग

देण म पचायती राज व्यवस्था के श्री गणेश को सात वर्ष पूरे होने वो हैं। राजस्थान से भारम्भ कर सत्ता वे बिरे द्वीपरण का यह प्रयोग गुजरात, महाराष्ट्र, माध्य उत्तर; बिहार, उत्तरप्रदेश और पंजाब ग्रामी राज्यों तक पैल गया है। यद्यपि विभिन्न राज्यों म पचायती राज स्थापना के स्वरूप व वक्ताय विधान वी व्यवस्था भा भिन्न भिन्न ही है इ तु एक भय जो सबक याप्त है वह यह कि वया सत्ताय गार्सन पद्धति के अंतर्गत विभिन्न बहुमत वाले राजनीतिक तल वी सरकारें निष्वाय और निलिप्त भाव से पचायती राज स्थाप्तो को आगे बढ़न म योग द सकेंगो? यदा कोई भी कदम उठान से पूर्व ये सरकारें उस कायवाहो वा उनके अपन दल पर वया प्रभाव पड़ा यह नहों सकेंगो? यदि इसे और भी सर्वीर्ण दायरे में लेकर सोचा जाय तो वर्षी सरकार म बढ़न वाला राजनीतिक दल का प्रतिनिधि या उच्च प्रशासनिक अधिकारी खुदों खुदों सत्ता विसी प्राय क हाथ म सौपन को रौपार हो जायेंगे? नाना कि पचायती राज व्यवस्था का सारा कानूनी द्रावा विधान मडलों द्वारा पारित अधिनियमों की सीमा में होता है जिसमे विराधी दल के सदस्य भी सम्मिलित रहत हैं। या व्यवहार म उन अधिनियमों के भोधीन नियमा या नियम वनान तथा उनके प्राप्तिक ग्रथ्य और याह्या दल वा काम दासन तंत्र म लगे राज नीतिक दल क प्रतिनिधिया तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के हो हाथ म रहता है। अते इसे वात को वया गारटी है वि वे इन नियमा की व्यास्था अपन दल या अपन वर्षे के हित म नहीं करेंगे।

यह अच्छी बात ही रही कि हाल के पचायता के चुनावों म न तो प्रत्याक्षिया को दलीय आधार पर गिरिट ही दिये गये और न उहैं इस माधार पर चुनाव चिह्न हो प्रदान किये गये। वितु फिर भी इस सभावना से इ कार नहीं किया जा सकता कि चुनाव लड़न वाले व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से विसी न विसी राजनीतिक दल का समर्थन या सहयोग अवश्य मिला ही और निर्वाचन म सफल होन पर वह व्यक्ति उस दल के साथ अपनी सहायता सहायता प्रदेश रखेगा। ऐसी भी शिकायतें सामने आई हैं कि एक गुट विशेष के हाथ म पचायत या पचायत समिति की सत्ता या जान पर विपक्षियों को वि ता कामों के लिए सहायता या अनुनान प्राप्त करना असम्भव हो गया। इस प्रकार याव वा समिति काम का विकास एकामी ही रह जायेगा। इसके अतिरिक्त इस व्यवहार से जो प्रतिनिया पदा होगी यह कटुता, वमनस्य, ईर्प्या और दृष्टि का प्रसार करेगी और इसका परिणाम हम यादवा के छोट छोट गणों के इति हास की याद दिलाता है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रकार वी युराइयो का प्रतीकार कही भी नहीं है।

बतमान परिस्थितियों में हम पचायती राज सत्याग्रा से बहुत अधिक की उपत्या भी नहीं कर सकते। एक तो यह गावों में स्वायत्त शासन का आरम्भ मार्ग है और गावों में भी इसकी स्वस्थ परपरागों का निर्माण नहीं होता है। दूसरे लंबे स्तर पर भी सावजनिक जीवन के गिरते हुए नतिक स्तर को देखकर उनसे यह प्रश्न करता कि कि वे निर्वाचीय और दलगत समाजता भी और उठकर ग्राम समुदाय की सेवा कर सकेंगे, बहुत अधिक होता। इसलिए हम वस निर्धारण पर पहुँचते हैं कि पचायती शर्त के लिए चुन हुए जन प्रतिनिधियों नवाचारियों दोनों को ही मार्ग निर्देशन देने थोर उनके कामों की देख रेख के लिए एक राज्यस्तरीय सम्प्रयोग का होना आवश्यक है।

अब प्रश्न उठता है कि यह सम्प्रयोग वा स्वरूप और सगठन वैता हो? वस यह भी इन सम्प्रयोगों तथा इनके वर्मचारियों की अनियमितताओं पर न कारी तत्र वा अद्युता है। ऐसी अनियमितताओं की जांच होती है और अपराधियों को दण्ड दन की व्यवस्था है। पर मह सब सरकार की नौवरशाही का परिवार म है। नौवरशाहों को ही नियमित वा दृष्टि वा दम क्या न भरे वह नौकरों या वर्मचारियों वा पद ता लगी ही। किंतु अधिकार सम्प्रयोग होन पर जन प्रतिनिधियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता म भी बाधक हो सकती है। भले ही, प्रत्येक स्वरूप में यह उनके काम म बाधा न ढालता हो पर जन प्रतिनिधियों म प्रच्छन्न भय तो विद्यमान रहता हो है और इस प्रकार वे स्वयं का नौवरशाही स होने मानने लगते हैं।

इसलिए सत्या भी पूर्णत स्वायत्त ही चाहिए और काकी "यापक अधिकार इसके पास होने चाहिये। बास्तव म इसे हूँ म पचायती राज क्षमीशन वह सकते हैं। यह सम्प्रयोग लोक सेवा आयोग नियोग चन आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सतकता आयोग जीवी सर्वाधिकार सप्तान सत्या हानी चाहिये। यह सत्या इस बात का प्रयत्न बरेनी नि पचायती राज सत्याए घण्टन वैधानिक कल्याण और दायित्वों का भली प्रकार पालन करती है। इन सत्याओं पर नियरानी रखन के लिए यदि स्वायत्त सत्या का ही उत्तर-दायी बनाया जायगा तो उनके क्षेत्रतात्त्विक स्वरूप वो भी कोई विश्वति नहीं पहुँचेगा और न इसके उनकी स्वायत्तता में ही विस्तीर्ण प्रकार भली आयगी। विन्तु इस सम्प्रयोग कोई अवकाश ग्रात यापाधीय या सावजनिक क्षेत्र का ऐसा तपा हुआ व्यक्ति होना चाहिये जिसके न तिक व चारित्विक पक्ष पर किसी को अगुलो उठाने वी हिमत न हो। यह प्रकार यह आयोग पचायती राज सत्याग्रा वी श्रद्धा व सम्मान का मानन सी बन सकेगा।

यह आयोग यह भी ध्यान रखेगा कि राज्यों के बीच स जो धनराजि पचायती राज सत्याग्रों को धपने कायदम व योजनाएँ पूरी करन के लिए दी जाती है वह सभी पर्याप्त वा उपलब्ध हो जाती है। अच्छा सो यह होगा कि यह धनराजि इस आयोग वो ही सौप वी जाये और फिर आयोग विभिन्न वायकमों व योजनाओं की सत्यता, जन सदृश्योग वो भाना और उन कायकमों से होन वाल साम वो देख वर उप युत धनराजि पचायती राज सत्याग्रों वो बाट दे। लाभवारी योजनाओं के ऊपर होन वाल वच पर यह आयोग इन सत्याग्रों स स्पोत भी वसूल वर सवता है। इसी प्रकार जीवन योगा नियम वित्त नियम, रिजव वेक और इहियों तथा इसी प्रकार वो भाय सम्प्रयोग स मी पह आयोग दपया प्राप्त वर पचायती राज सत्याग्रा वा मार्ग विवास कामों म सायाय। इसके बेवल विवास की गति जे ही तीव्रता आयगी वल्स आपिक और वित्तीय मार्गों म भी पचायती राज सत्याग्रा सरकार या नौवरशाही वा मुँह व तादेशी और घण्टन घाए में स्वेच्छ रहेगी।

पर यह धायोग के बल इन स्थानों को घनराति उपस्थित बराकर ही भपन वर्तव्य की इतिहासी नहीं समझ सकेगा। उसका यह भी दायित्व होगा कि सत्याएँ प्राप्त घनराति का उचित ढग से तथा उचित मद में ही प्रयोग करती है या नहीं यह देखे। यदि इस बात को निगरानी नहीं रखी गयी तो पचास बार राज वरदान देने के स्थान पर अभिभाषण बन जायेगा।

धायोग की यह भी ध्यान रखना होगा कि जुसे इस स्थानों के सरकारी हस्तक्षण तथा आधिकारी से मुक्त रखना आवश्यक है उसी प्रकार इहे एक दूसरे पर आधिकारी द्वारा भी सतरनाक है। कहीं 'मत्स्य' पाय के प्रतुसार बड़ी स्थानों पर प्रतुचित रूप से हाथों होकर उहे समाप्त ही न कर दें। बल्कि होना यह चाहिए कि बड़ी स्थानों निवल स्तर की स्थानों को प्रावश्यक मार्ग दर्शन और सहायता देकर भागे बड़न और ऊचा उठन में योग दें। इसलिए पचास बार जैसे विस्तरीय ढांचे का स्वरूप ऐसा हो कि एक स्थान दूसरे का भाषार तो हो पर वह उसमें भास्मसारत न हो सके। इससे प्रत्येक स्थान का प्रधाना स्वतंत्र दायर बन जायेगा और इस प्रकार को निशायन वा भौका न मिल सकेगा कि समिति में एक पक्ष वा बहुमत हो जान पर दूसरे पक्ष की पचास बार विवाह के लिए साधन सुविधाएँ नहीं दी जाती।

जिस प्रकार संसदीय लोकतांत्र व्यवस्था के सबालन के लिए जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों व व्यापारियों वे बीच आपसी सौमनस्य और समाजीय आवश्यक है उसी प्रकार निचले स्तर की सोकतांत्रिक स्थानों के लिए भी यह अनिवार्य है। जन प्रतिनिधियों का बाप नीति निर्धारण करना होता है। उन नीतियों को असली जामा पहनाने का वाप प्रशासनिक तांत्र का है।

यदि प्रशासन वे ये दोनों पक्ष एवं सभता व सामन्जस्य से काय नहीं करते तो सरकार वीं नीतियाँ चाहे कितनी ही सुट्ट व सोच बिचार और नव-नीतियों पर आधारित हा। उनसे जन कल्याण नहीं हो सकता बारहु कि उनका किया बचत व अनुपालन उसी भावना के साथ नहीं किया जाता। इसलिए पचास बार जो शीर्ष स्थानों का यह भी दायित्व होना चाहिए कि वह नीति वा लोकतांत्रिक स्थानों में जन प्रतिनिधियों व प्रशासनिक व व्यापारियों में आपसों सम वय व सौमनस्य बनाये रखें। इसके लिए इन दोनों बांगों के दायित्व व अधिकारों के बाव स्थान सीमा रेखा खीचनी होगी। इस प्रकार वे नियम निर्धारित करन होगे जिससे दोनों वाव तिसों भी मुद्रे को लेकर आपसों खीच तान व मन मुटाव वी गुजाइय न रहे। इन नियमों का उल्लंघन पर चाहे वह राय कर्मचारी हो या जन प्रतिनिधि सबके लिए धायोग द्वारा कड़े दण्ड वा विपान होना चाहिए।

दण्ड विपान के साथ ही उनके हितों के सरकारण का भी इस शीर्ष स्थानों पर पूरा ध्यान रखना होगा। व्यापारियों में अनुशासन बनाये रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके हितों की पूरी सरह देनेमाली वी जाये। उहे जन प्रतिनिधि गण दनवायों वा शिकायत कर व्यर्थ व परेशान न बरें। ऐसा भी न हो कि निर्वाचित प्रतिनिधि समिति की बठक में तो उन नीतियों को अमली रूप देने वी जिकारिया बरें और वाद में अपने धरने दातों म उहें बार्यांत्रित बरने व म बाधा उत्पन्न बरे। व्यापारी जनों की निर्धारित नीतियों को नियांत्रित करने वा पूरो दूर होनी चाहिए और मार्ग म भाने वाली बाधासा से निष्टने के लिए पूरे अधिकार भी उनके वाप होन चाहिए। उहें वान वात ने लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का मुह न

ताकना पड़े । ताकि निर्धारित नीतियों व कायकमां की विधानिति में यदि वर्षी रहे तो कमचारियों से ही इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके । इससे एक और जन प्रतिनिधियों को नीति निशारण के लिए पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हुगये तो दूसरी ओर उनका क्रियावयन भी तत्त्वात्मा व क्षमता के साथ हो सकेगा ।

इस प्रकार पचासवीं राज का यह एसी शोध सम्बन्ध होगी जो उन्हें आवश्यक मात्र दर्शन व सहायता तो देयी हो आवश्यकता वे समय विचोय माध्यन भी उपलब्ध करेगी । जन प्रतिनिधियों व प्रगां
सनिह कमचारियों को भ्रष्टाचार बद्द रखेगी तथा उनको पुण स्वायत्तता की रक्षा भी करेगी । यद्यपि जो अपोल और निगरानी के अधिकार राज्य सरकारों वे पास है उनसे इन्हें बहुत हद तक अपेक्षा का भागादार बनाया होता है । राजनीति विरीषो पक्ष इही बातों को लेवर सरकार को कोमा करते हैं । इस स्वायत्त शोध सम्बन्ध के अधिकार ऐसे में इन अधिकारों के दें दिए जाने पर सरकार इस प्रकार की भालो चना से बच सकेगी ।



निष्क्रिय ग्राम पचायतों को क्रियाशील कैसे बनाया जा सकता है?

--श्री गोपीनाथ गुप्ता

पचायती राज की त्रिसूत्री योजना चालू हुए लगभग सात साल का अवधि हो गया है। या तो विसी भी राष्ट्र के जीवन में सात साल कोई विवाय लम्बी अवधि नहीं होती। लेकिन विकासो मुख देश के लिए सात साल का समय वर्ष अवधि भी नहीं मानो जा सकती। इसलिए घब समय आ गया है जबकि हम पचायती राज सम्पाद्यों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धिया के सदर्भ में यह विचार करना है कि पचायती राज का आधार-ग्राम पचायतें विस सीमा तक लोकतन का सदेण धर-धर पहुँचान में सफल हुई है और ग्रामण जीवन के पुनर्व्यवान में उनका योगदान विस सीमा तक असरकारी नतीजे लाने में सफल हुआ है? साथ ही हमें पचायत राज की दूसरी सम्पाद्यों-पचायत समितियां एवं जिला परिषदों के कार्य एवं उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धिया के सदर्भ में उहै भी अधिक सक्षम और सक्रिय बनाने के उपाय सोचते हैं।

अब यह बात किसी से सोची नहीं रही है कि प्रस्तावित पचायत राज योजनाये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पाद्यों रही है। उसके पास विकास योजनाओं के सचालन के लिए धूनराशि रही है इसलिए सुवर्का दृष्टि व्याप्र-विभिन्न होकर रह गई है। ग्राम पचायतों की यदा यदा कोई बठक हो जाये और पचायत समितियों से प्राप्त गतिविधियों पर कोई चर्चा हो जाये तो और बात है। गोव में स्वैच्छिक जन सहयोग या योगदान प्राप्त करने वाली गति की आधिक एवं सामाजिक सम्पाद्यों के समायान के बारे में उनमें प्रायः नहीं है बराबर चर्चा होती है। ग्राम समाजों की बढ़कों में भी ग्रोपचारिकता

कता ज्यान रहती है। उनमें बहुत कम उपरिक्षिति रहती है और वही होने वाली वर्चांगों को मुनाफ़ार ऐसा महसूस होता है मानो प्राम यामीणों को पचायती राज को इस महत्वपूर्ण दकाई से काई सराकार नहीं है, उनमें कामकाज से कोई दिलचस्पी नहीं है।

जब तक ग्राम सभाओं एवं पचायती को प्राणवान् एवं आत्म निभर नहीं बनाया जायगा तब तक दग के बहुमध्यक लोगों में लोकतंत्र वै प्रति निष्ठा पदा नहीं हो सकेगी। इसलिए इन सम्मानों में व्याप्त निष्ठिक्षयता दूर करन के लिए उपाय सोचना जरूरी है। इस दिना में सबग पहला कदम है पचायती की शाय बढ़ान के लिए नए साधन पदा बरना। शाय बढ़ान का मबसे आधारभूत साधन आज की परिस्थित्या में लगान है। यदि पचायती को अपने क्षेत्र की भूमि पर पूरा प्रधिकार हो जाये एवं उस भूमि से प्राप्त होने वाले लगान को प्राप्त करन एवं उमे खच करन का प्रधिकार मिल जाये तो न बेवल पचायत ग्राम-निभर बन सकता है बर्तिक ग्राम सभा एवं पचायत के मदम्य सभी को उनके कार्यों में दिलचस्पी बढ़ा सकती है। आय बढ़ान पर प्राथमिक धिक्षा चिकित्सा जये कूप निर्माण पुरान कुआ की मरम्मत, रास्ता का निर्माण ग्रामीण बन एवं उद्यान की स्थापना प्रादि आयित्व उस पर हाले जा सकत है। जहाँ उठा आयित्व पचायत पर पड़े विश्वासियों की उसके प्रति रुचि बढ़ी। जाहिर है कि बेवल लगान की शाय में उत्त सभी मदा पर हान वाले खर्च की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए पचायत एवं ग्रामसभा को ग्रामीण समाज की उदार भावनाओं को जागृत करने व्यवसाय एवं आयिक दान प्राप्त करन का प्रयाम करना होगा। इस बाय के निमित्त उहे हर महीन पढ़ाह दिन में गांव के सब लोगों को एकत्र बरना पड़ेगा और उनके सामन अपनी मार्यें एवं सुखाव पैदा करन होगे। ग्रामीण समाज की उस समय पचायत की क्रिया एवं सामिया पर चर्चा बरन का अतुरूप अवसर मिलेगा और पचायत के सम्बन्धों का अपना आवारण सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शाय बढ़ान के लिए पचायती को कृष्ण कृषि भूमि यावादों में भी परिवर्तित करना पड़ेगा। यह काय सब की सहमति से ही हो सकता है इसलिए गांव सभा को असिलिन में भी अधिक संधिकार हो जायेगा।

ग्राम सरपंच पचायत का अधिकार नहीं, पचायत समिति का एजेंट्सिप है। वह जलरुपद ग्रामोंका का दरस्वास्त्र सिफारिश करके पचायत समिति के कार्यालय तक पहुँचाता है और पचायत समिति से जा बुद्ध कर्जा या अनुदान मिल जाये, उस सबधित लोगा। तब पहुँचावार अपन मत्त ध्य की इति या मान लता है। सकिन ज्याही पचायत को अपने क्षेत्र की भूमियर प्राधिकार अधिकार मिला विं उसकी पचायत समिति आ एकान्सा समाप्त हो जायेगी। उसका अधिकारां समय गांव में बनाया और उस वहा के दुष्म सुख के साथ एकाकार होना पड़ेगा। सरपंच का महत्व बढ़ान को हृद्ध से यह तरीका भी अपनाया जा सकता है विं पचायत समिति की हर बढ़क के लिए ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति वहा जायें। इस व्यवस्था से हर तान महीने में शाम सभा को धम से बम एक बार मिलन का भोजा मिलेगा और अधिक मदाम एवं कुशल व्यक्ति को पचायत समिति में भजन का अवसर मिलता रहेगा।

पचायत को अपने क्षेत्र के मवाना, बाहना, व्यवसाया एवं उद्योगों पर बर लगान का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। ग्राम की सहकारी क्रप विनय समिति की शाय का एक धरा भी उस दिलाया जा सकता है। मता से भी कुछ शाय को जा सकती है सेवित जुगी प्रादि प्रूनियामी घायक योन पचायता से यापस से लिये जान चाहिये शोर्नि इनप वैदिमानी की ज्याना गुजारा रहती है। पचायत विवाह एवं धाय सामाजिक उत्सवों पर कुछ दान प्राप्त बरन की भी अधिकारिणी बनाई जा सकती है।

लेकिन उस दान का स्वरूप अनिवाय साग-बाग नहीं होना चाहिए। गाव मे कोई व्यक्ति बिना वारिस के मर जाए अथवा कोई यत्ति विरासत म अपनी सम्पत्ति पचायत को देना चाहे तो यह अधिकार भी उस दिया जाना चाहिये।

“स तथ्य स इकार नहीं किया जा सकता कि बानन के द्वारा पचायतों को जो कर लगान के अधिकार दिये गये हैं वे कर भी अधिकार पचायता न नहीं उगाय है लकिन आज भी शत्रुतरदायित्वार्थ स्थिति म यह बात अवश्यभावी है। यदि पचायतों को कुछ ऐसे कार्य सौंप दिय जावें लकिन पूरा करन के लिए रूपया लुटाना उनके लिए अनिवाय हो जाये तो वे कर लगान म अभी विलम्ब नहीं करेंगे। आज तो वे जानते हैं कि अनिवाय कार्यों के लिए पचायत समिति स प्रमा मिल ही जायेगा। तब फिर वे कर लगा कर अपनी लोकप्रियता क्यों खोवें? आज गाव मे जो काय हात है उसका पूरा अ य पचायत को नहीं मिलता। यदि पचायत अपन काम का पूरा अ य अपनाना प्रारंभ कर द तो पचायत स्वत हो अपनी आमदनी बढ़ा कर खेचे करने लग जायगा।

पचायत समितियों का नियन्त्रण

आज पचायत समिति को यह कानूनी अधिकार प्राप्त ह कि वे ग्राम पचायतों को ऐसे कार्य सम्पन्न करान के लिए आदान द सकती हैं जिहे पूरा करन का दायित्व कानून द्वारा उहें सौंपा गया है लेकिन वे पाय किस सीमा तक पूरे होते हैं यह किसी स छिपा हुआ नहीं है। परायत समितियों को ग्राम पचायता द्वारा लिय गये निण्यों की शापिलें मुनने वा भी अधिकार है लकिन उनका नतोना केवल मात्र पचायतों की शक्ति कम होन के लिए म ही हमारे सामन आया है। यदि पचायतों को वास्तव म कियाजील बनाना है तो इसके लिए पचायत समितियों दो सौंपे गये उक्त अधिकार सौमित करन पड़ेंगे। उहे स्वय सोचन की प्रणादनी होगी और प्रणादन का काय-अथवा मार्ग दशन का जिम्मा पचायत समितियों पर ढाला जा सकता है। आज तो पचायत समितियों म अफमरयाही का बोलबाना है और सरपञ्च अपना काम करान के लिए सदब अफमरी की ओर देखता रहता है। उसके लिए अक्षर लोग प्रधान से भी ज्यादा हर्सियत रखते हैं क्योंकि पचायत समिति के निण्यों को दियाजित करन की सारी शक्ति उनमे सन्तुष्टि होती है। वे चाहे तो एक न एक घडगा ढाल कर पचायत समिति के किसी भी निण्य को बेकार कर सकते हैं। इसलिए सरपञ्च उन लोगों की हा म हा मिलाने म अपना लाभ देखता है। इस बानावरण मे न तो वह कियाजील हो सकता है और न उसकी पचायत एव ग्राम सभा म जान आ सकती है। इसका एक मात्र रास्ता पचायत समिति को सौंपे गये अधिकारों की सौमित करना है।

पचायत समितियों को अधिक कार्यकाम एव कुनाल बनाये जान की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रमार अधिकारियों की सम्मा व कर्तव्या एव दायित्वा पर और करना होगा। आज ये अधिकारी पचायत समिति के प्रगासनिक नियाजन म भले ही हो लकिन वे अभी भी अपन सम्बद्धित विभागों से सम्बद्ध हैं। वे दोहरी व्यवस्था व कर्तव्यत काय करन हैं। इसलिए उनकी स्वामिभानि दिभाजित रहती है। वे अपन कार्य मे लापरवाही धरतें तो उसकी रोकथाम वो कोई व्यवस्था नहीं है। येवल मात्र नयाज्ञा करवा देन स उनमे कर्तव्य नियाजा पदा नहीं की जा सकता। इसलिए पचायत समितियों को प्रमार अधिकारियों पर पूर्ण नियाजन रखन के व्यापक अधिकार निय जाने चाहिए।

इसका एक परिणाम संरपत्ती में धर्मिक ग्राम विवास के रूप में हमारे सामन आया जिससे उस धर्मी पवायत को धर्मिक कियाशील बनाने की प्रेरणा मिली।

पचायत समितियों में कायविति के जो नियम बनाये गये हैं उन्हे सरल रूपे जाने का भी जहरत है। इन नियमों के कारण पचायत समितियों का बठका में लिये गये निराय दरी से निर्वाचित हो पात है। निराय देरी से अमल में आगे का परिणाम यह निवालता है जि अपन संरपत्ति की कायकुशलता एवं सामर्थ्य के प्रति ग्रामवासियों का विवास एक सीमा तक डिग जाता है जिसका असर उसकी किया शीलता पर पड़ता है। गाव वाले भी यह समझ लत है जि लाइनारिक विवाह करण एक फूलसत्ता है। आगे भी वास्तविक ताकत सख्तारी कमचारियों के हाथ में है तब फिर बेकार भगजमारी करते में वया नाम है? कलत वह पचायत एवं ग्राम सभा दोनों के प्रति उदासीन हा जाता है और उनके शर्याएं में सक्रिय दिलचस्पी नहीं लेता।

जिला परिषद

मोजूदा बाजून में जिला परिषदों वे जिसमें पचायत समितियों के बाय में समर्वय बठाने एवं उनकी देवरेत बरने का बाय सौंपा गया है। उनकी बठका में विवास बायों के बारे में चर्चा हो सकती है जिमिन विवास कायकमा के लक्ष्य निर्धारित किये जा सकत हैं लेकिन उन लक्ष्यों का पूरा करान का कोई तरीका उनके पास नहीं है। इसलिए धर्मिकाग जिला में जिला परिषदें निर्धिय सम्भायें हैं। बठकों के प्रसादा बाका के दिना में उनके कार्यालयों में दो भार बाबू बठे बठे गपाय किया करते हैं। इसलिए जिला परिषदों वो धर्मिक सदस्य डबाई बनाये जाने की जहरत है। यह तमों समव है जब बलवट्टर को जिला प्रमुख वा सेकेटरी बना दिया जाय। विवास कायकमा में मम वय बठान का दायित्व तभी त्रिना परिषदें सही माने में धजाय द सकती हैं। याज त्रिना प्रमुख के मोष नियकण में ऐसे धर्मिकारों नहीं हैं जो उसे अपन बो सौष गये बत्त या बो पूरा करत में मदद दें। वे त्रिना परिषद् की बठक में भड़े ही माम के लैं लेकिन वे उसके निद श के अनुसार बाय करने के लिए बाय नहीं हैं। यह तो अपने सचिन्त विभागाध्यशाका नियकण मानते हैं या एक प्रमुख सीमा तक बलवट्टर वा। जब तक वे निर्वाचित त्रिना परिषद के प्रति अपन बहुप्रालन दे लिए बाजून बाय नहीं किये जाते तब तक विवास कायकमों में ममर्वय बैठान का चो बाय त्रिना परिषदे के सुपुर्ण दिया गया है उसे वे किम प्रश्नार पूरा कर सकती है?

पंचायती राज स्थानों पर राजकीय नियन्त्रण

— प्रो० मदनगोपाल शर्मा

०

(१) सत्ता का विकेन्द्रोकरण उद्देश्य और नीति

पंचायती राज मस्यामा के निर्माण के पोछे मूल उद्देश्य सत्ता का विकेन्द्रोकरण है। सत्ता के विकेन्द्रोकरण से ही सच्चे अधियों में जन शासन प्रथवा लोकशाही सभव है और अन्ततः उसी से एक बृहत् जनसम्मान और विविध संस्कृतियों वाले दण का नित नयी बढ़ती ज्वलत समस्यामा के समाधान की आशा की जा सकती है। एक बौद्ध भ चाहे कितनी ही अध्याह जल-राणि सर्वित हो जब तक नहरों और उप नहरों द्वारा खेत खेत भ जल धारा नहीं पहुँचाई जाती वह बौद्ध वैवेत एक अनुपयोगी दिलावा मात्र है। विसी पावर हाड़स म चाहे कितनी ही शक्ति वा जेनरेटर या प्राणु रिएक्टर लगा हो जब तक घर घर मे विजली नहीं पहुँचा दी जाती नगर का अपनार दूर होन वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार समर्थ से समर्थ के द्वाय सत्ता भी एक प्रवरद्ध वाष प्रथवा अनुपयोगी विजली घर की तरह बेकार है जब तक उससे विकेन्द्रोकरण की प्रगती द्वारा जल प्रथवा विद्युत शक्ति वो खेत खेत और घर घर म नियोजित कर कर्म-लोक को सिचित और नानलोक को आलोकित नहीं कर दिया जाता।

ऐसा नहीं है कि सत्ता के विकेन्द्रोकरण की यह मूल प्रेरणा हमारे नतायों और नीति निर्माताओं को हृष्टि से घोफल रही है। योजना यायोग की समिति द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने जन तात्पत्र विकेन्द्रोकरण की दिशा म जो सुझाव प्रस्तुत किये थे और जो राष्ट्रीय विकास परिषद (नेगालस डेव्हेपमेंट बौरिल) द्वारा सन् १९५८ म स्वीकार कर लिए गये थे, उनम स्पष्ट निर्देश है कि—

(१) देश में जनताव की रचना का मूल ग्राम्य-जनताप्र होता चाहिए। ग्राम ग्राम्यारित जनताव की सकनता मुख्यत तोन स्थायाप्रा—ग्राम पचायत, ग्राम सहकारी समिति तथा ग्राम पाठ्याला पर निर्भर है।

(२) राज्य सरकारे भवय कानून बनावर स्थानाय योजनाप्रा के निमाण और उन्हे भवल म लान का उत्तराधित्व, स्थानिक पचायती राज स्थायाप्रो का हस्तातरित करें।

(३) राज्यों वा पचायों योजनाएं, और वार्षिक योजनाएं, भी जिला तथा सण स्तरा म विभक्त का जाएंगी। इसी शुल्का म प्रत्येक ग्राम की अपनी स्वतन्त्र विकास योजना होगी तो स्थानीय ग्राम्यकात्ता प्राप्त भाग्यना पर ग्राम्यारित होगी।

इसी प्रकार सन् १९५६ म स्वायत्त शासन वो केंद्रीय परिषद् ने हैदरावाद की अपनी पाँचवीं बठक म राज्या द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् की नीतियों के क्रियावयन का लक्षा जाला लेने द्ये इस बात पर जार दिया कि सबम भवत्पूर्ण बात है लोगों को सत्ता वा वास्तविक हस्तातरण। यदि इस हम सही ढंग से बर सत है तो विभिन्न राज्यों म पचायती राज स्थायाप्रा के स्वरूप और प्रणाली म परिस्थिति गत विभिन्नता काई विशेष भर्य नहीं रखती। समिति न इस उददेश्य के लिए जो माटी मोटी सिफारियों राज्य सरकारा को वो उनम स्वायत्त शासन वी चेत रचना प्रणाली (ये दायर स्ट्रक्चर) के आतरिक ग्राम्य सिफारिया म जार द्वार स्पष्ट कहा गया है कि—

(१) स्वायत्त स्थायाप्रा की ग्राम्यारित और दायित्व का वास्तविक हस्तातरण होता चाहिए।

(२) इन नव निमित्त स्वायत्त शासी स्थायाप्रो के लिए प्राप्त साधन छुटाए जाने चाहिए जिससे व प्रदन उत्तराधित्वा का ठीक से निर्वाह बर सकें।

(३) सभल विकास योजनाएं इन्हों के मुख्य वी जानी चाहिए तथा

(४) सत्ता के हस्तातरण को जो पढ़ति अपनाई जाय वह ऐसी होता चाहिए कि जिससे भवित्व में भी सत्ता के ग्राम्यवाचिक विकेंद्रीकरण को गु जाइ रहे।

जिला स्तर तक वी प्राप्तिनिक समस्याओं पर वी गई भी वो ० टो० कृष्णमाचारी की रिपोर्ट म भा स्पष्ट है से बहा गया है कि “राज्य और जिला स्तरीय प्राप्तासन वी नई ध्यवन्या म पचायती राज स्थायाप्रा के गठन और कार्य वी एक मुख्य वडी समझा जाना चाहिए क्याहि सविधान म निर्धारित ग्राम्यक शासनिक नीतियों वे उद्देश्या वी सिद्ध उहो पर निभर है।

इन समस्त नीति निर्देशक योजनाप्रो के ग्राम्यहृत उद्दरणों से यह स्पष्ट है कि सत्ता के वास्तविक न कि नाममात्र वे दिवावे के हस्तातरण की ग्राम्यवत्ता न ऐवल राजनीतिक नताध्यों के विनन्न भापण तक सीधित रही है वरन् पदासोन और ग्राम्यारित भवल प्राप्तासनिक ग्राम्यवाचिक तथा स्थायाप्रा द्वारा भी उनका समावेश माय इस्तावजा में हो चुका है। प्रत कायदे स सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण वी जिला म बोई बापा नहीं रह जाना चाहिए भी। किन्तु याइ द्य दसें वि या सत्ता

का वास्तविक विषेद्वीदरण और लोकतंत्रीकरण हृषा भी है ? सत्ता के मुख्य क्षत्र दोही हैं (१) वित्तीय तथा (२) प्रशासनिक । बतमान पचायती राज सत्याग्रा का देशाध्यापी अध्ययन हमें इस निपाप के लिए विवश करता है कि इन दोनों ही क्षत्रों में पाज पचायती राज सत्याग्रा पर राजकीय नियन्त्रण सुट्ट है । उसका पकड़ ढीली नहीं हुई है । जो स्वराज्य का गगा शब्द का जटाप्री से निकल बर बहा है उस मार्ग में हाँ राजकीय नियन्त्रण के नामपास न अवरुद्ध बर लिया है ।

(२) राजकीय नियन्त्रण वित्तीय क्षत्र

वित्तीय मामला की मूल कुंजी है बजट बनान और स्वीकृत करने का अधिकार । यही वह चाही है जिससे अधिकारी का तिलम्मो खजाना खुलता है । पचायती राज सत्याग्रा ने आधिक साधन जुगान के प्रन्त में हम विस्तारमय स नहीं जाए गे । वह एक दृथक् प्रन्त है जिसका सम्बन्ध साधन से अधिक है सत्ता में कम । जसे भी साधन हाँ प्रीर जिस किसी भी क्षत्र से जुटाए जाए अतिम प्रमुख प्रदेन बना ही रहेगा कि उन साधनों को यह बरन का अधिकार बिसे है ?

इस दृष्टि से हम देखते हैं कि इस त्रोत रखना प्रणाली पर आधारित दण्डाधीपी पचायती राज सत्याग्रा के लिए इस तत्त्विक सी बात पर चार पृष्ठ मापदण्ड निर्मित हैं जिहे हम विभास के व्रमण सोनानों के रूप में इस प्रकार रख सकते हैं—

(१) पहला वर्ग उन राज्यों का है जहाँ ग्राम पचायत का बजट भी राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है— इसमें जम्मू कश्मीर मसूर पश्चिम बगाल दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के राज्य हैं । मसूर में तालुका बाड़ का छीक एवजाक्यूटिव अफसर दिल्लों में हिन्दी डाइरेक्टर लाक पचायत समिति हिमाचल प्रदेश में हिन्द्रिकट पचायत अफसर तथा जम्मू कश्मीर और पश्चिम बगाल में राज्य द्वारा सभय-समय पर नियुक्त अधिकारी यह कार्य करता है ।

(२) दूसरा वर्ग उन राज्यों का है जहाँ ग्राम पचायत का बजट राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि ग्राम पचायत स बडो किसी पचायती राज सत्याग्रा की इकाई द्वारा स्वीकृत किया जाता है । इस वर्ग के भागत उत्तर प्रदेश ग्राम प्रदेश असम बिहार, महाराष्ट्र उडीसा तथा राजस्थान राज्य हैं जिनमें ग्राम पचायत के बजट को स्वीकार करन का अधिकार क्रमशः क्षत्र समिति पचायत समिति, ग्रामलिङ्क पचायत तथा पचायत समिति की है । सक्षम में इन सभी राज्यों में ग्राम पचायत का बजट उपर की बडी स्वायत्त शासन इकाई करती है ।

(३) तीसरा वर्ग उन राज्यों का है जहाँ ग्राम पचायतें स्वयं अपना बजट स्वीकार करता है । इसके अन्तर्गत केरल मध्य प्रदेश मद्रास और गोवा दमन और दीव के राज्य हैं ।

(४) चौथे वर्ग का प्रतिनिधि अकेला पजाब राज्य है जहाँ ग्राम पचायत का बजट ग्राम सभा स्वीकार करती है । यह ग्राम सभा ग्राम पचायत को चुनन वाले क्षत्र के समस्त भतदाताप्रा की वध और माल देता है । यही ग्रामा गियति है । इसके प्रत्येक करदाता स्वयं तथा करता है कि वह अपने द्वारा दिये गये पसे का उपयोग करे । वह अपने पसे को सब करने में लिए पात्र बुपात्र के चक्र

म पहार भुलाव और पध्नतवे को सियनि म नहीं पड़ता। वह स्वयं अपने उपभोग का चुनाव करता है। दूसरे बद्धा म वह अपनी पूजी सबने या लगाने व निए राजनीतिक भुलीम गुमाशन को नहीं चुनता बल्कि खुले अपनी इच्छा स अपनी पूजी सबता है। वह ऊपर से आरोपित उपभोग के लिए बाह्य नहीं है बल्कि स्वयं एक्टिव उपभोग वा स्वतंत्र धर्मिकारी है। इसनिए पर्ये को वसूली और सब म समिक्षा प्रसंगोर, देवेमानो, उपक्षा अपवा मजवूरी जस समस्त दुगु यो का इस एक हो व्यवस्था स बाफो है तक सफाया हो जाता है। बया हम आदा बरे विं आद राज्य भो इस विषय म यही पढ़ति यथार्थी अपनाए गे ?

इसी प्रवार पवायत समिनिया स्वयं अपना बजट स्वीकार करते हो एम राज्य सिफ महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। गुजरात उनर प्रदेश तथा ग्रमस भो भा इमये मिलतो-जु नां स्थिति है जहा पवायत समिति को समझनीय स स्थाए कमय तालुका पवायत, थाव समिति तथा मोहवा परिपद अपना बजट स्वयं स्वीकार बरतो हैं। एवायत समिति से बडा स्वायत्त इकाई जिला परिपद जहा पवायत समिति का बजट स्वीकार करती है ऐसे राज्यों म आध्र विहार मध्य प्रदेश उडीसा राजस्थान और पश्चिम बगान है। मद्रास और मसूर भी इसी बग मे हैं जहा इकाई उसी स्तर का है बिन्दु नाम मे घनतर है। मद्रास म एवायत भूविषय कौसिल और मसूर म डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेण्ट कौसिल बहुआनो है। हिमाचल प्रदेश म डिस्ट्रिक्ट पवायत ग्राम्पर को हो पवायत समिति का बजट स्वीकार करन का भी आरक्षार है। इस प्रवार पवायत समिति की वित्त व्यवस्था म भी सहा के त्रिविषय मानदण्ड है। यह स्थिति उचित नहीं है। प्रथम बग के राज्यों के भावनातर ही भाव राज्य म भा व्यवस्था हो जानी चाहिए नहीं पवायत समिति अपवा भिन्न नाम बाती समस्तरीय स्वायत्त स स्था स्वयं अपन बजट स्वीकार करन की धर्मिकारा हो।

इस त्रैत रचना को सबसे ऊंची सीढ़ी जिला परिपद स्वयं अपना बजट स्वीकार करन म समय मेवन गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उडीसा, पवाव राजस्थान उत्तर प्रदेश राज्य म है। दूसरा बग उन राज्यों का है जहा जिला परिपदो का बजट राज्य सरकारे स्वीकार करतो हैं। इस बग म आध्र प्रदेश विहार तथा पश्चिम बगान है। तृतीय बग मेरे राज्यों का है जही जिला परिपदा का अपना होई बजट हो नहीं है। इस बग म भसम, मद्रास, मसूर तथा हिमाचल प्रदेश की गिनता है। स्पष्ट है विं एक्स्प्रेस के लिए प्रथम बग के समक्ष खाने हुए सभी राज्यों म जिला परिपदो को अपना स्वतंत्र बजट बनान तथा उसे स्वीकार करने का धर्मिकार दिये जान की भावश्यकता बना हुई है।

(३) राजकीय नियन्त्रण प्रशासनिक थेट्र

न वेवन वित्तीय थेट्र में, प्रशासनिक दात में भी पवायतो राज सम्पादा पर राजकीय नियन्त्रण आवश्यकता मे वही धर्मिक है। प्रशासनिक भावला म वर्भवारिया का नियुक्ति पश्चुति व्यापक अध्यार्थ (प्रावर धाव मुरर बोजन) निलाया की बदयने का धर्मिकार पवायतो राज सत्यापा की भग करने का प्रावधान इत्यादि प्राव प्रमुख हो मे हमारे सभा धाने हैं। इहें हम एक-एक करने और विचार करे।

(४) वर्भवारियो की नियुक्ति पश्चुति अनुवासन एव दण्ड सम्बन्धी मापलों म धर्म धनग गर्यो म पनग प्रवार औ व्यवस्था है। उदाहरणे मे निए राजस्थान मे जिला परिपदों तथा एवा यत समिनिया के वर्भवारियो हे पदों के किए भर्ती। इस कार्य के लिए गठिन एक राजस्थानीय चुनाव

वर्मीशन द्वारा होती है जिसमें दो सदस्य राज्य द्वारा मनोनीत होते हैं तथा तीसरा सम्बिधित जिसे का प्रमुख । यह वर्मीशन योग्यता के आधार पर वेवल उम्मीदवारों में से चुनाव वर्त वेवल पात्रता सूचि (मिटिं लिस्ट) बनाता है । वास्तविक नियुक्ति का कार्य तो एक पृथक सगठन जिला इस्टलिशमेंट कमेटी के विष्ये है जिसमें जिले का कलेक्टर जिना प्रमुख तथा एक पचायत सर्विस चुनाव वर्मीशन का सदस्य—ये कुल तीन सदस्य होते हैं । इस प्रकार पचायत राज सम्पाद्या के कमचारिया के चुनाव के लिए पृथक तीन सदस्यों द्वारा ही और उनबो नियुक्ति का कार्य दो पृथक सगठन करें जिससे यथ ही समय भीर साधन का अपार्यय और कार्य में वित्त और गियिलता हो । वास्तविक उदादेश्य तब समझ म आ जाता है जब हम इन दानों सगठनों के रचना स्वरूप पर विचार करते हैं । चुनाव कर्मीशन म तो सदस्य चुनाव वर्मीशन के तथा एक जिना प्रमुख—इस प्रकार एक निर्वाचित जन-प्रतिनिधि तथा दो राज्य वर्मचारी होते हुए भी अपेक्षाकृत स्वतंत्र गति वाले सम्प्रदाय हूये जिसमें राजकीय नियंत्रण के निये बनारे की घट्टी के आतार हो सकत थे । यह वास्तविक नियुक्ति के विष्यु म राज्य के सावधिक भविकार सम्प्रदाय वर्मचारी-कलेक्टर को प्रदिव्य कर प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण के लिए अवसर प्रमुख कर दिया गया है । यह जन-प्रतिनिधि तथा विधित अपेक्षाकृत नियन्त्रण और स्वतंत्र राज्य वर्मचारी में या तो अविश्वास या धोतक है या इसमें अपनी मनमानी बनने की इच्छा का सूक्ष्म । आयथा बौनसा कार्यकुण्ठता या याय सगतता का आधार इसके पीछे ढड़ा जा सकता है ? वर्मचारियों में स प्रसन्नो पसाद के पात्र को उन के स्थान पर नियुक्ति के लिए बलेक्टर की वृपाराशा पर विभर रहना होगा । यह लाग्नाक्ति म अविवास का ही सूचक है । मुजरात म कुछ परों के लिए राज्य पचायत सर्विस सलेक्शन बाड़ तथा कुछ छोड़ स्तर के पदों के लिए जिला पचायत सर्विस सलेक्शन कमेटी कमचारियों का चयन और नियुक्ति करती है । महाराष्ट्र म तकनीकी उपाया के लिए चयन भीर नियुक्ति डिवाइनल चुनाव बोड द्वारा की जाती है तथा गर तकनीकी वर्मचारिया का चुनाव और भर्ती जिना चुनाव बाड़ द्वारा । आव्र प्रगत तथा माय दूसरे कई राज्यों म चुनाव जिलास्तरीय कमेटी या बोड द्वारा किया जाता है ।

इस सारे विश्लेषण के बाद हमारा सुझाव यह है कि चयन तथा नियुक्ति के लिए पृथक सगठन न होकर एक ही ही जा राज्यस्तरीय हो । इसमें जिला प्रमुख चुनाव वर्मीशन के सदस्य हों तथा सम्बिधित विधया के विभागों को भी आपनित विधा जाप जिससे तकनीकी सलाह भी मिल सक तथा विधय के विनापन का अनुभव भी प्राप्त हो सके ।

(२) कमचारियों के अनुवासन और नियंत्रण की दृष्टि से, आप्रवेश को छोड़ द्याय राज्य म पचायत समिति के एकत्रीकृतिव भफमर के बारों की शोपनीय रिपोर्ट किसी सरकारी भविकारी-घधिकारीत कलेक्टर और बही-कृदी-डिप्टी कमिशनर और यहा तक कि जिला वृषि भविकारों द्वारा तपार की जाता है । बेवर आध प्रदेश म ही यह अधिकार पचायत समिति के अध्यक्ष या प्रधान को ह । मद्रास मेसुर उडीसा राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश म कलेक्टर यह रिपोर्ट तपार करते समय पचायत समिति के प्रधान की राय को भी मध्य-नजर रखता है । इस प्रवार मुख्य रूप से पचायत समिति के अधिकारी को दण्ड देने वा अधिकार राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारों म निहित है । सिफे प्रजाव ही ऐसा राज्य है जहाँ पचायत समिति को अपने अधिकारी की निदा बन भीर वेतन बढ़ि रोकने का अधिकार दिया गया है । इस प्रवार यहाँ की त्रिविधि प्रवलन है राजकीय निर्वाचित जन-प्रतिनिधि य तथा सम्मिलित । इन तीरों प्रणालियों के बार्य के परिणाम को देखने हुए इस विषय में कोई ऐसा हल खोजा जाना चाहिये जिसमें

सभी के हित रक्षित हा। कोई एक दूसरे के दबाव में प्राप्त के लिए विवश न हा। न लोकपालों का प्रति निवि कमचारी स बड़ स्थान युलाम को उत्तर वर्तव कर सके और न ही नौरस्तारी के विस्तार वी एक गद्दा पन्न तिरथों पहल जन प्रतिनिधि को शह या सात दे सके। एक और नया सत्ताभूमि है दूधरी और पुराणा सत्तामोह। एक नया चढ़ाता नया है, दूनरी भीर लुमार जो उत्तरना तही चाहता। यह इन दोनों द्वी टक्कर का दबाव के लिए बहुत कुट्टलना और मूँझ-बूँझ वा व्यवस्था को भाव रखता है।

जिला परिषद् के मुख्य अधिकारीयों अधिकारी की गापनीय रिपोर्ट तथार बहल का अधिकार दबल भाग्य प्रदेश में जिला परिषद् के व्यवस्था का है। भाग्य यह अधिकार राज्य सरकारे व्यवस्था उठाके द्वारा नियुक्त दोषकारी म निहित है। डडासा और राजस्वान म भिन्ना-जुना व्यवस्था है। जह राजकीय अधिकारी जिला परिषद् के प्रमुख व्यवस्था व्यवस्था की राय द्वी गोपनाय ट्रिलोट तथार करत समय निहाय म रखगा ऐसी व्यवस्था है। हमारा सुझाव इन विषय म यहां है कि पचायत राज्य सत्यापा के दोनों सामाजिक—प्राय, समिति तथा जिलाभूतर है लिए एक-सी व्यवहारी और सब हित साधक और समाधान कारक व्यवस्था होती चाहिये। मुझर अधिकार जन प्रतिनिधिया म निहित रहे जिन्हु कमचारी को भी उसका सही दुखां सुनाने के लिए कोई नियन्त्रण अधिकार मुनाफे रहता चाहिये।

(३) जिला परिषदों के गठन और उनके काय दबल तथा अधिकारार क सम्बन्ध म भा विनिय राज्या म परम्पर विरोधी और भ्रासगन रखना दोनों पहती है। जिला स्तर को यह पचायती दाव द्वारा द्वारा आप्र विहार महाराष्ट्र उडोधा पचाव राजस्वान उल्लंघन प्रदेश, और परिषद व्यवस्था म जिला परिषद् के नाम से जाती जाता है तो युजरात म दिन्दुकुर पचायत मध्य प्रदेश म जिला पचायत और भ्रासुर व मद्रास मे हिस्ट्रीकट दबलपरमेट दैसिल के नाम से। नाम म घन्तर कोई बड़ी बात नही है। जिन्हु कार्य दोनों और रचना-स्वव्य म भी बड़ा भि नही है। मभा राजस्वानराय इकाइया म पचायत समिति के स्तर की सत्यापा क प्रतिनिधि उन जातियों है लिए उत्तरना सद्या और तुन जान का दाव राज्यों म पृथक पृथक है। जिया तपा परिणामित जातियों और उन जातियों के प्रतिनिधिया के विषय प्रतिनिधित्व को व्यवस्था म भी एकत्रित का अभाव है। मद्रास म लियो के विषय प्रतिनिधित्व तथा परिषद व्यवस्था म भी एकत्रित का अभाव है। यह मद्रास का दोहरा भानदण्ड छही तक समोचन है। देवा मद्रास म भिन्नी इतनी गिर्य है कि उन्हे जिलाप्रति क्रतिनिवित्व की व्यवस्थकता ही नही है तपा क्या क्या मद्रास, परिषद व्यवस्था और डडासा इन सभा राज्या म परिणामित जातियों को सद्या का अभाव है परवा के परिणामित जातियों स उठार स्वित्रता के प्रभाव से सुखा सम्प्रभु वर्ग म परिणामित जातियों ही गया है।

(४) जिला परिषदों के गठन के अतिरिक्त उनक दाव और अधिकार दोनों म भी विवरित है। भ्रासुर तपा मद्रास मे जिला परिषदे दबल पचायत समितियों के दाव दो देवस्वाम उनक और उनके और दाव सरकार के दोनों दो का दाव देन वाली साथाए है जबकि दावाप्रदेश मे इन दाव के भ्रति रिक्त जिला परिषदे पर निवित्व प्रयासनिव उत्तराधित्व भी है वस साध्यमित्व गिरा का प्रबार प्रमार और व्यवस्था, भ्रासुरित्व तपा व्यावस्थाकिय मूल्य का दबाव द्वारा है। यहो भी, पर उसित्व विकाय दावा मे के ही पचायत हमिति का भी दाव है। महाराष्ट्र मे जिला परिषदे, पचायती द्वाव व्यवस्थाये, भी

सबसे शक्तिशाली और सुदृढ़ छोटी है और वे योजना बनाने विकास वायों को पूरा करने तथा राज्य सरकार को प्राप्तमात्रा इन का कार्य भा करती है। गुजरात उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी वे प्रशासनिक काय सम्पन्न सम्भाए हैं जबकि ग्राम, मद्रास मसूर और हिमाचल प्रदेश में उनके लिए पृथक बजट प्रावधान तक नहीं हैं। मद्रास और मसूर में तो प्रशासकीय कमचारा की भा सवाएं उन्हें मुनम नहीं हैं जबकि दूसरी ओर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी-ग्रामीण एवं उनके काय को देख भाव प्रता है। आय राज्यों में सब दिवोजनल प्रफर के स्तर का कमचारी नियुक्त विया गया है।

इस सम्बन्ध में विचारणीय यही है कि यहा इस विषयमता को किसी सीमा तक घटाया नहीं जा सकता और यांद महाराष्ट्र और गुजरात में जिला परिषदा को व्यापक अधिकार और दायित्व नियमन का मनुभव प्रतिकूल नहीं है तो आय राज्यों में इस व्यवस्था को अपनाना क्या उचित नहीं होगा?

(५) वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमन नियंत्रण की भाँति ही निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा असंब्र भग अथवा अपक्रम की स्थिति में उनकी पदच्युति इत्यादि का प्रश्न भी उठता है। इस विषय में भी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न व्यवस्थाएं हैं। प्रथम सोपान अर्थात् ग्राम पचायत के स्तर पर पर्वों की पदच्युति का अधिकार ग्राम विहार केरल, यथा प्रदेश उडीसा और हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार में निहित है जबकि धार्म प्रदेश में कमिशनर मसूर में डिप्टी कमिशनर पञ्चाब में डाइरेक्टर लोकलबाडीज उत्तर प्रदेश में सब दिवोजनल मजिस्ट्रेट तथा गोप्रा अमन दीव में लेपिनट गवर्नर वो यह अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार तीन लोगों से भी अधिक राज्यों में पच तक को हटाना का अधिकार राज्य सरकार ने अपन हाथा में सुरक्षित रख गलत कार्य करन वाले पन्हों को अपील आदि के लिए सम्भवा समय और प्रक्रिया देकर मनमानों को छूट दे रखी है और उन पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भी इससे पराल रूप से बाधा पहुँचाती है। यिस दो ही राज्य ऐसे हैं जहा कि ग्राम पचायत के पच को पदच्युति वा अधिकार राज्य सरकार को न होकर पचायती राज सम्पाद्यों को प्राप्त है—एक तो महाराष्ट्र जहा जिला परिषदें पचा की पदच्युति कर सकती हैं दूसरा मद्रास जहा स्वयं पचायत अपन किसी सदस्य पच को पदच्युत बरने में समय है। मद्रास को इस कानिकारी परम्परा को हम तो एक छोड़ और भागे बढ़ाने हुए बहुत चाहिए कि पच की पदच्युति का अधिकार ग्राम सभा में नहित होना चाहिए। बस्तुत जो वरण करता है उसी को परित्याग का भी अधिकार मिले यही तर्क सम्मत और व्यायोचित हास्टिकोण हो सकता है।

पचायत सार्वति के सदस्य पर्वों की पदच्युति का अधिकार वेवल मद्रास में उससे ऊपर की जिला स्तरीय इकाई पचायत बोसिल को निया गया है। आय उत्तर राज्य सरकारें अथवा उनके द्वारा नियुक्त कमिशनर ही पदच्युति का आनेश दे सकता है और जिला परिषद के स्तर की अनिम तृतीय सोपान की स्वायत्त पासन इकाई के सदस्य को पदच्युति का अधिकार सवन वेवल राज्य सरकारों को ही है।

इस सारे प्रश्न में एक ही सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए कि जो चुने वही छोड़े, जो बरण करे वहा परित्याग बरे। इस हास्टिकोण में ग्राम पचायत के सदस्य पच की पदच्युति का अधिकार ग्राम सभा

को हीना चाहिए तथा धाम पचायता द्वारा पचायत समिति में भजे गये अपन सदस्यों को प्रस्ताव पारित कर वापिस बुलाने का या पदचुनून करने का अधिकार हीना चाहिए और इस प्रकार पचायत समिति द्वारा जिला परिषद में भजे गये अपन प्रति निधियों के नियशण परावतन या पदचुनून आदि का अधिकार समिति को मिलना चाहिए । किन्तु इस विषय में एक कठिनाई यह है कि पचायत समितियों तथा जिला परिषदों का गठन सबसे एक रूप नहीं है । प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि तथा राज्य सरकारी द्वारा मनोनीत महिला या परिणामिन वर्ग के प्रतिनिधि तथा सह वरित प्रतिनिधियों पर नियशण का प्रश्न सामन पाता है । इसका उपाय यही है कि धाम पचायतों से पचायत नार्मातायों के प्रतिनिधियों का और पचायत-समितियों से जिला परिषदों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना चाहिए । दूसरे शब्दों में प्रत्येक सोपन की पचायती राज सभ्या अपन से प्रगले सोपन का स्वापत्रादाशों इकाइ के लिए मतदाता क्षेत्र वा काय वरे तथा महिला परिणामित जाति आदि के लिए स्थान भले ही नियारित कर दिए जाय किन्तु निवाचित इनका भी हा । न कि मनानयन प्रथवा सहन्दरण । निर्वाचिकों को ही प्रतिनिधियों को वापिस बुलान हटान या धय सत्ताह देन का अधिकार हा । जिसमे सारो सत्ता नीचे से ऊपर न जाकर ऊपर से ऊचे प्राप्त हुई धाम सभा तक अर्फान् धाम के प्रत्येक वर्षस्क मतदाता तक पहुँच जाए । तभी स्वराज्य की गगा नीचे से ऊपर भी डल्टो दिशा को छोड़ कर ऊपर से नीचे का और की सहा दिशा म वह सकतो है । चुनाव करन वाला काई और हो और रद्द करने वाला काई और इसका साफ पर्य है दायित्व और अधिकारा वा पायक्ष और जन शक्ति, जन शक्ति जन चेतना का प्रबोध । धाम सभा पच वो चुन और कोई सरकारी वम चारी उसे हरा द यह ठीक वसा हो है जसे बेटा बहु का चुनाव नो करले किन्तु सात उसे घर से निकाल द । यह स्थिति पुरानी सामती वति वी सूखक है । तीना ही सोपनों पर इन निर्वाचित स्वायत्त सम्बादों म राज्य की धार से तकनीकी प्रथवा विशिष्ट विषयों के विशेषणों को नियुक्ति को जाए तो परामर्श देन वा काय करे । उसे सतदात का अधिकार नहीं होना चाहिए ।

-- (६) निर्वाचित प्रतिनिधियों पर प्रत्युपासन के साथ ही पचायती राज सम्बादों के नियंत्रण पर नियमन का प्रश्न भी उपस्थित होता है । इस धन्न प भी व्यवहार-विभिन्नता दीप वडती है । धाम पचायत के नियंत्रणों को बदलन का अधिकार प्राप्त, प्राप्ताग विहार, पुजारात, मध्यप्रदेश मद्रास महाराष्ट्र यस्तर, उडीसा और पजाब में बमिन्दर, डिप्टो कमीशनर, कलक्टर सर डिविजनल मजिस्ट्रेट यहा तक कि तालुका विकास अधिकारी (गुजरात), खण्ड विकास अधिकारी (गोवा दमन-नीन) और पचायत अधिकारी (राजस्थान) तक वे स्तर के राज्य कमवारी को प्राप्त हैं । यह बहुत ही विवित स्थिति है । जब इन वयवाधियों की घबलमादी और ईमानदारी का ही इतना भरोसा था कि वे पूरे पच नियंत्रण को रद्द कर दें तो किर पचायती राज के भूंहे हल्ले वो खड़ा करना एक बेकार का गोरख धवा और खर्चेंसा भोजना बन वर रह जाता है । मिनी उत्तर प्रेस्न म ही पचायत के नियंत्रणों को रद्द करन का अधिकार जिला परिषद थो देकर जातान्वित व्यवस्था वी और बदम उठाया गया ह । किन्तु हम तो चाहेंगे कि धाम पचायत के नियंत्रणों को रद्द करने का अधिकार धाम सभामा को ही मिलना चाहिए क्याकि पचायत के नियम से वे ही प्रभावित होते हैं । धत पोटित व्यक्ति स्वयं धपना उपचार करने म समर्थ ही सके तो इससे बढ़ कर स्वावलम्बन द्या होगा ? अधिक से अधिक यह हो सकता है कि धाम सभा का यह नियंत्रण पुष्टि के लिए विलापरिषदों के पास भेज दिया जाया ऐरे । पचायत समिति तथा जिला परिषद के न्तर की सम्बादों को रद्द करन का अधिकार विभिन्न राज्यों म उपचार धपना करकरेंगे

कमिशनरों में निहित है। यहा तक कि इसमें भी जिला परिषद् के निर्णयों तक को सब डिविजनल अफरम के स्तर का अधिकारी रद्द कर सकता है। यह स्थिति आवायपूरुण और अपमान जनक है और पचायती राज की सारी बुनियाद को हिला दन बाली है। होना यह चाहिए कि विसी पचायती राज संस्था के निरणों को रद्द करने का अधिकार उससे पूर्ववर्ती संस्था को होना चाहिए जिससे पुष्टि परवर्ती संस्था करे। इस प्रकार ग्राम पचायत वै निरणों को ग्राम सभा पचायत समिति की सहमति से रद्द करे पचायत समिति के निरणों को ग्राम पचायतें जिला परिषद् की सहमति से और जिला परिषद् के निरणों को पचायत समितिया आय सरकार का सहमति से। इससे पीड़ित अधिकारी तथा आवायकारी-सीमों पक्षा का समावय हो जाता है। काँइ भी कठी प्रपनी अगली-पिछली कड़ियों के लालमेल में ही दूट सकेगी। आधार माध्यम आये तीनों एक ही सीधा रेखा म आजात है। इसमें इन ही वार्ष सही सीधी रेखा में होने और इस व्यवस्था से हो निरणों को रद्द करने की नीति नहीं आएगी या आएगी भी तो वहाँ ही वर्त ही वर्त।

(७) इसी प्रकार पचायता पचायत समितिया तथा जिला परिषद्से को निलम्बित अपवा भग बरने के अधिकार का भी सवाल है। ग्राम पचायत को आप्रौ म कमिशनर, उडीसा में म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दिल्ली में चौक कमिशनर तथा गोवा-म्मन-गोव म लेपिटेनेंट गवर्नर भग कर सकता है याप सभी राज्यों में राज्य सरकार म यह शक्ति निहित है तथा उचायत समिति एवं जिला परिषद् को भग बरने का अधिकार सभी राज्यों में राज्य सरकार में निहित है। इस विषय में एकमी सामाय नाति अपनाई जानी चाहिये कि वेवल राज्य सरकार ही किसी भी स्तर की स्वायत्त संस्था को निलम्बित या भग बरने के बह भी विनाय परिस्थितिया में तथा उचित कारणोंके आधार पर ही।

निष्कर्ष — इस सारे तुलनात्मक विश्लेषण से जो निष्कर्ष हमारे मामले आता है वह यह कि आज पचायती राज संस्थाओं पर राजकीय नियंत्रण वया वित्तीय और वया प्रशासनिक दोनों ही घोनों म आवश्यकता से कहीं अधिक है। वर्तमान स्थिति का उदार से उदार आलोचना भी इसे स्वीकार बरेगा। यह ठीक ऐसा ही है जये एक हाथ से लड़ू किसी की हथली पर रखना और वयों जान से पहले ही दूसरे हाथ से उसे छीन कर प्रपने मुह म रख लना। यह भूत बुझाना नहीं किसी का मालौल उडाना हो बहा जायगा। यदि हम इस विराट जनसंस्था संकुल संसस्था प्रधान देग को ईमानदारी से विकास के पथ पर उडाना है और जनता को स्वराज्य को सच्ची अनुभूति और प्रेरणा देना है तो नियंत्रण ही हम जाखिम उठाकर भी पचायते राज संस्थाओं को अधिक अधिकार देन ही चाहे। परिचयीय प्रणाली वाली दलदारी की प्रतिष्पद्धि पर आधारित व्यवस्थापिका सभाएँ तो वस ही सभी देशों में “याहान-यायामानाद” बनकर रह गयी हैं। इस देश के भूल स भूलते और जनसंस्था बृद्धि से सिमट आगम म सीतर बन के प्रसादे खड़ करने या तोता मना की तू-तू मै-मै के द्वारा बड़े प्रिय खड़ रखन के लिए अब तिल भर भी भूमि का अवकाश नहीं है। अब तो हमें समर्थ, निष्ठावान, जागरूक, और तत्पर आवायकारी संस्थाएँ की महती प्रावश्यकता है। पचायती राज संस्थाएँ ही अधिकार और अनुभव प्राप्त कर इस महान् वार्ष को इरने में समर्थ हो सकेंगी। यह वार्ष शीघ्र से शीघ्र सम्पन्न किया जाना चाहिये जिससे कि प्रसिद्ध सर्वोच्ची विवारक श्री जयप्रकाश नारायण के शान्ति म सत्ता का उल्टा पिरामिट सीधा रेखा जा सके। और राजस्थान में जन-वेतना के अप्रणी प्रहरी श्री कुम्भाराम आय के नामा में लोकनाही का अस्तु द्वारा हाकर नीतराही की रात का भन्त हो सके।



पचायती राज मे जन-प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी

—श्रा शोतलमहाय श्रोवास्तव

भारत म सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उदयाटन १९५२ मे हुआ। उसका उद्देश्य यह था कि जन समुदाय ने सक्रिय प्रयत्न भीर पहल से शार्यिक व सामाजिक उपलब्धि हो सके। इस कार्यक्रम म लोगों मे अपेक्षा की गई कि वे घरनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं अपने साधनों वा उपयोग करेंगे। प्रारम्भ म इस सम्बन्ध मे सरकारी संगीनराए ने प्रधासनाय प्रयत्न किया, लेकिन कुछ समय बाद घनुभव दिया गया कि गांधी ये सामुदायिक विकास वार्यों के लिए चेतना जागृत नहीं हुई और याचों मे इस चेतना का जागृत भरन के लिए बहुत अधिक सक्ति समय सूख-दूसर की जहरत है। इसके अतिरिक्त विकास वार्यक्रम का इन्हों अधिक समस्याए थी कि केवल सरकार द्वारा उनका हत होना सम्भव भी नहीं था। यह वेतन तभी सम्भव हो सकता था जब विकास वायरमों को वार्यान्वित करने को जिम्मेदारी सरकारी तंत्र म हुआ वर जनता और उमड़े प्रतिनिधियों को सीधे जाए। यही लोकतंत्री विकासकरण का माध्यार है और इसा कारण प्रवायतों राज का जन्म हुआ जिसके फलस्वरूप प्रगताचन को तीव्र स्तरों मे विविच्छिन्न किया गया।

ये तीन स्तर इस प्रकार है—विला परियद्, प्रवायत समिति और ग्राम पंचायत। इनका एक दूसरे स परम्पर गहरा सम्बन्ध है। इन सभा सत्वाग्राम मे जन प्रतिनिधियों और सरकारी तंत्र के कम

धारिया का ऐसा मिलाजुला समागम है जिसके सफल प्रयत्नों पर ही सामूदायिक विभास वी सफनता निभर करती है।

जिला परिषद् की स्थापना के पहले कुछ राज्यों में जिला बोर्ड वाम पर रहे थे जिसका चेयर मन जन प्रतिनिधि होता था चेरप मन दिभिन्न विकास विभासों से सम्बद्ध नहीं था, और न उनकी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी ही थी इसी प्रकार विकास क्षेत्रों से भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं था पर तु शब्द सभी विकास विभास क प्रधिकारी अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार होते हैं और एचायत समितियों के कार्यों से उसका सीधा सम्बन्ध हो गया है। प्रतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) प्रथवा जिना नियोजन प्रधिकारी हो जिला परिषद् का मुख्य कार्य प्रधिकारी होता है जो सभी विभास के प्रधिकारियों और प्रध्यक्ष प्रथवा जिलाधीश और प्रध्यक्ष के बीच की कटी है। यह मुख्य कार्यकारी प्रधिकारी पर निभर करता है कि वह इन प्रधिकारियों और प्रध्यक्षों के सम्बन्धों को बिगाढ़ दे प्रथवा बनाए दे। इन सम्बन्धों पर काफी अस तक विकास कार्यक्रम की सफनता निभर करती है। परन्तु व्यवहार से कुछ ऐसी बातें देखने में आ रहा हैं जिससे विकास कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है।

प्रध्यक्ष का चुनाव राजनीतिक आधार पर होता है। जिससे प्रध्यक्षों का प्रधिकार समय राजनीतिक गुण के भगाडों में हा बीत जाता है और वे प्रधना पूरा समय विकास कार्यों का नहीं रह पाते हैं। बहुत से प्रध्यक्ष जिले के अंतर्गत भाग के निवासी होने हैं। और जिले में उनके निवास की जांच घवस्या नहीं होती अत वे अपने काय प्रति दयोधित याय नहीं कर पाते। बहुत ने विकास विभाग में जिले के प्रधिकारी नंबरल जिला परिषद् की बठक में ही प्रध्यक्ष को घण्टी प्रगति के बारे म बता पाने हैं। कार्यक्रमों का बठिनाइ और उनके निराकरण पर अस असमय कोई विचार विभास नहीं हो पाता। जहा तक समाचर को बान है प्रध्यक्ष को जिलाधीश का मुह जोहना पड़ता है जबकि कुछ राज्यों म जिलाधीश का जिना-परिषद से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। जिना परिषद के पुराने कार्यालय और नियोजन कार्यालय अब भी प्रधिकाराण जिलों में अलग अलग बन हुए हैं, इसलिए एक प्रकार वा अन्याव बना हुआ है। सभी प्रधिकारियों का जो जिला परिषद के नियावण में काय करत है एक जगह बठन कार्यक्रम के हित म होगा। उत्तर प्रदेश म कुछ जिलों के ऐसे भा उदाहरण है जहा के प्रध्यक्ष करते ही नहीं चाहते कि उनके यही याई० ए० ए०० के देर के मुख्य कायकारी प्रधिकारी हो। रामसूति समिति की सिफारिश कि महाराष्ट्र की भाँति उत्तर प्रदेश म भी याई० ए००० के देर के मुख्य कार्य प्रधिकारी रखा जाए कहा तक प्रध्यक्षों को माय होगा और कहा तक दाना के सम्बन्ध मु दर रहें सोनवा होगा। कही-कही प्रध्यक्षों के आने ही खण्ड विकास प्रधिकारियों वे लिपिवा के और सूल घट्यापकों के स्थानान्तरण म निवासी ली। उन्होंने परोक्ष रूप से यह भी प्रयत्न किया कि उनके विवाही प्रमुखों के प्रति या तो मविवास का प्रस्ताव पास हो प्रथवा उन विकास क्षेत्रों में जिला परिषद् कोई सहायता न मिलन पाए।

इन दुष्पूर्ण और प्रशिय प्रणयों के साथ साथ ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जही योग्य प्रधि कारियों और प्रध्यक्षों को आपसी प्रेम भीर सक्रिय सहयोग से बढ़े-बढ़ कार्य सम्पन्न हुए हैं। उन्हीं जिला में जननावित के प्रयोग का कार्य सफल हुआ।

१ १० जोक्तव्यी विवेदीकरण की दृष्टिरी कोई प्रधायत समिति है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें।

यहाँ वो दा त्र समिति के धर्मधर्म प्रमुख कहलाने हैं और ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख सनवे सहा यक जन प्रतिनिधि होने हैं। यह कोई धारावश्यक नहीं है कि ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख, प्रमुख व मत के ही हो सके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसी दशा में प्रमुख के लिए विकास लण्ड को योजनापट वो ग्रानी नानि या क्षेत्राय समिति के निर्णय के अनुसार चलाने में वहाँ फ़िल्हाल होनी है। ऐसे विरोधी पराविकारी प्रमुख और लण्ड विकास धर्मिकारा वे बोन खाई चौड़ी करने का प्रयत्न करने रहते हैं।

बहुत-से प्रमुख दूर कि राजनीतिक दा त्र से तुन दर आए होते हैं इसलिए वे प्रयत्न करते रहते हैं कि उनके दृष्टि के प्रवान या सरयब किसा भी प्रकार अस-तुष्ट न रहने पाए। बुद्ध प्रधान या बहुत से पराविकारी धर्म वा गवत करते पाए गए हैं और जब विस्तार धर्मिकारी उनके विश्व वादवाही करते हैं, तब उन्हे राजा जाता है अथवा उनका ही स्थानान्तरण कराने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी लण्ड विकास धर्मिकारी और प्रमुख में खीचानाती होने लगती है।

जाप भी धर्मिकारियों और अध्यक्ष प्रमुख में समर्थ का कारण है। उत्तर प्रदेश में भी निम्न भर में विकास लण्ड में लेल ३०० मील जोप चलाने को सीमा है। बास्तव में यदि लण्ड विकास धर्मिकारी और विस्तार धर्मिकारी ३०० मील चला गए तो प्रमुख वो गाड़ी नहीं मिल पाए। इसी प्रकार प्रमुख यदि भी नहीं भर में २०० मील चला गए तो वो सरकारी धर्मिकारियों को जोप द्वारा यथां दोरा करने को नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में जो लण्ड विकास धर्मिकारी प्रमुख के साथ मेल नहीं चिठा पात, उन्हें प्रमुख वो आर तथा अनुष्टुप्याग और तनाव की स्थिति सहने पड़ती है। बुद्ध वित्तीय मामला जैसे तकादी और अनुशासन में गड़बड़ करने के लिए वहाँ-वही विवश किया जाता है।

बहुत-से प्रमुख और लण्ड विकास धर्मिकारियों के बाच उनकी निजी अहमियत और उनकी भी भावना के कारण भी समय और मनमुदाद हो जाते हैं। बुद्ध प्रमुख विस्तार धर्मिकारियों भी अन्य कमवारियों वे बायी में साथे हस्तक्षेप करते हैं। वे प्रामाणिक वायी में भी हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करते हैं।

जहाँ ऐसे उदाहरण हैं वहाँ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ लण्ड विकास धर्मिकारी प्रपुने प्रमुख में ग्रानी ही बरेवन रोन घपनी इच्छानुसार लिखा लिते हैं। इनमें बहुत से प्रमुख ऐसे होते हैं जो या तो बहुत सीधे होते हैं या लण्ड विकास धर्मिकारी से बहुत अच्छा सम्पर्क रखते हैं। लण्ड विकास धर्मिकारी या विस्तार धर्मिकारी ऐसे बहुत-भी स्थितियों में प्रमुख को सामाजिक कायकमा और सरकारी प्रादेशों से अवगत नहीं करा पाने। ऐसे लण्ड विकास धर्मिकारी यही बहने में अपन अर्थव्य की इति भी समझ लते हैं कि उनके यहाँ प्रमुख से बोई समय नहीं है। जब प्रतिनिधियों से प्रचला सम्बन्ध, साधन मान दें। प्रनिन घीय तो विकास कायकम के सदयों वो पूर्ति है।

पुन उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें। यहाँ पचायत मात्री पूरुत सेव मिति का वर्षाचारी है और सामाजिक सहायक विकास धर्मिकारी पचायत को पचायत मात्री से काम लना होता है। बहुत से निकिय वर्षायत मात्री प्रमुख से अच्छा सम्पर्क रख कर सहायक विकास धर्मिकारी पचायत से या तो सम्बन्ध ही नहीं रहने अपका स्टाफ मीटिंग के दिन भी पुढ़ी से बर पर बठ जाने हैं। यद्यपि ऐसे उदाहरणों की समी है फिर भी स्थिति में सुधार की अपेक्षा है।

प्राम सभा स्तर पर पचायत मन्त्री ग्राम सभा का कार्य देना है और याम सबके लिए प्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं का कार्यनामों में सक्रिय योगदान रहता है। यहाँ पर दो प्रकार की स्थितियाँ हैं। पचायत मन्त्री अधिकारी गाव सभाओं के रजिस्टर तथा कागजात घरन पर रखने हैं और प्रधान से अच्छे सम्बन्ध रख कर मनमाने रूप से हस्ताक्षर ले लेते हैं। ग्राम सेवक व्यवितरण सम्पर्क से तो प्रधान करते हैं परंतु गाव पचायतों की बठकों में भाग नहीं लेते। सहकारी सुनरक्षाइजर यद्यपि सहकारी समितियाँ भाग लेना है लेकिन गाव सभा को बठका में वह भाग नहीं लेता है और इस प्रापार लोकतान की इकाई में सरकारी कर्मचारियों का सक्रिय योगदान नहीं मिल पाता। एवं और तो ऐसी स्थिति है दूसरी ओर जो प्रधान चलते पूर्णे हैं और ऊपरी राजनीति से मिल जुल रहते हैं वे सरकारी आदेशों और नियमों व प्रामस्तरीय कार्यकर्ताओं वी प्रबहेलना करते हैं।

इन सभी कठिनाइयों को देखने के बाहर यह नितान्त प्रावश्यक है कि जन प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों में सम्बन्ध सुन्दर स्वस्थ और सुगतिह हो और एक दूसरे के प्रति अद्वातथा आदार पूर्ण हों जिससे समुदायिक कार्यकर्ताओं की पूर्ण भौतिक समय से हो सके और पचायतों राज सफल हो। एक दूसरे वा छिनावेणु व अधिकारी भावना का प्रन्दिश और वोयो अद्वयना करने मी अद्वा व आदर की भावना पदा नहीं कर सकती। यह समझना चाहिए कि नेता एक दूसरे के पुरक हैं और जिसके सम्मिलित प्रयत्न के बिना पचायती राज की गाड़ी नहीं चल सकती। भी सुरें कुमार दन एक बार नहा था कि इम पचायती राज में जन प्रतिनिधियों का स्थान पर मिला पढ़ो लियो और बड़ी सास के समान है और सरकारी कर्मचारियों का स्थान पत्नी लियो वहु क समान है। जब वह अपनी सास का विवास अजन कर लेती है तो कुछ ही दिनों से सास घर को चामिया वहु का दे दिनों है और घर में लम्हा का पर्वतण अपने घाप हो जाती है।



पंचायत राज और कानून

—श्री रामकरण जोशी

जनतान्त्र म पचायतें नीव की जगह काम करती है। नीव को पञ्चदूतों के ऊपर-सारे भवा का-
दारामदार हाता है। राजस्थान ने प्रयासन को लोकतन्त्रीय अधार पर सुट्ट-बनाने-वे लिए विकल्पोंकरण
वा. मार्ग प्रयनाया। सत्ता का विकटित होना। राज्य के बीचें-कोने प्रयासन का जागरूक होना माना-
जाना चाहिए। यदि सत्ता प्रयोग के लिए किन्हीं विषय हाथों म रुके रह-गईं तो उतनी-ही वाधायें
विकटोंकरण के मार्ग म-उथ सड़ी होगी। सहा के, विकटोंकरण का नाम “सलिए महत्वपूर्ण माना गया
या वि उसके द्वारा सभी क्षेत्र ममान रूप से लाभार्थित होगे। सत्ता-प्राप्ति की भवन्नुति सम्बंधित लोगों
का उभी प्रदार होनी चाहिए जिस सरह दपा जा सभी फसलों पर एक सा प्रभाव होता है। खेत की
सूखा बढ़ारिया पानी चाहिए । इनान सभी बढ़ारियों का उचित मात्रा म पानी बहु चान की व्यवस्था
करना है। राज्य सरकार वा कद है वि लोकतान्त्र के पोषण-वे लिए सभी पचायतों वो सरकार के रूप
ए गति पहुँचावे ।

राज्य सरकार जनताओं प्रयासन में मुख्य कठोर के रूप म वाम करती है। राज्य सरकारों
वा सरकान और सरकार जनताव म खुन हृष्ट व्यवित्रया द्वारा हाता है। पचायतों राज म नीति की इका
इया भी खुन हृष्ट प्रतिनिधिया द्वारा हा सकालित होना है। प्रत्येक इराई प्रयत आवार के रूप म प्रयत्ने
प्रयितारों का प्रयोग वाल म सदाच होनी चाहिए। पचायतें, पचायत समितिया, विकट-परियद् और राज्य
सरकार चारों के बाद। और अपिकार पानून द्वारा प्राप्त शक्तियों के द्वारा पर सकालित होते हैं। सबके
प्रयितारों वो सामा नियारित है। सीमाया का अतिनमण सभी जगह सभा के लिए भवगत है। नीवे वो
इवान्या वा ऊपर-का यूरिट यदि एकावट प-दा करने वी चेत्ता करे तो प चायत प्रान्दोनन गुण्डि हो
जाता है। त-वे वो “वाइया य-” मनमानो बरे ता माननि प-दा हो जाता है। ऊपर-को इकाइयों मान
हृत सक्षया वो सहानुभूति पूरक सहो मार्ग दान दे सो ५ चायत राज वा सकला मिल जाती है।

उक्त इसीटो पर भवित राजस्थान के वर्तमान पचायत ग्रामोलन दो देखे तो पता चलता है कि उक्त इकाइया म बाधित ताल मेल नहीं बढ़ा हुआ है। इसके पर्व बारण हो सकते हैं। लेकिन मुख्य तो गुट और दला का होता है। जनतान म चुनाव ग्रामस्थव होते हैं। हालांकि चुनाव से कदुता उत्पन्न होने का ग्रामेश्वर होता है। चुनावों की लडाई और हार जीत यहि खेल के मदान म होने वाली लडाई और हार जीत के समान समझ लो जाओ तो यह कदुता बढ़न नहीं पाती है। किन्तु ऐसा नहीं हो पाता है और चुनाव गहरे धाव करने चले जाते हैं। जिसे सम्बन्धित क्षेत्र कई दिना तक पीड़ित रहते हैं। राज्य सरकार म वठे लोग उक्त हार जीत मे पक्ष विपक्ष ग्रहण वरके बाम करन लगते हैं तो और भी बुराइया प दा हो जाती हैं और जब नीचे भी इकाइयों को सुचाई रूप से सचालित होन के निए राज्य सरकार दो प्रकार दशितयों का दुर्घयोग होन लगता है तो समूचा ग्रामोलन सुध हो जाता है। राजस्थान म पचायती राज की स्थापना सन् १९५३ म हुई। उसके ठीक एक बुग बाद सरकार को पचायती छानून म ऐसा सशोधन करवे चुन हुये प्रतिनिधियों को निलम्बित करने के अधिकार ग्रहण वरने की जरूरत महसूस हुई। उक्त सशोधन के पक्ष विपक्ष म दलीलें दी जा सकती हैं किन्तु इसके व्यवहार से पक्षपात की गथ आती हो तो इस पर ग्रवश्य पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

सशोधन के पक्ष म जो दलील दी जाती है कि सरपक और प्रधानों के खिलाफ ऐसी गतियों हो कि जिनमे उहान प्रदत गतियों का ग्रतिक्रमण करके ऐसे बाम कर डाले हो कि जिनम ग्रामरण हीनता भी शामिल हो तो जाच के द्वीरान उनको निलम्बित कर देना जनतान वी साथ के निए जहरी है। बात तो ठीक है। किन्तु इसका निरायक बोन हो कि वे शिकायतें सही या गलत? अगर गलत ग्रामोप के ग्रामादार पर एक भी सरपक या प्रधान निलम्बित कर दिया जावे तो छमवा जिमेनार औन और निर्दोष व्यक्ति को निलम्बित करन मे प्रदत शतियों का दुर्घयोग करने वाला गति ग्रतिक्रमण का दोषी होन वे बारण कीनसी सजा का हवदार है। क्या उम ग्रतिक्रमण के निए उसको भी निलम्बित करन की बोई धारा और पावधान है? किसी भी व्यक्ति को निलम्बित किये जाने के पहिले उस पर लगाये गये ग्रामोपों की निरपक्ष जाँच होना जहरी है और उसके लिए उक्त जाँच ऐसे यक्ति द्वारा होनी चाहिए जो प्रशासन वे मातहत बाम न करता हो, बल्कि 'याय-व्यवस्था' का गग हो।

राजस्थान के पचायत ग्रामोलन म जो वर्तमान सकट उपमित हो गया है उसके पीछे यही ग्रामवा और भय है। पक्ष सरपक और प्रधानों के सिर पर हमेशा एक तलवार लटकती रहती है— न जान क्य किसी ग्रभावनाली व्यवित का बोय भाजन हो जान स निलम्बित हो जाना पड़— साथ ही इसके जो इस कारण से निलम्बित किये गये व्यक्ति हैं उनके मामलो के कमलो वी ग्रवधि निर्धारित हानी चाहिए ताकि फसल स प्रभावित गति याय के लिए कानूनी अगलानी म जा सके। किसी भी सरपक या प्रधान को वेवल निलम्बित करवे छोड़ दिया जावे और वप दो वप पूरे हो जावे बल्कि चुनाव की पूरी ग्रवधि खत्म हो जावे तो प्रशासन के ऊपर यह इलगाम ग्रामद होना है कि उसक पास इस व्यक्ति का निलम्बित करन वा बोई ग्रीचित्य तो था नहीं किन्तु चुन जान के बार इसके ग्रभाव को निरस्त करन वो हट्टि से इस बहाने को ग्रधानाया गया है। कानून का सशोधन किसी व्यक्ति को उसके ग्रधिकारों से वचित करने वे बहाने नहीं बनाना चाहिए। यह सावधानी राज्य सरकार वो ग्रवश्य वरतनी चाहिए।

इस सदर्भ मे इतना और कहना जल्दी है कि राजस्थान म भी देन के साथ साथ जनत विकसित हो रहा है। उसके माग म सरकार या निहित स्वाय खावट टालन वी चेष्टा करें तो वे स्वय ही परास्त हो जायेंगे। जन मत की रक्षा म जन ग्रामोलन होने के पहिले राजस्थान में लोकतन्त्रीय परम्पराग्रा को बल मिलेगा।



सह-७

पंचायती राज में निश्चोगित कार्य-क्रम

१	याम वी योजना	१
२	ग्रामयोजना वा धाराद धार्यिक और सामाजिक सुव्यवस्था हो	श्री गोविन्दप्रसाद २-१४
३	प वापर्वे याम योजनावे कसे बनाए	दी शिष्यान दमा १५-१६
४	ग्राम उद्योगीकरण कार्य-क्रम निर्पट्टण	श्री जगदकाश नारायण २०-२३
५	याम योगीकर पर एव हटि	श्री गार्हित २४-२५
६	बेकारी और बेकोक्षारी से बिहार	२८

— — —



ग्राम विकास योजना

गांव की योजना

*

गाव की योजना ग्राम बालों की ही बनानी पड़ेगी, उहों ही यह सोचना विचारना और बानना पड़ेगा कि उनके गाव की क्या मावश्यकताएँ हैं ? क्या ऐसे बाम हैं जो गाव के लिए बिए जाने चाहिए ? क्या ऐसे बाम हैं जो भूमि है और बाम नहीं सिरे से शुल्क बढ़ने हैं ?

गाव की इच्छा और मावश्यकता की गाव बाले ही ज्यादा समझते हैं । पचाष्ठत उनकी भवनी सस्ता है वे पचाष्ठत से बहुत, पचाष्ठत उनसे पूछें, प्राप्त सभाएँ की जाए । वहा खुली चर्चाएँ हों और फिर गाव की योजना बने वह योजना गाव की होगी और गाव ही मिलकर उसे पूरा करेगा ।

गाव की योजना बनाने के पहले गाव से हालात की जांच (सर्वेक्षण) करनी पड़ेगा । पढ़ाई के बारे में, लेती के बारे में, खाद के बारे में, कवाटारी के बारे में, उद्योग धर्यो के बारे में, साली हालात के बारे में गाव के थर थर बी जांच करनी पड़ेगी तब सही कानूनी धारणे आयेंगे । तब योजना बनती । वह योजना गाव की योजना होगा, उसमें गाव का समस्याशास्त्र का हत निकलेगा । उसमें गाव बी अपनी पूरी होगी । गाव बाल ही अपनी योजना बनायें । वे हो उस पूरा करें, और वे हो अपनी सुखदूर्दृश, ऐहनव और कोणिगतों से गाव को पूरी तरह सुखी और स्वास्थ्यी बनायें ।

योजना का आधार गांधों का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण हो

—श्री गोविन्दप्रमाद

भारत की सर्वोत्तम उन्नति भारत के गांवों के मधुचित विचास में निहित है। भारत की जनता गांवों में निवास करती है। इसलिये ऐसी योजना बनाने का प्राविष्ट्यकता है जिसका प्राप्तार्थ ग्राम सुधार हो, कि तु योजना को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामों का समस्याग्रो का प्रदृश्यन निकटता में विद्या जाये। इन समस्याग्रों का प्रदृश्यन निकटता में गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षणों द्वारा विद्या जा सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षणों से हमारा प्रभिन्नाय उस विधि से है जिसके द्वारा ग्रामों की विभिन्न बारीक में बारीक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याग्रों के कारणों पर ग्रामों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त विद्या जा सके तथा उन समस्याग्रों के सम्बन्ध में कुछ निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकें।

इसमें पूर्व कि ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षणों के महत्व पर प्रकाश ढाला जाए हमें यह समझ लेता प्राविष्ट्यक हो जाता है कि हमारी धर्म-व्यवस्था ये ग्रामों तभी उनके विकास का क्या महत्व है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता भारतीयों प्रारम्भ करने से पूर्व ही यह पहचान लिया था कि भारतग्रामों में बसता है न कि साम्राज्यवादियों द्वारा बनाये गये गहरों व कस्बों में उड़ाने थपन हरिजन सरकार पन्डित ने ग्रामीणी विचारधारा स्पष्ट व्यक्त की है कि शहरों से पराधीनता की दौड़ा है। ग्रामों के महत्व को स्पष्ट करते हुये गांधीजी ने लिखा है कि—

If the villages perish India will perish too. It will be no more India. Her own mission in the world will get lost.

भारत गवाका एक समृद्धि है। यहां की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ग्रामों में विवास करती है, इनमिये मध्य भारत का उन्नति के पथ पर प्रगति हाता है तो उसका विकास का कार्य गवाका सही प्रारम्भ करना चाहिये। ग्रामों के विकास मही भारत को उन्नति संनिहित है। जसा कि 'पोल्डरिश' न कहा है कि गवाका राष्ट्र की राज्य की हड्डी है इनमिये उसका विकास हाता प्रश्न त प्राविद्यक है। विना गवाका के विकास के भारत का विवास हाता कठिन हा नहीं प्रयितु अस भव है। गवाका की घनेक समस्यायें हैं। पिछले दो सो वर्षों में परन्तर भारत के गवाका भी भारतीय ग्राम लुप्त सी हो गई थी। पिछले दुब्ब वर्षों में इन समस्याओं को दूर बरने के लिये नेश के कानूनाधारा न काफी प्रयास किये। इसके अनावा ग्रामों की महत्वता इस बात से भी प्रकट होती है कि भारतीय सरकार न अपनी पवर्वर्याय याजनापा में ग्रामों के विकास को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ग्रामों का सबनीमुखी विकास करने के लिए हमारी सरकार ने सामुदायिक विकास याजना सन् १९५२ में प्रारम्भ की। इन्होंने सब होत पर नी ग्रामों की घनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्यायें रह गई हैं जिनका कि समाधान नहीं हा सका है।

इस वर्तमान आर्थिक नियाजन के मुग में ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक मूलेखण्डन अवधिक महत्वपूर्ण हा गये हैं। यदि कि विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक एवं भौतिक विद्युताप्ति व विद्युत यज्ञों की जान कानी न हान का कारण सम्पूर्ण दश के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाना यक्ति कठिन है। यदि यह याजना बना भी ली जाती है तो वह तब तक सफल नहीं हा सकती है जब तब कि प्रत्यक जिले, क्षेत्र एवं गवाका की दग्धाओं तथा आवायवताओं का पूरा स्पेशल अध्ययन न बर लिया जाए। आर्थिक नियाजन कमोशन न अपनी प्रथम पवर्वर्याय योजना के ऊपर दी रिपोर्ट म स्पष्ट है कि नियाजित घण्ट अवस्था म क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्वपूर्णता का बतात हुए लिखा है—

'That the needs, and priorities of different regions as well as their potential for short term and long term development should be taken into account in drawing up and continually reviewing their developmental programmes.'

इसी 'ग्रामीण लोकों' में जाति के कार्य के लिए स्वतंत्र जाति सम्प्रदायों काँपों पर जोर ढाना है। इसी प्रकार में बातें राष्ट्रमन बनेंटी न भी निर्देशन विधि के प्राप्तार पर चुन गयों के सर्वेक्षण द्वारा ग्रामीण घाय का हिसाब लगाने के लिए सिफारिश की है।

भारत की उसकी प्रारम्भिक प्रकार की कृषि उद्योगों का घमाव उत्पादन का नियमस्तर, निम्न घाये (Lower Income) निम्न जाति स्तर, आर्थिक जनसंख्या और वह भी होती रहती है कि वही ही अद्यार्थ जनसंख्या विनेती आर्थिक द्वारा सचानित यर्थावध्यवस्था (Foreign trade oriented economy) नेता बनने के सहजा में मिलाना के बाराहु घर्द विकसित द्वारा या विद्युत हृषे द्वारा की सहजा में गिना जाता है। इन सभी बातों के सिलाक हम यर्थावध्यवस्था का दुन जावित करना है। मिलाना व भूत की समाप्त जाता है, उद्योगों का स्थापना परन्तु है तभा उन्होंने विकसित करना है। घृण्योदय अवस्थायों का ग्रामीण लोकों ये विवित करना है, तिवारी के घायों का विकास करना है, इपरी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा किर सारों जनता के जीवनस्तर को उच्च बरना है। इसी की समस्त

समस्याधा का निवारण करना है तथा नवीन सदृशों एवं रेलवे लाइनों का निर्माण करना है। यह कार्य भारत के प्रत्येक ज़िले, क्षेत्र तथा गांवों में करना है और यह काय बहुत महत्वपूर्ण तथा भौत्यधिक योग्यता है तथा इसमें वाका मानवीय शक्ति एवं ताकत की प्रावश्यकता है। ये दोष बिना सोच दोबार तथा गहन मध्ययन के करना। असम्भव है और यदि कर भी दिया जाए तो उनके असफल होने का भय रहता है। असफल होने पर काफी ताकाद से मुश्किल एवं मानवीय शक्ति तथा प्रयत्नों की हानि होता है लिखन के बचाय या बचान करने के बजाय जिसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। इन सबके लिए उन दण्डों, स्थितियों का मध्ययन करना यति प्रावश्यक हो जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है और यहां तक है कि प्रत्येक गांव में भी भिन्न २-३ पाई जाती है। ये दोषों भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक होती है। आर्थिक दशाओं एवं आर्थिक विकास की दर का लगातार मध्ययन विभिन्न क्षेत्रों का तथा कम विकसित क्षेत्रों में करना अति प्रावश्यक है। ऐसे मध्ययन के प्रोग्राम द्वारा सुविलित क्षेत्रों विकास (Balanced Regional Development) प्राप्त किया जा सकता है।

सामाजिक आर्थिक ग्रामीण सर्वेक्षण दिसी गांव की कास्तविक भौगोलिक विविधि एवं उसके आर्थिक वातावरण का पूछ पता लगा जाता है। इसके द्वारा गरीबों की आय, रहन सहन के तरीके तथा पूर्जीपतियों द्वारा उनके शोषण का पता चलता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के सर्वेक्षण वहाँ की व्यवस्था सम्बन्धीय एवं रोजगार सम्बन्धीय सूचनाये प्राप्त करते हैं। हृषि कुटीर उद्योग पर्यावान, स्थानीय एवं स्फारी, गिरधार, कला एवं संस्कृति रहन भहन, भीवनस्तर आदि सामाजिक एवं आर्थिक चुम्पा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त जब हम पचायती राज में विविहृत मर्याद्यवस्था का जिक्र करते हैं, जिसका कि मुख्य उद्देश्य गांवों को प्रशासनिक आर्थिक एवं सास्कृतिक पहलुओं की दृष्टि से स्वाक्षरता बनाना है, तो इन क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याएँ के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना यति प्रावश्यक हो जाता है। इसके लिए कहा जा सकता है कि गांवों में कृषि का विकास करके उत्पादन वृद्धि की जाए कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास किया जाए ग्रामीणों की आय में वृद्धि की जाए, उनके जीवनस्तर में वृद्धि की जाए। इन सबके लिए योजना बनाने में पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि वे कौन कौन से कारण हैं जो इनके मांग या दायरक हैं। उन कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद में यह भी मालूम किया जाना है कि ये कारण किस प्रकार दायरक हैं। इन सब बातों का उत्तर सही रूप में हमें गांवों के आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षणों से मिलता है।

उपर्युक्त तमाम के अतिरिक्त हमारो वर्तमान प्रवालात्रिक सरकार के लिए जिसकी महत्वपूर्ण अभिलाषा इस दैन में समाज का समाजवानी दण (Socialist Pattern of Society) का दावा और वस्त्यागकारी राज्य की स्थापना करना है, ग्रामीण आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण सरकार की इस महत्वपूर्ण अभिनाश को परिपूर्ण करने में यति सहायता होगी। इन सर्वेक्षणों द्वारा प्रत्येक देश जिने एवं गांव की समस्त आर्थिक एवं सामाजिक तथा भौगोलिक आदि दशाओं के विषय में अत्यधिक जनकारी प्राप्त हो जायेगी।

दिसी देश के विकास एवं पुनर्गठन के लिए आर्थिक नियोजन को साझा करने तथा उसकी

सकन्ता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसका भाषार कुछ तथा एवं आकड़े होने चाहिये। इसलिये यह स्वीकार किया जा सकता है कि किसी भी नियोजन के परिवर्तन के लिए आमोंग जीवन के सम्बन्धित ग्रामिक एवं सामाजिक तथ्यों से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करना भवत्त आवश्यक हो जाता है। किसी भी नेत्र के लिए ग्रामिक नियोजन वास्तविक रूप में उस क्षेत्र के विभिन्न स्रोतों के सही प्रयोग पर निर्भर हता है। प्राकृतिक, सामाजिक, कृषि व उद्योगीय एवं प्राय स्रोतों की व्यापार में रखते हुये कई भी व्यक्ति इन्हीं भी विकास की योजनाएं बना सकता है तथा उनके परिणाम देख सकता है। इसको इस हास्ति सभी देखा जासकता है कि पचवर्षीय योजनाओं द्वारा सरकार यामीणों के जीवन-स्तर को प्रयाप कर रही है। इन योजनाओं से वास्तविक साध व्या हो रहा है तथा यामा की ग्रामिक एवं सामाजिक परिवर्तनों में व्या परिवर्तन हुआ है। इन परिवर्तनों एवं लाभों को देखने के लिए गांवों का सर्वेक्षण आवश्यक है। इन सर्वेक्षणों के द्वारा उन क्षमियों को ढूढ़ निकाला जा सकता है जो योजना बनाते समय रह गई थी। इन क्षमियों को पूरा करने ने लिए आमामी योजनाओं में विचार किया जासकता है तथा उचित स्थान प्राप्त किया जासकता है।

प्राय सुना जाता है कि भूत की योजनाओं को द्वड़ सोबत विचार के साथ बनाया गया था तथा उनका निर्माण सकुशल व्यक्तियों द्वारा किया गया था किर भी वे भवने टारगेट पूरा रखने में मसफल रही। इसका व्या कारण है? मालिर उनके साथ व्या गढ़वाल यी जिसक कारण वे मसफल हो गई। स्पष्ट है कि उन योजनाओं का निर्माण ऊरो स्तर पर भाषार पर किया गया था तथा नीचे के स्तरों की तरफ नाई व्यापार नहीं दिया गया था। यह स्थिति एवं उल्टे गिरामिड की तरह ही हो गयी जिसका कि । सिर ऊरो को न होकर नीचे की ओर होता है। इस प्रकार का विरामिद छरा में भी घटक से घरानायी हो सकता है। इसके विपरीत यदि योजनाओं का भाषार ग्रामीण सर्वेक्षण बना लिया जाए तो हमारी योजनाओं के मसकन होने पर प्रश्न ही पदा नहीं होता। क्योंकि नीचे की नीचे जब भजदूत होगी तो ऊपर का हिस्सा भी स्वयं ही भजदूत होगा।

यह भी समझ हा सकता है कि जब यामीण जनता की आवश्यकताओं की व्यापार में न रखते हुये योजनाओं का निर्माण किया जाता है तथा उन्हें लागू किया जाता है तो यामीण लाग यह सोच कर भी इससे हमें व्या कायदा है, योजनाओं के सकल निपान में सहायता नहीं होते हैं। प्रोट इस प्रकार से उन मस्तूपों के कारण योजना गकर नहीं होती है। यदि स्वराज्य की नीचे पड़को करने, सोचत-वा का भजदूत करने तथा विशिष्ट गर्भ यवस्था की सकनता के लिए यामीण ग्रामिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण ग्राम त आवश्यक हा गय है।

पचाप्ती राज में विकन्द्रित गर्भवत्याका के द्वारा उन्हें समय भवने साक्ष स्वराज्य, नामक निवाय में सर्वेक्षणी नेता श्री जयश्रीशनारायण न भा विकेंद्रित गर्भवत्याका की सकनता के लिए गांधों के सर्वेक्षणों के विषय में सुकाव किया है। लेकिन उन्होंने यह बात भूत के रूप में ही भी थी। इसक स्पष्टीकरण के सर्वेक्षण का ढाँचा, स्वरूप एवं भाषार व्या हाया तथा मैन जा ग्राम सर्वेक्षण का सम्पर्क, उ वा एवं विधि के सम्बन्ध में थोवा है, वह उनके सर्वेक्षण के दावे में मिलता नहीं हो दे या भिन्न हो तो विस प्रकार।

देग की योजनामों का माधार आमा वा प्रार्थिक एव सामाजिक सर्वेक्षण होता चाहिये, जिसकी कल्पना मैंने भपने इस लेख में की है उसका स्वरूप 'दाता तथा माधार एव विधि निम्न लिखित प्रकार होगी—

१—प्रार्थिक एव सामाजिक सर्वेक्षण वे लिए विशिष्ट पद्धति की सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति वा प्रयाग किया जाता चाहिये। इस पद्धति वा मनुसार सर्वेक्षित क्षेत्र का निदित्वत कर दिया जाता है और सर्वेक्षणों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये इस पद्धति वा अतगत आनेक वचानिक उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है जैसे—निदान, सगठन मनुसूची, साधात्म्यार, एव घट्टितिगत अध्ययन आदि। यहां यह ध्यान मे रखने योग्य बात है कि सामाजिक पद्धति वा प्रयाग भौतिक विनान वा मध्ययन से किया जाता है इसलिए इसका प्रयाग सामाजिक विनान के मध्ययन मे उपयुक्त नहीं है।

२—कूं कि हमारे यहा ग्राम लघु होते हैं इन्हें निदान विधि के बजाए सगणना विधि का ही प्रयोग लाभदायक रहता है। यहा सगणना विधि एवं निर्णयन विधि का स्पष्टीकरण आवश्यक है। सगणना विधि से तापय उभ विधि से है जिस मे प्रत्येक इकाई का मध्ययन मलग एव विस्तृत व्यप से किया जाता है। यह विधि मध्य त यापक एव सही है। यह विधि सरल भी है। लिपि बुद्ध लाग इस विधि क सम्बंध मे निम्न प्रकार आवत्ति उठा सकते हैं—(१) इसम समय अधिक लगता है तथा अम भी अधिक लगता है यथाकि इस विधि वा मनुसार सर्वेक्षणदर्ता वा प्रति यक्ति के घर जाकर सूचना प्राप्त करनी पड़ता है। (२) यह विधि अत्यधीन है वयाकि सगणना का कार्य काफी घरस तक चलता है। (३) यह बडे २ गांवों के लिए मनुविधानक है।

ये आपत्तियां नाममान की हैं क्योंकि यह पद्धति अत्यत चरल एव मुद्द है। तथा इसक द्वारा अत्यक्तिगत समस्याओं के सम्बंध मे जानकारी प्राप्त हो जाती है।

इसके विपरीत दब निदान विधि म अभिप्राय उस विधि से है जिसक अंतर्गत प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इस विधि क मनुसार एक प्रतिनिधि इकाई प्रति दस या धीस इकाइया के बाट चुन ली जाती है। उनाहरण के लिए मान लोजिए एक गाव मे १००० परिवार हैं उनका सर्वेक्षण करना है। यदि हम प्रति १० इकाइयों के बाट १ इकाई का अध यन करत है तो हमे बचले १०० इकाइयों का अध्ययन ही बरना पड़ेगा तथा परिणाम व नक्तुलान द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। इस विधि का प्रयोग जब किया जाता है जबकि अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो वयाकि इस विस्तृत क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन बरना बहुत ही नहा बल्कि मसम्भव भी है। यह विधिपूर्ण विस्तृत है सही नहीं है। इस प्रकार से दाना की तुलना बरन पर सगणना प्रणाली खरी उत्तरती है।

३—मनुसूची विद्य सम्बंधी तथ्य करने के लिए बनाया जाना चाहिये। इसमें सगणना वा सम्बंध मे समस्त प्रश्ना का समावेश होता चाहिये।

४—साक्षात्कार के लिए प्रश्न सूची मे निये गये प्रश्नों को परिवार के मुखिया से प्रूछन करव उत्तर लिखते जाना चाहिये तथा प्रश्न पूछने मे जल्दी नहीं करनी चाहिये जिससे गलती रहने की सम्भोवना न रहे।

५—प्रश्न सूची मे समस्त तथ्य एकत्र करने के बाद उनका टेबुलेशन बरना चाहिये जिससे

सम्बद्धि विन तथ्यों का सम्बद्धित समस्याओं के अनुसार वर्णीकरण दिया जा सके।

६ तथ्यों के एकत्रित हो जाने पर समस्त देश की योजना बनान के लिए विभिन्न गांवों की सामूहिक समस्याओं का चयन एवं तरह करके ६३ सामूहिक योजना का निर्माण करना चाहिए जो सामूहिक समस्याओं के लिए समस्त गांवों का लाभप्रद हो सके। इसके पश्चात् भिन्न २ समस्याओं पर भिन्न २ प्रकार से लघु ग्राम योजनाएँ उनाई जानी चाहिये। इसम प्रत्येक गांव की विशेष समस्या का समाधान मिल जाएगा।

समस्याओं सम्बद्धी तथ्य एकत्रित करने के लिए प्रश्न
सूची का मैं निम्न स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ —

— प्रश्न सूची —

१—सामान्य —

- (अ) परिवार के मुखिया का नाम
- (ब) लिंग
- (स) आयु
- (द) जाति
- (ई) धर्म
- (उ) मकान नं.
- (ऊ) भौहल्ला
- (ए) घन्था

१—मुख्य घन्था

२—सहायक घन्था

३—ग्राम घन्था

२—पारिवारिक स्थिति —

- | | | |
|----------------------------|------------|--------------|
| (अ) पारिवारिक सदस्य संख्या | (१) वालिंग | (२) नावालिंग |
| (ब) पुरुष संख्या | (१) वालिंग | (२) नावालिंग |
| (स) स्त्री | (१) वालिंग | (२) नावालिंग |

(द) सदस्यों वे सम्बन्ध म महावार्ग सूचनाएँ —

मदस्य का नाम	लिंग	आतु विवाहित	शिक्षित	कमाने वालों की संख्या	कमाने वाले एवं आधिकारिक		
१	२	३	४	५	६	७	८
१—							
२—							
३—							
४—							
५—							
योग							

३—निवास सम्बन्धी सूचनाएँ

क्र म संख्या	मकान का संख्या	क्षेत्र	फल दोवार	छत करने वाले	दरवाजा रोशन नान	प्रयोग प्रकार	एवं सिद्धिकार
१	२	३	४	५	६	७	८
१—	प्रकाश						
२—	आधा पक्का						
३—	कच्चा						
४—	झोपड़ी						
५—	बाड़ा						
६—	ग्राम						
(१)							
(२)							

४—जाम भरणसमक —

- (क) परिवार में बुल बितने वच्चों का जाम हुआ
- (ख) परिवार में बतमान में कितने वच्चे हैं
- (ग) परिवार में मृतक वच्चों की संख्या
- (घ) मृत्यु के समय आयु

(ह) यदि मृत्यु का कारण बोमारी है तो इलाज सम्बन्धी बातें —

- (अ) किससे इलाज करवाया डाक्टर / संपाने ?
- (ब) किस जगह इलाज करवाया ?
- (स) क्या बोमारी बतलाई गई ?
- (द) अन्य बातें ?

५—पुनर्निवास —

- (१) गाव में क्वाँ आये ?
- (२) कहा से आये ?
- (३) क्या परिवार का कोई सदम्य घर से बाहर रहता है ? यदि हाँ तो कहा और क्यों ?
- (४) क्या करता है ?
- (५) कितना कमाता है ?
- (६) विवाहित है या अविवाहित ?
- (७) घर के लिए क्या भेजता है ?

(८) पारिवारिक ऋण सम्बन्धी स्थिति

ऋण का सम्बन्ध	मूलधन	समय	ब्याज दर	गिरवी का प्रकार	जमानत	ऋण लेने का उद्देश्य
१—बैंक	१	२	३	४	५	६
२—सहकारी						७
समिति						
३—सहकार						
४—द्यापारी						
एवं महाजन						
५—मिश्र एवं						
सम्बंधी						
६—अन्य						
योग—						

८—परिवार की कुल वादिक आय

(क) मूमि पर हृषि से आय

क्सले वारतविक जोती गई	उपज मनो	बाजार	उपज किस बास में	आय याते
मूमि का क्षेत्रफल	में	मूल्य	लाई जाती है	
१	२	३	४	५

बाजारा

ज्वार

मोंठ

मूग

खार

चौला/चीली

उड्ड

मूगफली

चना

जी

गेहूँ

सुरसी

ग्रहर

मवका

प्याज

पटसन्न

तिल

कपास

बगीचों से आय

आय

योग—

हृषि सम्बद्धी अय्य

(१) छाद

- (२) जुताई
 - (३) जुवाई
 - (४) नराई
 - (५) बीज
 - (६) सिंचाई
 - (७) कृषि क्रियाएँ
 - (८) कृषि शोजार
 - (९) भूमि का लगान
 - (१०) अन्य
- योग

कुल कृषि आय
 कुल कृषि अपय
 शुद्ध आय कृषि से
 (ख) कृषि अम से आय
 (ग) कृषि के अनिक्त अम अम से आय
 (घ) सरकारों नोकरों से आय
 (ङ) गेर सरकारा नोकरों से आय
 (च) व्यवसाय या व्यापार से आय
 (छ) ब्याज की आय
 (ज) विविध
 योग
 कुल योग
 ——कुल भूमि

- (१) खेती योग्य भूमि
- (२) बजार भूमि
- (३) भूमि जिसमें विद्युत वर्ष सेती की गई हो लेकिन इस वर्ष नहीं की गई है
- (४) भूमि जिस पर इस वर्ष सेती की गई है
- (५) भूमि जिस पर विद्युत वर्ष सेती नहीं की गई वरन् इस वर्ष की गई

- (६) स्वयं की भूमि या कहे में है ?
 (७) क्या कादतकार स्वयं काश्त करता है ?
 (८) भूमि पर फसलें—
 (अ) रवी—
 (ब) खरीफ—
 (स) जायद—
 (९) आय बातें

६—परिवार का वार्षिक उपभोग व्यय

(क) भोज्य पदार्थ

(ग्र) अनाज

१

१—

२—

३—

४—

(ब) दालें

(स) शाक तरकारी

(द) चीनी

(इ) गुड़

(उ) मास

(ऊ) अण्डे

(ए) दूध

(ऐ) फल

(ओ) धो इत्यादि देशी-डालडा

(ओ) भमाले

(अ) आय

कुल भोज्य पदार्थों पर व्यय

मात्रा

२

मूल्य

३

(ख) कपड़े

गज—गिरह

मूल्य— सूती/ऊनी/व आद्य

पुस्तक

स्त्री

बच्चे

देत का सामान

प्रथ्य

योग

(ग) जूती एवं जूता

संस्था जोड़ी

किस्म

मूल्य

पुरुष

स्त्री

बच्चे

योग

(घ) ई धन एवं मिट्टी का तेल

लकड़ी

उपले

मिट्टी का तेल

माचिस

अर्य

योग

(इ) मकान किराया एवं अय मकान सम्बंधी व्यय

१ मकान किराया

२ नया मकान बनाने पर

३ मरम्मत करवाने पर

योग

(च) स्वास्थ्य एवं शिक्षा

(छ) नशीली वस्तुयें

१—शाराव देशी / विदेशी

२—भग

३—तम्भाकू

४—भ्रम

(ज) खोहार एवं सहकार

(झ) सेवायें

(झ) विविध—

यात्रा

मुकदमा

अर्य

कुल योग—

१०) —यदि परिवार में बचत होती है तो उपका किम् प्रकार प्रयोग किया जाता है—

- (अ) पेटक अहण का भुगतान करने में—
- (ब) स्वयं द्वारा लिये गये अहण का भुगतान करने में—
- (स) अहण देने में—
- (द) नई सम्पत्ति का क्षय करने में—
- (इ) आय व्याज आदि

१—यदि आय से व्यय अधिक रहता है तो परिवार का बजट पूरा कैसे किया जाता है—

- (क) अहण लेकर
- (ख) पूँजी सम्पत्ति या स्थायी सम्पत्ति का विक्रय करके
- भूमि मकान पशु गहने आय
- (ग) आय साधन

१२—कुल पशु

- (अ) दूध देने वाले
 - (१) गाये दूध देने वाली गाय जो दूध नहीं देती बछड़े/बछड़िया
 - गायों से प्रतिदिन दूध की मात्रा एवं उसका उपयोग
- (अ) मात्रा
 - (२) भैंसें —दूध देने वाली भैंसें जो दूध नहीं देती गावारा पाड़े/पाड़िया
 - भैंसें के प्रतिदिन की दूध की मात्रा उपयोग
- (३) बकरिया
 - बकरिया दूध देने वाली बकरा/बकरी/बच्चे
 - बकरियों से प्रतिदिन दूध की मात्रा उपयोग
- (ब) ऊन प्रदान करने वाले
 - भेड़े मेमने
- (स) बोझा ढोने वाले
 - ऊट ऊटनी गधे सच्चर
 - (द) छृष्टि के प्रयोग में प्राने वाले
 - बैल
 - भौमे
 - ऊट
 - (इ) आय

१३—आय उपयोगी बातें

पचायते ग्राम योजनाएँ कैसे बनायें

—श्री विष्णुदत्त शर्मा

हमें यह मानकर चलना पड़ेगा कि कोई ग्राम विकास की व्यापक योजना के द्वारा स्वाधीनी नहीं बन सकता। इसलिए हमें गांधी के बारे में ऐसी योजना के सबध में पहले बात कर भीनी आहिए। हमारे गांधी की योजना का मुख्य उद्देश्य यह होना आहिए नि जिससे गांधी में उपलब्ध सभी साधनों का अधिकारिष्ठ उपयोग हो लक और इस योजना की पूर्तर्ण सफल बनाने के लिए जर्हा तक सम्भव हो वाहरी सहायता प्राप्त कर सके। ग्राम विकास की योजना हेतुर वरते समय तीन मोटी बालों का स्थान रखना पड़ेगा—

(१) सर्वेषण (२) ग्राम की आवादवता, और (३) कार्य करने की योजना।

(१) सर्वेषण—

ग्राम की योजना हेतुर वरते समय दह वर्षी है कि इस ग्राम में सब साधनों का (अवित्त व सामान) पूरी तरह तपशील कर लिया जाय। गांधी की रियति का कान जब तक पुर्णहप से न हो योजना की सापार कला में बढ़ोरी रहने को मानका है।

(२) ग्राम की आवादवता—

विसी भी गांधी की योजना इनाम से वहस बहु ने निषादियों की प्रमुख आवादवताओं को आनना वसी है। वह कार्य ग्राम बालों से बातचीत घोर दृष्टिगत वरने वर ही सपादित विद्या जा एता है।

गाव वानों की मूरम्भन बहरता को जान लेने का था, उनको ग्रामिणता के प्राप्तार पर भागे पीछे किया जावे ताकि उनको एक एक करके बाम में लिया जा सके।

(३) योजना कार्य की रूपरेखा—

यह प्रत्यक्ष ग्रामवश्यक है कि गाव की योजना गाव वाने स्वयं तयार करें। क्योंकि गाव के विकास की योजना इसी बाहरी एजेंसी द्वारा तयार किए जाने पर यह भर है कि गाव वानों की समस्त स्थानीय ग्रामवश्यकताओं को पुरा करने में सफल न हो। इसके प्रतिरिक्ष गाव वानों को यह भी विश्वास नहीं हांगा कि वह उनकी अपनी योजना है और इसलिए उपरे करने में वे उनकी विनियोगी नहीं ले सकेंगे। अत यह प्रभावश्यक है कि गाव वाने भरने गाव की योजना भरनी ग्राम पञ्चायत के जरिये तयार करें, अलबता ग्राम स्तर वे कार्यकर्ता से इसमें मौजूद लो जा सकता है। यह हा सकता है कि ए चायत को योजना तयार करने में कुछ दिक्षित हो लेकिन ग्राम सेवक उनमें गाव के लिए उचित योजना बनाने में उत्तम हा जग्या सकता है। इस काय में सही डण से मद्द करने के लिए ग्रामपेन्ड को बनाने के ट्रिविंडन स्टाफ द्वारा उचित मार्ग दिया जाना चाहिए।

गावों की योजना में नीचे बनाई गई बातों का समावेश किया जाना चाहिए—

- (१) प्रोग्राम को कार्यी बन करने और प्रतानन बनाने का योजना,
- (२) इवि को उनक बनाने की योजना,
- (३) पशु-यानन के विकास की योजना,
- (४) स्वास्थ्य-सप्लाई और चिकित्सा की सुविधा की योजना,
- (५) शिक्षा की योजना
- (६) सहकारिता और देहांतों में कर्ज देने को ग्रामस्था व विकास की योजना
- (७) ग्रामोद्योग के विकास की योजना,
- (८) गाव के मकानों में सुधार की योजना,
- (९) यानायात के सापनों के विकास की योजना, तथा
- (१०) गावों की सहृति व विकास की योजना।

(१) गाव का प्रशासन—

यहां माना हुई बात है कि गाव के सब नोग विकास के सभी बायों में सीधे भरना पाठ्य पदा नहीं है एवं सहृते परन्तु उनको इसी एक लोकतात्त्विक सस्य के माध्यम से विकास के कायों में लाया जा सकता है। गाव में ए चारत से अधिक पञ्चों भी और कोई लाकृतात्त्विक सस्य नहीं हा सकती और ग्राम पञ्चायत कोई नई सस्या नहीं। सरिया से इस दण में गाव वान अपनी पञ्चायत को ग्रामपंचायत से देखते आय हैं। ग्राम-मण्डन व जन-नग्ना व उल्लेख प्राप्त हैं ही। यदि हमें घरने देने म लोकतात्त्व को

व्यापक और सुहृद बनाना है और देश के दूर दूर के भेत्र के माध्यमें ग्रामीणों के लिए भी उसे मूर्खलप दिया है तो इस स्थाया का हमें ग्राम विकास के सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वय करने का केंद्र बना पड़ेगा।

गाँव के विकास के सब बायों को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रधान को सींगा जानी चाहिये क्योंकि किसी बाहरी एजेंसी की घोषणा पर चाहत उहैं प्रधिक दिनबहरी से बायों तक पहुँचे। और पर चाहनों को भी चाहिये कि वे ग्रामीणों की जलाई व बढ़ती के लिये सब विकास कार्यक्रमों को स्वयं हाथ में ले।

(२) दृष्टि—

गाँवों के निवासियों का मुख्य पारा कृपि है और मनूचा ग्रामीण ममाज ता हर तक सेरी बाढ़ी पर ही प्राप्ति होता है परन्तु देश में प्रधिकास गाँवों में प्रश्नों प्रावश्यकता के मनुसार खालाजों का उत्पादन नहीं होता और हमें उनकी कमी को दूर करने के लिये बाहर से भवाज मवाना पड़ता है। इसलिए प्रधेक गाँव का महत्व होता चाहिये कि वह अपनी जहरत के मनुसार खालाज से पैदा करें ही, साथ ही कमी के लिए स्वतिरिक्त अवाज पैदा करने के प्रदत्त करें।

(३) पशु पालन—

ग्रामीण मध्य व्यवस्था में पशुपालन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्वयं और मनवून मदेनियों को पैदा करने और पानी को भव्यतम् प्रावश्यकता है साथ हा बहरियों और मुग्यों मुग्यियों का भी उचित विकास किया जाना चाहिये। हमारा लक्ष्य दूध का उत्पादन बढ़ाने की ओर होता चहिय ताकि गाँव के प्रत्येक परिवार के हर घर्कि को प्रति दिन धारा मेर दूध दीने के लिये मिल सके इसके मनवाचा उत्पत्ति किसम के बैलों को तादाद बढ़ायो जानी चाहिये और वहाँ पर्याप्ती बुराह दी जाना चाहिये। पशु चिकित्सा को व्यवस्था द्वारा मधिया का दूत की बोमारिया न बढ़ाव की व्यवस्था भी का जानी चाहिये। मदेनियों के लिए चरागाहा की समुक्ति व्यवस्था होनी चाहिए।

(४) स्वास्थ्य एव सफाई—

गाँवों में स्वास्थ्य एव सफाई के लिए योजना तयार करते वक्त इन बातों का प्राप्त में रखना प्रावश्यक है—यजना में गाँवों के सभी बाजों के लोगों के इस्तेमाल के लिए योने का पानी के कुपार की व्यवस्था की जानी चाहिए, स्वस्थ भाइर्तों की व्यवस्था एव गाँवों की साकु सुपरा रडन की कार्यक्रम की जानी चाहिए।

गाँवों में बीमारों की चिकित्सा की व्यवस्था के लिए छोट छोटे गाँवों के समूहों के लिए एक शोभायक या डिस्ट्रीक्शन भी चाहिये। जबका मात्रामों की देसभात के लिए आइस की व्यवस्था भी प्रावश्यक है। चेवा और हैजे वे टीके भी सभी ही जानां जा मर्हे, ऐसा प्रवार दिया जाना चाहिए।

(५) शिक्षा—

हमारी सामुद्रिक शिक्षा प्रणाली देश की सब जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती। शिक्षा का महत्व इच्छा से नहीं है किन्तु विद्या में शिक्षा प्राप्त की जाती है बल्कि इस बात से ग्राका जाना चाहिए कि इन विषयों में शिक्षा प्राप्त की जाई है उनमें से दैनिक जीवन के कार्यों में उसका किस हद तक इस्तमाल किया जाता है।

(६) सहजारिता—

गौव में सहजारी सम्भायें न बचन कृपि एवं ग्रामोद्योग को प्रामाणहन देने बल्कि गाव वालों के सामुद्रिक प्रयत्नों को समर्थित करने के लिए आ गी सम्भाय लोती है। अत गौवा के विकास की योजना में सहजारी सम्भायों का विशेष महत्वानुग्रह स्थान है। गाव में सहजारी समितियों को उचित ढंग से संगठित करने से, गाव के विदास के बहुत से कामकाज में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्येक गाव में एक बहुउद्देश्यीय सहजारी समिति की स्थापना की जाय और प्रत्येक परिवार को उसका सदस्य बनाया जाय। यह समिति गावों की अतिरिक्त उपज की बिक्री और लोगों की जरूरत की जीजो के बटवारे का काम ने सही है। खाँ, बीज उन्नत कृषि श्रीजारी की सम्भाइ एवं बटवार का काम भी इस समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। ग्रामोद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल का स्टाक भी यह समिति अपने पास रख सकती है। गावा में उपयोग के लिए सहजारी समिति अच्छी नस्ल का साड़ मी रख सकती है।

(७) ग्रामोद्योग—

हमारे देश में बेशारी और नम रोजगार की समस्या इसलिए भी यनी हुई है कि हमारे ग्रामोद्योगों की उपे गी होती रही है। हानाकि हमारा देश कृपि प्रधान है। किर भी पहले से ही हम लोग ग्रामोद्योग को उचित स्थान देते थाए हैं। और यही कारण है कि ग्रामोद्योग द्वारा तथार की गयी कला तक बहुत अधिक देवने को मिलती है।

(८) मकान—

गावों में मकानों का सुधार दो तरीकों से हो सकता है—एक तो मौजूदा मकानों में सुधार करके और दूसरे नये मकानों का निर्माण करके।

गावों के जो लोग पुराने मकानों का सुधार करता चाहते हों या नये मकानों का निर्माण करता चाहते हों वे एक सहजारी समिति बना सकते हैं। नये मकानों के निर्माण के लिए सहजारी समिति द्वारा कारण की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(९) यातायात—

जड़ तक गंडव का बादूर के इनाको से सदक यातायात का संबंध नहीं होता बड़े गाव घरना


भरपूर विहास नहीं कर सकता। इसके लिये भावशयक है कि पात्र को दार्शन का विहास संष्ठक के बीच से जाड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाय। ये सड़कें बारह महिनों उपयोग में लाई जा सकते हैं ऐसी ध्यवस्था ही नहीं चाहिये।

(१०) सास्थृतिक विकास—

गाव के विकास कार्यक्रम में सास्थृतिक पालन को अधिकर नजररदाज कर दिया जाता है। मेकिन याम विहास के जरिये जो मात्रमनिर्भरता होगी वह प्रबलकी और डिटाइ नहीं होगी यदि डस्टी पात्र का सास्थृतिक प्राप्तार फूर्ती रूप से प्राप्त न हो।

वेमे देखा जाय तो प्रामीण जीवन प्राप्ती प्रमोद और वनकूद के प्रभाव में सुखी नहीं हो सकता। एक बात योर है—मनोरजन के जरिये नये विवारों को प्रामदवासिया तक प्राप्तानी से पूर्ववाया जा सकता है। अत यह भावशयक है कि गाव में प्रबलित लाग नुव्वों एव सोक्खोतों का प्रोत्वाहृत किया जाय।

ठारेक बाजा का ध्यान में रख कर पापीण। द्वारा बनाई जाने वाली शाय विहास को योजना को प्रार्थित करने में गाव ही मात्रमनिर्भर करने प्रभले पार में भरा पूरा करने में बहुत सफरता मिल सकती है।



ग्राम औद्योगीकरण कार्यक्रम

का निर्धारण

—श्री ज्यग्रनाथ नारायण

हमारे राज्य का प्रत्येक राज्य मुख्य रूप से शासी है—कुछ अधिक और कुछ कम। इसलिये भारतीय प्रथ व्यवस्था को सबविदित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किर भी जा बातें बहुत दम महात्व की हैं वे ग्रामिक उत्सुकता “दा करतो हैं और मन्त्रियों व अधिकारियों का ग्रामिक समय लती है। गांवों में जो लोग रहते हैं उनकी सल्ला सारे देश की जनसल्ला का दूर प्रतिशत है उसके लिये लेती वे पत्ताणा ग्राम काम कूड़े ने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यह कार्य महत्वपूर्ण और आवश्यक है। १९१७ में लालभाषा में भाषण देने हुए प० नेहरू ने कहा था कि भारत का विकास गांवों के विकास पर निभर है। यह बात पहली बार नहीं कही गई थी और न धाकिरी बार भी न पड़त नेहरू ने भले कहा थी। हरेक नेता ने यही बाँ। कूटी थी। बात भी सही है—इसके विपरीत हो भी कैसे सकता है। इसलिये यह बड़े बेद वी बात है कि राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम की प्राप्तिकर्ता नहीं दी।

मैं इस बात पर बन देना चाहता हूँ कि राज्यों की जो हात त है उसमें यदि मुख्यमंत्री तिकी

और पर दिलचस्पी नहीं लेत हैं और इस कार्यक्रम को उचित महत्व नहीं दत हैं और अबनी सत्ता और ग्रोहर म नोकरशाही के मानव्य को नियंत्रित नहीं करत हैं तो यह कार्यक्रम आगे नहीं चल सकता है। यह ठोक है कि कई राज्यों में मुख्यमन्त्री राज्यस्तर की कमेटी का अधिकार है लेकिन इसमें कमेटी को मानवशक्ति दर्जा नहीं मिलता और न वह सत्ता व शक्ति मिली जिससे ग्राम उद्योग योजना कमेटी गाव वालों का भला कर सकती। इसलिये माझा करता हूँ कि राज्यों से हृषि विकास के बाद ग्राम उद्योगों का महत्व दिया जायगा। निम्नलिखित हृषि विकास को प्रधम दर्जा मिलना चाहिये।

प्रशासनिक समस्याएँ

प्रशासन ने मुख्य उद्देश्य दो दो (१) उदाहरणों के विकास से समर्पित जभी एजेंसियों के प्राधन, प्रधनों और योजनाग्राही को एक सूत्र से बाधना (२) प्रशासनिक कार्यविधि का साधारण बना कर कार्यक्रम के कार्यविधन में फीडबॉक्स लाना।

जहा सब वहले उद्देश्य का मन्त्र व राज्य स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर एजेंटरण के उद्देश्य को कुछ भूतक प्राप्त किया गया है। लेकिन वह प्रारम्भ मात्र है। प्रोजेक्ट स्तर पर अनियान एजेंटवा के पास संगठनात्मक इकाई नहीं है। अब दसना यह है कि उस स्तर पर एजेंटरण क्षेत्र होता है।

इस क्षेत्र में मुख्य समस्या यह है कि अच्छा उद्योगों के बीच संजीव व कल्पनापूर्ण प्रत्यक्ष फैसला लाया जाय ताकि मामीण क्षेत्रों में भौतिकिय काम बढ़ता रह। इस समस्या का मध्यमन प्रामाण उदाहरण योजना कमेटी की स्थापित द्वारा किया जाना है। इस प्रकार सारे जटिल प्रक्रिये जिनमें उत्पादन कार्यक्रम, कच्चे माल का निर्धारण, कीमत निश्चित करना, बेचना मादि हैं अभी हल किये जान है।

जहा सब दूसरे उद्देश्य का मन्त्र व राज्य स्तर पर ग्रामीण उद्योग योजना कमेटी की रायही कि कार्यक्रम का प्रशासनिक जाल से बचाना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह ध्यावदशक्ति है कि प्रत्यक्षवहार इस प्रकार हो—स्थायी कमेटी, राज्य स्तर कमेटी प्रोजेक्ट कार्यालय कमटी। बास्तव में मैं घरने थोड़े मनुभव के माध्यम पर यह बताता चाहूँगा कि राज्य स्तर कमेटी को सत्ताहारी कमेटी के हृषि में बना दिया गया है और विभाग इउने हाथी हा याए है कि शीघ्र कार्यालय का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका है। कोई काम पूरा किया जाय इस पर उत्तमा जोर नहीं दिया जाना है। इस परियोर धर्मिक स्वरूप दिया जाय जा पारम में साचा गया था। कि प्रोजेक्ट कार्यालय कमेटी वित्तीय साधनों के मनुकूल एक विनोद कार्यक्रम बनायगी। उस कार्यक्रम पर विभागीय जोर दिया जाए। विभागों के मुझावों का हृषित में योजना में किए हुएकेर किया जायगा। किर वह राज्य स्तर कमटी के पास जायगा। उसका जो विस्तार होगा वह राज्य सरकार के निर्णय के समान होगा। किर वह योजना प्रोजेक्ट स्तर पर जारी करा उसे कार्यालय किया जायगा। लकिन हमारा बया है। राज्य स्तर कमटी के निर्णय पर विभाग विवार बरत है। इससे राज्य स्तर कमटा का अस्तित्व बेसार हा जाता है और कार्यक्रम की गति घटाड हो जाती है।

उपर्युक्त प्रशासनिक प्रश्नों से धर्मिक मौलिक प्रश्न उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली एजेंसिया ना है। प्रापको ध्यान है कि मैंने एक प्रस्ताव रखा था। कि एक प्रामीण मोदायीकरण उद्योग की स्थापना की जाय जिसमें बत्तमान में तमाम एजेंसिया दामिन का जायें जो प्रामीण नेत्रों से सम्बन्ध रखती हैं। उस प्रस्ताव को अध्यवहारिक समझा गया। एक दूसरा प्रस्ताव योजना प्रायोग ने स्वीकार कर लिया लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया और भ्रत में निम्न एजेंसिया बनाई गई (१) प्राम उद्योग याजना कमे (२) राज्यस्तर कमेटी, (३) प्रोजेक्ट कमेटी। यह निष्पत्र प्रयोग के रूप में किया गया था। इसका मत यह हुआ कि हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं।

इस समय केन्द्र में प्रामीण उद्योग योजना कमेटी व स्थापी समिति सचिव प्रबन्ध एजेंसियों समझा जाता है। फिर भी दो बातें स्पष्ट हैं (१) जैसे जैस कार्यक्रम और दोनों में फलता जाता है ये कमेटिया उस कार्य का सभान नहीं पायेंगी। यही बात राज्य कमेटिया के बारे में होगी। (२) इन दोनों कमेटिया में ऐसे वर्तमानियों की सद्या बढ़ाना चाहिये जो तकनीकी और व्यवसाय की शिक्षा जानते हों।

राज्य स्तर कमेटी के सम्बन्ध में मैंने ऊर काफी कहा है। यदि नीचे प्रोजेक्ट कमेटी के बारे में मुझे संदेह है कि क्या वह सस्वा भ्रत में वर्तमान रूप में काय को प्राप्त बढ़ा सकती है? बिहार की दो प्रोजेक्ट कमेटियों को छोड़ कर वाको ४४ कमेटिया विभागों की तरह काम करती हैं।

प्रशासन व उद्योग के बीच ये उत्तर निशाना तो धार्यारण बात होगी। वह तो हर कोई बताता रहा है। हान ही मैं थो मुद्रनियम ने यहा या, "प्रोयोगिक प्रशासन को सेवा जीवा के नियन्त्रण से मुक्त किया जाय।" उहाने प्राप्त कहा कि मोदायिक कायों का "मनुसासन राजनीतिक मनुसासन से विभिन्न होता है। यदि प्राम उद्योग का विवाह को भाति चबाना चाहें तो वह प्रसकत हो जायगा।" यदि महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इनकी बात हो रही है लेकिन इसके बारे में इतना कम किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट मेत्र के बारे में सोचने हृषे हमें प्राप्त बढ़ाने वाली एज सी के सबसे अच्छे रूप को बनाने पर गम्भीरता पूर्वक विचर करता चाहिये। जब तब ऐसी एजसी नहीं हानी प्रामीण उद्योग भ्रत में आप विकास नहीं कर सकते हैं। बड़े और दृष्टे उद्योग के क्षेत्र में सरकारी सहायता से निजी उद्योग इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। प्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में ये सेवाएं सामाजिक प्ररणा से हो मिल सकती हैं। इस सम्बन्ध में भी धूमावर का मुकाबला जो उहोंने याजना प्रायोग को दिया है कि जिना विकास निगमों की स्थापना की जाय विचारणाय है।

प्रामीण उद्योगों वा सारा भविष्य अधिकारमय लगता है क्योंकि वाम मिलने वाला और नियन्त्रित करना मात्र उत्तराय नहीं है। "हरा के उद्योग का यह मान मिल सकता है लेकिन गावों के उद्योग को नहीं। इस कारण से प्रामीण उद्योग का क्षेत्र सीमित हो गया है। यह क्षेत्र खाने प्रामोदीय बमान क प्रत्यक्ष प्रानता है, किंतु प्राजन कमेटिया व मन दो कमेटियों के बनाने की मारक्षणता कही रह जाती है।

मैं तो कहूँगा कि हम सब को महात्मा गांधी की बुद्धिमता व दूर्जिता की प्रशसा करनी

चाहिए। मैंन देखा कि सारी प्रामाण्योग के वर्गत जो उद्योग आते हैं उन पर शहरी लोग हसते हैं लेकिन जब यह बात स्पष्ट कर दी जाती है कि माज की हालत में गावों में इनके घलाता और कोई उद्योग नहीं चलाये जा सकते हैं तो वया मजाक बन्द नहीं होगा और वया इन उद्योगों का समर्थन नहीं होने लगेगा? जातान में नित्य उद्योग व कुटीर उद्योग लोगों के उपयोग के लिए बहुत सा सामान तैयार करत है और उहरों के बारबारों में तयार किया हृषा माल निर्यात किया जाता है ताकि विदेशी मुद्रा पेंदा दी जा सके। वया हम भावा करें कि समाज के समझार लोग इसी दशभक्ति की मानवना से प्रेरित हैं?

यदि प्रामीण उद्योगों का विकास स्थानीय बच्चे माल के प्राधार पर ही बनना है तो तीन बातें करनी चाहिये। (१) याजना आयोग को स्थध्ययन करना चाहिये कि कौनसे उद्योग गावों में खल सकते हैं और उनकी स्परेका ग्राम बाला को देनी चाहिए। (२) प्रामीण उद्योगों की टेक्नॉनीजी को उन्नत बनाने के लिये शाव किया जाना चाहिये। भी शुमार ने कहा कि ऐसी टेक्नॉनीजी बननी चाहिये ताकि उठागों से अधिक उत्पादन व अधिक साम हो। (३) विजली की बढ़ी वा अपान में रखते हए प्राय शक्ति स्रोत लोडने की काशिश करना चाहिए। प्रयोग शालामा में बहुत सा तथ्य मोहद है सहिन उसका प्रयोग नहीं किया गया है।

नीति व इच्छा का प्रभाव

मैंन ऊपर बहा है कि प्रचंडे और कम प्रचंडे उद्योगों से शीघ्र सहयोग होना चाहिए। इस प्रदेश पर विचार करना है लेकिन जिन उद्योगों के बारे में सम्प्रयन हो चुका है जैसे तेल विद्युलना, घान झूटना भाटि उनके बारे में राज्य सरकारों की कोई स्पष्ट नीति नहीं है और यदि कोई नीति है भी तो उसे अच्छी तरह बतानी जा रहा है। यह प्रश्न इसलिये भी महत्वूर्ण बन रहा है कि प्रामीण उद्योगों का सेवा सीमित है। यह लेद बी बात है कि उद्योग गांधों से हट कर उहरों की ओर जा रहा है। गांधा में उद्योगों के बारे में हाशियार नाम नहीं रह गये हैं। उतना दु निग की अवधिपर होनी चाहिये।



ग्राम ओद्योगीकरण पर सकू दृष्टि

—प्रो डी. आर. गाडगील

मैं समझता हूँ कि भारिक विकास की योजना का मुख्य भारिक व सामाजिक उद्देश्य गावा का ओद्योगीकरण है। इसलिए इने तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि सारी विकास योजना विशेषकर उद्योगीकरण की योजना इस उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए बनाई जाये। ग्राज ग्रामोण उद्योगीकरण ने लिए जो प्रयत्न हिये जा रहे हैं या जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है उससे बाईं ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। और मागे चम्कर बडे उद्योगों में सम्बन्धित जो नीति व सुझाव है वह निश्चितरूप से उद्योग को शहरी व पूँजी माधारित बना देगा और देहान को गरीब व उदाग विहन कर देगा मैं समझता हूँ कि ग्राम उद्योगीकरण का उद्देश्य काराबार मिलने कि शक्ति में पूछु है प्रोटोर विकास को भावश्यकनामों को पूरी करता है। योजना बीं कनाक व बारे में जो बताना चाहन है वह इस समस्या का शोध व सरल है नहीं बताता है। इसलिए इस पर बोढ़ा बोढ़ा करके प्रयाप करना चाहिए।

व वडे उद्योग क लिए सामन निदिवत करने के लिये जो निशुल्क विद्या जाते हैं और जा सायसेस दिये जाते हैं व दश क उद्योगकरण का भावी रूप बताते हैं। विकास पा। में जो काम किया जाता है वह आवश्यक तत्व है जो नावी व्यवस्था को निश्चित बनागा। इस सम्बन्ध में निर्यात बदान में जो प्रयत्न किया गया और विद्योग सहयोग क बारे में नीति निधारित की गई वह भी महत्वपूर्ण बन गई है। इस समय ऐसा नहीं सहजा है कि उत्पुर्क्त बातों का ग्राम ए उद्योग खुल जाते हैं जिनकी तुलना बड़े बड़े उद्योगों के देशों में का आ सकती है। इन उद्योगों के लिए बड़े बड़े याहरों का उत्पुर्क्त समझ जाता है। निश्चित है कि इन कारों के विकास का भावी रूप भी उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार तकनीक, दर्जा व स्थान बनेगा।

इस समय जा व्यवस्थायें व रीतिया चल रही हैं उनके प्रभाव के अन्वाद आगे चलकर उनके महत्वपूर्ण वरिष्ठाम भी होते हैं। सामग्री के प्राप्त होने के बारे में भी मुख्य बहस है। ग्रामाल शौद्योगिकरण के लिए सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण घाधार वह कच्छा माल है जो गाड़ी में प्राप्त है। मदि उस कच्छे माल का घाहरा का पार्श्वनिक व बड़े बड़े उद्योग से प्रयोग कर लिया जायगा तो गाड़ी का उद्योगकरण भस्मभव है। माज यहा द्वारा रहा है और जहा तक मुझे पता है जो कदम उठाये जा रहे हैं उनके वरिष्ठाम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उद्योग से जो शीरा निकालना है उसे यहे बड़े उद्योगों में बास में लाने को योजना है मैंने सुना है कि ध्यान क पानी निकालने के लिये विदेशी सहायता से एक बड़ी केवटरी लगाई जाने वानी है। जब तक नाति न्याय रूप से नहीं बनाई जायगी तब तक यही तो होगा। टकनीजों के विद्यान वही बताए गए कि मार्शुनिक तकनीज की इकाई इत्यादिन की जाय जिसका क्षेत्र धर्मिता से प्रधिक है। वे विदेशी पर तभी विचार करेंगे जबकि नीति निरेशन उह विचार करने के लिए आध्य करेगा।

एक ऐसा मामला है जिसमें नाति व निर्णय ने शौद्योगिक विकास पर प्रभाव दाना है। वह है वक्तव्य उद्योग। उसमें निर्यात के लिए प्रीत्साहन के नाम पर कमज़ारिया देना की गई है। वक्तव्य उद्योग में काम नकारात्मक है। इसका कारण यह है कि ध्याम उत्तरान वार्त्यक्षम जो पहली योजना में स्वीकार किया जा चुका है उसे पूरा तीर पर नहीं चलाया गया है। उत्तरान क कार्यक्रम जो सीमित रक्खा गया है यह उन तक से सामित है जहा साथ ही साथ पुरान व मार्शुनिक तकनीज भीड़ रहे हैं। मविध्य म नई नई वस्तुमुक्त का उत्तरान प्रधिक देने में हापा इसलिए मार्शुनिक उद्योग की स्थापना की व्यवस्था बरतनी चाहिये। इन व्यवस्थामांडे उद्योगकरण की योजना में नामित करना होगा।

प्राप उद्योग की मार्शुनिक पर भी ध्यान देना चाहिये। मुक्तिधार्थों को ऐताना चाहिये। बड़े बड़े कारों के याहरा का याकर्त्तु नह जाह हार्दि जाने वाली बात है। प्रार्नेनिक विकास की हरेक योजना में इन बातें का ध्यान रखना होगा और यातायात, जल, विज्ञों प्रादि की सुविधाओं को ऐताना पड़ेगा। इसलिये इस सम्बन्ध में यातायात को हुबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक पछोदा समझ्या सही ही जाती है। स्पष्ट है कि हमारे मार्शुनी साप्तन-मुक्तिधार्थों को सीमित ही रखने की बाध्य करेंगे। इसनिये ध्याम उद्योगों को बैहाना में वा। में ध्याम ही वारम्ब दिया जाना चाहिये। किंतु वह या खोटे, वि रितने निष्ठ व फसे हुये ये केंद्र हो—इस पर विचार बरता है लेकिन मनिय स्थान

व्याहारिकता को ध्यान में रखकर। इसका अप हमा कि कायक्रम घोड़े किन्तु बड़े बड़ों में प्रारम्भ किया जाय और बाद में उस बढ़ा दिया जाय।

ग्राम उद्योग की योजना में एक सबसे बड़ी ग्रावश्यकता शोध कार्य की है। जो देश ग्रीष्मीयित उपर्याप्ति कर चुक है वही भी शाख काय जारी रहते हैं। बहुत क्षेत्रों में विकास में कारावार के बारे में कठिनाई पदा हो गई है। यदि उनके तरफनीकी ढाँचे को हम स्वाकार कर लें तो वही मुसीबत खड़ी हो जायगी। यह किसी विशेष उद्योग की समस्या नहीं है बल्कि इस पर सबका प्रभाव पड़ता है। ग्रावश्यक टांगा को शोध काय में आधुनिकता लाने से पूरा किया जा सकता है। उद्योगों के बारे में प्रथनी विवाद नीति को भी भव एवं नया रूप देना चाहिये।

शोध कार्य का एक पहलू है जिसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। ग्राम उद्योग के आधार के लिए वन भूमि, बजर भूमि व फाडियों से ढकी भूमि को विस्तृत किया जाना चाहिये। वहाँ पर तरह सरह का कच्चा माल पदा किया जा सकता है। ग्राम उद्योगों का स्थानीय कच्चा माल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और आज जो क्षेत्र खेती वे योग्य नहीं हैं वे ऐसे माल की प्रपूर्ति के लिये बढ़ते जा रहे हैं।

मपने देश की स्थिति की देखते हुये यह न बेकल बाध्नीय है बल्कि बहुत ग्रावश्यक है कि पूरे पूरे प्रयत्न किये जाने चाहिये ताकि देश में छोटे पैमाने पर उद्योगों का फ्लाव हो। यह लक्ष्य जिस में ग्राम उद्योगीकरण मानता है भासाती से प्राप्त नहा दिया जा सकता है। इसके प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिरोध का मार्ग छोड़ दिया जाय जो आजकल हमारे देश में भवनाया जा रहा है और पूरा पूरा प्रयत्न ग्रीष्मीयिक व ग्रामीण विकास के प्रयोगदान के लिये करना चाहिये। यह मार्गदर्शन और कही नहीं मिलेगा। इसलिये मपने प्रयोग के लिये तेयार होना चाहिये। इस प्रयत्न से सफलता प्राप्त हो सकती है यदि हमारा प्रयोग ईमानादारी के साथ हो और विस्तृत हो। इसकी प्रयत्न ग्रावश्यकता सारे उद्योगीकरण के बारे में भवनी विचारणाएँ की नया रूप देना है। ग्राम उद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुये विदेशी संग्राम भी भव ग्रामीण विकास कायक्रमों व शोध कार्यों पर किर से विचार करना है।

ग्राम उद्योगीकरण की परिभाषा को बुद्धि विस्तृत बनाना है। और ग्राम उद्योगीकरण कमेटी के प्रयत्न कार्यक्रमों के भारतीय भौजूदा से अधिक काय होने चाहिये। कार्य की बया योजना हो, क्षेत्र किस प्रकार विस्तृत हो—इसकी दिशा निम्न सुझावों से मिल सकती है—

(१) परम्परागत ग्रान व नगर के हस्तकला उद्योग। इनको पुन चलाने व इनकी रक्षा करने की कोणिका तकनीकी व हड ग्रामीण ग्रावार पर करनी चाहिये। उसक साथ साथ भावी उपर्याप्ति के कार्य क्रम भी हो।

(२) कृषि की उपज को भवित्वा बनाना उमे वर्जनना बजर भूमि व फाडियों में पैदा होने वानी नीजों को उपयोग के अनुरूप बनाना भावि। प्रयत्न यह होना चाहिये कि एक योग सहकारी संगठन हा जिसमें ये तमाम कार्य किये जायें। शाख से इन कार्यों के मेत्र का बढ़ाया जाता रहे।

(३) गावा में इमारती कार्य भी बढ़ाये जायें। ग्राम उद्योग के लिए इसमें महत्यपूर्ण नेत्र

प्रान्त होगा जब काम क्रम में लोगों का अधिक काम मिलेगा तो तरह तरह के कल, पुर्जों व शाय चीजों के लिए बाजार बनेगा। इन बाजारों में ग्राम उद्योगों के घोटे पैमाने पर बनाए गए माल को बेचा जा सकता है। इस प्रकार इस सम्बंध में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि गाँवों के नवयों में सुधार किया, जाय और उच्चे पदों पर बनवाये जायें और स्थानीय बाजार तैयार किए जायें।

१४) गाँवों के सेवा में उपभोताओं के लिये नवा माल भेजा जा रहा है और भी बहुत सो दिखाय है। लार्ज उद्योगों की वस्तुओं में भी उश्त्रित की जा सकती है। भ्राज राज्य व जिला के बीच होड़ लार्ज ही है कि बड़े उद्योगों के लिए वहाँ स्थायित किए जायें। ये बड़े बड़े उद्योग पडोस के लोगों की तभी नाम पढ़ चा सकत हैं जब कुछ शाय उपयोग में छोटे पैमाने पर उद्योगों का लगाना, तैयार की गई वस्तुओं का बचना प्राप्ति है। ये उपयोग भी तभी किए जा सकते हैं जब ग्राम उद्योगों पर स्थान दिया जाये।



बेकारी और बेरोजगारी से जिहाद

कोई वेकार न रहे
कोई वे रोजगार न रहे

गाव में कोई वेकार न रहे, कोई बेरोजगार न रहे गाव में सब महनत करे सब कमाए, सब स्थाए पीए और प्रपत्ते ही धर में शुग रहें।

ऐसा हो सकता है पंचायत सर्वेक्षण करे, सर्वेक्षण अवर्त जाच पड़तान करे पता लगाए कि प्रपत्ते गाव में कितने वेकार हैं कितने आये वेकार हैं कितने स्थानी हैं कितने लोगों को काम चाहिए केता काम चाहिए, पता लगाए कि कौन हैसा राजगार कर सकता है पता लगाये कि गाव में कसे उद्योग थाये चल सकते हैं, और फिर लोगों की जहरतों के प्रनुसार तथा लोगों की योग्यता और काम करने की शक्ति भी और धमता के प्रनुसार गाव में नए नए उद्योग थाये शुरू कर दे तिं जिसपे फिर बस की काम मिल सके।

गाव में काम धर्ये चलाने के लिए घन भी मिलता है मशीनें भी मिलती हैं औजार भी मिलते हैं, पंचायत यह सब तजबीज कर सकती हैं।

गाव में नए नए उद्योग धर्ये शुरू करने के लिए पंचायत तो सर्वेक्षण भी बरेगों और नए उद्योग शुरू भी करवाएगी, लेकिन गाव के लोगों को भी प्रपत्ती इच्छा से आगे प्राप्त भ्रपत्ती संकारी समितियें बनानी चाहिए और गाव में सहकारिता के आधार पर नए नए राजगार शुरू करने चाहिये।

जब गाव में धर्ये होंगे तब सब को काम मिलेगा तब गाव छोड़कर काँई गहर नहीं जाएगा न कोई मिल में मजदूर बनेगा, न कुनों बनेगा और न खिशा चलाने जाएगा, तब गाव में बाई वेकार नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा।

खड-८

विविधा



- १ चद्यपुर सगोळी घोर उसके बारे
 - २ पश्चाती राज के दुष्प्रहलुपा पर प्रसिद्ध मारतीय पश्चात परिषद् के विचारों का
- एक समिक्षित विवरण

१५-१६

१५-२७

उदयपुर गोष्ठी और उसके बाद

●

"पंचायती राज सम्प्रभौ" को जिला विकास देश और प्राम स्तर पर स्वशासन की इकाई के रूप में काम करना है। हालांकि ये सत्याये विभिन्न राज्य के एक स्वप्नह्य थे। निमिण्डि ग्रंथविषय कर्त्ता पर राज्य की शासन नहीं हांगी। अरनी आवश्यकता और साधनों की सीमा मही इहे स्वशासन की इकाई के रूप में दायित्वों को निभाना होगा। इसका सोधा मध्य है कि जहा पचायत अदाम होगी वहा समिति और जहा समिति अदाम होगी वहा उससे ऊचे स्तर की इकाई को वह नायित्व निभाना होगा। इस हेतु छोट उसी प्रकार जर्सी भारत के सविधान में ऐद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट कार्य विभाजित है इनके बायों को भी स्पष्ट निर्देश देन वाला विधान हो। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि एक (प्रमुख) निश्चित समय के बाद इन्ही सम्प्रभाओं की प्रोग्राम सन के पूर्ण दायित्व न भालन होगे। भारतीय सविधान वे नीति निर्देश न कर सिद्धान्त इसी प्रारणा को बन प्रदान करते हैं इने "पौज्ञातिगीध्रियादिति भी बरना है पर पचायती राज की धारणा घो पूरा लृपण क्रियात्मक रूप देने का" सबसे बड़ो जिम्मेदारी उनको है, जो "पंचायतराज" के हाथों है।

यह वह विचारणारा है जो "पंचायतीराज की पून ग्रन्त-समस्याओं पर उदयपुर में जनवरी सन् १९६५ में धायोजित सेमिनार ने पचायती राज्य पर व्यक्त की। इन विचार धारा की सर्वे प्रयोग प्रति प्रियोग समाचार पत्रों ने जाहिर की। पर इनम से कुछ ही समाचार पत्र पचायती राज की धारणा को दूसरे गंप तो सेमिनार पर व्यक्त विचारों सेर निर्णयों की धारणा तक पैठ भी नहीं पाए। तथांवि कुछ प्रमुख समाचार पत्रों की टिप्पणिया वा सार निन्नतितित है—

दी टाइम्स ऑफ इण्डिया (दिनों २७/३) — वो हीट में प्राम सभा के स्तर को उन्नत करने के लिए उदयपुर एमोनार की विचारियें छोपी गीता वह पचायत राज बायों के विचार में

मदद वरन वाली है। उदयपुर सेमिनार ने सिफारिश की है कि ग्राम सभा वा उत्थान पचायत राज वायों में सुधार नाएगा। पर पूण मास्था और सहानुभूति रखते हुए भी इस पत्र वा विचार है कि स्थानीय नतृत्व के अमाव म ग्राम सभा को नए अधिकार देने से ही ग्राम-जीवन म दोई परिवर्तन होना मुश्किल है। फिर पचायत राज पर सविधान म नया अनुच्छेद जोड़न का थो जयप्रकाश नारायण वा प्रस्ताव तो पा चयजनन है। पत्र की राय म नया अनुच्छेद जोड़न की बोई आवश्यकता नहीं। ग्रामाण शब्दो म माननीय परिवर्तन की जरूरत बो हृष्टि में रखते हुए पत्र का मत है कि सत्ताहृष्ट ग्रामस्तर पर व्यवस्थित सुगठन बायम कर स्वस्थ नेतृत्व द्वारा काफी कुछ कर सकता है। इसके पूछ (२३/१) प्रक में पत्र न टिप्पणी की थी कि पचायत राज वा सम्पूण प्रस्तृत्व सरपनो की अनुभवहीनता की कम्जी नीव पर खड़ा है।

द्वी स्टेटसमैन (दिल्ली ३०/१) का वयन है कि सरकार के उदार अनुदानो से पचायत राष्ट्र अपन घेय से भटक गया है। वह ग्रामनिभर होने की बजाय सरकार का मुखापेशी ही अधिक बन गया है। पत्र को शक है कि पचायत राज को और अधिकार दन से उसकी स्थानीय दूर हो जायेगी। बल्कि इसमें भी शक है कि सत्ता और सरकार की मुखापेशी यह स्थान जनतन का बाधार बन सकेगी।

दी इण्डियन एक्सप्रेस (दिल्ली २३/१) महसूल बरता है कि पचायत राज के द्वादों ने प्रारंभिक ग्राम ही घवत्त नहीं की बरन शकायें भी उत्तम कर दी हैं। पत्र का मत है कि पचायत राज की स्थानीयों की गोद्ध ही दूर नहीं दिया गया तो यह बदनाम होकर रह जायगा। फिर विधान सभाओ द्वारा पचायता वा निर्माण ही काफी नहीं है पोषण भी अनिवाय है।

दी ट्रोट्ट्यून (ग्रामाला २४/१) की राय है पचायत राज की स्थानीयों को अपनी समस्या पर विचार बरने व उनका हाल लोजन के लिए सभी राजनीतिक दलो को उहे मुक्त छोड़ देना चाहिए। यह प्रारंभिक असफलता कही पचायती राज के प्रति विवास को तष्ट न कर दे। तदर्थ इसके बायों में बाधक तत्वो वी सोज निकालना भीर उहे दूर करना है। गिन तुन सोगो द्वारा पचायत राज के अधिकारो का दुर्घयोग नसिलिए घातक है। पचायतो को उनके वास्तविक अधिकार दिये जान चाहिए।

दी एक्सप्रेस जनरल (बम्बई २२/१) न सचेत दिया है कि योजनाओ से भी अधिक धातक निर्गतापूण पचायती राज को पूर्ण असफलता होगी। पचायत राज की समस्या का मूल निर्वाचक जनता के मत का महत्वहीन होकर रह जाना है। मतदाता का इस स्थान पर दोई निवायण नहीं हैं। आवश्य यता तो यह है कि गाव को सोवसभा वा निर्माण करने वाली ग्राम-सभा को विकेन्द्रित ग्राम व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हो।

दी डक्ट हेराल्ड (बगलोर २१/१) न लिखा है कि पचायतो पर हुई पहली समिनार से लेकर धव तष्ट पचायतों को कोई स्पष्ट निद वा नहीं दिया गया। माना जि मुक्त विवार विमर्श हेतु अवसर दिये जाने की हृष्टि से समिनार वा अत्यधिक महत्व है। पर सेमिनार ने पचायत राज्य को दायित्व प्रदान दरन म बाधाओं पर अवश्य प्रकाश हाला है पर उसके दूसरे (पाघरे) पक्ष को तो अनुभव तक नहीं दिया है।

दी इकोनोमिक टाइम्स (बम्बई २८/१) न शो जयप्रकाश नारायण के इस विचार पर कि

पचायत राज मिक नारा बनकर रह गया है टिप्पणी करते हुए लिखा है कि वहाँ सेत्रों में पचायतों ने सफलता भी प्राप्त की है। स विधान में पचायत राज पर अनुच्छेद जोड़न पर बल देने की बजाय, अपनी प्राविधिकताओं के प्रति गावों को सजग करवे ग्राम सभा को अधिक समय बनाया जाना पत्र की हृषि में अधिक महत्वपूर्ण है।

दो हिन्दुस्तान स्टैण्डड (बलकर्ता २५।१) न अपन बी बहार म पचायत राज तक ही सीमित रखने हुए कहा है वि पचायत समिति और जिला परिषद् के बिना पचायत राज योजना अपूरण है। गावों म वही गावों राजनीतिक का जिक वर्ते हुए और उस दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पत्र ने लिखा है कि पचायत राज की सफलता के लिए अधिकारियों को पूर्ण साक्षाती बरतनी चाहिए।

नव भारत टाइम्स (हिंदी, दिल्ली) का विचार है कि जातीयता और स्वायत्तरता के दागा में पचायतों को बचाना प्रतिवार्य है। ग्राम विकास कार्यों म लगे अधिकारियों को पचायतों के साथ पूर्ण सहयोग संभवता बाध करना चाहिए।

दो सचिलाइट (पटना २८।१) की निष्पायत है वि बिहार मे पचायत राज गवायों पर खड़ा है। मरवार द्वारा पचायत जुनावों का स्थगन धार्दि इस बात के सबूत हैं और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पचायत राज की एमो ही शकायों को अधिक बढ़ाया जा रहा है।

हिन्दुस्तान (हिंदी, दिल्ली) उदयपुर सेमिनार म थो 'डे बा कथन था कि ५० जनाहरनाल नेहरू के उत्तराधिकार का सम्भालन के लिए पचायतों के हजारों नेता समर्थ हो जाएंगे, पर इस पत्र का विचार है कि यह तभी सम्भव होगा जब सदा वा धूर्ण विवेद्वायरण कर दिया जाय और पचायतों को वास्तव म प्राप्तनिक बाय सौप दिए जाएं पर नौकरगाही के रहने ऐसा होना असम्भव है।

उधर महवारी और सामुदायिक विकास के वैद्यीय मान्त्राय द्वारा पचायत राज पर गवेषणा परिषद्' की नियुक्ति के रूप मे सरकार की प्रतिक्रिया सामन आई। ६ जुलाई ६४ को दिल्ली मे हुई अपनी भीटिंग म इस परिषद् ने उदयपुर सेमिनार की उम सिफारिश पर विचार दिया जिनमे पचायत को स्वशासन की पूर्ण इकाई के रूप म उसके कायों, भारिक साधनों प्रादि की चर्चा है। पचायत के कायों और अधिकारों, साथ ही यदि उसकी एकता और सामर्थ्य के लिए जल्दी हो तो विवाद म सो०पन, परिवधन के हेतु भी इस दिना मे पूर्ण अध्ययन करने के लिए परिषद् न निम्नाकित मदम्या की एवं समिति वा गठन किया —

१ श्री बलवन्तराय जो० मेहता	अध्ययन
२ " श्रीमन्नारायण	प्रदस्त्य
३ वै० सन्धानम्	
४ " हरिदयद्व भार्गव	
५ , भट्ट बिहारी शाक्षेपेती	"
६ , रावेश्वर याटिन	"
७ , एम० याई० घोरपटे	"
८ डा० वै० एन० शोभक्षा	"

उत्त्यपुर सेमिनार की सिफारिशो के मान्यता में इस समिति न जो अतिरिक्त रिपोर्ट दी, वह सार हप में या थी —

- १ हम उत्त्यपुर सेमिनार और गवेयणा परिषद की इस राय से सहमत हैं कि पचायत राज की ग्राम विकास दोष और जिलास्तर पर विवृतात्मक सत्यायें सरकार की जाक्खा नहीं वरन् भाषणके वापतिक रूप में स्वागासन की पूर्ण इकाई है। हम महसूस करत हैं कि संविधान के संशोधन में फैसले की बजाय इसी धारणा की क्रियावत करना चाहेंगे हैं।
- २ संविधान की धारा ४० है —
 “राज्य ग्राम पचायतों के गठन हेतु ऐसे कदम उठायेंग और उन्हे वे सब अधिकार और शक्तियाँ सौंपेंगे जिनकी उहे स्वागासन की इकाई के रूप में काय वरत यक्ष धावश्यकता पड़ेगी। इसी धारा में पचायत समिति और जिला परिषद् की समिक्षित करते हुए संशोधन वरने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्राप्त था।
- ३ हालांकि इस धारा में ग्राम पचायता की ही चर्चा है पर हमारा हृदिय में इसमें विवरात्मक पचायत राज की उच्च सत्यायें भी समिनित हैं। वास्तव में यही व्याख्या के द्वारा सरकार में भ्रष्टनी रिपोर्टों और उददेश्यों में तथा राज्यों की विधान सभाओं न मी व्यक्त का है।
- ४ तो भी क्योंकि कई राज्यों में इस विवरा की दो सत्याएं ही कायरत हैं और पूरे देश में उहे एक ही स्वरूप देना भी है इस हृषित से हम जिला परिषद् और पचायत समिति के साथ ग्राम पचायत की परम्परागत व्याख्या वरने की सिफारिश करते हैं।
- ५ हम आश्वस्त हैं कि इस परम्परा के बारे संविधान में संशोधन जो कि सदव ही एक कठिन और विरोधजनक काय होता है करन की जरूरत नहीं रहेगी।
- ६ हम उत्त्यपुर सेमिनार के इस मत से सहमत हैं कि सतोषप्रद एवं प्रभावशाली ढांग से बाय करने देने के लिए पचायत राज के तीनों बटों को पूर्ण अधिकार और शक्ति दी जानी चाहिये। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रामस्तर पर पूर्ण सतोषप्रद और प्रभावशाली ढांग से जो बार्य ये पचायतें कर सकती हैं वे सभी काय इहें सौंप दिए जाने चाहिये। जो बार्य पंचायतें न कर सकें वे पचायत समिति को और जो समिति न कर सके वे जिला परिषदा को सौंप जाने चाहिये।
- ७ पचायत राज की सत्यायों के काय सुनिश्चित सूचीबद्ध एवं स्पष्ट रूपेण विभाजित हो एसा होना अनिवार्य एवं अपेक्षित है। तदर्थ पाच विस्तृत सूचिया सजान हैं —

- १ पचायत (धनग सूचों)
- २ पचायत समिति (धनग सूचों)

- ३ जिला परिषद (प्रनग सूची)
- ४ पचायत और पचायत समिति (समिलित सूची)
- ५ पचायत समिति और जिला परिषद (समिलित सूची)

विस्तीर्णी भी समिलित दायित्व पर यदि निचली सम्या का भिन्न निएष हो तो उच्च सम्या का विशेष नाम होगा। इसी से ऐसे कार्यों की सूची का पूर्णत संबोध्य होना ज़रूरी है।

धो नगर में जुलाई ६५ में राज्यों के सामुदायिक विकास और पचायत राज के महिलाओं के वापिश प्रधिवेशन में गवेषणा परिषद की सिफारिश पर विचार किया गया और निम्न लिखित निर्णय लिए गए—

गवेषणा परिषद की इस सिफारिश पर कि सविधान की धारा ४० म व्यक्त प्राप्त पचायत के सापे पचायत समिति और जिला परिषद को परम्परागत 'पाल्या द्वारा संतुलित किया जाय, इसकी विधि सम्मत किया जाय तर और योर कर लिया जाय। यदि इसमें काई कानूनी अद्वितीय न हो तो प्रमद वे लिए इस सिफारिश को राज्यों को प्रयित बर दिया जाय।

११ और १२ अगस्त ६६ को सामुदायिक विकास और पचायत राज के दिल्ली में हुए वापिश प्रधिवेशन में भजेण्टा और नोट्स में बहा गया है—

विधि मानालय से राय मांगी गई। मानालय की विधि-सम्मत राय में सविधान की धारा ४० में प्रत्युष भवा 'प्राप्त पचायत में पचायत समिति और जिला परिषद संतुल हैं। राज्यों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है।'

अखिल भारतीय पचायत परिषद ने घरने वाले अधिवेशन में इसी कारण विचार बारन बाद निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुआ—

'अखिल भारतीय पचायत परिषद घरने वाले अधिवेशन में सन् १९६१ में जयपुर में आयोजित अधिवेशन में स्वीकृत रही भागा को दोहराती है जिनमें पचायत राज सम्बन्धी को घरने स्तर पर राज्यालय की पूर्ण इकाई में रूप में वार्षिक करने के द्वितीय संसदि, सम्बन्धी और प्रधिवाच दिव जाने को चाहा है। परिषद मार्ग भरती है ति भावशुल्क परिवहन साम, हेतु सविधान में मशोधन के लिए योग्य कायवाही को जाए। जिससे इन सम्बन्धी को भरना स्थान ठीक रूपी प्रकार प्राप्त हो जाए वैद्यत व राज्यों में है। फिर यदि तो सरकार को प्राप्त समीक्षा त्रिलोकी राय व वैद्यीय स्तर पर पचायत सम्बन्धी सम्बन्धी के रूप में वार्षिक बरना है। इसी मदर्द में यह परिषद पूर्ण प्राप्त्या के सापे उदयपुर सेमिनार की सिफारिशों को एक मत सम्बोधाव करती है।'

"यह परिषद बनवातराय मेहता समिति का स्वागत भरती है। समिति न सविधान को बत भान भान में ऐसे संदोधन की गिफारिश की है जिसमें योग्य, समिति योर जिला स्तर पर पचायत राज सम्बन्धी वालवित एवं प्रभावशाली रूप से वार्षिक कर सकें।

* पचायत राज पर वाय बारन के लिए गवेषणा समिति का तुरत गठन करने हेतु इन्होंने

सामुदायिक विकास मन्त्रालय को भी यह परिषद धर्यवाद देती है और प्राशा करती है कि उदयपुर समिनार की सिफारिशों की विधानित हेतु भी एसी त्वरित गति से बदल उठाएगी।

सन् १९६५ म, अखिल भारतीय पचायत परिषद न दिल्ली म अखिल भारतीय स्तर पर मध्ययन कम्प' का आयोजन किया। कम्प मे उदयपुर समिनार के निण्या से श्री जयप्रकाशनारायण न एक बदल और प्राग सुझाया। उहोने पचायती राज की सच्ची धारणा के लिए समुदाय और उसकी अविच्छेदनीय भूल भूत महत्ता को नई मान्यता प्रदान की। उनके विचारों का सार यो है —

'यदि पचायत राज की धारणा को बल प्रदान करना है तो इसे उत्तर हट्टि ने देखा होगा। पचायत राज को अस्तित्व प्रदान करन का धर्थ समुदाय के रूप म नई समाज व्यवस्था वा सजन करना है। विश्व मे भाज दो प्रकार के समाज हैं एक पश्चिम वा बहुन समाज और दूसरा साम्यवादी समाज। बहुल समाज म कोई समुदाय और वयस्तिकता नहीं तो साम्यवादी समाज म बढ़ वयस्तिकता है। पर सच्चे लोकतात्र म समुदाय म वयस्तिकता सहयोग की भावना एक दूसरे का हान भी भावना और समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होनी है। समुदाय व सामुदायिक जीवन पद्धति से यास्तिकता दायित्व की भावना प्राप्ती है। अत पचायत राज का महान ध्येय समाज के ग्रग के रूप म समुदाय की स्थापना करना हो।

पचायत राज की धारणा म निहित इस विस्तृत समाज सिद्धात पर उदयपुर समिनार मे या वैद्वीय सरकार न विचार नहीं किया था। अब समय आ गया है कि हम आशिक आश्वास स मुक्त रह दूर तक सोचें और नए प्रकार की समाज रचना के साथ इसे सम्बद्ध करें।

ग्राम समाज का वर्तमान सामाजिक और आर्थिक ढाका सामुदाय की इस भावना के विकास मे बोधक है। उपर पचायत राज सिफ राजनीतिक निर्णय लेता है। पर अब यह माना जान लगा है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण के बिना सत्ता का विकेंद्रीकरण प्राप्त नहीं चल सकेगा। गोवा की आर्थिक और आर्थिक विकास प्रदान करना होगा। भाज धर्थ तात्र बुद्ध ही लोगों के हाथो म है। इसमे ओर्डोगिकरण उनके द्वारा हुआ तो सत्ता का विकेंद्रीकरण प्राप्त हीन लोकना शरीर भर रह जाएगा।

यदि समुदाय के विभिन्न हितों और अपेक्षाओं को निभायें तो पचायत राज्य सम्बन्धों सामुदायिक समाज का निर्माण कर सकती हैं। इन सम्बन्धों को विसानों मजदूरों और नारीगरा के हिता का सरकार बरना चाहिए। इस दिना मे हमें अधिकारियों रहित स्वयं सेवी सगठनों को प्रात्साहित बरना चाहिए; साथ ही समुदाय के प्रति सच्ची लगन से वार्ष भी करने रहना चाहिए।

परिशिष्ट

पंचायत राज संस्थाओं के कार्य

१—पंचायतों के कार्य (अनुकूल)

(अ) सफाई और स्वास्थ्य

- (१) इह गौवों के सम्मिलित दायित्वों द्वालों की धोड़कर पशुओं प्रीर परेलू कायों के लिए जल-व्यवस्था हेतु सावजनिक कूधों, खोखरों और तालाबों (पंचायतों के तालाबों के अतिरिक्त) वा निर्माण व भरमत करना और उनको देखभाल रखना।
- (२) सावजनिक सड़कों, नालियों, बधा, तालाबों, कुओं (पंचायत के कूधों और तालाबों के अतिरिक्त) स्थानों प्रीर कायों को सफाई के साध-साध घातक कायों या चोको की वसी रोकपाप और नालों धार्दि की व्यवस्था करना।
- (३) सावजनिक होचालयों वा निर्माण व उनको भरमत।
- (४) लावारिंग मुद्दों, हड्डियों तथा पश्चासों वा विक्रय करना।
- (५) विर्णवित इकट्ठा व इसके द्वारा दूषण के कूठे करवट और साद को हटाना व विक्रय करना।
- (६) दमाना व काशस्तानों को व्यवस्थित व उनको समाप्त रखना।
- (७) मवाना व दूषाना को व्यवस्थित रखना।
- (८) साधा व मनोरजन वाला म प्रश्नीनों को व्यवस्थित रखना।
- (९) ग्रामांश कुत्तों का छुहो का नाश करना।

(ब) सावजनिक कार्य (संयुक्त दायित्व)

- (१) गोव की सीमा मे पड़ने वाली, पर दूसरी विसी सत्त्वा की न सौंपी यद्य पांच की सूक्तों ओढ़ने

बाली सड़ो, नालियो, बांधो प्रौर भूमिगत नालिया का निर्माण व मरम्मत बरवाना तथा सम्माल रखना ।

(२) सावजनिक रास्ता स्थानों व पचायत के प्रदाता में पड़न बाली बाधाद्या छज्जा प्रौर छावणों को हटाना ।

(३) चरागाह पचायत के नियन्त्रण में दिए गए या स्थानांतरित सरकारा भवनों को साज सम्माल व व्यवस्था रखना ।

(४) रास्ता की रोशनिया ।

(५) जिला परियोग व पचायत समिति द्वारा प्रदत्त तथा स्थानीय महत्व के पुनर्मलो महित अप्य मेलों का प्रबंधन बरना ।

(६) सावजनिक स्थानों के सूने पेड़ों की बिक्री, पेड़ों की बटाई तथा वन सरकारा का काय करना ।

(७) नित्य के बाजारों की व्यवस्था व प्रबंध ।

(८) सावजनिक बाधों, विशेषकर अपने कमचारियों के लिए भवनों का निर्माण व उनकी साज सम्माल ।

(स) कृपि

(१) थोंक में लागू भू सरकारा बाधों की क्रियाक्षिति में सहयोग ।

(२) लाद वै गोडडें खोदना ।

(३) बाग वॉटिका लगवाना ।

(४) जो एक से अधिक गाँवों की भागीदारी में न हो ऐसे, शाम वन, प्राम-बरागाह तथा शाम नसरी का काय ।

(५) मुर्गी तथा सूमर पालन ।

द अन्य कार्य

(१) पचायत अनु के विकास की योजना बनाना ।

(२) ग्राम पुस्तकालय व बाचनालय ।

(३) प्राकृतिक प्रक्रियों से गौव को रखा ।

(४) नहाने धोने के धाट

(५) ग्राम सेवक दल ।

(६) गौव घोर फसलों की देखभाल ।

(७) पुनर्मलन ।

(८) ग्रस्य वयत योजना तथा बीमा के एजेंट के हृष में व्यापार बरना ।

(९) चाय का बाको गृहों के, भोजनालयों व दूकानों को लाइसेंस देना ।

पचायत समिति के कार्य (अयुक्त)

१ सामुदायिक विकास कार्य

पचायतों, सहकारी संघटनों तथा स्वेच्छानिर्मित शाय निकाया तथा जनता के सहयोग से सामुदायिक विकास के अतिरंगत भाने बाले सभी कार्यक्रमों का संपादन।

२ कृषि और पशुपालन

- (१) खड़ी में कृषि सुधार की योजना बां पालन।
- (२) कृषि के सुधरे हुए तरीका और प्रणालियों वा प्रचार तथा आदर्श कृषि फार्मों की स्थापना।
- (३) योग्या वो रक्षा के तरीकों का प्रचार और उनकी रक्षा में सहायता देना।
- (४) कुआ के पुनर्घासर और उहै गहरा उतारना सालाबो की मरम्मत और मुदाई तथा रारकारी तथु मिचाई माध्यना (२५० एकड तव जमीन की सिचाई जिनसे वो जा सके) तथा आपूरक कुल्यामा या नहरों को बनाय रखना।
- (५) प्रदूशन के स्थानों की व्यवस्था और फार्म प्रबन्ध के उत्तम तरीके निर्वाचन।
- (६) पानु चिकित्सा सम्बन्धी औषध वितरण के प्रा वो चलना।

स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वच्छता

- (१) विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएँ।
- (२) दीवा मात सवा और गिरु-कल्याण।
- (३) जिलास्तर की एडिया की दोष ऐडिया की स्थापना और उनका निर्वाचन।
- (४) पानु मेला समत ऐसे मता त्योहारा का नियान्त्रण जो जिला परिपद द्वारा इहे संप्रे जाय।

३ सचार व्यवस्था

- (१) यामातथा वी जाने वाली सड़का वा निर्माण और उहे बनाये अवधा।
- (२) सम्पदकारी सहका के निर्माण और बनाये रखन म व्यवस्था को संहापता दना।
- (३) एम सावजनिक याटा मादि का प्रबन्ध जो दूसरे विही निवायों पा वगों वा न सौपे गय हों।

४ सामाजिक प्रशिक्षण सहित शिक्षा

- (१) प्रात्र प्रायमिक निषाण
- (२) प्रायमिक निषा
- (३) प्री- निषाण समेत सामाजिक निषाण।

फ लघु सिचाई

झोट सिचाई कार्यों का निर्माण पुनरुद्धार पौर उ हैं बनाये रखना ,

ज मत्स्य पालन

ह ग्रामीण जल प्रदाय

एक पवायत से भविक को आवश्यकता पूर्ति करने वाले सावजनिक कुओं तालाबों तथा जल प्रदाय कार्यों का निर्माण प्रौर मरम्मत ।

जिला परिपदो के काय (अयुक्त)

(क) विकास कार्य

गावों के लिए योजना बनाना प्रौर उनम सम्बन्ध म्यापित बरना ।

(ख) कृषि

यात्रिक प्रौर दूसरी सीमाओं म ही कृषि सत्थाना को आर्थिक मदद देना उनको देव भाल, साज सम्माल प्रौर प्रब-ध करना विनु निम्नाकित विषयों मे अतिरिक्त -

- १ पाट्यक्रम का निधारण करना ।
- २ पाट्य पुस्तकों का चयन करना ।
- ३ वार्षिक परीक्षाओं का सचालन करना ।

(ग) पशु-पालन

- (१) पशु-प्रस्ताला की स्थापना प्रौर व्यवस्था ।
- (२) माहगारियों पर नियन्त्रण बरना ।

(घ) भवन तथा आवागमन

- (१) जिल की साटका व पुलों प्रादि का निर्माण, मरम्मत प्रौर यवस्था करना ।
- (२) जिला-परिपद की आवश्यकतानुसार प्रापकीय भवनों तथा अ-य भवनों का निर्माण ।

(च) लघु सिचाई

प्रतजिला योजनाओं के अतिरिक्त सिचाई के ऐसे साधनों का निर्माण मरम्मत तथा प्रब-ध करना जो २५० एक्ट से भवित्व मूमि वी सिचाई करते हा ।

(द) कुटीर तथा अन्य उद्योग

- (१) कुनीर व ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित वसुभों की विनी व लिए बाजारों की यवस्था करना ।

- (२) प्राय-उद्योग क्षेत्र कार्यम करना ।
- (३) प्रशिक्षण-उत्पादन के द्वारा का संचालन करना ।

(ज) शिक्षा

- (१) निपारित धार्त्रिक व दूसरी प्रशासनिक सीमाओं में ही माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, व्यवस्था, प्रबन्ध और नियोजन करना । जिनमें विस्तारित कार्य समिक्षित न हो जाए ।
 - [१] पाठ्यक्रम का निर्धारण
 - [२] पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण,
 - [३] अनुदान की दर व शर्तों की व्यवस्था
 - [४] माध्यमिक को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाये जाने की स्वीकृति ।
 - [५] गुल्क दर ।
 - [६] आपता व लिए साधारण शर्तों का निपारिण ।
 - [७] प्रायिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा संचालन ।
 - [८] राज्य सरकार द्वारा 'ग्राट इन एड कोड' के तहत प्रारंभित अथवा शिक्षा संचालक को प्रदत्त अधिकार के कार्य ।
- (२) माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए घागवति व भत्ते (Stipends) की स्वीकृति ।
- (३) उच्चनीची या विशिष्ट विद्यालय

(क) अन्य कार्य—

पृष्ठ मेला सहित जिल के मेला व हीहारा का संचालन व व्यवस्था ।

पचायत व पचायत समिति के समुक्त दायित्व वाले कार्य

(क) स्वास्थ्य और सफाई—

- (१) दूत की विमारियों की रोकथाम व रक्षाज
- (२) भास, भट्टनी आदि शोध मठन बाल साथा का प्रारक्षण व नियमन
- (३) बसाई यरा का संचालन और व्यवस्था
- (४) घमड की पकाई रगाई आदि की व्यवस्था
- (५) भवधानिक एव पातक कार्दों का बमी के लिए रोकथाम व जाव प्रत्यक्ष
- (६) विद्यार्थियों के लिए दुपट्टे के भाजन की व्यवस्था

(ख) सार्वजनिक कार्य

- (१) पर्वगाना विधायमृदृ तथा ऐसे ही प्राय संस्थानों का निर्माण व प्रबन्ध ।

- (२) विकी केंद्रों, दूकानों के लिये भवनों का निर्माण व समाप्ति ।
- (३) सावजनिक उद्यान तथा बालोद्यानों की सरचना और समाप्ति ।
- (४) गांव की जमीन वा विस्तार व विकास ।

(ग) कृषि और पशुपालन

- (१) कृषि कार्यों की ओर विशेष ध्यान देवर गांव वासियों के आर्थिक स्तर का उत्थान और विकास ।
- (२) फल व सब्जी उत्पादन के लिए प्रोत्साहन ।
- (३) कम्पोस्ट और हरे खाद म आत्म निर्भरता की प्राप्ति ।
- (४) सिंचाई के लिए समय पर तथा समान रूप स पानी वा वितरण ।
- (५) कृषि व सिंचाई साधनों के विकास के लिए अद्दण तथा सुविधायें देना ।
- (६) पशु पन की सुरक्षा उनको नस्ल म सुधार तथा बढ़ि के कार्य ।
- (७) चरागाहों का विकास ।

(घ) घन

घन रोपण तथा प्राम घन व लिए विकास कार्य ।

(च) शिक्षा

पचायत समिति के नियंत्रण म विद्यालयों के लिए भवन साज सामान बेल वा मटान तथा बाग आदि के लिए घन जुराना ।

(छ) अन्य कार्य

- (१) प्रामोद्योगी वा विकास ।
- (२) सहकारिता ।
- (३) सावजनिक व यक्तिगत सम्पत्ति तथा प्राम-भूमि धन के आकड़ा तथा सवे रेकार्ड व बुरका ।
- (४) आग बाढ़ संक्रामक रोग ग्रथवा अथ दुमिको द्वारा विनाश की सबटकालीन घटी के लिये सुरक्षित घन ।

पचायत समिति और जिला परियद के संयुक्त दायित्वपूर्ण कार्य

(क) पशु-पालन व कृषि

- (१) सूचीबद्ध उन्नत बीज उठावर-समा वितरण वरके उत्पादन बढ़ाने ।

- (२) भूमिगत पाती का उपयोग,
- (३) उप्रत इंपि साधना का प्रयोग,
- (४) बोज तथा शादश इंपि-कोश
- (५) गोदाम और रक्षा गृह
- (६) प्रसल की सुरक्षा
- (७) फला व सर्विया का उत्पादन
- (८) साढ़े की नस्ल म सुधार,
- (९) एगु महामार्गिया का रोक्याम,
- (१०) भच्छी नस्ल की गाया मुर्गियो, सूअरो व भड़ा वा विनरण
- (११) दुग्धशाला

(ख) सावजनिक स्वास्थ्य व सफाई

- (१) धारुवेदिक व यूनानी दवाखानों प्राथमिक चिकित्सा केंद्रा व विनिष्ठ बीमारी होने पर चिकित्सा कर्म्मों का सञ्चालन
- (२) गाव की नई बन्हों की सरक्षा
- (३) सावजनिक तथा उभतिक सम्पत्ति और गाव की जमीन का सर्व सञ्चालन।

(ग) सावजनिक कार्य—

- (१) यात्रियों के लिए मवान व विश्राम गृह
- (२) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा भवन हाथ में लिए गए ऐतिहासिक इस्तों तथा आतेशा की सुरक्षा

(घ) शिक्षा

माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन, साज सामान में व मदान तथा बाग पादि के लिए घन मा प्रबन्ध।

(च) सहकारिता

सहकारी इंपि सहित माय कार्यों म सहकारिता।

(छ) बुटीर एव लघु उद्योग

- (१) बुटीर एव सघु उद्योग की स्थापना-सञ्चालन।

(२) बिक्री के द्वारा व ऐम्पोरियमों का सचालन ।

(ज) अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के लिए कल्याण कार्य

(१) अनुसूचित तथा भाष्य पिछड़ी जातियों के हित में सास्कृतिक सामाजिक और शक्तिशाली उत्थान-कार्यों का सचालन ।

(२) ऐसे दर्गों व जातियों का शोषण तथा भाष्याय को रोकथाम तथा उन्हें मदद ।

(३) वर्मजोर तबको के लिए होस्टल वा सचालन और दूसरे कल्याण कार्य ।

(४) रिहायशी तथा आधम विद्यालयों का सचालन ।

(५) पिछड़े दर्गों में आवागमन के लिए मार्गों शादि का विवास ।

(झ) समाज का कल्याण कार्य

(१) बीमार व अपणों की मदद ।

(२) परिवार नियोजन ।

(३) पुस्तकालय वाचनालय सूचना केंद्र तथा भाष्य सास्कृतिक धार्य ।

(४) शुद्ध समिति भाइला समिति और कृषक समिति सामाजिक व सौसूचितिक वर्गकम तथा बच्चों के सिलाई के द्वारा जसे ही भाष्य कार्यों का सचालन और प्रीत्साहन ।

(५) भाइला उत्थान व बाल विवास के कायकमा को कियावयन उनके लिए कल्याण केंद्रों का सचालन जसे कि शिक्षण केंद्र उद्योग केंद्र सिलाई केंद्र आदि ।

(६) गाँव के लिए गृह योजना ।

(७) बारीगदा व व्रश्यमणे के निए विद्यालय या कम्पा का सचालन ।



पंचायती राज के कुछ पहलुओं पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के विचारों का सचिप्त विवरण

ग्राम समुदाय

अखिल भारतीय पंचायत परिषद् इस बात को समझते हैं कि पंचायती राज की योजना जो प्राजकल चलाई जा रही है वेवल पहला कदम है। यदि इसके द्वारा लोकतन्त्र एवं विकास के कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाना है तो अभी बहुत कुछ करना चाहिये है। वर्तमान पंचायती राज एक वर्मजोर ढांचा है जिसके पास न सत्ता है और न साधन। इसलिए सध्ये पहला कार्य गाव के ग्राम्यक्रियक समुदायों को पुनर्जीवित व सशक्त बनाना है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद् अनुभव करती है कि आज गाव में आपसी विरोध अधिक है। हम इस गाव के हैं, हम सभी आपस में गाव के लोगों को बाट कर उपभोग करना चाहिए, ऐसी भावनाये जो समुदाय को साथक बनानी है आज गावों से लुप्त होनी जा रही है।^१

१ आंतरिक भारतीय पंचायत परिषद् एक गैर सरकारी, नियन्त्रिय पंचायती राज को सम्पादा का अखिल भारतीय स्वचक्षा सेवी संस्था है जो पंचायती राज के स्वल्पन के प्रशासन करने में और पंचायती राज की सम्पादनों के अधिकार काय एवं साधनों को दृढ़ बनाना में कामी की है।

२ यह लक्ष पन्थ अखिल भारतीय पंचायत परिषद् वा काई शोषणात्मक लेन पन्थ नहीं है अखिल इसके अन्तराल के योनित विवार नमिनिष्ठ हैं जो अखिल भारतीय पंचायत परिषद् द्वारा आपोवित विभिन्न विचार गोष्ठियाँ के सम्मेवना में प्रगट व स्वीकार दिए गय हैं।

३ आज वह गांव एक दिन मिन्न परिवार जाता है। उम्में जाति व वाग के मतभद वाय जात है और भा दक्षिण्या है। गांव में सामूहिक इकाई का प्रबोध वाया जाता है। दूसरे और आज गांव में सामन को महत्वपूर्ण काय है उहैं एकता और सामूहिक प्रबोल के बिना पूरा नहीं विया जा सकता है। उपरित सामूहिक विवाह के दूड़ सामूहिक भावना पदा भरनो चाहिये।

—धी जपथदोगा नारायण, सामिज्य सर्वदय एण्ड डेवोक गो पृष्ठ २१२

“आप आज गांव को ही लीजिए जैसा कि वह आज है और वहां पचायती राज लागू कर दोजिए तो मेरी समझ में वह सफल नहीं हो पायगा। गांव में फट के तत्व विद्यमान हैं। ग्राम पचायतों को प्रभावदूर्ण कार्य करने के लिए उन तत्वों को हटाना पड़ेगा।”

श्री जयप्रकाश नारायण, सेमिनार आन फांडामेंटल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज पृष्ठ ३६

अखिल भारतीय पचायत परिषद के इस सम्मेलन की सम्मनि में धार्साविक पचायती राज के विकास के पूर्व हरेक गांव में सरकारी व एकोकृत समाज की स्थापना अत्यन्त आवश्यक शर्त है। प्रस्ताव ७ जयपुर में होने वाले अखिल भारतीय पचायत परिषद के तृतीय अधिवेशन।

अखिल भारतीय पचायत परिषद के आ पक्ष श्री जयप्रकाशनारायण ने लोक स्वराज्य में लिखा है कि पचायती राज को प्रभावपूर्ण होने के लिए कुछ मुर्य शर्तें हैं।¹⁴

इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय पचायत परिषद के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष पद से बालते हुए श्री जयप्रकाशनारायण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे पचायती राज के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन को महात्मा गांधी के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन के साहश मानते हैं जिसमें एक और तो समुदाय पर जोर दिया गया है और दूसरी ओर वम से वम शारन पर। पचायती राज पर्मपैटिव एण्ड प्रोग्राम पृष्ठ २६।

अखिल भारतीय पचायत परिषद का विश्वास है कि समुदाय का पुनरुज्जीवन प्रथम महत्व की बात है, वयावि गांव को विकास कार्यक्रम की इकाईया मानना चाहिए।

पचायती राज नीचे से प्राथमिक समुदाय से आरम्भ होता है। प्राथमिक समुदाय माय-साय रहने वाले परिवारों के समूह को बहते हैं जिनकी आपस में साझेदारी होती है जो साय-साय प्रयत्न करते हैं, मिलजुल कर अपने बाम निबटाते हैं और जो बाम स्वयं नहीं बर सकते हैं, उनमें दूसरे समुदायों का सहयोग लेते हैं। इस प्रकार समुदायों के एक बड़े संघ एवं पचायती राज की स्थापना की रचना करते हैं। श्री जयप्रकाशनारायण सेमिनार आन फांडा मैंटल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज पृष्ठ ३७-३८।

४ संस्कृत में शर्तें इस प्रकार हैं —

पहल साक गिद्धा जसी कि प्रामतीर पर समझो जाती है इस प्रयाग को सफलता के लिये धाराव्यक शर्तें हैं। जो निष्पत्ति और नि स्वाय सस्थायें ग्राम विकास के काय में सभी हूँह है वे इस गिद्धा को भनी भाति प्रश्नात कर सकती हैं। यह भी विचार करता चाहिये कि क्या निर्देशी और विनुद्ध मतदाताओं में एक प्रशिद्धिलोकीय सस्था नहीं बनाई जा सकती जिसका नाम अखिल भारतीय मतदाता संघ हा सकता है ताकि मतदाताओं को शिक्षित बनाया जाय।

दूसरे इस बात पर जार देना उचित होगा कि पचायती राज की सफलता इस बात पर निभर होगी कि विस सौमा तक राजनीतिक दन उसम हस्तक्षण करने द्वारा रहत है और उसे अपन हाय की कठपुतली नहीं बनाने हैं या उसका प्राप्त करने के लिये उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इन

भारतीय राज्य व्यवस्था

अग्रिम भारतीय पचायत परियद का मत है कि भारत को जनमभाष्टों के राजनीतिक स्वरूप को नहीं अपनाना चाहिये क्योंकि वे बालू के ढेर के सामान होते हैं। उसके बाणों में वोई आणिव सम्बन्ध नहीं होता है। भारत में सप्तदीय लोकनग वा अनुभव जितम व्यक्ति कुछ वर्षा में एक बार विधान मण्डलों के लिये प्रतिनिधि चुनते हैं-अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहा है। इस दशा को अब क्षेत्रों वी भानि राजनीतिक पुर्निमाण के क्षेत्र में भी अपना मार्ग खोजना पड़ेगा। अग्रिम भारतीय पचायत परियद सरकार की पाच स्तरीय व्यवस्था की स्थापना के लिये प्रयत्न कर होते हैं। उर्मे ग्राम पचायते, पचायत समितिया, जिला परियदे राज्य सरकारें वे द्वीय सरकार होंगी। इन सबमें अग्रिम सम्बन्ध होगा।

इस समय सविधान वेवल दो प्रादेशिक सरकारों समठनों को स्वीकार करता है-के द्वीय सरकार व राज्य सरकारे। ग्राम पचायते पचायत समितियों, और जिला परियदों को भी सर्व घान म उचित स्थान मिलना चाहिए। सविधान म उनके अधिकारी और उत्तरदायियों वा स्पष्ट वर्णन होना चाहिए।

श्री जयप्रकाश नारायण, पचायत राज पर्स पेकिटव एण्ड प्रोग्राम पृष्ठ-४०

सस्थाप्तों की शक्ति भी और क्रियाशीलता के लिए लोकतंत्र में जनता को मानीदार बनाना चाहिये। इसलिये इन सस्थाप्तों को जनता के प्रत्यक्ष नियावण म छोड़ देना चाहिये। दला को हस्तक्षेप करन वी आवश्यकता नहीं।

तीसरे, सत्ता वास्तविक भ्रथ म दी जानी चाहिये दिखावा नहीं होना चाहिये। वोई भी यक्ति जिमेनारी वा निमाना तब तक नहीं सौख सकता है, जब तक कि उसे जिमेनारी सौंपी न जाये। यदि पचायती राज वो सच्चे अर्थ म सत्ता सौंप दी जाय तो जिला मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं होगी या कि वह राज्य सरकार के प्रतिनिधि के हृष म रहता जिस प्रकार राज्यों मेर राज्यपाल वे द्वीय सरकार वे प्रतिनिधि हैं हृष म रहता है।

चौथे, यह अपन्त आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर स्थानीय अधिकारियों वा 'पुनर्जन साधन दना चाहिये। मेरा मुझका है कि भूमिकर जा वहूं अधिक नहीं होता है, पचायत समिति और ग्राम पचायत वी दे दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार वा यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि भूमिकर म से तुद्य मनुष्य इन गस्थाप्ता वो प्रदान हो। आय साधन स्वीकार भी सोजार इन सस्थाप्तों वा या यि जान चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं कि विश्वास दायों वे लिय धारायती राज वो राज्य या वे द्वीय सरकार से प्रीर धा नहीं मिलना चाहिये।

पाचवे, वहाँ तक गम्भीर हा दीमानियीप्र पचायती राज वो धार्मिक अपिकारी वर्ग पर वास्तविक सत्ता का प्रयोग करते मे याय बनाना चाहिये। अपिकारी वर्ग उन मस्थाप्तों मे प्रति पूण कर मे उत्तरायणी हा। निरुगिया वा गम्भीर म भी गस्थाप्त अपिकारी वी संसाह देनो चाहिये।

जाये या पचायत समिति को केवल जिला परिषद का एवं कार्यपालिका अग बनाकर रखवा जाये ।

१ श्री जयप्रकाश नारायण, सेमिनार ओन फ़ाइमेटल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज—पृष्ठ-४२

ग्राम-सभा

अखिल भारतीय पचायत परिषद् ग्राम सभा की शक्ति को बड़ा महत्व देनी है। यह प्राथमिक समुदाय और मौलिक संस्था है। ग्राम सभा के योगदान पर जोर देते हुये श्री जयप्रकाश नारायणजी कहते हैं—

मुझे शक्ति है कि अभी तक ग्राम सभा के योगदान वो पूरी तीर पर नहीं समझा गया है या शायद हमारे मन में जनता द्वी पहल घरने की शक्ति के बारे में काफी अटबाव है। मेरे विचार से यदि ग्राम सभा को धक्किशाली नहीं बनाया जाना है तो पचायती राज अवास्तविक ही रहेगा और विकास वार्यक्रमों में भी जनना का उत्साह व भागीदारी नहीं होगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस मन के अटबाव को दूर कर दिया जायेगा और सभा को उचित स्थान दिया जायेगा ।

अखिल भारतीय पचायत परिषद् के चौथे अधिवेशन में बोलते हुये स्वर्गीय श्री महताजी ने कहा—

ग्राम सभा के योगदान पर जितना जोर दिया जाये वह बहुत है। लोकतात्त्विक विकेंद्री का पूर्ण महत्व तभी अनुभव किया जा सकेगा जब ग्राम सभा पूरी तीर पर सक्रिय व जिम्मेदार संस्था बन जाती है ।

पचायती राज पमपक्टिव एण्ड प्राग्राम—पृष्ठ-३१

इस बीच ग्राम सभा को बजट पर बहुत वरने का और पचायत की उन्नति की रिपोर्ट पर विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और वह जो सिफारिश करे उस पर पचायत पूरा तीर पर विचार करे ।

जब कि ग्राम सभा का अंतिम लक्ष्य यह हाना चाहिए कि वह अपना वार्पिं बजट बनाये और स्वीकार करे। पचायते अपने बजट तैयार करती हैं। उन्हें सबसे पहले बजट को ग्राम सभाओं के सामने पेश करना चाहिए, जहा उन पर विचार किया जाए, यद्यपि अंतिम स्वीकृति वा प्रश्न उन पर नहीं छोड़ा जा सकता है ।

सेमिनार ओन फ़ाइमेटल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज—पृष्ठ-४४

पचायतों को ग्राम सभा में पूर्ण विवास रखना चाहिये और वर, विकास व निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों को उनके सामने उद्देश्य विचार जानने के लिए पेश किया जाना चाहिए। ग्राम सभा में वार्य समितिया होनी चाहिए। पच उनके मध्येजव हो, और ग्रामसभा के त्रुत हुये संस्थ उनके सदस्य हो। ग्राम का चौबीचार ग्रामसभा के अधीन हो ।

सेमिनार ओन फ़ाइमेटल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज पृष्ठ-४५

भारतीय राज्य व्यवस्था

असिस्त भारतीय पचायत परिषद का मत है कि भारत को जनमन्माण के राजनीतिक स्वरूप को नहीं अपनाना चाहिये क्योंकि वे बालू के ढेर के सामान होते हैं। उसके बएों में वोई आगिक सम्बन्ध नहीं होता है। भारत में सांसदीय लोकतंत्र का अनुभव जिसमें व्यक्ति कुछ वधा में एक बार विधान मण्डलों के लिये प्रतिनिधि चुनते हैं-आविक उत्तोहवर्धक नहीं रहा है। इस देश को राज्य क्षेत्रों की भाँति राजनीतिक पुर्निमाण के क्षेत्र में भी अपना मार्ग खोजना पड़ेगा। अग्रिम भारतीय पचायत परिषद सरकार की पांच स्तरीय व्यवस्था की स्थापना के लिये प्रयत्न कर रही है। उसमें ग्राम पचायत, पचायत समितियां, जिला परिषदें राज्य सरकारे वे केंद्रीय सरकार होंगी। इन सबमें आगिक सम्बन्ध होगा।

इस समय भविधान केवल दो प्रादेशिक सरकारों के स्वीकार करना है-केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारे। ग्राम पचायतों, पचायत समितियों, और जिला परिषदों को भी सविधान में उचित स्थान मिलना चाहिए। सविधान में उनके अधिकारों और उत्तराधिकारों का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए।

श्री जयप्रकाश नारायण, पचायत राज पर्स पैकिटब एण्ड प्रोग्राम पृष्ठ-४०

संस्थाग्रा की सत्ति और क्रियाशीलता के लिए लोकतंत्र में जनता की भागीदार बनाना चाहिये। इसलिये इन संस्थाओं को जनता के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में छोड़ देना चाहिये। दलों को हस्तक्षेप करने की भावशब्दता नहीं।

तीसरे, सत्ता बास्तविक रूप में दी जानी चाहिये, दिलावा नहीं होना चाहिये। वोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी का निभाना तब तक नहीं सीख सकता है जब तब तक जिस उस जिम्मेदारों सीधे न जाय। यदि पचायती राज को सच्च अर्थ में सत्ता सीधे दी जाय तो जिला मजिस्ट्रेट की भावशब्दता नहीं होगी या किर वह राज्य सरकार के प्रतिनिधि के हैं मर म रहता है।

चौथे, यह भ्रष्टाचार स्तर पर स्थानीय भविकारियों को न्यूनतम साधन देना चाहिये। ऐसा मुझाव है कि भ्रूमिकर जो बहुत भ्रूमिकर नहीं होता है पचायत समिति और प्राथ पचायत का देन्या जाना चाहिये। राज्य सरकार या यह भ्रूमिकर नहीं होना चाहिये कि भ्रूमिकर में से कुछ भ्रूमिकर इन साधारण को प्रदान करे। प्राथ साधन स्त्रोत भी क्षोजनार इन संस्थाओं का दिये जाने चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं कि विकास कार्यों के नियंत्रण पचायती राज को राज्य या केंद्रीय सरकार से और पन नहीं मिलना चाहिये।

पांचवें, वहां तक सम्भव हो दीप्रान्तीय पचायती राज को धननिक भविकारी वर्ग पर बहाविक सत्ता का प्रयोग करते हैं योग्य बनाना चाहिये। धनिकारी वर्ग उन संस्थाओं के प्रति पूर्ण स्तर में उत्तरान्तर्दद्य हो। नियुक्तियों के सम्बन्ध में भी स्थानीय भविकारियों की समाझ सेनों चाहिये।

अन्तिम विश्लेषण मे इस हृष्टि का यह अर्थ होता है कि प्रत्येक स्तर अप्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। ६ इस बात को विस्तार पर्वक बताते हुये श्री जयप्रकाश नारायण ने विभिन्न स्तरों पर चुनावों की एक प्रणाली के बारे मे भुभाव दिया है। इस हृष्टिकोण का समर्थन गांधीजी के कुछ लेखों द्वारा होता है।

भारत मे साथ लाल गाव है। उनमे प्रत्येक का सगठन नागरिकों की इच्छानुसार होगा। वे सभी मत देंगे। फिर साथ लाल मत बन जायेगे। दूसरे शब्दों मे प्रत्येक गाव का एक मत होगा। ग्रामीण जिले के प्रशासन वो चुनेगे। जिलों के प्रशासनों द्वारा प्रातों के प्रशासन चुने जायेंगे। बाद मे वे ही राष्ट्रपति को चुनेंगे जो वार्षिकालिका का अध्यक्ष होगा।

—महात्मा गांधी

छठे पचायनी राज के नुस्तराय ढाँचे मे नीच पा स्तर ग्राम पचायत निश्चित रूप से नीच है। इसलिये मारे ढाँचे को शक्ति और सजीवता के लिये ग्राम पचायत वी दक्षिण सजीवता और उसका लोकनाटिक रूप आवश्यक है। ग्राम पचायत वी शक्ति और प्रभावपूण्ठता इस बात पर निभर है कि उसके कार्यों मे ग्रामीण भगुनाय सहयोग करें और बुद्धि एव उत्साह के साथ उनमे रुचि ले। पचायत से नीचे जनता तर जाना आवश्यक है और गाव मे सभी वयस्य नोगा वी ग्राम सभा बनानी चाहिये। पचायत ग्राम सभा की बायकारणी के रूप मे काम करे। ग्राम सभा को बढ़क बभी कभी यानी तीन माह म होगी और उसम सभी महत्वपूण वार्ते और बजट पेश किया जायेगा जिस पर न केवल वह विचार बरेगी बल्कि उमे स्वाकार करगी। ग्राम पचायता के चुनाव सब सम्मति से हाने चाहिये। वहां चुनाव सघव गुरु बरने से बड़ी छीना भपटी होगी।

सातवें पचायता राज के दनिक कार्यों को राज्य सरकार के काय क्षेत्र से बाहर रखना चाहिये। जब आवश्यक कानून पारित कर दिये जाये तो उनके पायन्वियन वो एक ऐसी स्वतन्त्र नस्था के नियन्त्रण मे बर देना चाहिये जसी लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होती है। यह बाधनीय होगा कि उनकी सहायता पथप्रदर्शन और देखभाल का काय एक गर सरकारी स्वतन्त्र सस्त्या की साप देना चाहिये जिसका अध्ययन अन्तिक अधिकारी वर्ग मे से न हो।

—श्री जयप्रकाश नारायण, सोशलिज्म सर्वोन्नति देमोक्रेसी का सार पृष्ठ २४८ ५७

५, मन यह बताने की कोशिश की है कि सत्ता न तो समर्पित यी जा सकती है और न प्रशासन को विकेन्द्रित किया जा सकता है यदि बतमान राज्य स्तर के नीचे स्वायत्त चासन के द्व व सत्यायें न हा और विभिन्न स्तर को सखारें एव साथ प्रार्थिक रूप से न जोड दी जाये ताकि उच्च स्तर की सत्यायें निम्न स्तर से समयन और सत्ता प्राप्त वर्ग और समूण्ड दोना देश के वयस्तों का ग्राम सभाओं पर आधारित हों।

हर प्रणाली म बुराइया व दोष होगे। पचायती राज अथवा भागोदारो के सोकतन म बुराइया होंगे, जिनके बह प्रणाली अधिक लोकनाटिक होगी आर उसके दोषों को ठीक करने मे वापस गुजाइया होगी, वयोकि वह अधिक लोकनाटिक होगी। बहुत सी बुराइयों को भारम्भ मे ही दूर किया जा सकता है यदि चुनाव निर्विरोध हा जायें।

पचायती राज

अखिल भारतीय पचायत परिषद समझती है कि वर्तमान पचायती राज एक वार्यक्रम है जिसे पाच स्तरीय सरकार के निर्माण की दिशा में प्रथम बदम बनाया जा सकता है। अखिल भारतीय पचायत परिषद इम बात पर जोर देती है यि लोकतात्त्विक विकेन्द्रीकरण के परिणाम स्वरूप जो स्थायी बनाई जायेगी उहैं स्वायत्त सरकार की इकाईयों के रूप में समझना चाहिये और उनके कर्तव्यों व अधिकारों का उसी के ग्रन्तुमार निश्चय होना चाहिए।

ग्राम व्याक व जिला स्तर पर पचायती राज की स्थायी को स्वायत्त सरकार की इकाईयों के रूप में काम करना चाहिए इन स्थायीओं को राज्य सरकार वा अग नहीं बनाया जा सकता है यद्यपि वे विकेन्द्रित राज के भाग होते हैं।

फ़ाइलेट प्रोलमस आर पचायती राज—पृष्ठ—८२

पचायती राज और राज्य सरकार

अखिल भारतीय पचायत परिषद इस विचार के विषद है कि पचायत राज की स्थायी वो राज्य सरकार वो ऐजेंसियों के रूप में काम करना चाहिए। परिषद का मत है कि चूंकि इन स्थायीओं की स्थापना लोकतात्त्विक ढंग से हुई है, उनके भी उसी प्रकार निश्चित वार्य और क्षेत्र

अब जिन प्रश्न पर विचार है वह है कि पचायती राज को विस प्रकार उच्च स्तर पर बढ़ाया जाय।

यह उचित होगा कि नीचे की स्तर की स्थायी वो चुनें। इसका अर्थ यह हूँगा कि ग्राम सभा पचायत समितियाँ, पचायत समिति जिला परिषदों, जिला परिषदें। राज्य विधान सभा की ओर राज्य विधान सभायें लोक सभा को चुनें, लेकिन बाद म साचने पर यह प्रक्रिया द्वादशनीय लगेगी। इसके विषद मुहूर प्राप्तियाँ ये होगी—(१) इसमें सहीहुंता वो प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिक और नीचे की स्थायी ग्रन्तुमव परेगा यि राज्य व केन्द्र के स्तर पर संसदार्थों के दरान में इसका होई हाथ नहीं है। (२) जूँकि निर्वाचित की स्थायी घोटी होगी, पनी लागें वो उहैं अप्ट करना चाहान होगा।

वर्तमान प्रणाली के बारे में भी ऐसी ही आवश्यकी उठाई जा सकती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रस्तावित प्रणाली के दोनों ओर दूर बरते हैं उसका वा न दूदा जाये। इसका इस यह नहीं कि वर्तमान प्रणाली से विषवाइ रहा जाये जिसम और भी भारी दोष है।

विधान सभा व लोक सभा वे चुनावों से निये यह एक सुभाव प्रयोग से रूप में रख रहा है।

प्रत्येक ग्राम सभा की ग्राम सभा म दो प्रतिनिधियों को चुनना चाहिये। दिनहोने निर्वाचक परिषद रहा जा सकता है। उनका चुनाव इस प्रकार रिया जाये। ग्राम सभा म नामांकित पद वा

होना चाहिए जैसे कि समघ व राज्य रखाएे के कार्य संविधान में दिये गये हैं। जबकि इस लक्ष्य को पूर्णरूप से प्राप्त नहीं किया जाता है ताकि पचासती राज व राज्य सरकार के बीच के सम्बंध के बारे में दुविधा कम की जासके तब तक प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र पचासती राज आयोग होना चाहिए जो पचासती राज के मामलों की देख भाल करेगा, और उहे स्वायत्त शामन की इकाईयों के स्पृष्ट में बनायेगी।

राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र राज्य पचासत बोड होना चाहिए और एक जिला पचासत बाईं जो नीचे की सत्याओं को सलाह दे और उसका मार्ग दर्शन बरे। प्रस्ताव अखिल भारतीय पचासत परिषद के द्वितीय अधिवेशन में पारित।

श्री जयप्रकाश नारायण ने इस मुझाव को अधिक अच्छी तरह स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि यह बोड राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से दूर होना चाहिए और इसका अध्यक्ष एक अधिकारी हो जो अनेक सेवा का सदस्य न हो।

माना जाये और जिन नामों के प्रस्तावक व समर्थक हों उन्हें एक बोड पर लिख दिया जाये। यदि देवल दो नाम आने हैं तो वे अपने आप प्रतिनिधि चुन समझ जान चाहिये। इसके बाद बार बार मतदान हो ताकि देवल दो नाम ही रह जायें। प्रत्येक बार बम से बम प्राप्त करने वाले का नाम हटा देना चाहिये। यह साधारण व बम खच की प्रणाली होगी और चूंकि ग्राम सभायें बठकों का मञ्चालन करती हैं बजट पास करती हैं, अत्य निराय करती हैं इसलिये यह प्रसिद्ध उनके लिये एक आसान वाम हो जायेगी।

पचासत के अध्यक्ष व नेतृत्व में पूर्वाभ्यास करने म उन कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा जो पहले उनके सामन आ सकती हैं।

इसके बाद निर्वाचक परिषद की वरद कुलानी चाहिये और प्रत्येक प्रस्तावित व समर्थक के नाम पर मत लिये जायें। जो नाम निश्चित मतदान उदाहरण के लिये ३० प्रतिशत संभविक मत प्राप्त करें उहे उस कानून संविधान या लोक सभा के लिये उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिये।

म लोकतन्त्र को पूर्ण बनान के लिये यह आवश्यक समझता हूँ कि इसकी प्रसिद्धि जहां तक सम्भव हो सके मल-जौल पदा करन वाली हो। इसलिये म औरदार दो दो म अनुरोध करता हूँ हर वर्षानिक व सधारणक उपाय द्वारा प्रयत्न किया जाये कि निर्वाचक परिषद प्रत्येक स्थान के लिये एक ही उम्मीदवार खण्ड करे। आखिरकार सख्त कुछ भी हो ग्रन्त में उस निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति ही चुना जायेगा। लोकतात्त्विक सिद्धान्त तक के विषद कुछ ऐसा बहता है कि जब एक प्रतिनिधि घन जाना है और उन अपने विरोधियों की भी सेवा करनी चाहिये। यदि निर्वाचक परिषद दो समझाया जा सके कि वह एक उम्मीदवार ही खण्ड बरे तो अनावश्यक आवेदन और घन व शक्ति की वर्दी को गोपा जा सकता है। यदि वह अव्याहारिक न हो तो कुछ मामलों म इस प्रकार चुने गये नामों को निम्न ढंग स रखना चाहिये।

पचायती राज के विभिन्न स्तर

पचायती राज के विभिन्न स्तरों के बीच के सम्बन्ध वैसे ही होने चाहिये जैसाकि सरकार की दो इकाईयों के होते हैं। बड़े और छोटे का कोई प्रश्न नहीं होता चाहिये। इन सत्याघात के बीच निस्मदेह आधिक सम्बन्ध होगा। ऊंचे स्तर की सत्याघात नीचे स्तर की सत्याघात द्वारा ही बनाई जाएगी। ऊंचे स्तर की योजनाये मुख्य रूप से निम्न स्तर की योजनाओं का ठोस रूप होगा। निम्न स्तर की योजनाये भी उच्च स्तर की क्षीमताओं से क्षेत्र का ध्यान रख कर बनाई जायगी।

मगर समझ से इस प्रश्न पर अस्पष्टता की कोई गुजाइश नहीं है। यदि तीनों में से हरेक सत्या अपने स्तर पर एक सरकार हो, तो वह एक जैसी भृत्यपूर्ण होगी और अपने अपने साधनों से वह सब कुछ कर सकेगी जो उसका उत्तरदायित्व होगा। ग्राम पचायत व अन्य दो सत्याघातों की प्रशासन के गार अधिकार होने चाहिये जिनके कार्यविधान में व योग्य हो। ऐसा कार्ड वारण नहीं कि जिला परिषद् की बेवल सम्पर्क वा परामर्शदात् सत्या बना कर रखता

निवारक परिषद् द्वारा चुन हुए नामा को सम्बन्धित क्षत्र की ग्राम सभाओं वो भज दिया जाये। प्रत्येक ग्राम सभा भगत ग्राम वठप बुलाये जहा प्रत्येक उम्मीदवार का मत लिया जाना चाहिये। उसके बाद नीचे दो तरीकों में कोई एक अपनाना चाहिए।

जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करे उसे ऐसा व्यक्ति घोषित किया जाये जिस विशेष ग्राम सभा उच्चतर सभा में प्रतिनिधि के रूप में नियमन कर देना चाहिए। ऐसे सभी व्यक्तियों में उड़ व्यक्ति को ग्राम नगा वा सदस्य घोषित कर देना चाहिए।

दूसरा विवरण यह है कि ग्राम सभा की ग्राम बैठक से पर्येक उम्मीदवार जो जो पत मिले उहे लिख लना चाहिए। इसी प्रकार उम्मीदवारों में भी जो बोट मिले हो उहे जोड़ लना चाहिए। इस प्रकार जिसे सबसे अधिक बोट मिले उम्मीदवार का ग्राम का प्रतिनिधि घोषित कर देना चाहिये।

रूपरूप है कि इस चुनाव प्रणाली में वही व्यक्ति परिणाम निवालत है। पहला इससे लोकतन की इमारत का ऊपरा भाग नीचे के भाग से जुड़ जाता है। ग्राम सभा को प्रतिष्ठा, दक्षिण और महत्व प्राप्त हो जाता है। वह स्थानीय सर्वीरण्ता के दबदबे से ऊपर उठ जाती है। दूसरे प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक सीधा ग्रामसर प्राप्त होता है कि वह लोकतन के सबसे ऊपर संगठन के चुनाव में भागीदार बन। ग्राम सभाघात व निवारक मण्डल द्वारा ऐसा सम्भव हो जाता है ताकि वह अपने प्रतिनिधियों पर प्रभाव दात सके। इस प्रकार बात से बहुत पृथक् तथा और प्रस्ताव बहुत नहीं रहत है वित्त पत्तर की ठोस ईंटें बन जाता है। इस प्रकार जो भाग पत्तर की ईंटा पर बनता है वह बाजू से ऊपर बने भवान द्वे मिल होता है।

—पंडित प्रसाद नारायण, गोशलिङ्गम, देवाम सा पृष्ठ २६५ ७०

जाये या पचायत समिति को केवल जिला परिषद का एक कार्यपालिका अग बनाकर रखक्षा जाये।

‘ श्री जयप्रकाश नारायण, सेमिनार ओन फ़डामेन्टल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज—पृष्ठ-४२

ग्राम-सभा

अखिल भारतीय पचायत परिषद् ग्राम सभा की शक्ति को बढ़ा महत्व देनी है। यह प्राथमिक समुदाय और मौलिक संस्था है। ग्राम सभा के योगदान पर जोर देते हुये श्री जयप्रकाश नारायणजी कहते हैं —

मुझे शक्ति है कि अभी तक ग्राम सभा के योगदान को पूरी तौर पर नहीं समझा गया है या शायद हमारे मन में जनना भी पहल करने की शक्ति के बारे में काफी अटकाव है। मेरे विचार से यदि ग्राम सभा को शक्तिशाली नहीं बनाया जाता है तो पचायती राज अवास्तविक ही रहेगा और विकास कार्यक्रम में भी जनना का उत्ताह व मार्गीदारी नहीं होगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस मन के अटकाव को दूर कर दिया जायेगा और सभा को उचित स्थान दिया जायेगा।

अखिल भारतीय पचायत परिषद के चौथे अधिवेशन में बोलते हुये स्वर्गीय श्री महताजी ने कहा —

ग्राम सभा ने योगदान पर जितना जोर दिया जाये वह कम है। लोकतात्त्विक विकेन्द्रो का पूर्ण महत्व तभी अनुभव किया जा सकेगा जब ग्राम सभा पूरी तौर पर सक्रिय व जिम्मेदार संस्था बन जानी है।

पचायती राज पमपक्टिव एण्ड प्रोग्राम—पृष्ठ-३१

इस बीच ग्राम सभा को बजट पर बहरू बरने वा और पचायत वी उन्नति की रिपोर्ट पर विचार करने का अवसर दिया जाता चाहिए, और वह जो मिफारिशी बरे उस पर पचायत पूरी तौर पर विचार करे।

जब कि ग्राम सभा का अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह अपना वार्षिक बजट बनाये और स्वीकार करे। पचायते अपने बजट तैयार करती हैं। उन्हें सबसे पहले बजट को ग्राम सभाश्वार के सामने पेश करना चाहिए, जहाँ उन पर विचार किया जाए, यद्यपि अंतिम स्वीकृति वा प्रश्न उन पर नहीं ढोना जा सकता है।

सेमिनार ओन फ़डामेन्टल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज—पृष्ठ-४४

पचायती को ग्राम सभा में पूर्ण प्रिव्यास रखना चाहिये और कर, विकास व निर्माण सम्बन्धी वार्योंक्रमों को उसके सामने उसके विचार जानने के लिए पेश किया जाना चाहिए। ग्राम सभा में कार्य समितियाँ होनी चाहिए। पच उनके स्पोजर्क हों, और ग्रामसभा के चुन हुये सदस्य उनके मदस्य हों। गाव का चौबीदार ग्रामसभा का अधीन हो।

‘ सेमिनार ओन फ़डामेन्टल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज पृष्ठ-४४

पचायनों को ग्रामसभा की कार्यकारिणी के रूप में बाम बरना चाहिए। इह का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में बिना सधर्पे के होना चाहिए।

यह सम्मेलन पचायता, ग्रामीण जनता व सभो रचनात्मक सत्थान्नों से अनुरोध करता है कि उ ह पचायती राज की सत्थान्नों के चुनावों में एकमत प्राप्त करने का पूण प्रयत्न करना चाहिए। यह केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से भी अनुरोध करता है कि वे ऐसे उचित बदल उठाये ताकि पचायती राज की सत्थान्नों में एकमत से निर्वाचित हो सके। राजनीतिक दलों को पचायता के चुनावों से दूर रहना चाहिए। पचायता को दलवन्दी व राजनात्नि व से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपने दल के आधार पर पचायतों के कोई चुनाव न लड़े। यह रामेनन प्रत्येक राजनीतिक दल से अपील करता है कि वह इस प्रकार का निर्णय करे और उसे कार्यान्वयन करे। प्रस्ताव न०—१ अखिल भारतीय पचायन परिषद्, बातीनरा अधिवेशन।

पचायतों को आधिक प्रशासन के रूप में छढ़ बनाने के लिए और उन्हें आत्मनिप्रेर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उ ह सारा प्रशासन एवं भूमिकर सौप दिया जाय। इस प्रस्ताव द्वारा अन्य राज्य सरकारों से तिफारिश की जारी है कि वे भी गुजरात की भाँति पचायनों को भूमिकर सौप दें। प्रस्ताव न० ५, अखिल भारतीय पचायन परिषद् का तीसरा अधिवेशन।

अखिल भारतीय पचायन परिषद् पचायतों के लिये और अधिक अधिकार देने का अनुरोध बरता है, और अन्तिम लक्ष्य यह होगा कि वे पटवारों और अन्य ग्राम अधिकारियों के ऊपर पूरा नियंत्रण करें।

पटवारी या ग्राम वा हिसाब बिनाव रखने वाले को सभी दाखिल-खारिज की एक प्रति पचायन प्रयान के सामने पश्च बरनो चाहिये। पचायन को उत्त दाखिल खारिज के बारे में ग्राम सभा को रिपोर्ट देनी चाहिये, और उचित अधिकारी को उन परिवर्तनों के बारे में तृच्छन बरना चाहिये।

सेमिनार प्राव्लास ओत क-डामे-टल आफ पचायनी राज पुष्ट-८४

महाआवश्यक है कि ऐसे सभी अधिकार व कार्य-ग्राम पचायतों को सौंपे जाये जिसमें व गांव के वास्तविक और एकमात्र केंद्र बन जाये।

प्रथम अखिल भारतीय पचायन परिषद् सम्मेलन पुष्ट-३

इस सम्मेलन की राय म एवं पचायन सेवा संगठन बनाया जाये जिसमें अनुभवी और प्रतिभित व्यक्ति हो—प्रथम अखिल भारतीय पचायन परिषद् सम्मानन-३

गाव में स्वायत शासन या क्या लूप हो, इसके बारे में अखिल भारतीय पचायन परिषद् के विचारों वा और उ हैं स्पष्ट शब्दों में प्रगट बरदे का जहा तक सम्बन्ध है परिषद् की अभी अपने विचारों दो सूचवद करता है। हाल ही में भार० वे० पाटित ने विचार करने के लिये दस्ती

जाये या पचायत समिति को केवल जिला परिषद का एक कार्यपालिका भग बनाकर रखा जाये।

श्री जयप्रकाश नारायण, सेमिनार औन फ़ाइमेटल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज—पृष्ठ-४२

ग्राम-सभा

अखिल भारतीय पचायत परिषद ग्राम सभा की शक्ति को बढ़ा महत्व देनी है। यह प्राथमिक समुदाय और मोलिक संस्था है। ग्राम सभा के योगदान पर जोर देते हुये श्री जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं—

मुझे शक्ति है कि अभी तक ग्राम सभा के योगदान को पूरी तीर पर नहीं समझा गया है। या शायद हमारे मन में जनता वी पहल करने की शक्ति के बारे में काफी अटकाव है। मेरे विचार से यदि ग्राम सभा को शक्तिशाली नहीं बनाया जाना है तो पचायती राज अवास्तविक ही रहेगा और विकास कायकमा में भी जनता वा उत्ताह व भागीरथी नहीं होगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इस मन के अटकाव को दूर कर दिया जायेगा और सभा को उचित स्थान दिया जायेगा।

अखिल भारतीय पचायत परिषद के चौथे अधिवेशन में बोलते हुये स्वर्गीय श्री महताजी ने कहा—

ग्राम सभा के योगदान पर जितना जोर दिया जाये वह कम है। लोकतात्त्विक विकेंद्रों का पूर्ण महत्व सभी अनुभव किया जा सकेगा जब ग्राम सभा पूरी तीर पर सक्रिय व जिम्मेदार संस्था बन जाती है।

पचायती राज पर्सपरिक्टिव एण्ड प्राप्राम—पृष्ठ-३१

इस बीच ग्राम सभा वो बजट पर बहस करने वा और पचायत की उन्नति की रिपोर्ट पर विचार करने का अवसर दिया जाता चाहिए। और वह जो सिफारिश करे उस पर पचायत पूरी तीर पर विचार करे।

जब कि ग्राम सभा का अन्तिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह अपना वार्षिक बजट बनाये और स्वीकार करे। पचायते अपने बजट तैयार करती हैं। उन्हें सबसे पहले बजट को ग्राम सभाओं के सामने पेश करना चाहिए, जहा उन पर विचार किया जाए, यद्यपि अन्तिम स्वीकृति या प्रश्न उन पर नहीं ढोए जा सकता है।

सेमिनार औन फ़ाइमेटल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज—पृष्ठ-८४

पचायती वो ग्राम सभा में पूर्ण वि वास रखना चाहिये और वर, विकास व निर्माण सम्बन्धी कार्योंको वो उसके सामने उसके विचार जानने के लिए पेश किया जाना चाहिए। ग्राम सभा में कार्य समितियां होनी चाहिए। पच उनके सयोजक हों, और ग्रामसभा के चुन हुये सदस्य उनके मद्दत्य हों। गव वा चौकीदार ग्रामसभा के अधीन हों।

सेमिनार औन फ़ाइमेटल प्रोब्लम्स आफ पचायती राज पृष्ठ-८४

पचायनों को ग्रामसभा की वायकारिणी के रूप में काम करना चाहिए। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विना संघर्ष के होना चाहिए।

यह सम्मेलन पचायतों, ग्रामीण जनना व सभी रचनात्मक सम्पदों में अनुरोध करता है कि उ हे पचायनी राज की सम्पदों के चुनावों में एकमत प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यह केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से भी अनुरोध करता है कि वे ऐसे उचित बदल दृढ़ये तकि पचायती राज की सम्पदों में एकमत से निर्वाचित हो सके। राजनीतिक दलों को पचायतों के चुनावों से दूर रहना चाहिए। पचायतों को दलवादी व राजनीति व से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपने दल के आधार पर पचायतों के कोई चुनाव न लड़े। यह सम्मेलन प्रत्येक राजनीतिक दल से शपील करता है कि वह इस प्रकार का निर्णय करे और उसे कार्यान्वयन करे। अन्ताव न०—१ अखिल भारतीय पचायन परिषप, वा तीसरा अधिवेशन।

पचायतों को आर्थिक प्रशासन के रूप में हड़ बनाने के लिए और उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उ हे सारा प्रशासन एवं भूमिकर सौप दिया जाय। इस प्रशासन द्वारा आय राज्य सरकारों से सिफारिश की जाती है कि वे भी गुजरात की भाँति पचायना को भूमिकर सौप दे। प्रस्ताव न० ५, अखिल भारतीय पचायन परिषद् वा तीसरा अधिवेशन।

अखिल भारतीय पचायत परिषद पचायतों के लिये और अधिक अधिकार देने का अनुरोध करता है, और अनिम लभ्य यह होगा कि वे पटवारों और आय ग्राम अधिकारियों के ऊपर पुरा नियन्त्रण करें।

पटवारी या ग्राम वा हिसाब विताव रखने वाले को सभी दाखिल-खारिज की एक प्रति पचायन प्रधान के सामने पेश करना चाहिए। पचायन को उत्त दाखिल खारिज के बारे में ग्राम सभा की रिपोर्ट देना चाहिये, और उचित अधिकारी को उन परिवर्तनों के बारे में सूचित बरना चाहिये।

'सेमिनार प्राव्लास ओन फांडामेंटल आफ पचायनी राज पृष्ठ-८४

यह आवश्यक है कि ऐसे सभी अधिकार व कर्त्त्य-ग्राम पचायतों को सौपे जाये जिनमें व गांव के वास्तविक और एवं मात्र वेद्र बन जाये।

प्रथम अखिल भारतीय पचायन परिषद सम्मेलन पृष्ठ-३

इस सम्मेलन की राय म एवं पचायन सेवा संगठन बनाया जाये जिसमें अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्ति हो—प्रथम अखिल भारतीय पचायन परिषद सम्भवन-३

गाव में स्वायत शासन या व्या स्प्य हो, इसके बारे में अखिल भारतीय पचायन परिषद् के विचारों का और उहें स्पष्ट शब्दा में ग्रागट बरने का जहा तक सम्बाध है परिषद् को अपने विचारों को सूचवाव बरना है। हान ही में भार० बे० पाटिज ने विचार-बनने के लिये इनी

विषय पर एक लेख लिखा है। अखिल भारतीय पचायत परिपद जन्दो ही उस पर विस्तारपूर्वक विचार करने वाली है।

आर्थिक विकेन्द्रीकरण

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ अखिल भारतीय पचायत परिपद आर्थिक विकेन्द्रीकरण का भी समयन करती है। इसका मत है कि पचायतों को भी अपने कृषि सम्बंधी उद्योगों को आरम्भ करना चाहिये। इनसे गाव की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और पचायतों के भी आर्थिक साधन हड़ बनेंगे। आगे का ट्रिप्टिकोए यह है कि सहकारी समितियां और ग्राम सत्याये पचायत के नियंत्रण में लाई जाये ताकि गाव का समाज आत्म निर्भर बने। अखिल भारतीय पचायत परिपद द्वारा वी गई आर्थिक विकेन्द्रीकरण की मांग से यह सुझाव अवश्य भावी बन जाना है। अतिरिक्त बाल के लिये राय यह है कि सहकारी समितियां व अन्य ग्रामीण सत्याये ग्राम पचायतों को उचित महत्व दे और सबको मिल जुलकर काम करना चाहिये। भूमि जैसे उत्पादन के साधनों को ग्राम समाज के स्वामित्व में लाना चाहिये।

अखिल भारतीय पचायत परिपद की राय है कि आर्थिक विकेन्द्रीकरण राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के साथ साथ चलना चाहिए। आज वी परिस्थितिया विकेन्द्रित आर्थिक व्यवस्था की कुछ आवश्यक बातों व शार्नों के बारे में भी जयप्रकाशनारायण ने बताया है। उनके विचार से वे बन सकती और ग्राम उद्योग पर ही अधिक बल देने से हम बहुत आगे नहीं जा सकते। हमें इस विषय पर स्पष्ट चित्तन का विकास करना चाहिये। ६

६.—प्रथम, यह स्पष्ट है कि ऐसी आर्थिक-पचायाये छोटी मानीनों व अम प्रधानता के धारार पर होनी चाहिये। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि छोटी मशीनों को उन्नत बनाने के लिय सकातार व मुनियोजित प्रयास होने रहने चाहिये ताकि उसकी कीमत को अधिक बढ़ाये बिना उसकी निपुणता और उत्पादन गति म वृद्ध होती रहे। इसके लिये आवश्यक शोष वी योजना बनाई जाय और उसे प्रोत्साहन दिया जाय। जहा वही आवश्यक हो और प्राप्त हो सके वहा विज्ञों वा प्रयोग करना चाहिये। लेकिन आर्थिक व्यवस्था की तसबीर हमेशा साधने रहनो चाहिय ताकि जहा तक सम्भव हो छीमत व उत्पादन रोजगार और पदार्थों के उपयोग के बीच प्रस्तुलन पदा न हो जाय।

द्वितीय, एक विकेन्द्रित आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य यह होना चाहिये कि स्थानीय व प्रादेशिक आवश्यकताओं के अनुकूल स्थानीय व प्रादेशिक साधनों वा मानव या पदाय के रूप म ही पूरा-पूरा प्रयोग किया जाय। इस बास्ते प्रादेशिक सर्वेक्षण और नियोजन आवश्यक होगा। इसके आगे यह भी मानना होगा कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के विभिन्न क्षेत्रों को आर्थिक इकाईया दे क्य में बनाना होगा ताकि व्यापक व देशीय उद्योग हा दूसर जिना राज्य व सभी उद्योग हा। राज्य के कुछ घोर सप के सभो उद्योग बड़े पर्याने पर हो। इसका यह भय नहीं कि एक देश वो बचन दूसरे द त्र को बचन स परिवर्तित नहीं वो जायेगी। लेकिन इसका यह भय भवश्य है कि ग्रामीण पर हर प्रकार के उद्योगों व निये सम्बंधित देश भौपोलिश क्षेत्र होगे जिनके अन्तर्गत वह

मेरे अनुभव करता हूँ कि आर्थिक विकासकरण के बिना राजनीतिक विकासकरण सभव नहीं है। मेरे विचार से यह स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। यह बनाना चाहिये कि राजनीतिक रूप से स्वायत्त शासित इकाईया किस प्रकार आर्थिक रूप से स्वायत्त सरकार का रूप धारण कर लेगी। यह पूर्ण रूप से करना सभव है। यदि नहो तो किस सीमा तक और कैसे यह किया जा सकता है? यदि इन प्रश्नों के हल में विलम्ब किया जायेगा तो इसका अर्थ पचासती राज को प्रभावहोने करना होगा।

श्री जयप्रकाश नारायण, सेमिनार फ़ाइलेन्ट्स आफ पचासती राज—^६

उद्योग होगा। यह स्पष्ट है कि उपयुक्त आर्थिक तरीके विकास के पड़ों सांक सभु स्तर से भीदागी बरण के लिये सुविभाग हो और जो आर्थिक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आर्थिक व्यवस्था के इस भाग की बढ़ पर्याप्ति के लिए उद्योगों में गहर करनी होगी ताकि यह आर्थिक व्यवस्था भवित्वे तरह विकास कर सके और व्यापन परा पर खड़ा होन वाला बन।

तीसर जन शक्ति भी नूमि के अनुपात की हावि से भी जन मस्त्या को बुद्धि का ध्यान में रखने से गाव की आवादी दो कृपि के विकास के बाबजूद भीरे भारे दरिद्रता का सामना करना पड़ा यदि वह पूरी तौर पर भूमि पर ही निभर रही है। इसलिये उद्योगकरण विकास का बहुत ऊपर विद्या गया है कृपि के साम मिला खुला होना चाहिये ताकि प्रत्येक गाव या साम समूह को कृपि भीदोगित समाज के रूप में विकसित किया जा सके। यहां पर भूमि उद्योग का अध्य केवल उन उद्योगों से नहीं है जिनम कृपि से पैदाकरण की गई वस्तुओं को सवारा जाता है। इनका अर्थ है कि कृपि भीर उद्योगों में आगित मेल-जोल बनाया जाय। उदाहरण के लिये कृपि उद्योगिक समाज न केवल पन संविद्या, गन्ता कई ही पद करेगा बल्कि रेडियो, साइबिल ऐ पुर्जे, छोटी छोटी मशीनें विजली का सामान भी पदा करेगा ऐसे विकास से नगर भीर गाव के बीच का अंतर भी बहुत ही सहेदा भीर नगरीकरण की मुगाइयों को दूर किया जा सकेगा।

बोये यह स्पष्ट है कि विकेंद्रित उद्योगों के व्यवसाय का समर्थनात्मक रूप भी ऐन्ड्रोइड राष्ट्र से भिन्न होना चाहिये। वह नियो उद्योगों में हो या मरकारी उद्योगों में, विकेंद्रित रूप अधिकारों के सहायी जसा होगा इसम केन्द्रीय लकड़ पा आदित समानता होगो—जाह नियो हो या सरकारी।

पचासती राज को राजनीतिक मस्त्याओं का इस आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान पराना पड़ेगा। समस्या यह है कि यह सभव क्यों होगा।

^{***}

मेरे कुछ प्राय विचारों को पा रक्षे समाज करना चाहूँगा। मेरे पूर्णे यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि उद्योग आवोन तरीकों की रक्षा करना मेरा मतलब नहीं है। मेरे बदेश से भाष्यात्मक भीर आवोन के बीच बहुत भ्रामित है। कालव में जो मुक्ताय रख रहा है, वह सबसे अधिक

पचायती राज का भविष्य

पचाचतीराज के विकास में अस्तित्व भारतीय पचायत परिपद को पूरण विद्वास है। भारत की राजन्यवस्था का आधार निश्चित रूप से पचायती राज ही होगा। लेकिन परिपद यह भी जाननी है कि हमारे मार्ग में कौन सी बठिनाइया हैं। पचायती राज के स्वरूप के बारे में जनता को अच्छी तरह प्रशिक्षित बनाना है। उसे यह भी सिखाना है कि पचायती राज की सम्पत्तियों को उचित रूप से विस्त्र प्रकार चलाया जाता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भूमि सुधारों को किस प्रकार वार्षिकत बढ़ाया जाय और ग्राम की आर्थिक-प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन कैसे किया जाये। इसके अतिरिक्त देश के राजनीतिक नेताओं एवं प्रमुख लोगों का पचायती राज के प्रति जो उदासीनता का दृष्टिकोण है उसे बदलने का भी प्रश्न है। दूसरी बड़ी बठिनाई इन सम्पत्तियों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण की है।

आधुनिक ग्रथ यवस्था है। वसी ग्रथ 'यवस्था न कही रही और न कही है। जिसको रखना भ विनान व समाज विनान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में एक मवीन नशीन टक्कोलीजो और साध-साध में एक नवीन सामाजिक प्रार्थिक टक्कोलीजो पदा करनी होगी। यह वह विद्वाकरण नहीं है जो परिवर्तन या जापान की सबसे अधिक विद्वित ग्रथ यवस्था में पाया जाता है। मेरे दिनार से ग्रथ यवस्था का प्रभावपूर्ण रूप एक ऐसा विद्वाकरण है जिसमें केवल उतना विद्वाकरण हो जिसे मलग नहीं किया जा सकता है। दाता व द्रोघ सुन्दर सत्तुन आवश्यक है, लेकिन निस्सदैह विकेन्द्रित क्षण केंद्रित क्षण का पूरक मात्र नहीं होगा।

दूसरे, यह याद रखना आवश्यक है कि विकेन्द्रित आर्थिक आवश्यक जिमरा प्रतिपादा में बर रहा हूँ वैवल इसलिये वार्षीय नहीं है कि वह सोक्तांशिक हानी बहिर इसलिये कि इसने द्वारा जनता को तुरन्त लाभ मिलगा। ऐसा इसलिये हांगा धर्योंकि एक बर प्रमान पर लोगों को रोकार मिलेगा। और जो सामान पदा होगा वह वे प्रमाने पर बाहा जा सकता और साधारण उपभोक्ता को तुरन्त ही उसको आवश्यकता वी सामग्री मिलेगी। केंद्रित क्षण में याद रखना चाहिये उद्योगीकरण का साम धीर धीरे कपर स तीचे वी दिशा में जायगा। परिवर्तन में सामग्रा सौ बरस स लाभ साधारण 'यति' तक पहुँचा स्पष्ट है कि भारत यस गरीब दंग में जहाँ बरस स बरस आवश्यकता की बहनुमा का मिलना चाहिये है और जहाँ पेरोक्कारी या बर रोकारी इतनों यापक मात्रा में पनी हुई है। एक विकेन्द्रित ग्रथ यवस्था विद्वित ग्रथ यवस्था नहीं। एक सबसे बड़ी आवश्यकता है बश्ते आर्थिक विकास का उद्देश्य लोक-बस्त्याण हो।

तीसरे, ऊपर बताई गई आर्थिक व्यवस्था पदा बरन के लिये ग्रामवासियों की शिक्षा में प्रामूल चूल परिवर्तन करना होगा। इन उद्देश्य को पूरा करने के लिये ग्रामवासियों की शिक्षा अधिकाश क्षण से पुस्तक स पृष्ठ नहीं होनी चाहिये। यह व्यवहारित य तकनीयों हो। जिसमें कृषि तकनीकियों की शिक्षा भर्त्यित और नियांगया हो।

शिक्षा प्रणाली में उस शुद्धार को शोध और नियोजन का एक घर होना चाहिये। इसके

यह विषी हुई बात नहीं है कि देश मे एक प्रभावशाली जनमत है जिससे सिद्धान्त को डॉट से दक्षिणी या मध्य वर्ग मे नहीं बाटा जा सकता है। वह विकेन्द्रीकरण मे विश्वास नहीं करता है। मुख्य कारण दो बनाये जाने हैं (१) जनना स्वायत्त शासन के लिये योग्य नहीं है (२) सत्ता और सरकार के विकेन्द्रीकरण से राष्ट्र विन भिन हो जायेगा।

श्री जयप्रकाशनारायण, पचायनो राज एवं दर्शन पृष्ठ-२८

प्रतिरक्त ग्रामीणों की शिक्षा के मात्रात बढ़ पमाने पर व्यवस्थों को 'पारहारिक शिक्षा' दो जाय। इस प्रकार की शिक्षा इक दूसरे बठिन प्रदन का उत्तर देगी जि विकेन्द्रित धर्म व्यवस्था के विकास के लिये व्यक्ति कहा स लाये जायें ?

धन्त मे आज देश को साधारण परिस्थिति मे जब बड़ी बड़ी योजनायें कान बन गई हैं जो विभेदों को भारी सहायता पर निभर होती हैं यह स्थानावधि है कि केन्द्र उन तमाम साधनों पर एक यात्रा भविकार रखत जिहे राज्यों से बाटा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि इस स्थिति मे केन्द्र बहुत शक्तिशाली हो जायेगा और सब नोके बी सत्त्यायें मिलायी के स्तर पर आ जायेंगी। लोकतंत्र के विकास के लिय यह भयकर बात होगो लेकिन यहा विभेदी सहायता के हमारा धार्यिक विकास पर्याप्त होगा। नहीं बल्कि राष्ट्रीय जीवन पर पठन बाल प्रभाव पर बहुत नहीं बरना है। इनना बहुता होगा। इसके लिय यह स्वेच्छिक धर्म का तत्त्व परिवर्त होगा। (२) धोटी धोटी बचत की रकमों का धर्मिक स धर्मिक प्रयोग जायेगा। (३) यातायात ऊररी लंबे और धर्म सामाजिक लंबातात्रिक होगी। (श्री व्यप्रकाश नारायण सोशलिज्म सर्वोन्नय एण्ड डमोर सो।)

